

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन

मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार  
(राजस्व विभाग-सीमाशुल्क)  
(अनुपालन लेखापरीक्षा)  
2015 की संख्या 8

विषय-सूची

	अध्याय	पैरा संख्या	पृष्ठ
प्राक्कथन			ii
कार्यकारी सार			iii
शब्दों और संकेताक्षरों की शब्दावली			vi
सीमाशुल्क राजस्व	I		
सीमाशुल्क प्राप्ति की वृद्धि, प्रवृत्ति और संयोजन		1.1 से 1.8	1
कर प्रशासन		1.9 से 1.21	6
सुगमता मुद्दे		1.22 से 1.26	19
सीमाशुल्क लेखापरीक्षा उत्पाद एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई		1.27 से 1.28	21
राजस्व अंवेक्षण निदेशालय की कार्यप्रणाली	II	2.1 से 2.8	23
मुल्यांकन महानिदेशालय की कार्यप्रणाली	III	3.1 से 3.16	37
सीमाशुल्क राजस्व का निर्धारण	IV	4.1 से 4.11	51
सामान्य छूट अधिसूचनाओं का गलत लागूकरण	V	5.1 से 5.6	66
माल का गलत वर्गीकरण	VI	6.1 से 6.9	76
शुल्क छूट/रियायत योजनायें	VII	7.1 से 7.2	84
हास्पिटलिटी क्षेत्र द्वारा निवल विदेशी मुद्रा अर्जन		7.3 से 7.24	86
डीजीएफटी की ईडीआई प्रणाली की लेखापरीक्षा	VIII	8.1 से 8.8	110
अनुबंध		1 से 11	144

## प्राक्कथन

मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए इस प्रतिवेदन को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में मंत्रालय के अन्तर्गत राजस्व विभाग-सीमाशुल्क की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लेख किए गए दृष्टान्त वह हैं, जो पिछले वर्षों में ध्यान में आए मामलों के साथ-साथ 2013-14 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए थे, किन्तु उन्हें पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नहीं बताया जा सका; 2013-14 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित दृष्टान्तों को भी वहाँ शामिल किया गया है, जहां आवश्यक है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

## कार्यकारी सार

इस प्रतिवेदन में 150 पैराग्राफों और चार वृहद् विषयगत पैराग्राफों को शामिल करते हुए ₹ 2428 करोड़ का कुल राजस्व प्रभाव निहित है। इसमें ₹ 38.90 करोड़ मौद्रिक मूल्य वाले 92 पैराग्राफ शामिल हैं जिन पर विभाग/मंत्रालय ने कारण बताओ नोटिस पर निर्णय लेते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करके ₹ 15.40 की वसूली की। इस प्रतिवेदन में शामिल कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों का उल्लेख निम्नलिखित पैराग्राफों में की गई है।

### अध्याय 1: सीमाशुल्क राजस्व

- जीडीपी के अनुपात में सीमाशुल्क राजस्व लगभग 1.6 प्रतिशत पर स्थिर हो गया।

{पैराग्राफ 1.5}

- वित्तीय वर्ष 14 के दौरान निर्यात में 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि आयात में 2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

{पैराग्राफ 1.6 से 1.8}

- वित्तीय वर्ष 10 से वित्तीय वर्ष 14 की अवधि में छोड़े गये राजस्व का प्रतिशत 43 से 63 प्रतिशत रहा। योजनाओं के अंतर्गत पाँच योजनाओं में कुल छोड़ा गया राजस्व 79 प्रतिशत था।

{पैराग्राफ 1.11}

- वित्तीय वर्ष 14 की समाप्ति पर विभाग द्वारा मार्च 2014 तक माँग किए गए ₹ 17,986 करोड़ के सीमाशुल्क की वसूली नहीं की गई थी। इसमें से ₹ 5,964 करोड़ गैर विवादित था। वि.व. 14 के दौरान सात जोनों में लगभग 72 प्रतिशत राजस्व बकाये की गणना की गई।

{पैराग्राफ 1.13}

- पिछली पाँच लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (चालू वर्ष की प्रतिवेदन सहित) में, हमने ₹ 4533 करोड़ निहितार्थ वाले 656 लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल किए थे। जिसमें से, सरकार ने ₹ 320 करोड़ निहितार्थ वाले 575 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपत्तियाँ मान ली और ₹ 109 करोड़ की वसूली की।

{पैराग्राफ 1.28}

### अध्याय III: निर्धारण महानिदेशालय की कार्यप्रणाली

- डीजीओवी द्वारा विकसित निर्धारण तंत्र, अनुरक्षित डाटाबेस में सुधार की संभावना है जिसमें फलस्वरूप राजस्व निहितार्थ है।

{पैराग्राफ 3.1 से 3.16}

### अध्याय IV: सीमा शुल्क राजस्व का निर्धारण

- हमने कुल ₹ 115.52 करोड़ के सीमाशुल्क के गलत निर्धारण का पता लगाया। ये मुख्यतः वेयरहाउसिंग के गलत विस्तार, भारत में हानिकारक वस्त्र रंजकों की मंजूरी, समय-समय पर उत्पाद शुल्क प्रतिदायों पर ब्याज के भुगतान, ड्रॉबैंक के अधिक भुगतान, एंटी डंपिंग शुल्क की गैर उगाही और गलत तरीके से परियोजना आयात लाभ अनुमत करने के कारण थे।

{पैराग्राफ 4.1 से 4.11}

### अध्याय V: सामान्य छूट अधिसूचनाओं का गलत लागूकरण

- सामान्य छूट अधिसूचनाओं के गलत लागूकरण के कारण ₹ 30.56 करोड़ के शुल्क की कम उगाही हुई।

{पैराग्राफ 5.1 से 5.6}

### अध्याय VI: माल का गलत वर्गीकरण

- सामानों के गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 9.99 करोड़ के शुल्क की कम उगाही हुई।

{पैराग्राफ 6.1 से 6.9}

### अध्याय VII: शुल्क छूट/रियायत योजनाएँ

- निर्यातकों/आयातकों से ₹ 1.90 करोड़ का राजस्व बकाया था जिन्होंने शुल्क छूट योजनाओं का लाभ लिया था किन्तु उन्होंने निर्धारित दायित्व/शर्तें पूरी नहीं की थी।

{पैराग्राफ 7.1 से 7.2}

- इस अध्याय में हास्पिटलिटी क्षेत्र द्वारा अर्जित निवल विदेशी मुद्रा पर एक लम्बा पैराग्राफ भी शामिल किया गया है, जिसमें बिना वैध

प्रमाणपत्र के सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस जारी करना, स्थापना प्रमाणपत्र और प्रगति रिपोर्टों का गैर-प्रस्तुतीकरण, शुल्क स्क्रिप का गलत/अधिक छूट, ₹ 180.75 करोड़ के कुल मौद्रिक मूल्य वाले अनर्हक विदेशी मुद्रा को मंजूरी देने के मामलों पर प्रकाश डाला गया है।

{पैराग्राफ 7.3 से 7.24}

### अध्याय VIII: डीजीएफटी की ईडीआई प्रणाली की लेखापरीक्षा

- डीजीएफटी और इसके क्षेत्रीय कार्यालय इनके आदेशित कार्यों के लिए डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली पर निर्भर हैं, डीजीएफटी ईडीआई डाटाबेस के विश्लेषण से एफटीपी प्रावधानों की गलत या अपर्याप्त योजना, प्रविष्ट डाटा के वैधता के अभाव, कई हस्तगत छेड़छाड़ और डाटा बदलने, महत्वपूर्ण दर दिशा-निर्देशों के अनुचित अद्यतन आदि से संबंधित मुद्दों पर ईडीआई प्रणाली की वर्तमान स्थिति में कई खामियों का पता चला।
- डीजीएफटी को अपने ईडीआई प्रणाली को लेन-देन मूल्य अध्ययन में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में मान्यता देनी चाहिए। राजस्व प्रभाव और व्यापार सुविधा उपशाखाओं के साथ जटिल ऑनलाइन प्रणालियों का प्रबंधन करने की क्षमता के साथ डीजीएफटी में एक अनुरूप आईएस संगठन की तत्काल आवश्यकता है।
- लेखापरीक्षा ने ₹ 1062.40 करोड़ के मौद्रिक मूल्य के साथ अपर्याप्त वैधता, इनपुट और प्रक्रिया नियंत्रण तथा ₹ 987.21 करोड़ मौद्रिक मूल्य के साथ कारोबारी प्रक्रियाओं और नियमों के गलत मामले देखे।

{पैराग्राफ 8.1 से 8.8}

## शब्दों और संकेताक्षरों की शब्दावली

विस्तृत रूप	संकेताक्षर
अधिकृत ग्राहक कार्यक्रम	एसीपी
अग्रिम प्राधिकार	एए
प्राधिकृत आर्थिक संचालक	एईओ
अग्रिम छूट आदेश	एआरओ
एंटी डंपिंग शुल्क	एडीडी
आधारभूत सीमाशुल्क	बीसीडी
प्रविष्टि रसीद	बीई
समेकित भुगतान और लेखांकन पैकेज	कॉमपैक्ट
कस्टम्स टैरिफ हेडिंग	सीटीएच
केंद्रीय बोर्ड, उत्पाद एवं सीमाशुल्क	सीबीईसी
केंद्रीय उत्पाद टैरिफ हेडिंग	सीईटीएच
केंद्रीय स्थैतिक संगठन	सीएसओ
केंद्रीय बिक्री कर	सीएसटी
लागत बीमा भाड़ा	सी.आई.एफ.
सीमाशुल्क आयुक्तालय	कमिश्नरेट
प्रतिकारी शुल्क	सीवीडी
डाटा प्रबंधन निदेशालय	डीडीएम
राजस्व विभाग	डीओआर
वाणिज्य विभाग	डीओसी
विदेशी व्यापार महानिदेशालय	डीजीएफटी
विकास आयुक्त	डीसी
एंटी डंपिंग महानिदेशालय	डीजीएडी
वाणिज्यिक अंवेशण स्थैतिक महानिदेशालय	डीजीसीआईएस
निर्धारण महानिदेशालय	डीजीओवी
घरेलू टैरिफ क्षेत्र	डीटीए
शुल्क हकदारी पासबुक	डीईईसी
शुल्क मुक्ति हकदारी क्रेडिट प्रमाणपत्र	डीएचईसीसी
शुल्क मुक्त पुनर्पूर्ति प्रमाणपत्र	डीएफआरसी
इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज	ईडीआई
निर्यात दायित्व	ईओ

विस्तृत रूप	संकेताक्षर
निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र	ईओडीसी
निर्यातोन्मुख इकाई	ईओयू
निर्यात निष्पादन	ईपी
निर्यात प्रोत्साहन पूँजीगत माल	ईपीसीजी
निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र	ईपीजेड
निर्यात एवं आयात	एक्जिम
वित्तीय वर्ष	एफवाई
राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम	एफआरबीएम
फ्री ऑन बोर्ड	एफओबी
विदेश व्यापार नीति	एफटीपी
सकल घरेलू उत्पाद	जीडीपी
प्रक्रिया हैंडबुक	एचबीपी
हाईस्पीड डीजल	एचएसडी
सुमेलित नामकरण प्रणाली	एचएसएन
उच्च समुद्र बिक्री	एचएसएस
सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी	आईसीटी
आयातक निर्यातक कोड	आईईसी
वृद्धिगत निर्यात प्रोत्साहन योजना	आईईआईएस
आयातक निर्यातक कोड	आईएफसी
भारतीय सीमाशुल्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा अंतरण प्रणाली	आईसीईएस
इनलैंड कंटेनर डिपो	आईसीडी
अंतर्राष्ट्रीय टैरिफ वर्गीकरण (सुमेलित प्रणाली)	आईटीसी(एचएस)
संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार	जेडीजीएफटी
अनुमति पत्र	एलओपी
राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजना	एनईजीपी
मिशन मॉड प्रोजेक्ट	एमएमपी
ऑन साइट पोस्ट मंजूरी लेखापरीक्षा	ओएसपीसीए
लोक लेखा समिति	पीएसी
निष्पादन मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन	पीएमईएस
प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक	प्रि.सीसीए
क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकरण	आरएलए



विस्तृत रूप	संकेताक्षर
परिणामी खाका दस्तावेज	आरएफडी
वास्तविक प्रभावी विनिमय दर	आरईईआर
जोखिम प्रबंधन प्रणाली	आरएमएस
रुपया	₹
विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क	एसएडी
विशेष आर्थिक क्षेत्र	एसईजेड
भारत से सेवित योजना	एसएफआईएस
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क	एसटीपी
स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट मानक	एसआईओएन
सेवा उन्मुख ढाँचा	ओएसए
प्रयोक्ता आवश्यकता विशेषता	यूआरएस
विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना	वीकेजीयूवाई

## अध्याय I

### राजस्व विभाग-सीमा शुल्क राजस्व

#### 1.1 संघ सरकार के संसाधन

भारत सरकार के स्रोतों में केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, खजाना बिलों द्वारा उठाए गए सभी ऋण एवं ऋण के पुनः भुगतान से सरकार द्वारा प्राप्त सारा धन सम्मिलित है। केन्द्र सरकार के कर राजस्व स्रोतों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से राजस्व प्राप्ति सम्मिलित हैं। नीचे दी गई तालिका 1.1 वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए केन्द्र सरकार की प्राप्ति का सार प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.1: संघ सरकार के स्रोत

	₹ करोड़
क. कुल राजस्व प्राप्ति	15,36,024
i. प्रत्यक्ष कर प्राप्ति	6,38,596
ii. अन्य कर सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्ति	5,00,400
iii. सहायता अनुदान और अंशदान सहित गैर - कर प्राप्ति	3,97,028
ख. विविध पूँजी प्राप्ति	27,553
ग. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	24,549
घ. सार्वजनिक ऋण प्राप्ति	39,94,966
<b>भारत सरकार की प्राप्ति (क+ख+ग+घ)</b>	<b>*55,83,092</b>
टिप्पणी: कुल राजस्व प्राप्ति में राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से प्रदत्त प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की कुल प्राप्ति का भाग ₹ 3,18,230 करोड़ सम्मिलित है।	

स्रोत: वि. व. 2013-14 का केंद्रीय वित्त लेखा। आंकड़े अनंतिम हैं।

1.1.1 वित्तीय वर्ष 2013-14 में वि.व. 2013-14 के लिए संघ सरकार की कुल प्राप्ति ₹ 55,83,092 करोड़<sup>1</sup> हैं। जिसमें से ₹ 11,38,996 करोड़ की कुल कर प्राप्ति सहित इसका अपना स्रोत ₹ 15,36,024 करोड़ था।

#### 1.2 अप्रत्यक्ष कर का स्वरूप

अप्रत्यक्ष कर स्वयं को आपूर्त माल/सेवाओं के मूल्य से जोड़ते हैं और इस अर्थ में वे व्यक्ति-विशिष्ट के बजाय लेन-देन विशिष्ट होते हैं। संसद के अधिनियम के अंतर्गत लागू किए गए मुख्य अप्रत्यक्ष कर/शुल्क हैं:

<sup>1</sup> स्रोत: वित्तीय वर्ष 2013-14 के संघ वित्त लेखे। आंकड़े अन्तरिम हैं। अन्य कर सहित प्रत्यक्ष कर प्राप्ति एवं अप्रत्यक्ष कर प्राप्ति वित्तीय वर्ष 2013-14 के संघ वित्त लेखे से तैयार किए गए हैं।

- क) **सीमा शुल्क:** सीमा शुल्क भारत में आयात हुए माल और भारत के बाहर निर्यातित निश्चित माल पर लगाया जाता है (संविधान की सातवीं अनुसूची के सूची 1 की प्रविष्टि 83)।
- ख) **केन्द्रीय उत्पाद शुल्क:** शुल्क भारत में निर्माण अथवा उत्पाद हुए माल पर लगाया जाता है। संसद के पास मानवीय खपत के लिए पेय, अफीम, भांग एवं अन्य मादक औषधियां एवं मादक द्रव्य को छोड़ कर तम्बाकू और भारत में निर्मित या उत्पादित माल पर उत्पाद शुल्क लगाने की शक्ति है, लेकिन औषधीय एवं मद्य वाले प्रसाधन पदार्थ, अफीम आदि सम्मिलित हैं। (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84)
- ग) **सेवाओं पर कर:** सेवाकर, करयोग्य क्षेत्र के अंदर प्रदान की गई सेवाओं पर लगाया जाता है (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 97)। सेवाकर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को प्रदान की गई सेवाओं पर कर है। वित्त अधिनियम की धारा 66 बी में प्रावधान है कि सभी सेवाओं के मूल्य पर 12 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा, केवल उनको छोड़कर जिन्हें नकारात्मक सूची में विनिर्दिष्ट किया गया हो, प्रदान किया गया हो अथवा करयोग्य क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को प्रदान करने पर सहमति दी गई हो और निर्धारित तरीके से संग्रहण किया गया हो। 'सेवा' को वित्त अधिनियम की धारा 65 बी(44) में इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के लिए की गई कोई भी सकारात्मक गतिविधि (इसमें शामिल मदों के अलावा) और जिसे घोषित सेवायोग्य क्षेत्र में शामिल किया जाए (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 97)।

### 1.3 संगठनात्मक ढांचा

एमओएफ का राजस्व विभाग (डीओआर), सचिव (राजस्व) के सम्पूर्ण निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करता है और केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अंतर्गत गठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) नाम के दो सांविधिक बोर्ड द्वारा प्रत्यक्ष

एवं अप्रत्यक्ष केंद्रीय करों से संबंधित सभी मामलों को समन्वित करता है। सीमाशुल्क लगाने अथवा संचयन संबंधित मामले सीबीईसी द्वारा देखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त, डीओआर भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (संघ के अधिकार क्षेत्र में आने की सीमा तक), केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956, मादक औषधि एवं मादक पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएसए), तस्कर एवं विदेशी मुद्रा जोड़-तोड़ (सम्पत्ति की जब्ती) अधिनियम, 1976 (एसएण्डईएमए), विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (एफईएमए) और विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्कर गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1974 (सीओएफईपीओएसए), काला धन शोधन/हवाला अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) एवं खूफिया, प्रवर्तन, लोकपाल एवं अर्द्धन्यायिक कार्यों के लिए संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों के लिए भी उत्तरदायी है।

सीबीईसी के पूरे संस्वीकृत स्टाफ की संख्या 73,817<sup>2</sup> है (1 जुलाई 2014 तक)। सीबीईसी का संगठनात्मक ढांचा वित्त मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट, 2014 में दर्शाया गया है।

#### 1.4 अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि-प्रवृत्ति एवं संघटन

तालिका 1.2 वित्तीय वर्ष 10 से वित्तीय वर्ष 14 के दौरान अप्रत्यक्ष करों का सापेक्ष वृद्धि प्रस्तुत करती है। पिछले पांच वर्षों में जीडीपी<sup>3</sup> में अप्रत्यक्ष करों का शेयर लगभग 4 प्रतिशत था।

तालिका 1.2: अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि

वर्ष	अप्रत्यक्ष कर	जीडीपी	जीडीपी के % के रूप में अप्रत्यक्ष कर	₹ करोड़	
				सकल कर राजस्व	सकल कर राजस्व के % के रूप में अप्रत्यक्ष कर
वि.व. 10	2,45,373	64,77,827	3.79	6,24,527	39
वि.व. 11	3,45,371	77,95,314	4.43	7,93,307	44
वि.व. 12	3,92,674	90,09,722	4.36	8,89,118	44
वि.व. 13	4,74,728	1,01,13,281	4.69	10,36,460	46
वि.व. 14	5,00,400	1,13,55,073	4.20	11,38,996	42

स्रोत: वित्तीय लेखे, वि.व.14 के आंकड़े अंतरिम हैं।

<sup>2</sup> एचआरडी महानिदेशालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े (1 जुलाई 2014 तक सी.शुल्क, के.उ. एवं सेवाकर)

<sup>3</sup> स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ सरकार के वित्त लेखे, जीडीपी फरवरी 2014 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा उपलब्ध करवाए गए जीडीपी के आंकड़े।

वित्तीय वर्ष 14 में जीडीपी में अप्रत्यक्ष कर की प्रतिशतता पिछले पाँच वर्षों में 4.3 प्रतिशत के औसत से कम थी। वि.व. 14 के कुल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष कर का भाग पिछले पाँच वर्षों के औसत 43 प्रतिशत से कम था। इस अवधि में जीडीपी में 75 प्रतिशत की वृद्धि और सकल कर राजस्व में 82 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसने अप्रत्यक्ष करों में बहुत अधिक रेशनलाइजेशन और कटौती दर्शाया। जीडीपी वि.व. 10 में 64.78 लाख करोड़ से बढ़कर वि.व. 14 में ₹ 113.55 लाख करोड़ हो गई जबकि अप्रत्यक्ष कर वि.व. 10 में 2.45 लाख करोड़ से बढ़कर वि.व. 14 में ₹ 5 लाख करोड़ हो गया।

### 1.5 सीमा शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि-प्रवृत्तियाँ और संरचना

नीचे दी गई तालिका 1.3 वित्तीय वर्ष 10 से वित्तीय वर्ष 14 के दौरान संपूर्ण सीमाशुल्क राजस्व तथा जीडीपी में वृद्धि प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.3: सीमाशुल्क प्राप्तियों में वृद्धि

वर्ष	जीडीपी	कुल कर राजस्व	कुल अप्रत्यक्ष कर	सीमाशुल्क प्राप्तियाँ	₹ करोड़		
					जीडीपी के % रूप में सीमा शुल्क राजस्व	कुल कर के % के रूप में सीमा शुल्क राजस्व	अप्रत्यक्ष करों के % के रूप में सीमा शुल्क
वि.व. 10	64,77,827	6,24,527	2,45,373	83,324	1.29	13	34
वि.व. 11	77,95,314	7,93,307	3,45,371	1,35,813	1.74	17	40
वि.व. 12	90,09,722	8,89,118	3,92,674	1,49,328	1.66	17	38
वि.व. 13	1,01,13,281	10,36,235	4,74,728	1,65,346	1.63	16	35
वि.व. 14	1,13,55,073	11,38,996	5,00,400	1,72,033	1.52	15	34

स्रोत: वित्त लेखे, वि.व. 14 आंकड़े अंतरिम हैं।

वि.व. 13 एवं वि.व. 14 में जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में सीमाशुल्क राजस्व में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, अप्रत्यक्ष कर की प्रतिशतता के रूप में सीमाशुल्क राजस्व में वि.व. 10 में 34 से बढ़कर वि.व. 12 में 38 प्रतिशत हो गई, लेकिन वि.व. 14 में इसमें गिरावट आ गई। कुल कर की प्रतिशतता के रूप में भी सीमाशुल्क राजस्व वि.व. 11 के बाद सबसे निचले स्तर पर है। जीडीपी के अनुपात में सीमाशुल्क राजस्व 1.6 प्रतिशत के औसत पर स्थिर रहा है।

## 1.6 वित्त वर्ष 10 से 14 के लिए भारत का निर्यात तथा आयात

निर्यात में वित्तीय वर्ष 13 में 11 प्रतिशत (₹ 1,68,380 करोड़) की तुलना में वित्तीय वर्ष 14 के दौरान 17 प्रतिशत (₹ 2,70,692 करोड़) वृद्धि दर्ज की गई है (तालिका 1.4)।

तालिका 1.4: भारत का निर्यात एवं आयात

वर्ष	आयात	वृद्धि %	सीमाशुल्क प्राप्ति	वृद्धि %	** %	निर्यात	वृद्धि %	₹ करोड़	
								व्यापार असंतुलन	% #
वि.व. 10	1363736	(-) 1	83324	(-) 17	4	845534	1	-518202	38
वि.व. 11	1683467	23	135813	63	5	1142922	35	-540545	32
वि.व. 12	2345463	39	149328	10	4	1465959	28	-879504	37
वि.व. 13	2669162	14	165346	11	4	1634319	11	-1034843	38
वि.व. 14	2715434	2	172033	4	4	1905011	17	-810423	30

स्रोत: ईएक्सआईएम डाटा, वाणिज्य विभाग, \*(आयात+निर्यात) % के रूप में सीमाशुल्क प्राप्तियाँ, # आयात की % में व्यापार असंतुलन

पिछले पांच वर्षों में आयात में (-)1 प्रतिशत (वि.व. 10) से 39 प्रतिशत (वि.व. 12) उतार-चढ़ाव रहा। आयात में पिछले वर्ष के 14 प्रतिशत की वृद्धि (₹ 3,23,699 करोड़) की तुलना में 2 प्रतिशत की वृद्धि (₹ 46,272 करोड़) दर्ज की गई। पिछले पांच वर्षों में निर्यात में 1 प्रतिशत (वि.व. 10) से 35 प्रतिशत (वि.व. 11) के बीच उतार-चढ़ाव आया। पिछले पांच वर्षों में आयात वृद्धि और निर्यात वृद्धि में कोई तालमेल प्रतीत नहीं होता। व्यापार असंतुलन वि.व. 14 में न्यूनतम 30 प्रतिशत रहा जो वि.व. 10 और 13 में अधिकतम 38 प्रतिशत था। सर्वाधिक सीमाशुल्क दर घटने और 2009 के पश्चात् 10 प्रतिशत पर बने रहने के बाद पिछले पांच वर्षों में सीमाशुल्क प्राप्ति कुल व्यापार की 4 प्रतिशत पर बनी रही।

## 1.7 कर आधार

सीमा शुल्क राजस्व आधार में विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) द्वारा आयातक निर्यातक कोड (आईईसी)<sup>4</sup> के साथ जारी आयातक और निर्यातक शामिल हैं। जनवरी 2014 तक 864022 वैध आईईसी हैं। विदेश व्यापार प्रबंधन के लिए 414 आयात बंदरगाह हैं (93 ईडीआई, 67 गैर-ईडीआई, 60 मैनुअल एवं 194 एसईजेड) एवं 362 निर्यात बंदरगाह (108 ईडीआई, 65 गैर ईडीआई, 40 मैनुअल

<sup>4</sup> आईईसी डीजीएफटी, दिल्ली द्वारा प्रत्येक आयातक/निर्यातक को जारी किया जाता है।

और 149 एसईजेड) हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान, ₹ 19.05 लाख करोड़ निर्यात एवं ₹ 27.15 लाख करोड़ आयात का लेन-देन किया गया था। अठारह व्यापार करारों<sup>5</sup> द्वारा कुछ प्रकार के टैरिफ रियायत, छोड़े गये राजस्व (₹ 3,49,405 करोड़) के साथ सीमाशुल्क प्राप्तियाँ (₹ 1,72,033 करोड़) कर लेखापरीक्षा का आधार हैं।

### 1.8 आयात एवं सीमाशुल्क प्राप्तियों में वृद्धि

तालिका 1.5 आयात एवं सीमाशुल्क प्राप्तियों में वृद्धि दर्शाती है।

तालिका 1.5: आयात एवं सीमा शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि

वर्ष	आयात	वृद्धि %	सीमाशुल्क प्राप्तियाँ	वृद्धि %	शुल्क का उच्चतम दर
वि.व. 10	1363736	(-) 1	83324	(-) 17	10
वि.व. 11	1683467	23	135813	63	10
वि.व. 12	2345463	39	149328	10	10
वि.व. 13	2669162	14	165346	11	10
वि.व. 14	2715434	2	172033	4	10

स्रोत: संघ बजट, एक्विजिशन डाटा-वाणिज्य मंत्रालय

वि.व. 14 के दौरान आयात के मूल्य में पिछले वर्ष 2 प्रतिशत (तालिका 1.5) की वृद्धि दर्ज की गई थी। वि.व. 14 में सीमाशुल्क राजस्व में वृद्धि 4 प्रतिशत थी। संग्रहीत सीमाशुल्क राजस्व में आयात मूल्य के साथ वृद्धि नहीं हुई।

### 1.9 विभागीय निष्पादन की निगरानी

राजस्व विभाग के पास परिणामी ढांचागत दस्तावेज (आरएफडी)<sup>6</sup> नहीं हैं। निष्पादन सूचकों के अभाव के कारण राजस्व नीति, रणनीति और इसके निष्पादन को मापने की कार्यप्रणाली ज्ञात नहीं है। राजस्व विभाग ऐसे जवाबदेही केन्द्रों (आरसी) और पांच बड़े विभागों के साथ समस्त वित्त मंत्रालय के लिए एक वार्षिक रिपोर्ट और परिणाम बजट तैयार करता है।

### 1.10 सीमा शुल्क प्राप्तियों में बजटीय मुद्दे

तालिका 1.6 बजट और संशोधित प्राकलन अर्थात् सीमाशुल्क प्राप्तियाँ दर्शाती है।

<sup>5</sup> (<http://commerce.nic.in/trade/international>)

<sup>6</sup> मंत्रिमंडल सचिवालय की निष्पादन निगरानी तथा मूल्यांकन प्रणाली (पीएमईएस) के अन्तर्गत आरएफडी तैयार करना अपेक्षित है।

तालिका 1.6: बजट और संशोधित अनुमान, वास्तविक प्राप्तियां

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	₹ करोड़		
				वास्तविक प्राप्तियों और बजट अनुमानों में अन्तर	वास्तविक प्राप्तियों एवं बजट अनुमानों में अन्तर की %	वास्तविक प्राप्तियों एवं संशोधित अनुमानों में अन्तर की %
वि.व.10	98000	84477	83324	(-)14676	(-)14.98	(-)1.36
वि.व.11	115000	131800	135813	(+)20813	(+)18.10	(+)3.04
वि.व.12	151700	153000	149328	(-)2372	(-)1.56	(-)2.40
वि.व.13	186694	164853	165346	(-)21348	(-)11.43	(+)0.30
वि.व.14	187308	175056	172033	(-)15275	(-)8.16	(-)1.73

स्रोत: संघ बजट एवं वित्त लेखे

बजट अनुमानों के वास्तविक संग्रहण में प्रतिवर्ष गिरावट के बावजूद सरकार ने वार्षिक बजट प्रस्तुत करने के दौरान आशावादी परिकल्पना जारी रखी। पिछले पाँच वर्षों के दौरान बजट अनुमानों और वास्तविक संग्रहण में प्रतिशतता का अंतर (-) 14.98 प्रतिशत से (+) 18.10 प्रतिशत के बीच था, जैसाकि ऊपर तालिका 1.6 में दर्शाया गया है। वास्तविक प्राप्तियों से संशोधित अनुमान भी (-) 2.40 प्रतिशत से (+) 3.04 प्रतिशत तक भिन्न थे।

मंत्रालय ने वर्ष 2013-14 में सीमाशुल्क राजस्व में बीई, आरई और वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता के निम्नलिखित कारण बताए (नवम्बर 2014):

- i. आर्थिक मंदी (स्थिर सूचकांक जीडीपी में 2012-13 से 2013-14 में 47 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई)।
- ii. रुपये के संदर्भ में कुल आयात में 2011-12 से 2012-13 में 13.8 प्रतिशत की आयात वृद्धि के प्रति 2012-13 से 2013-14 में 1.73 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई।
- iii. 2012-13 से 2013-14 में गैर-तेल आयात में रुपये के संदर्भ में गिरावट दर्ज की गई।

यह सभी कारण पिछले कुछ वर्षों से थे और बीई तैयार करने से पूर्व ज्ञात थे एवं उन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए था।



### 1.11 सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत छोड़ा सीमा शुल्क राजस्व

केन्द्र सरकार ने सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) के अन्तर्गत जनहित में अधिसूचना जारी करने के लिए शुल्क छूट की शक्तियों को प्रत्यायोजित कर दिया गया है ताकि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित टैरिफ दरों से कम शुल्क दरें निर्धारित की जा सकें। अधिसूचना द्वारा निर्धारित की गई ये दरें “प्रभावी दरों” के रूप में जानी जाती हैं।

इस प्रकार छोड़े गए राजस्व का भुगतान किये जाने योग्य शुल्क एवं छूट अधिसूचना जारी होने से संबंधित अधिसूचना की शर्तों के अनुसार भुगतान किये गये वास्तविक शुल्क के बीच अन्तर रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरे शब्दों में,

$$\text{छोड़ा गया राजस्व} = \text{मूल्य} \times (\text{शुल्क की टैरिफ दर} - \text{शुल्क की प्रभावी दर})$$

तालिका 1.7: सीमाशुल्क प्राप्तियां तथा छोड़ा गया कुल सीमाशुल्क राजस्व

वर्ष	सीमाशुल्क प्राप्तियां (करोड़ ₹ में)	योजनाओं सहित वस्तुओं पर छोड़ा गया राजस्व	प्रतिदाय	अदा की गई फिरती	₹ करोड़	
					छोड़ा गया राजस्व+ प्रतिदाय+ डीबीके	छोड़ा गया राजस्व सीमाशुल्क का प्रतिशत
वि.व.10	83324	233950	2309	9219	245478	295
वि.व.11	135813	230131	3474	9001	242606	179
वि.व.12	149328	285638	3202	12331	301171	202
वि.व.13	165346	298094	3031	17355	318480	193
वि.व.14	172033	326365	4501	18539	349405	203

स्रोत: संघ प्राप्तिर्थाँ बजट, सीबीइसी डीडीएम, सीबीइसी

पिछले पाँच सालों के दौरान सीमाशुल्क प्राप्तिर्थाँ की प्रतिशतता के रूप में छोड़े गए राजस्व में 179 प्रतिशत से 295 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है (तालिका 1.7)। वित्तीय वर्ष 14 के दौरान छोड़े गए राजस्व का 87 प्रतिशत कच्चा तथा खनिज तेल, हीरे तथा सोने, खाद्य तेल तथा अनाज, मशीनरी, वस्त्र एवं रसायन तथा प्लास्टिक पर हुआ था।

तालिका 1.8: विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के अन्तर्गत परित्यक्त राजस्व

योजना का नाम	छोड़ी गई राशि/संवितरित				₹करोड़
	वि.व. 10	वि.व. 11	वि.व. 12	वि.व. 13	वि.व. 14
1. शुल्क फिरती (सेज को छोड़कर)	9219	9001	12331	17422	21799
2. अग्रिम लाइसेंस	10089	19355	18306	18971	20956
3. ईपीसीजी	7020	10621	9672	11218	8990
4. केंद्रित उत्पाद योजना (एफपीएस)	396	1209	3056	4579	7640
5. सेज	4019	8668	4567	4503	6206
6. अन्य *	21863	22174	20564	15649	17261
<b>कुल</b>	<b>52606</b>	<b>71028</b>	<b>68496</b>	<b>72342</b>	<b>82852</b>
<b>सीमाशुल्क प्राप्ति की %</b>	<b>63</b>	<b>52</b>	<b>46</b>	<b>43</b>	<b>48</b>

\*अन्य में ईओयू/ईएचटी/एसटीपी, डीएफआईए योजनाएँ, एफएमएस, विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना (वीकेजीयूवाई), टारगेट प्लस योजना, स्टेटस होल्डर इंसेंटिव स्क्रिपयोजना (एसएचआईएस), भारत सेवित योजना (एसएफआईएस), डीईपीबी (सेज को छोड़कर), डीएफईसीसी योजना, डीएफआरसी इत्यादि।

स्रोत: डाटा प्रबंधन निदेशालय, सीबीईसी, वित्त मंत्रालय

वित्तीय वर्ष 14 के दौरान निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत छोड़े गए राजस्व का 48 प्रतिशत था (तालिका 1.8)।

वित्तीय वर्ष 10 से वि.व. 14 (तालिका 1.8) के बीच योजनागत परित्यक्त शुल्क 63 प्रतिशत से 43 प्रतिशत के बीच था। वि.व. 14 के दौरान शीर्ष पांच योजनाओं जिन पर शुल्क छोड़ा गया वे शुल्क फिरती योजना, अग्रिम लाइसेंस योजना, ईपीसीजी, केंद्रित उत्पाद योजना और सेज थीं। योजनाओं के अंतर्गत इन पांच योजनाओं में कुल छोड़े गए शुल्क की गणना 79 प्रतिशत की गई। विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं, व्यापार करारों और सामान्य छूटों का परिणामी राजस्व निर्धारण बजट दस्तावेज के भाग के रूप में उपलब्ध नहीं कराया गया।

### 1.12 सीबीईसी में मानव संसाधन प्रबंधन

महानिदेशक मानव संसाधन विकास का गठन नवम्बर 2008 में किया गया जो संवर्ग प्रबंधन, निष्पादन प्रबंधन (सामूहिक एवं व्यक्तिगत स्तर का) क्षमता निर्माण, नीतिगत दृष्टि विकास और 73,817 की संख्या (1 जुलाई 2014 तक) वाले एक मजबूत कार्यबल संरचनात्मक डिवीजन से संबंधित विशिष्ट भूमिका निभाता है। 2013 में संवर्ग पुनर्गठन के पश्चात, मंत्रालय द्वारा कुल 18067 अतिरिक्त पदों की मंजूरी दी गई (दिसम्बर

2013) जिसमें प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त/प्रधान आयुक्त/आयुक्त के 490 पद शामिल थे ताकि:

- क. अप्रत्यक्ष कर में जीडीपी के अनुपात में वृद्धि की जा सके;
- ख. सभी पत्तनों और लेन-देन को शामिल करने वाला एक मजबूत आरएमएस हो;
- ग. अधिकारी एवं कर्मचारी आईसीईएस का प्रयोग करने में सक्षम हों;
- घ. तकनीकी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ और मजबूत हों।

सीबीईसी के आरएफडी वि.व. 14 में उपरोक्त महत्वपूर्ण गतिविधियों को पहले ही शामिल किया गया है। स्वनिर्धारण, ओएसपीसीए, आरएमएस और आईसीटी, आईसीईसी का प्रयोग करने के मामले में सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों को मापन और सफलता सूचकों के साथ नहीं जोड़ा गया। सीमाशुल्क अन्य कर और सरकार की विदेशी नीतियों से जुड़ा है, उपयुक्त कौशल को बढ़ाने और क्षमता कमियों को दूर करने के पश्चात् मानव संसाधनों के पुनर्गठन एवं पुनर्आवंटन को सैद्धांतिक स्तर पर ले जाने की आवश्यकता है।

कई अनुस्मारकों के बावजूद भी सीबीईसी ने वि.व. 14 के दौरान अपने क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण के बारे में नहीं बताया।

### 1.13 बकाया सीमाशुल्क

तालिका 1.9 मार्च 2014 तक मांगे गए लेकिन वि.व. 14 की समाप्ति तक विभाग द्वारा वसूल नहीं किए गए सीमाशुल्क का विवरण दर्शाती है।

तालिका 1.9: सीमा शुल्क की बकाया राशि

जोन	विवादग्रस्त राशि				अविवादित राशि				कुल जोड़ (कॉलम 5+9)
	पांच वर्ष से कम	पांच वर्ष लेकिन दस वर्ष से कम	दस वर्ष से अधिक	जोड़ (कॉलम 2+3+4)	पांच वर्ष से कम	पांच वर्ष लेकिन दस वर्ष से कम	दस वर्ष से अधिक	जोड़ (कॉलम 6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अहमदाबाद	2896	79	45	3020	101	495	234	830	3850
मुंबई III	1008	229	57	1294	897	38	25	960	2254

जोन	विवादग्रस्त राशि				अविवादित राशि				
	पांच वर्ष से कम	पांच वर्ष लेकिन दस वर्ष से कम	दस वर्ष से अधिक	जोड़ (कॉलम 2+3+4)	पांच वर्ष से कम	पांच वर्ष लेकिन दस वर्ष से कम	दस वर्ष से अधिक	जोड़ (कॉलम 6+7+8)	कुल जोड़ (कॉलम 5+9)
बेंगलोर	938	148	5	1091	476	14	12	502	1593
दिल्ली	987	209	68	1264	191	66	55	312	1576
मुंबई।	378	358	29	765	157	271	212	640	1405
चेन्नई	567	117	38	722	207	232	29	468	1190
दिल्ली नि.	763	2	1	766	270	24	7	301	1067
उप जोड़	7537	1142	243	8922	2299	1140	574	4013	12935
अन्य	2166	748	186	3100	1022	678	251	1951	5051
कुल योग	9703	1890	429	12022	3321	1818	825	5964	17986
%									71.91%

स्रोत: मुख्य आयुक्त, बकाया कर वसूली, केंद्रीय उत्पाद, सीमाशुल्क एवं सेवाकर मार्च 2014 तक मांगे गये ₹ 17,986 करोड़ का सीमाशुल्क राजस्व विभाग द्वारा वि.व. 14 की समाप्ति तक नहीं वसूला गया था (तालिका 1.9)। जिसमें से ₹ 5,964 करोड़ गैर-विवादित था। जबकि गैर-विवादित राशि में से ₹ 2,643 करोड़ (कुल बकाये का 15%) की राशि पांच वर्षों के बाद भी नहीं वसूली गई। वि.व. 14 के दौरान कुल लंबित बकाये में शीर्ष सात क्षेत्रों में सीमाशुल्क राजस्व बकाया 72 प्रतिशत था। विभाग की वसूली तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

#### 1.14 रक्षोपाय, एन्टीडम्पिंग और एंटी सब्सिडी उपायों के कारण व्यापार उपचारात्मक शुल्क

सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियमावली, 1997 के अन्तर्गत, महानिदेशक, रक्षोपाय भारत को एक वस्तु के बढ़े हुए आयात के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के लिए “गम्भीर क्षति” अथवा “गम्भीर क्षति की संभावना” की जांच करने और उनके परिणामों को केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। वित्तीय वर्ष 12 से वित्तीय वर्ष 14 के दौरान महानिदेशक, रक्षोपाय ने 28 जांच की जिन्हें तालिका 1.10 में दर्शाया गया है। रक्षोपाय परिमाणात्मक प्रतिबन्ध के रूप में भी हो सकती हैं।

तालिका 1.10 रक्षा महानिदेशक द्वारा की गई जांच

	वि.व.12	वि.व.13	वि.व.14	वि.व.15	
चालू मामलों की संख्या	2	2	4		11
क्रियाशील एसजी की संख्या	3	3	5		3
सम्मिलित सामग्रियों के नाम (*)	(a) एन1, 3-डाईमिथाइल ब्यूटाइल एन' फिनाइलिन डाईअमीन	(क) फथैलिक एनहाइड्राइड (ख) कार्बन ब्लैक	(क) डाइऑक्टाइल फथैलेट (डीओपी) (ख) 8 लैक्टिकल इन्सुलेटर (ग) हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद और स्टेनलैस स्टील 304 ग्रेड (घ) फथैलिक एनहाइड्राइड (समीक्षा)	(क) सोडियम नाइट्रेट (ख) सीमलेस पाइप, ट्यूब और आयरन या गैर अयस्क इस्पात का हॉलो प्रोफाइल (ग) मेथिल एक्टोएसिटेट (घ) रबर केमिकल्स एन-1, 3 - डाईमेशिल ब्यूटिल एन फिनाइलीनडयमीन (6 पीपीडी) (ड.) फैटी एल्कोहल (च) सोडियम साइट्रेट	
	(b) अल्मूनियम फ्लैट रोल्ड उत्पादों और फाईल 7606 एवं 7607 (समीक्षा)				

\*स्रोत: रक्षा महानिदेशालय, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

### 1.15 एन्टी डम्पिंग शुल्क

महानिदेशक एंटी-डंपिंग ने प्रथम एंटी-डंपिंग जांच 1992 में प्रारम्भ किया था। इस अवधि के दौरान डीजीएडी को एन्टी डम्पिंग जांच प्रारम्भ करने के लिए बहुत अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त हुए। वि.व. 12 से वि.व. 14 के दौरान 92 मामलों में एन्टी-डम्पिंग जांच प्रारम्भ की गई और 31 देशों को शामिल करते हुए 109 मामलों को निपटाया गया।

चीन, पीआर, ईयू, चाइनेज ताईपे, कोरिया आरपी, जापान, यूएसए, सिंगापुर, इन्डोनेशिया, थाइलैंड, रूस, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका आदि एन्टी-डम्पिंग शुल्क जांच में प्रमुख देश हैं।

मुख्य उत्पाद वर्ग जिस पर एन्टी-डम्पिंग शुल्क उद्ग्रहीत किया गया है वे पीवीसी रेजिन, केमिकल्स एवं पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, फाइबर/यार्न, इस्पात एवं अन्य धातु और उपभोक्ता वस्तुएं हैं। उपचारात्मक उपायों के कारण संग्रहीत शुल्क कुल सीमा शुल्क की तुलना में नाममात्र है। शुल्क, कुल सीमाशुल्क का नगण्य (वर्ष 2014 में 0.020 प्रतिशत) भाग बनता है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्तमान अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में आयातकों द्वारा एन्टी डम्पिंग शुल्क से बच निकलने के तरीके देखे गए हैं।

सुरक्षोपाय, एंटी सब्सिडी और एंटी डंपिंग द्वारा संग्रही कुल शुल्क की गणना राजस्व विभाग द्वारा नहीं की गई है।

### 1.16 वित्तीय वर्ष 10 से वित्तीय वर्ष 14 तक संग्रहण मूल्य

तालिका 1.11 2009-10 से 2013-14 तक पांच वर्षीय वित्तीय अवधि हेतु संग्रहण दर्शाती है।

तालिका: 1.11: वित्तीय वर्ष 10 से वित्तीय वर्ष 14 के दौरान संग्रहण की लागत

वर्ष	राजस्व, आयात निर्यात और व्यापार नियंत्रण कार्यों पर व्यय	नियारक और अन्य कार्यों पर व्यय	आरक्षित निधि जमा लेखा और अन्य व्यय को स्थानांतरण	जोड़	सीमाशुल्क प्राप्तियां	₹ करोड़
						सीमाशुल्क प्राप्तियों की % के रूप में संग्रहण की लागत
वि.व.10	304	1218	10	1532	83324	1.84
वि.व.11	293	1421	5	1719	135813	1.27
वि.व.12	306	1577	5	1888	149876	1.26
वि.व.13	315	1653	10	1979	165346	1.20
वि.व.14*	333	1804	5	2143	172033	1.25

स्रोत: वित्त लेखों से अनंतिम आंकड़े

वि.व. 10 से वि.व. 14 के दौरान प्राप्तियों, संग्रहण के मूल्य के संदर्भ में व्यक्त प्रतिशतता 1 से 2 के बीच थी (तालिका 1.12)। स्वचालन और आईटीसी के व्यापक उपयोग के बावजूद वि.व. 13 की तुलना में वि.व. 14 में संग्रहण मूल्य में वृद्धि हुई। सीबीईसी ने लेखापरीक्षा को उपरोक्त तालिका में उल्लिखित संग्रहण की समग्र लागत में आरक्षित निधि और जमा खाता व्यय की गणना के लिए कार्यप्रणाली उपलब्ध नहीं कराया थी।

### 1.17 कर लेखांकन एवं आन्तरिक लेखापरीक्षा अनियमितताएं

1.17.1 2011-14 (तीन वर्ष) की अवधि के लिए पीसीसीए, पीएओज, सीमाशुल्क आयुक्तलयों के कार्यालयों तथा उनके सहायक क्षेत्रीय कार्यालयों में कर लेखांकन, नियंत्रणों तथा समाधान की लेखापरीक्षा से पता चला कि प्रणाली कुछ कमियों से ग्रस्ति थी। निम्नलिखित मामले देखे गए:

- 2011-14 की अवधि के लिए पीएओ (सीमाशुल्क), नई दिल्ली, कोलकाता, काण्डला, तिरुचिरापल्ली, चेन्नै एवं तूतीकोरीन में संहितीय प्रावधानों के उल्लंघन में आन्तरिक लेखापरीक्षा की कमी।
- 2011-14 की अवधि के लिए पीएओ आंकड़ों के साथ 9 आयुक्तलयों<sup>7</sup> द्वारा संग्रहित राजस्व का गैर। अतः, आयुक्तलयों से संबंधित ₹ 1,07,875 करोड़ की कुल सीमाशुल्क प्राप्ति तथा 3 आयुक्तलयों<sup>8</sup> के संबंध में ₹ 8,652 करोड़ राशि के फिरती को नहीं किया गया था।
- ई-पीएओ (सीमाशुल्क), दिल्ली में (मार्च 2014) सीमा शुल्क के लिए बैंक डाटा के साथ आइसगेट डाटा का मिलान ना होने के 7853 मामले (₹ 538.16 करोड़) थे। इसी प्रकार बैंक में 8464 मामले (₹ 628.37 करोड़) आइसगेट डाटा से मेल नहीं खाते।
- पीएओ हैदराबाद, गाजियाबाद, कोचीन, काण्डला में बैंको ने सरकारी खाते से आहरण किया था परन्तु संव्यवहार विफलता के कारण 1 से 82 दिनों तक फिरती का भुगतान नहीं किया था। अथवा निर्यातकों को वास्तविक भुगतान के बिना ही सरकारी खाते से विभिन्न राशियाँ आहरित की गई थीं। सीमाशुल्क आयुक्तलय, काण्डला में सीमाशुल्क विभाग को बैंकर के चैक के माध्यम से लौटाई गई वितरित ना की गई राशि 40 से 1568 दिनों की अवधि तक सीमा शुल्क के पास थी। समान रूप से, पीएओ कोचीन में, फिरती भुगतान के मामले देखे गए थे जो ना तो निर्यातको को भुगतान किये गए थे एवं ना ही वापस सरकारी खाते में डाले गए थे। पीसीसीए ने लेखापरीक्षा को अपने उत्तर में विभाग को ऐसी राशि सरकारी खाते में हस्तांतरित करने का निर्देश दिया था (पीएओ काण्डला, कोचीन, अक्टूबर 2014)।
- पीएओज अहमदाबाद/कोचीन में 2011-14 के दौरान विभिन्न लेखांकन शीर्षकों के तहत शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक उच्चतर शिक्षा उपकर का गलत वर्गीकरण देखा गया था।

<sup>7</sup> काण्डला , कोलकाता (निरोधक सीमा शुल्क), कोलकाता (पत्तन तथा हवाई अड्डा), दिल्ली (सी.शु.), अमृतसर, चैन्नई (सी.शु.), कोचीन (सीमाशुल्क), तिरुपति एवं तूतीकोरीन

<sup>8</sup> कोलकाता (निरोधक सीमाशुल्क), दिल्ली पीएओ (सीमाशुल्क) तथा काण्डला

- पीसीसीए नई दिल्ली में, ₹ 223.26 करोड़ (2013-14) की एक राशि उच्चयंत खाते के तहत बुक की गई थी जिसके परिणामस्वरूप सरकारी प्राप्तियाँ कम बताई गईं। पीसीसीए ने बताया (अक्टूबर, 2014) कि इन राशि में वर्ष 2014-15 का ₹ 144.13 करोड़ के अग्रिमभुगतान की प्राप्ति शामिल है। ₹ 79.13 करोड़ का बकाया शेष पिछले वर्षों से संबंधित है।
- चार पीएओज/ई-पीएओज<sup>9</sup> में सीएस, आरबीआइ नागपुर द्वारा तैयार किये गए तिथि वार मासिक विवरण (डीएमएस) तथ पुट-थ्रो वितरण (पीटीएस) के बीच अन्तर देखा गया था। सीमाशुल्क प्राप्तियों के लिए, यह अन्तर ₹ 11.66 करोड़ की राशि का था (₹ 4.80 करोड़ अधिक डीएमएस में पीटीएस में ₹ 6.86 करोड़ अधिक)। सीमाशुल्क प्रतिदाय/फिरती के लिए अन्तर ₹ 1.03 करोड़ राशि का देखा गया था (डीएमएस में ₹ 30.82 लाख अधिक तथा पीटीएस ₹ 71.68 में लाख अधिक)।
- पेट्रोपोल निरोधक इकाई, कोलकाता सीमा शुल्क आयुक्तालय में नकद बही 2014 का अनुरक्षण ना करने के परिणामस्वरूप चालान के माध्यम से संग्रहीत राशि तथा मुख्य आयुक्त (निरोधक), पश्चिम बंगाल को सूचित किये गए आंकड़े का समाधान नहीं हुआ। समान रूप से, पीएओ काण्डला, दिल्ली, अमृतसर तथा कोलकाता में 2011-14 की अवधि के लिए बैंक स्काल तथा गुम हो गए चालानों का रजिस्टर नहीं बनाया गया था। इन रजिस्ट्रों का अनुरक्षण का करना कमजोर आन्तरिक नियंत्रणों को दर्शाता है।

1.17.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रधान मुख्य नियंत्रक, लेखा (प्रधान सीसीए), सीबीईसी द्वारा की जाती है, जिसका उद्देश्य सीबीईसी के विभिन्न भुगतान और लेखाकरण कार्यों की लेखापरीक्षा है। यद्यपि आन्तरिक लेखापरीक्षा आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली का एक एकीकृत भाग है फिर भी प्रधान सीसीए की

---

<sup>9</sup> कोलकाता, तिरुपति, ई-पीएओ (सीमाशुल्क) दिल्ली तथा कोचीन



आन्तरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों के साथ ₹ 145607.24 करोड़<sup>10</sup> के कुल मूल्य सहित 10 आन्तरिक लेखापरीक्षा पैराओं का लम्बन दर्शाया।

प्रधान सीसीए की लेखापरीक्षा टिप्पणियों में वि.व.14 तक स्थापना लेखापरीक्षा के अलावा निम्नांकित अनियमितताएं शामिल हैं:

- क. सरकारी विभाग/राज्य सरकार निकायों/निजी पक्षकारों/स्वायत्त निकायों से बकाया ₹ 67888.61 करोड़ की वसूली न करना।
- ख. हानि/निष्फल व्यय, ₹ 59537.46 करोड़।
- ग. सरकारी धन ₹ 1835.97 करोड़ की ब्लॉकिंग।

आन्तरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट इसके जोखिम निर्धारण के अनुरूप नियंत्रण आधारित आश्वासन नहीं प्रदान करता। प्रधान सीसीए द्वारा किए गए लेखांकन की लेखापरीक्षा पर सीएजी की रिपोर्ट वर्ष 2015-16 में प्रस्तुत की जाएगी।

### 1.18 डीजी (ऑडिट), सीबीईसी द्वारा तकनीकी लेखापरीक्षा

सीमाशुल्क विभाग को 1994 में आईसीएस शुरू करके कम्प्यूटरीकृत किया गया जिसे बाद में आईसीईएस 1.5 संस्करण (2009) में अपग्रेड किया गया। इस प्रणाली में मूल्यांकन, वर्गीकरण, अधिसूचना आदि जैसे कारकों की पहचान करके जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) शुरू की गई है। कम्प्यूटराइजेशन से आयातित और निर्यातित माल की प्रक्रिया के निर्धारण में सुधार और कर की उचित गणना, टैरिफ की आवेदन, ड्यूट अधिसूचना का आवेदन, सामान्यतः माल के गैर वर्गीकरण में अनियमितताओं को कम करना अपेक्षित है।

तालिका 1.12: वि.व.11 से वि.व.14 के दौरान विभागीय लेखापरीक्षा

वित्त वर्ष	आयोजित की गई लेखापरीक्षा की संख्या	पता लगाई गई शुल्क की राशि	वसूल की गई शुल्क की राशि	सीमा शुल्क प्राप्ति की % के रूप में पता लगाई गई शुल्क राशि	₹ करोड़	
					पता लगाई गई % के रूप में उगाई गई शुल्क की राशि	सीमा शुल्क प्राप्ति की % के रूप में उगाई गई शुल्क राशि
वि.व.11	323399	548	447	0.40	82	0.32
वि.व.12	525406	439	459	0.29	105	0.31

<sup>10</sup> (प्रधान मुख्य नियंत्रक दिनांक 3 नवम्बर, 2014 पत्र डीओ संख्या, आईए/एनजेड/ एचक्यू/सीएजी आईएनएफओ/2014-15/616)।

वित्त वर्ष	आयोजित की गई लेखापरीक्षा की संख्या	पता लगाई गई शुल्क की राशि	वसूल की गई शुल्क की राशि	सीमा शुल्क प्राप्ति की % के रूप में पता लगाई गई शुल्क राशि	पता लगाई गई % के रूप में उगाई गई शुल्क की राशि	सीमा शुल्क प्राप्ति की % के रूप में उगाई गई शुल्क राशि
वि.व.13	446911	1824	1058	1.10	58	0.64
वि.व.14	494393	294	223	0.17	76	0.13

स्रोत: लेखापरीक्षा महानिदेशालय, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

विभागीय लेखापरीक्षा आन्तरिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन है जो अननुपालन और अकुशलता का पता लगाता है और कमियों पर उपचारी कार्यवाही शुरू करता है। प्रभावी निरीक्षण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सीबीईसी ने इस विषय पर नये अनुदेश जारी किये। उपरोक्त तालिका 1.12 वि.व.12 से वि.व.14 के दौरान इस क्षेत्र में परिमाणात्मक उपलब्धियां दर्शाता है। पता लगाया गया/उगाया गया शुल्क, सीमा शुल्क राशि प्राप्ति की प्रतिशतता थी।

### 1.19 सीमाशुल्क प्रक्रिया और व्यापार सुविधा

सरकार ने सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को कारगर बनाना और विभिन्न व्यापार सुविधा उपाय लागू करना जारी रखा। स्वनिर्धारण मुख्य व्यापार सुविधा उपाय है जो उत्पाद और सेवाकर विभाग के मामले में साक्ष्य के रूप में सीमाशुल्क द्वारा आयातित/निर्यात माल की निकासी हेतु लिए जाने वाले समय में महत्वपूर्ण कमी करेगा। उठाए गए कुछ कदमों में ईडीआई की शुरुआत से आयात के साथ-साथ निर्यात के लिए "स्व निर्धारण" और जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) की वृद्धि की कवरेज जोखिम मापदंडों और आन साईट पोस्ट क्लीयरेंस लेखापरीक्षा (ओएसपीसीए) पर आधारित अत्यवस्थित रूप से चयनित बिलों की एंट्री पर निर्धारण करना सम्मिलित है। आयात और निर्यात कार्गो की निकासी में सीमाशुल्क के हस्तक्षेप के स्तर को निरंतर कम करने की मंशा है। इसके अतिरिक्त एईओ (प्राधिकृत आर्थिक आपरेटर) और बड़ी करदाता इकाई (एलटीयू) को अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सुविधा हेतु प्रारंभ किया गया है। शीघ्र संस्वीकृति और 4 प्रतिशत एसएडी के प्रतिदाय के लिए सामान्य रूप से लागू और विशेष रूप से एसीपी आयातकों के लिए 30 दिनों के निर्धारित समय में पूर्व लेखापरीक्षा के बिना प्रतिदाय की संस्वीकृति को सरल कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न स्क्रिपों जैसे डीईपीबी/पुरस्कार योजनाओं द्वारा प्रदत्त 4 % एसएडी के प्रतिदाय के उपयोग में ऐसे स्क्रिपों के

हस्तगत पंजीकरण द्वारा छूट दी गई है। सीमित बंदरगाहों पर समय विमोचन अध्ययन संचालित किया गया, किंतु वह सरलीकरण उपायों अथवा लेन-देन मूल्यों में बचत से सहसंबंधित नहीं किया गया। यह देखा गया कि आईसीटी आधारित समाधान (आईसीईएस) सभी सीमाशुल्क लेन-देन पर नहीं लागू था।

### 1.20 जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस)

आरएमएस की क्षमता बहिर्वासियों की दशार्थी गई और सभी एयर कार्गो, सुमुद्री बंदरगाहों, भू-पत्तनों, एसईजेड/ईओयू के आईसीटी की प्रयोज्यता की कवरेज में वृद्धि पर निर्भर करती है। इसमें गैर-ईडीआई बंदरगाह और एवं ईडीआई बंदरगाह में सभी फिलिंग शामिल नहीं है। 13 आरएमएस द्वारा चिन्हित आयात और निर्यात लेन-देन की संख्या की तुलना में वित्तीय वर्ष 14 के दौरान आयात लेन-देन की संख्या तालिका 1.13 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.13: आरएमएस द्वारा चिन्हित लेन-देन

आरएमएस द्वारा चिन्हित लेन-देन की संख्या	वि.व. 11	वि.व. 12	वि.व. 13	वि.व. 14
आयात	16,31,287	12,52,001	12,52,001 <sup>#</sup>	16,21,734 <sup>#</sup> (23.24%)
निर्यात	-	-	3007	3,20,047 <sup>#</sup> (03.80%)
कुल लेन-देन (आयात)		62,36,748	65,61,921*	69,15,958*
कुल लेन-देन (निर्यात)		67,81,392	74,60,630*	84,11,542*

स्रोत: <sup>#</sup>जोखिम प्रबंधन डिवीजन, डीआरआई सीबीईसी, \*डीजीसीआईएण्डएस, एओसी और इंडस्ट्री, भारत सरकार

निर्यात में आरएमएस जुलाई 2013 में शुरू किया गया और वि.व. 14 में कुल ₹ 84.11 लाख कुल निर्यात लेन-देन के प्रति ₹ 3.20 लाख (3.80%) को चिन्हित किया गया।

### 1.21 ऑन साइट पोस्ट क्लीयरेंस ऑडिट (ओएसपीसीए) योजना

ओएसपीसीए के प्रस्तावना के पश्चात्, एक तरफ सीमा शुल्क विभाग ने एसीपी ग्राहकों की लेखापरीक्षा प्रभावी रूप से धीरे कर दी, जबकि दूसरी ओर, ओएसपीसीए पूरी तरह से शुरू नहीं हुई थी। वित्तीय वर्ष 14 के दौरान, 483 नियोजित लेखापरीक्षा में से, ओएसपीसीए के अंतर्गत 226 ईकाई संचालित की गईं जिनके परिणामस्वरूप ₹ 55.85 करोड़ की कम वसूली का पता लगा जिसमें से ₹ 5.95 करोड़ (10.65 प्रतिशत) की वसूली की गई।

### 1.22 24X7 सीमाशुल्क निकासी परिचालन

आयातकों एवं निर्यातकों को सुविधा देने के उद्देश्य से आयात एवं निर्यात की निम्न श्रेणियों के संदर्भ में ज्ञात एयर कार्गो परिसरों (चेन्नई, मुम्बई, दिल्ली एवं बेंगलोर) एवं बंदरगाह (कांदला, जेएनपीटी, चेन्नई, बेंगलोर) में 1 सितम्बर 2012 से प्रभावी बोर्ड ने 24X7 सीमा शुल्क निकासी प्रायोगिक आधार पर शुरू करने का निर्णय लिया था:

क. जहां कोई जांच और मूल्यांकन आवश्यक न हो, प्रविष्टि के बिल प्रदान करना; और

ख. मुफ्त लदान बिल द्वारा शामिल फैक्टरी स्टफ्ड एक्सपोर्ट, कंटेनर और निर्यात परेषण।

व्यापार को आगे सुविधा देने के उद्देश्य हेतु, 24X7 सीमा शुल्क निकासी संचालन का कार्यक्षेत्र चार एयर कार्गो परिसरों तक निर्यात परेषण को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया। आगे, चयनित आयात और निर्यात दस्तावेजों के लिए 24X7 सेवाएं ईडीआई पर कार्य कर रही 13 संचालित एयरकार्गो परिसर तक बढ़ा दी गई हैं (मई 2013)। यह सुविधा चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर जैसे विमानपत्तनों तक बढ़ा दी गई है।

### 1.23 एकल विंडो सीमा शुल्क निकासी

लेन-देन के मूल्य एवं समय को कम करने और संसाधनों के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से एकल विंडो योजना का कार्यान्वयन सीमाशुल्क के साथ सीबीईसी के प्रमुख एजेंसी होने की वजह से इसकी परिकल्पना की गई थी।

सीमा शुल्क में एकल विंडो का उद्देश्य व्यापारियों को इलेक्ट्रॉनिकली सामान्य घोषणा फाईल करने और आयातित/निर्यातित माल की निकासी प्रक्रिया में लगी अन्य विनियामक एजेंसियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। एकल विंडो व्यवस्था के अंतर्गत, अन्य विनियामक एजेंसियों से संबंधित फील्ड्स/सूचना डाटा, सीमाशुल्क द्वारा अनुमत होने से पूर्व निकासी/इनपुट पाने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली प्रेषित किया जाता है।

## 1.24 लेखापरीक्षा प्रयास एवं सीमाशुल्क लेखापरीक्षा उत्पाद

### अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

अनुपालन लेखापरीक्षा का प्रबन्धन पेशेवर मानकों के लेखापरीक्षा मानक के दूसरे संस्करण 2002 का प्रयोग करके नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा गुणता प्रबंधन ढांचा, 2009 के अनुसार किया जाता है।

### 1.25 जानकारी के स्रोत और परामर्श की प्रक्रिया

वाणिज्यिक विभाग (डीओसी) और उसकी क्षेत्रीय कार्यालयों में मूल अभिलेखों/दस्तावेजों की जांच के साथ डीओआर, सीबीईसी संघ सरकार लेखे से डाटा, सीमाशुल्क का वार्षिक डाटा डम्प (सीबीईसी) सिंगल साइन ऑन (एसएसओआईडी) आधारित अभिगम का आईसीईएस 1.5 का प्रयोग किया जाता था। सीबीईसी के एमआईएस, एमटीआर के साथ-साथ अन्य हितधारकों के रिपोर्टों का प्रयोग किया गया। महानिदेशकों (डीजी)/प्रधान निदेशकों (पीडी) लेखापरीक्षा की अध्यक्षता वाले नौ क्षेत्रीय कार्यालय हमारे पास हैं, जिन्होंने वि.व. 14 में 415 इकाइयों के लेखापरीक्षा का प्रबन्धन किया और 15050 लेखापरीक्षा टिप्पणियां जारी की। कई अनुस्मारक जारी करने के बावजूद भी महानिदेशक (प्रणाली), सीबीईसी द्वारा डाटा डायरेक्टरी के अनुसार 2013-14 में आयात एवं निर्यात हेतु आईसीईएस 1.5 की लेन-देन स्तर की तिथि नहीं बताई गई।

अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गई सुधारात्मक कार्रवाई तथा मार्च 2013 को उसकी स्थिति का विवरण तालिका 1.14 में दी गई है।

तालिका सं. 1.14: अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर की गई उपचारात्मक कार्यवाही

प्रतिवेदन संख्या.	सीबीईसी, सीमाशुल्क		डीओसी	
	लम्बित एटीएन	एटीएन प्राप्त नहीं हुए	लम्बित एटीएन	एटीएन प्राप्त नहीं हुए
2006 (सी.शु.,के.उ.,से.क.) का सीए 7	-	-	2	-
2008 (सी.शु.,के.उ.,से.क.) का सीए 7	-	-	1	-
2009-10 (सी.शु.,के.उ.,से.क.) का सीए 20	-	-	1	-
2009-10 का सीए 14	-	-	2	-
2010-11 का सीए 24	-	-	2	-
2011-12 का सीए 31	-	-	3	3
2013 का सीए 14	-	2	-	-
2013 का सीए 14	1	47	-	7
<b>कुल</b>	<b>1</b>	<b>49</b>	<b>11</b>	<b>10</b>

स्रोत: सी.बी.ई.सी., वित्त मंत्रालय, वाणिज्यिक विभाग

वर्तमान रिपोर्ट में 150 पैराग्राफ और ₹ 2428 करोड़ के चार लंबे विषयगत पैराग्राफ हैं। इसमें सामान्यतः छः प्रकार की आपत्तियाँ थीं: गलत वर्गीकरण; छूट अधिसूचना का गलत लागूकरण; अधिसूचना की शर्तें न पूरा करना; गलत वर्गीकरण के कारण गलत छूट; योजना आधारित छूट; सैद्धांतिक मुद्दों और नीति निर्धारण मामलों के अलावा सीमाशुल्क का गलत निर्धारण। कारण बताओ नोटिस का संज्ञान लेते हुए मंत्रालय/विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी करके ₹ 38.90 करोड़ मूल्य वाले 92 पैराग्राफों (अनुबंध 1) के मामले में पहले ही सुधारात्मक कार्रवाई की है और कुछ मामलों में वसूली की सूचना दी है।

### 1.26 निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

इस वर्ष हमने “सीमाशुल्क पतनों के माध्यम से आयात एवं निर्यात व्यापार सुविधा” तथा “100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाईयों” पर निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल किया। योजना/ संस्थानों/प्रक्रियाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा लेखांकन मानक और निष्पादन लेखापरीक्षा दिशा-निर्देश; 2014 के आधार पर पेशेवरों द्वारा की गई।

### 1.27 लोक लेखा समिति (पीएसी)

लोक लेखा समिति ने ‘आईसीईएस 1.5’, एसईजेड और ‘नार्कोटिक्स पदार्थों का प्रबंधन (राजस्व विभाग)’, जब्त और अधिदत्त सामानों के निपटान तथा सार्वजनिक एवं निजी बांड वाले वेयरहाउस की जाँच/चर्चा हेतु तीन लंबे पैराग्राफों की निष्पादन समीक्षा की। पीएसी की अग्रिम प्रश्नावली व्यापक तौर पर कर नीति के स्तरों, प्रशासन और कार्यान्वयन पर आधारित है। इसमें अंतर-मंत्रालयी समन्वय की कमी, योजना परिणाम के साथ-साथ पूर्व में अपर्याप्त जांच भी देखा गया है।

### 1.28 सीएजी की लेखापरीक्षा, राजस्व प्रभाव/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

गत पांच लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में (वर्तमान वर्ष के प्रतिवेदन सहित); हमने ₹ 4533 करोड़ के 656 लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल किए थे (तालिका 1.15)।

तालिका 1.15: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

वर्ष	शामिल किए गए पैराग्राफ		स्वीकृत पैराग्राफ				की गई वसूली				₹ करोड़			
	सं.	राशि	मुद्रण से पूर्व		मुद्रण के बाद		मुद्रण से पूर्व		मुद्रण के बाद			जोड़		
			सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि				
वि.व. 10	124	80	102	33	16	4	118	37	63	18	3	0	66	18

वर्ष	शामिल किए गए		स्वीकृत पैराग्राफ					की गई वसूली						
	पैराग्राफ सं.	राशि	मुद्रण से पूर्व सं.	मुद्रण के बाद राशि	मुद्रण से पूर्व सं.	मुद्रण के बाद राशि	जोड़ सं.	जोड़ राशि	मुद्रण से पूर्व सं.	मुद्रण के बाद राशि	मुद्रण से पूर्व सं.	मुद्रण के बाद राशि	जोड़ सं.	जोड़ राशि
वि.व. 11	118	131	102	99	29	18	131	116	56	18	3	4	59	22
वि.व. 12	121	62	108	48	14	11	122	59	79	30	9	1	88	31
वि.व. 13	139	1832	100	66	0	0	100	66	63	18	4	5	67	22
वि.व. 14	154	2428	104	42	-	-	104	42	65	16	-	-	65	16
<b>जोड़</b>	<b>656</b>	<b>4533</b>	<b>516</b>	<b>288</b>	<b>59</b>	<b>33</b>	<b>575</b>	<b>320</b>	<b>326</b>	<b>99</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>345</b>	<b>109</b>

स्रोत: सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

सरकार ने ₹ 320 करोड़ वाले 575 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपत्तियाँ को मान लिया और ₹ 109 करोड़ की वसूली की।

## अध्याय II

### राजस्व आसूचना निदेशालय की कार्यप्रणाली

#### 2.1 प्रस्तावना

राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) का गठन 4 दिसम्बर 1957 को किया गया था। डीआरआई सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 100, 101, 103, 104, 106, 107 तथा 110 में निर्दिष्ट सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत है। डीआरआई ने आसूचना एकत्रित करने का एक नेटवर्क स्थापित किया है जो पारंपरिक मानव आसूचना संसाधनों के साथ-साथ समकालीन तकनीकी उपकरणों पर निर्भर है। डीआरआई क्षेत्रीय संरचनाओं के लिए आसूचना का संग्रहण, जाँच में मदद करता है, विश्लेषण तथा प्रचार-प्रसार करता है तथा तस्करी की प्रवृत्तियों, अन्य वर्जित समान के आवगमन पर नजर रखने के लिए बरामदगी तथा दर/कीमतों के आँकड़े भी रखता है तथा वर्तमान कानूनों तथा प्रक्रियाओं में खामियों को सुधारने के लिए सुझाव भी देता है। इसका संगठनात्मक ढांचा वेबसाइट डीआरआई.एनआईसी.इन में दिया गया है।

#### 2.2 कार्यक्षेत्र तथा कवरेज

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र आन्तरिक नियंत्रक तथा मॉनीटरिंग व्यवस्था तक ही सीमित था। आईएसएस (आसूचना समर्थन प्रणाली) के रूप में पहचाने जाने वाले संगठन की जांच तथा डाटाबेस के तहत मामलों के मुखबिरों को पुरस्कार देने से संबंधित रिकॉर्ड लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किए गए हालांकि लेखापरीक्षा हस्तक्षेप लेखापरीक्षा महानिदेशक स्तर पर था।

रिपोर्ट को साक्षात्कार, विभाग को जारी लेखापरीक्षा ज्ञापनों के प्रति प्राप्त उत्तर/सूचना के आधार पर बनाया गया है।

#### 2.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य इसकी समीक्षा करना है कि क्या:-

- डीआरआई के पास मामलों में स्वतः संज्ञान लेने के लिए मानव शक्ति, उपकरणों आदि के अनुसार पर्याप्त संसाधन है।



- डीआरआई तथा अन्य एजेंसियों के बीच सतर्कता/आसूचना को साझा करने के लिए एक उपयुक्त मॉनीटरिंग, समन्वय, संचार नेटवर्क तथा प्रतिक्रिया मौजूद है।
- खुफिया जानकारी जुटाने और प्रयोग की दक्षता।

## 2.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

### 2.4.1 कर अपवंचन, जांच और जब्ती

पिछले पाँच वर्षों (वि.व.10 से वि.व.14) के दौरान संख्या एवं राशि दोनों के मामलों में अपवंचन की प्रवृत्ति बढ़ रही है। जैसाकि अनुबंध 2 में दिखाया गया है। उसी अवधि के दौरान शुल्क अपवंचन मामले 391 से बढ़कर 694 और ₹ 615 करोड़ से ₹ 3,113 करोड़ हो गए थे।

डीआरआई इकाई (सीबीईसी) ने ₹ 10025.30 करोड़ के कर चोरी के 2873 मामलो का वि.व.10 से वि.व.14 के दौरान पता लगाया। सम्मिलित उत्पाद मुख्यतः सेकेण्ड हैंड मशीनरी, इलैक्ट्रॉनिक वस्तुएं, मेमरी कार्ड, हेलिकॉप्टर, महँगी कारे, मोबाइल फोन और इनकी बैटरियां, वाहन और उनके पुर्जे, अनगढ़ हीरे और गहने थे।

### 2.4.2 निर्दिष्ट वस्तुओं की जब्ती में बढ़ती हुई प्रवृत्ति

वि.व. 10 से वि.व. 14 की अवधि के दौरान निर्दिष्ट वस्तुओं की जब्त की संवीक्षा (अनुबंध 3) के दौरान यह देखा गया कि आयात शुल्क बढ़ाने, चालू वित्तीय घाटे में सुधार के लिए सोने के आयात को विनियमित करने के अन्य सरकारी उपायों के कारण अखिल भारतीय स्तर पर सोने की जब्ती की प्रवृत्ति बढ़ रही थी।

यह देखा गया था कि अखिल भारतीय स्तरों पर जब्ती की कुल राशि क्रमशः ₹ 2156.50 करोड़ से बढ़कर ₹ 2271.82 करोड़ तक हो गई थी। अधिकतम वृद्धि सोने, मशीनरी/पुर्जे, एवं वाहन/पोत/एयरक्रॉफ्ट आदि में देखी गई थी। ऐसा, टैरिफ यौक्तिकीकरण और बढ़ते हुए मुक्त व्यापार सरलीकरण एवं निगरानी के बावजूद था। वि.व.12 अखिल भारतीय (₹ 2755.68 करोड़) और डीआरआई (₹ 2130.67 करोड़) दोनों के लिए सर्वाधिक जब्ती मूल्य था।

2.4.3 डीआरआई के पास वाणिज्यिक धोखाधड़ी तथा तस्करी के मामलों की गतिशील तथा बढ़ती प्रवृत्ति और परिष्कार से उत्पन्न चुनौतियों का सामना

करने के लिए मानवशक्ति तथा उपकरणों के अनुसार पर्याप्त साधन है। इसके उपयोग तथा प्रदर्शन की आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

#### 2.4.4 स्टाफ की स्थिति

डीआरआई के कार्यरत कर्मचारी 740 संस्वीकृत कर्मचारियों के प्रति 544 है। 31 मार्च 2014 तक क्षेत्र-वार संस्वीकृत कर्मचारियों की तुलना में कार्यरत कर्मचारी निम्नानुसार है:

तालिका 2.1: संस्वीकृत एवं कार्यरत संख्या

क्रम सं.	डीआरआई जोन	संस्वीकृत कर्मचारी	कार्यकारी डीआरआईस्टाफ	कार्यकारी स्टाफ प्रतिनियुक्ति स्टाफ	कार्यकारी कर्मचारियों के प्रति प्रतिनियुक्ति स्टाफ का %	रिक्तियां	संस्वीकृत कर्मचारियों के प्रति रिक्तियों की %
1	मुख्यालय	154	100	12	10.7	42	27.27
2	नई दिल्ली	104	40	34	45.9	30	28.85
3	मुम्बई	124	40	57	58.8	27	21.77
4	चेन्नई	80	26	32	55.2	22	27.50
5	कोलकाता	77	25	27	51.9	25	32.47
6	अहमदाबाद	58	25	25	50.0	8	13.79
7	लखनऊ	77	28	27	49.1	22	28.57
8	बैंगलोर	66	25	21	45.7	20	30.30
<b>कुल</b>		<b>740</b>	<b>309</b>	<b>235</b>	<b>43.2</b>	<b>196</b>	<b>26.50</b>
			<b>544</b>				

उपरोक्त तालिका से यह देखा गया कि केवल अहमदाबाद के मामले जहां रिक्तियां सबसे कम 13.79 प्रतिशत थी, को छोड़कर स्टाफ की कमी समान रूप से है। इसके अलावा, डीआरआई के अपने स्टाफ के प्रति प्रतिनियुक्त स्टाफ की प्रतिशतता भी केवल मुख्यालयों जहाँ यह 10.7 प्रतिशत तक कम थी, को छोड़कर समान रूप से थी। तथापि, प्रतिनियुक्त स्टाफ की प्रतिशतता तैनात कर्मचारियों के लगभग 43 प्रतिशत है तथा औसत रिक्तियां 26.50 पर है।

डीआरआई द्वारा प्रतिनियुक्ति पर स्टाफ के कार्यकाल से संबंधित सूचना प्रदान नहीं की गई। यह दर्शाने के लिए रिकार्ड में कोई दस्तावेज नहीं था या लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया कि वर्तमान में आईसीटी के व्यापक उपयोग करने के लिए आधुनिक कार्य मानदण्ड संस्वीकृत कर्मचारियों की गणना का आधार थे।

### 2.4.5 वित्तीय व्यवस्था

डीआरआई की निधियां गैर योजनित अनुदानों के रूप में मानव संसाधन विकास के महानिदेशक द्वारा जारी की जाती हैं। खाते का प्रमुख 'रिवार्ड टू इनफार्मर' तथ 'सीक्रेट सर्विस फंड' भी शामिल करता है। डीआरआई (मुख्यालय) द्वारा प्राप्त समेकित बजट को आगे जोनल अधिकारियों को बांटा जाता है। वर्ष 2011-12 से 2013-14 हेतु जोन-वार बजट तथा वास्तविक व्यय निम्नानुसार है:-

तालिका 2.2: बजट एवं खर्च

(₹ हजार में)

क्रम सं.	डीआरआई जोन	संस्वीकृत	वास्तविक	संस्वीकृत	वास्तविक व्यय	संस्वीकृत	वास्तविक
		बजट	व्यय	बजट		बजट	व्यय
		2011-12		2012-13		2013-14	
1	डीआरआई (मुख्यालय)	109358	97385	160434	150310	150725	145294
2	नई दिल्ली	69226	65969	68184	66203	70220	69765
3	मुम्बई	126135	123673	131797	120125	91867	91787
4	चेन्नई	64565	63814	52192	52115	62955	62493
5	कोलकाता	53607	49149	61265	57927	62147	62071
6	अहमदाबाद	56057	50293	59620	51579	63911	63726
7	लखनऊ	43496	42286	50861	48954	61650	61650
8	बैंगलोर	50885	50729	52341	48946	53750	53750
कुल		573329	543298	636694	596159	617225	610536

इसमें एक अलग मुख्य उपकरण कोष भी है। 2011-12 से 2013-14 के दौरान मुख्यालय के बजट व्यय के वेतन घटक ने कार्यरत कर्मचारियों के प्रति कम होने की प्रवृत्ति दर्शायी। आबंटन का आधार दर्शाने के लिए कोई बजट विश्लेषण नहीं था। वर्ष 2011-12 से 2013-2014 के दौरान पुरस्कार तथा सीक्रेट सर्विस फंड के लिए संस्वीकृत राशि को नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका 2.3: पुरस्कार एवं सीक्रेट फंड

(₹ हजार में)

वर्ष	मुखबिर को पुरस्कार		सीक्रेट सर्विस फंड	
	संस्वीकृत	व्यय	संस्वीकृत	व्यय
2011-12	35000	27009	20000	20000
2012-13	5000	48062	24000	24000
2013-14	70000	83659#	25000	25000

(#) दिनांक 20 मार्च 2014 की पत्र संख्या 8/बी/10(184) एचआरडीईएमसी/2014 द्वारा, डीजीएचआरडी के कार्यालय ने भी एक ही क्षेत्र के अन्दर एक मद से अन्य में निधियों को

स्थानांतरित करने के लिए डीआरआई को प्राधिकृत किया है (अर्थात् मुखबिर तथा इसके विपरीत को पुरस्कार देने के लिए 'पुरस्कार (अधिकारियों)' के संदर्भ में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के लिए आयुक्तालय/भूमि सीमा शुल्क के अन्तर्गत या राजस्व कार्यो/निवारक कार्यो के अन्तर्गत)।

लेखापरीक्षा को 'सीक्रेट सर्विस फंड' का प्रमाणन प्रदान नहीं किया गया, तथापि लेखापरीक्षा ने पाया कि डीजी (डीआरआई) स्वयं अपनी 'सीक्रेट सर्विस फंड' को प्रमाणित करता है तथा कोई स्वतंत्र एजेंसी इसकी सच्चाई को प्रमाणित नहीं करती।

## 2.5 संगठन को पिछले अनुभव के आधार पर विकसित इसके स्वयं के आसूचना नेटवर्क के आधार पर मामलों का स्वतः संज्ञान लेना

डीआरआई इंटेलिजेन्स सर्पोट सिस्टम (आईएसएस) तथा डीआरआई प्रोफाइलिंग सिस्टम (डीआरआईपीएस) के लिए आईटी प्रणाली का उपयोग करता है। यह इसके क्षेत्रीय कार्यालयों से भी जुड़ा है। हमने डीआरआई को डीआरआईपीएस तथा अन्य डाटा प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया परन्तु इसे प्रदान नहीं किया गया। निम्नलिखित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को प्रदान किए गए पेपरों, साक्षात्कारों तथा डीआरआई प्रणाली के सिस्टम नेविगेशन तथा उपरोक्त बताए अनुसार साइबर सुरक्षा हेतु चुनौतियों के विश्लेषण के परिणामों के आधार बनाया गया है।

1. डीआरआई के पास डाटाबेस प्रबंधन हेतु कोई आईएस सामरिक योजना नहीं है। सूचना तकनीक की चुनौतियों का सामना करने के लिए संगठन को उचित प्रकार से बनाने के लिए कार्रवाई नहीं की गई है। इसके अलावा मैन्यूअली बनाए डाटा को आन्तरिक रूप से लेखापरीक्षित या मॉनीटर नहीं किया जाता।
2. यह भी देखा गया कि एक महत्वपूर्ण आसूचना प्रणाली के सामरिक रूप से प्रबंध तथा मॉनीटर करने के लिए आवश्यक मानवशक्ति की भर्ती, क्षमता निर्माण, कौशल उन्नयन के लिए कोई एचआर (मानव संसाधन) प्रबंधन नीति नहीं थी।
3. एक आईएस संगठन में आईएसएस/डीआरआईपीएस हैंडलिंग सेनसिटीव आसूचना डाटा जैसे बहु स्थान, बहु उपयोगकर्ता महत्वपूर्ण आवेदन को गैर अनुपालन का पता न चलने का जोखिम है। इसीलिए निम्नलिखित की सिफारिश की गई है:

- क. स्वतंत्र थर्ड पार्टी मूल्यांकन/निर्धारण जो उसके मस्तिष्क में नहीं हो सकता जिसने इसे बनाया।
- ख. सही कुशल व्यक्तियों को नियुक्त करना।
- ग. डीआरआई के अन्दर एक उपयुक्त आईएस संगठन का सृजन।
- घ. आईएस नेटवर्क के अन्दर आन्तरिक दीवारों का निर्माण करना।
- ङ. डाटाबेस, प्रबंधन परिवर्तन, संचालन प्रणाली, बुनियादी सुविधाओं, हार्डवेयर विन्यास, नेटवर्क, आईएस सुरक्षा की लेखापरीक्षा।

### 2.5.1 प्राप्त तथा एकत्र की गई आसूचना/जानकारी

ई-मेल, फोन कॉल, पर्सनल दौरे, डाक आदि जैसे विभिन्न स्रोतों के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जानकारी प्राप्त करने के पश्चात, इसकी जांच तथा विश्लेषण किया जाता है तथा यदि इसे प्रथम दृष्टया सही/कार्रवाई योग्य पाया जाए तो इसे आगे विकसित किया जाता है। इस प्रकार मामलों के पता लगने तथा जांच के कारण कार्रवाई योग्य जानकारी रिकार्डिड जानकारी या अनरिकार्डिड जानकारी के रूप में हो सकती है। आसूचना/जानकारी को डीआरआई-1 (जानकारी की रिकार्डिंग हेतु एक विशिष्ट तंत्र जो मुखबिर को पुरस्कार के लिए सक्षम भी बनाता है) के अन्तर्गत रिकार्ड किया जाता है जिसे डाटाबेस अर्थात् डीआरआई -1 रजिस्टर में बनाया जाता है। जानकारी के अलावा, मामलों का एकत्र आसूचना के आधार पर पता भी लगाया जाता है तथा जांच की जाती है और आयात/निर्यात ऑकड़ों को विश्लेषण के माध्यम से विकसित किया जाता है। डीआरआई-1 रजिस्टर को लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किया गया। कोई भी तकनीकी लेखापरीक्षा नहीं की गई या डीआरआई की प्रक्रिया और कार्यविधि का प्रतितथ्यात्मक सत्यापन नहीं किया गया।

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त/एकत्र आसूचना तथा जांच हेतु चयनित का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 2.4: आसूचना एवं अन्वेषण

वर्ष	प्राप्त आसूचना की संख्या	जांच हेतु चयनित मामलों की संख्या	जांच से पूर्व बंद हुए मामलों की संख्या	जांच के पश्चात बंद हुए मामलों की संख्या	जांच हेतु पुनः खुले मामलों की संख्या
2011-12	139	124	15	4	शून्य
2012-13	67	65	2	2	शून्य
2013-14	43	41	2	1	शून्य
कुल	249	230	19	7	शून्य

\*वाणिज्यिक धोखाधड़ी के मामले में मुखबिर से प्राप्त तथा डीआरआई -1 के तहत रिकार्डिड जानकारी

उपरोक्त तालिका यह सूचना देती है कि वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 में डीआरआई में प्राप्त वाणिज्यिक धोखाधड़ी के मामलों की आसूचना/जानकारी की संख्या में गिरावट आई।

तालिका 2.5: मुखबिरों तथा अधिकारियों को भुगतान किए गए पुरस्कार की भिन्नता %

वर्ष	भुगतान (₹ लाख में)			
	मुखबिरों	भिन्नता %	अधिकारियों	भिन्नता %
2011-12	52		362	
2012-13	374	619	484	34
2013-14	399	667	699	93

हालांकि वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान मुखबिरों को भुगतान किए पुरस्कार की राशि में क्रमशः 619 प्रतिशत तथा 668 प्रतिशत तक वृद्धि हुई थी। प्राप्त आसूचना की संख्या में धीरे-धीरे कमी हो रही थी। इसी प्रकार, वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान अधिकारियों के पुरस्कार में 34 प्रतिशत तथा 93 प्रतिशत तक वृद्धि हुई थी जो प्राप्त किए/जांच किए मामलों की आसूचना /जानकारी की संख्या के आनुपातिक नहीं है।

लेखापरीक्षा जांच पर, डीआरआई ने जवाब दिया कि सामान्य जानकारी/ आसूचना मामलों जिसमें अत्यधिक संवेदनशील एनडीपीएस (नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंसिस) तथा अन्य मामलें सम्मिलित हैं, की सूचना नहीं दी गई क्योंकि उनसे संबंधित जानकारी को बांटा नहीं जा सका। इसीलिए, जांच हेतु चयनित मामलों की वास्तविक संख्या तथा उसके लिए कार्रवाई को प्रमाणित नहीं किया जा सका।

### 2.5.2 जांच

जांच को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में परिकल्पित विभिन्न प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। जानकारी की जांच हेतु अपनाई गई प्रक्रिया जानकारी के प्रकार पर निर्भर करती है तथा मामले के आधार पर की जाती है। जांच के दौरान रिकार्ड किए तथा दर्ज ब्यानों के साक्ष्य के आधार पर जांच को पूरा किया जाता है तथा जांच पूरी हो जाने पर, एससीएन जारी किया जाता है। डीआरआईपीएस (डीआरआई प्रोफाइलिंग प्रणाली) के रूप में पहचाने जाने वाले एक विशेष डाटाबेस में वर्ष के दौरान जांच का डाटाबेस बनाया जाता है। डीआरआईपीएस में एससीएन जब प्राप्त किया गया तब की स्थिति भी रिकार्ड की जाती है। डीआरआईपीएस की हार्ड कॉपियों को नहीं रखा जाता है। लेखापरीक्षा को डीआरआईपीएस तक पहुंच प्रदान नहीं की गई।

संख्या में भिन्नता ने जांच हेतु चयनित 'मामलों की संख्या' के रूप में दर्शाया तथा डाटा प्रविष्टि पद्धतियों के कारण आयु विश्लेषण भिन्न था जो इनपुट नियंत्रणों में कमी का सूचक था। 31 मार्च 2014 तक लम्बित जांच की जोनल यूनिट वार स्थिति तालिका 2.6 में दी गई है।

तालिका 2.6: लंबित जांच का विवरण

जोनल यूनिट का नाम	अभी तक चल रही जांच की संख्या	निर्दिष्ट अवधि (31 मार्च 2014 तक) से अधिक लम्बित जांच की संख्या				6 माह से अधिक लम्बित जांच का %
		< 6 माह	> 6 माह		> 5 वर्ष	
			> 1 वर्ष परन्तु < 5 वर्ष	> 1 वर्ष परन्तु < 1 वर्ष		
अहमदाबाद	147	64	20	63	शून्य	56.46
बैंगलोर	60	42	7	11	शून्य	30.00
चेन्नई	145	50	28	67	शून्य	65.52
दिल्ली	97	56	12	29	शून्य	42.27
कोलकाता	116	31	32	50	शून्य	73.28
लखनऊ	44	27	9	8	शून्य	38.64
मुम्बई	221	74	26	121	शून्य	66.52
मुख्यालय	38	27	6	5	शून्य	28.95
<b>कुल</b>	<b>868</b>	<b>371</b>	<b>140</b>	<b>354</b>	<b>3</b>	<b>57.26</b>

उपरोक्त तालिका सूचना देती है कि छः माह से अधिक हेतु लम्बित जांच की प्रतिशतता कोलकाता में 5 वर्षों से अधिक तक लम्बित 3 मामलों के साथ 29 प्रतिशत से 73 प्रतिशत के बीच है।

इसके अतिरिक्त, कुल 868 जांच में से 497 जांच (57 प्रतिशत) छः माह से अधिक लम्बित है यद्यपि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 110 के

अनुसार, एससीएन छः माह की समय अवधि में जारी होने के लिए अनुबंधित है। तदनुसार, यह संभावना है कि जांच के अंतिम स्तर पर, ये मामले किसी राजस्व उगाही हेतु समय बाधित हो सकते हैं।

डीआरआई को वसूली या गिरावट के पश्चात बंद हुए मामलों की फाइलें प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। डीआरआई ने उत्तर दिया कि आवश्यक डाटा सीक्रेट है तथा गोपनीय प्रकृति का है तथा इसीलिए इसे दिया नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त, यह पता चला कि डीओआर/सीबीईसी ने डीआरआई की सम्पूर्ण कार्यप्रणाली को किसी चेक तथा बेलेंस या निष्पादन मूल्यांकन तंत्र के बिना छोड़ दिया था।

### 2.5.3 सीमा शुल्क ओवरसीज आसूचना नेटवर्क (सीओआईएनएस)

सीओआईएन यूनिट ओवरसीज से एकत्रित की गई या जोनल यूनिटों के अनुरोध पर संग्रहित आसूचना देती है जो डीआरआई द्वारा की गई जांच में सहायता करती है।

लेखापरीक्षा द्वारा डीआरआई से निम्नलिखित जानकारी/फाइलें/दस्तावेज मांगे गए:

- (i) एससीएन, जब्ती तथा वसूली के मामले में सीओआईएन अधिकारियों द्वारा दी गई आसूचना का सफलता अनुपात।
- (ii) आरईआईसी तथा अन्य आसूचना एजेंसियों के साथ विनियमित जानकारी की दक्षता।

डीआरआई ने उत्तर दिया कि पूर्वकथित सभी जानकारी/फाइलें/दस्तावेज अधिक गोपनीय हैं तथा ऐसे विवरणों को सवैधानिक लेखापरीक्षा के साथ बांटा नहीं जा सकता। डीआरआई सीओआईएन द्वारा समर्थित मामलों की संख्या तथा महत्व पर भी जानकारी प्रदान नहीं कर सकता।

लेखापरीक्षा यह नहीं जानती कि सीओआईएन प्रणाली की प्रभावकारिता को स्वतंत्र रूप से कैसे मूल्यांकित किया जाएगा क्योंकि डीआरआई की कोई तकनीकी लेखापरीक्षा नहीं होती।

**2.6 जारी एससीएन की मॉनीटरिंग के लिए एक कमजोर प्रतिक्रिया प्रणाली**  
जांच तथा दर्ज ब्यानों के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर जांच को पूरा किया जाता है तथा जांच के समापन पर जब जांच पूरी हो जाए तो एससीएन जारी किया जाता है। छः माह की निर्धारित समयावधि के अन्दर एससीएन जारी



किया जाता है अथवा जहां पर भी जांच के दौरान माल को जब्त किया जाता है वहां सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 में प्रदत्तानुसार विशेष अतिरिक्त समय लिया जाता है, यदि नहीं तो माल के अस्थायी रिलीज को स्वीकृत किया जाता है। जहां पर भी सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 28 के अनुसार 5 वर्षों की विस्तारित अवधि का उपयोग किया जाता है, वहां आयातों में शुल्क अपवंचन के मामले में 5 वर्षों के अन्दर एससीएन जारी किया जाना है। निर्यात धोखाधड़ी या नीति का उल्लंघन आदि जैसे अन्य मामलों में, एससीएन जारी होने की कोई अनुबंधित समयावधि नहीं है जो अनिवार्य है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी हुए एससीएन का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:-

तालिका 2.7: एससीएन की स्थिति

वर्ष	मुखबिरो से प्राप्त आसूचना/जानकारी के आधार पर जारी एससीएन की संख्या	स्व:प्रेरित आधार पर जारी एससीएन की संख्या	जारी एससीएन की कुल संख्या	वर्षानुसार लेन-देनों की संख्या	
				आयात*	निर्यात*
2011-12	99	566	665	62,33,000	67,79,000
2012-13	85	735	820	74,60,630	65,61,921
2013-14	273	743	1016	84,11,542	69,15,958
<b>कुल</b>	<b>457</b>	<b>2044</b>	<b>2501</b>	<b>1,46,44,542</b>	<b>1,36,94,958</b>

\*स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता

मामलों का अधिनिर्णय निर्णय करने वाले उस प्राधिकारी पर निर्भर करता है जो आयुक्तालय प्रणाली का भाग है। अधिनिर्णय आदेश की एक प्रति संबंधित डीआरआई क्षेत्रीय इकाई को डीआरआईपीएस में निर्णय रिकार्ड को सामयिक करने के लिए भेजी जाती है।

कुल जारी एससीएन की संख्या उन कुल सीमा शुल्क लेन देनों जो इन वर्षों के दौरान हुई थी, के अनुरूपन नहीं है।

डीआरआई ने कहा कि एससीएन के अधिनिर्णय पर कोई नियंत्रण नहीं है तथा इसीलिए इस संदर्भ में कोई मॉनीटरिंग नहीं की जाती। पिछले तीन वर्षोंके लिए जब्त माल के मूल्य तथा निश्चित शुल्क के साथ-साथ अधिनिर्णयरूप मामलों की संख्या नीचे दी गई है।

तालिका 2.8: अधिनिर्णयित मामलें

	₹ करोड़ में		
	2011-12	2012-13	2013-14
अधिनिर्णयित मामलों की संख्या	134	357	355
निश्चित शुल्क	296	4310	3774
जब्त माल का मूल्य	693	3271	7419
जोड़ (पंक्ति 2 + 3)	989	7581	11193

उपरोक्त तालिका निदिष्ट करती है कि 2012-13 में अधिनिर्णयित मामलों में पर्याप्त वृद्धि हुई थी जो 2013-14 में थोड़ी कम हुई। अधिकतर मामले ऐसे थे जिसमें अधिनिर्णय प्रारम्भ नहीं हुआ था (अर्थात् 2501 मामले)।

तालिका 2.9 निश्चित शुल्क एवं जब्त माल का मूल्य

वर्ष	सीमा शुल्क प्राप्तियां*	योजनाओं सहित मर्दों पर परित्यक्त राजस्व	जोड़	निश्चित शुल्क	जब्त माल का मूल्य	₹ करोड़ में	
						कॉलम 4 के प्रति कालम 5 का %	कालम 4 के प्रति कालम 6 का %
1	2	3	4	5	6	7	8
2011-12	149328	285638	434966	296	693	0.07	0.16
2012-13	165346	298094	463440	4310	3271	0.93	0.71
2013-14	172033 (P)	326365 (P)	498398	3774	7419	0.76	1.49

स्रोत: \* संघ प्राप्ति बजट, सीबीईसी-डीडीएम,

निश्चित शुल्क कुल सीमा शुल्क प्राप्तिओं तथा परित्यक्त शुल्क का एक बहुत कम प्रतिशत (0.07 से 0.76 प्रतिशत) है। इसी अवधि हेतु जब्त माल का मूल्य कुल सीमा शुल्क प्राप्तिओं तथा परित्यक्त राजस्व का 0.16 प्रतिशत से 1.49 प्रतिशत है। जो एकत्रित आसूचना में सुधार की आवश्यकता को दर्शाती है।

डीआरआई को संबंधित आयुक्तालयों द्वारा अधिनिर्णयित एससीएन के संबंधित परिणामों की रिकॉर्डिंग/मॉनीटरिंग हेतु बनाए रिकॉर्ड /रजिस्टर प्रस्तुत करने को कहा गया था। डीआआई ने उत्तर दिया कि निर्णय लेने वाले प्राधिकारी से प्राप्त निर्णय आदेश को डीआरआईपीएस में प्रविष्ट किया जाता है तथा उसके पश्चात अवलोकन किया जा सकता है। यद्यपि सत्यापन हेतु डीआरआई द्वारा अनुरक्षित वर्तमान स्थिति को लेखापरीक्षा के लिए प्रदान नहीं किया गया।

## 2.7 डीआरआई तथा अन्य एजेंसियों के बीच सावधानियों/आसूचना को सांझा करने के लिए समन्वय तथा संचार नेटवर्क।

डीआरआई के आदेश पर संपादित राजस्व तथा कुल व्यापार मूल्य (निर्यात +आयात) में इसका प्रतिशत भाग नीचे दर्शाया गया है। यह स्पष्ट होता है कि डीआरआई के कार्य का सहयोग नगण्य है।

तालिका 2.10: डीआरआई के प्रयासों से लिया गया शुल्क

वर्ष	निर्यात*	आयात*	जोड़	डीआरआई के	₹ करोड़
				आदेश पर संपादित राजस्व #	कॉलम 4 के प्रति कॉलम 5 का %
1	2	3	4	5	6
2011-12	14,65,959	23,45,463	38,11,422	1728	0.05
2012-13	16,34,319	26,69,162	43,03,481	4743	0.11
2013-14	19,05,011	27,15,434	46,20,445	3113	0.07

स्रोत: \* वाणिज्यिक तथा उद्योग मंत्रालय, एकजिम डाटा, www.commerce.nic.in

# राजस्व आसूचना निदेशालय, सीबीईसी

### (क) अंतः विभागीय समन्वय

जानकारी/आसूचना को जानकारी /आसूचना की प्रकृति के आधार पर प्रत्येक मामले के अनुसार जोनल यूनिटों, क्षेत्रीय संरचनाओं तथा अन्य मंत्रालयों और विभागों के साथ सांझा किया जाता है। इन मामलों पर आगे कार्यवाई संबंधित यूनिट के अपने विश्लेषण तथा मामले की जांच पर निर्भर करती है।

### (ख) अन्तर-विभागीय समन्वय

जानकारी/आसूचना को केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीईआईबी) तथा क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना समिति (आरईआईसी) बैठकों जो आवधिक रूप से आयोजित की जाती हैं, के माध्यम से ईडी, आईटी आदि जैसी अन्य एजेंसियों के साथ सांझा किया जाता है। गोपनीय जानकारी/आसूचना को भी प्रत्येक मामले के आधार पर तथा जानने की आवश्यकता के आधार पर आरएडब्ल्यू, आईबी, सीबीआई आदि के साथ सांझा किया जाता है तथा इसके लिए कोई विशेष प्रोटोकॉल निर्दिष्ट नहीं है।

### (ग) अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय

अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय भी अब क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रीय लायसनिंग कार्यालय (आरआईएलओ) जो विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) की छत्रछाया में कार्य

करता है, द्वारा किया जाता है। डीआरआई आरआईएलओ से सम्पर्क का केन्द्रीय बिन्दु है।

### 2.7.1 डीआरआई एवं उसकी क्षेत्रीय ईकाईयों द्वारा जारी सावधानियों की मॉनटरिंग

डीआरआई मुख्यालय द्वारा अल्प मूल्यांकन, अधिमूल्यन, अधिसूचना लाभ का गलत अनुदान आदि से संबंधित क्षेत्रीय संरचनाओं एवं व्यपारियों द्वारा नियोजित कार्यप्रणाली को सुग्राही बनाने के लिए चेतावनी जारी की जाती है। डीआरआई द्वारा ऐसी सावधानियों तथा जारी एससीएन या निरन्तर किए गए अधिनिर्णयों के आधार पर क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा पता लगाए गए अधिकतर मामलों का रिकॉर्ड अनुरक्षित नहीं है। सीबीईसी डीआरआई द्वारा जारी चेतावनी की कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा भी नहीं करता तथा इस प्रकार निर्धारण अधिकारियों (एओज) के विवेक पर आसूचना जानकारी का उपयोग छोड़ते हुए क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा इन पर कार्य किया गया। जारी चेतावनी के आयुक्तलयों द्वारा दक्षतापूर्ण उपयोग हेतु एक प्रतिक्रिया तंत्र की आवश्यकता है।

### 2.7.2 पुरस्कार

मुखबिर तथा सरकारी कर्मचारी वित्त मंत्रालय के दिनांक 20 जून 2001 की परिपत्र संख्या आर 13011/6/2001-सी.शु (एएस) में अनुबंधित अनुसार जुर्माने तथा उद्ग्रहित/लगाए गए तथा वसूले गए जुर्माने की राशि सहित जब्त किए गए वर्जित माल की निवल बिक्री आय और/अथवा कर अपवंचन की राशि के 20 प्रतिशत तक पुरस्कार के पात्र है। 2011-12 से 2013-14 की समयावधि के दौरान मुखबिरों तथा सरकारी अधिकारियों को दिया गया पुरस्कार नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 2.11:मामले एवं मुखबिरों को भुगतान पुस्कार

वर्ष	पाए गए मामले	पुरस्कृत मुखबिरों की संख्या	दी गई राशि (₹ हजार में)	अधिकारियों को दी गई राशि (₹ हजार में)
2011-12	289	36	5206	36204
2012-13	362	26	37411	48384
2013-14	514	45	39929	69945
<b>जोड़</b>	<b>1165</b>	<b>107</b>	<b>82546</b>	<b>154533</b>

यद्यपि मुखबिरों तथा अधिकारियों को दी गई राशि सामान्य तौर पर बढ़ रही थी, तथापि जब इसकी तालिका 2.4 में दर्शाए अनुसार प्राप्त आसूचना की

संख्या तथा जांच हेतु चयनित मामले से तुलना की गई तो आसूचना/जानकारी तथा प्राप्त किए/जांच किए गए मामलों की संख्या में कमी दिखाई दी।

## 2.8 आन्तरिक नियंत्रण तथा लेखापरीक्षा

मुख्य लेखा नियंत्रक (प्रधान सीसीए), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड 'सीक्रेट सर्विस फंड' (एसएसएफ) के प्रमाणीकरण के बिना डीआरआई की स्थापना तथा व्यय लेखापरीक्षा करता है। डीआरआई स्वयं एसएसएफ का प्रमाणीकरण करता है। अप्रैल 2006 से मार्च 2010 की अवधि के लिए प्रधान सीसीए की पिछली लेखापरीक्षा पांच वर्षों के अन्तराल के पश्चात मार्च 2011 में की गई थी।

महानिदेशक लेखापरीक्षा, सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीबीईसी, वित्त मंत्रालय डीआरआई के आन्तरिक नियंत्रण या इसके निष्पादन की जांच करने के लिए इसकी लेखापरीक्षा नहीं करता। डीआरआई संगठन की कोई तकनीकी लेखापरीक्षा नहीं की जा रही थी। डीआरआई के नीति विभाग द्वारा बोर्ड तथा राजस्व विभाग को आवधिक रिपोर्ट भेजी जाती है जिन्हें दोहरी जांच के किसी प्रावधान के बिना डीआरआई द्वारा प्रस्तुत, एकत्रित तथा आवंटित किया जाता है।

डीआरआई द्वारा लिए गए मामलों से प्रमाण के अनुसार कार्य/अनुदेश के प्रभावी पालन के विषय में सुनिश्चितता प्राप्त करने के लिए कोई आन्तरिक नियंत्रण तंत्र नहीं है। कुछ मामलों में पार्टियों को दिए गए अवसरों को कम करने तथा स्वयं के लिए अधिक समय पाने के लिए प्रथम दृष्टयता रिलाइड अपॉन डोक्यूमेंट (आरयूडी) प्रदान नहीं किया गया।

महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय प्राप्तियां), दिल्ली के स्तर पर आयोजित की गई सांविधिक लेखापरीक्षा को बारीकी से मॅनीटर किया गया। जांच स्तर में वृद्धि के बावजूद, डीआरआई अपनी प्रणालियों तथा निष्पादन के उचित आश्वासन के निर्माण के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं तथा जानकारी को सांझा करने के मामले में सहयोग करने में विफल हुआ।

## अध्याय III

### मूल्यांकन महानिदेशालय की कार्यप्रणाली

#### 3.1 प्रस्तावना

मूल्यांकन निदेशालय (डीओवी) की स्थापना वर्ष 1997<sup>11</sup> में की गई थी तथा इसका उन्नयन दिसम्बर 2002 में मूल्यांकन महानिदेशालय (डीजीओवी) के रूप में किया गया। डीजीओवी का प्रमुख कार्य सीमा शुल्क मूल्यांकन से संबंधित नीति मामलों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड की सहायता करना है। डीजीओवी के अन्य कार्यों में मूल्यांकन कानून के प्रभावी तथा एक समान अनुप्रयोग के लिए मूल्यांकन उपकरणों (डाटाबेस सहित) तथा सर्वोत्तम पद्धतियों का विकास करना, संवेदनशील वस्तुओं की मूल्यांकन पद्धतियों की मॉनीटरिंग करना तथा सुधारात्मक कार्रवाई करना, आयात या निर्यात माल के कम मूल्यांकन/अधिक मूल्यांकन की जांच हेतु क्षेत्रीय संरचनाओं का मार्गदर्शन करना ताकि राजस्व रिसाव से बचा जा सके, मूल्यांकन दिशानिर्देशों तथा प्रक्रियाओं को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है, सीमाशुल्क स्टेशनों पर यह सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन करना, संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों तथा अन्य विदेशी स्रोतों को साथ सीमा शुल्क मूल्यांकन मामलों का समन्वय करना, एक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन डाटाबेस का विकास करना, जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) के लिए डाटा प्रदान करना, सीमा शुल्क आयुक्तालय की विशेष मूल्यांकन ब्रांच (एसवीबी) द्वारा पारित आदेशों की गुणवत्ता की मॉनीटरिंग तथा जांच करना आदि सम्मिलित है। डीजीओवी अपनी वेबसाइट ([www.dov.gov.in](http://www.dov.gov.in)) में राष्ट्रीय आयात डाटाबेस (एनआईडीबी), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन डाटा बेस (सीईडीबी), विशेष मूल्यांकन मामलों (एसवीबी), की केन्द्रीय रजिस्ट्री, निर्यात वस्तु डाटाबेस, चेतावनियों का आयोजन करता है तथा मासिक मूल्यांकन बुलेटिन “कस्टम वेल्यूएशन बुलेटिन” के साथ-साथ “सेंट्रल एक्साइज वेल्यूएशन बुलेटिन” को प्रकाशित तथा प्रसारित किया जाता है। वेबसाइट डीजीओवी के संगठनात्मक संरचना को भी दर्शाती है।

<sup>11</sup> दिनांक 2.6.1997 के एफ.संख्या –ए 11013/34/96-एडी-IV/पीटी -II के तहत सीबीईसी पत्र द्वारा

### 3.2 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र तथा कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा ने 2011-12 से 2013-14 की अवधि हेतु मूल्यांकन महानिदेशालय, मुम्बई के कार्यों को कवर किया तथा इसमें नियोजित कर्मचारियों की लेखापरीक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली तथा डीजीओवी द्वारा अनुरक्षित डाटाबेस, आन्तरिक नियंत्रण तंत्र, विशेष मूल्यांकन ब्रांच के कार्यों की मॉनीटरिंग आदि को सम्मिलित किया।

रिपोर्ट को प्रविष्टि सम्मेलन, एक्जिट सम्मेलन, साक्षात्कारों, प्रणाली डाटा नेविगेशन, डीजीओवी की वेबसाइटों, सीबीईसी, एमओसी तथा विभाग को जारी लेखापरीक्षा ज्ञापनों के प्रति प्राप्त उत्तर/जानकारी के आधार पर बनाया गया है।

#### 3.2.1 राष्ट्रीय आयात डाटा बेस (एनआईडीबी)

जून 2004 में आयातित माल का एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा बेस बनाया गया है। इसमें साप्ताहिक आधार पर देश में सभी सीमाशुल्क स्टेशनों से आयात डाटा का संकलन तथा यूनिट का मूल्य निर्धारित करने के लिए विशेष रूप से विकसित सॉफ्टवेयर (मूल्यांकन) द्वारा इसका विश्लेषण, समान माल का भारित औसत मूल्य, प्रतिशत विचलन तथा आउटलाइअर<sup>12</sup>, अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण के परिपूरक को सम्मिलित किया जाता है। एनआईडीबी डाटा को कम/अधिक मूल्यांकन की जांच करने के लिए एक निर्धारण उपकरण तथा निर्णय सहायक प्रणाली के रूप में उपयोग करने हेतु एक पासवर्ड संरक्षित आधार पर विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रत्यक्ष पहुंच के लिए मूल्यांकन निदेशक वेबसाइट ([www.dov.gov.in](http://www.dov.gov.in)) पर उपलब्ध कराया जाता है।

#### 3.2.2 निर्यात कमोडिटी डाटा बेस (ईसीडीबी)

यह कम/अधिक मूल्यांकन तथा निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के दुरुपयोग की जांच करने के लिए वर्ष 2005 में विकसित एक निर्यात मूल्यांकन डाटाबेस है। इसमें सीमा शुल्क स्टेशनों से निर्यात डाटा प्राप्त करना, ऐसे परिणाम (अर्थात् भारित औसत, मानक विचलन, आउटलाइअर) देने के लिए विशेष रूप से डिजाइन सॉफ्टवेयर की सहायता से इस डाटा का समेकन तथा विश्लेषण जिससे मूल्यांकन धोखाधड़ी के संभावित मामलों का पता लगे, सम्मिलित है।

<sup>12</sup> आउटलाइअर: प्रविष्टियाँ जिनकी कीमत साप्ताहिक औसत कीमत से 10 प्रतिशत से अधिक कम है।

### 3.2.3 केन्द्रीय रजिस्ट्री डाटाबेस (सीआरडी)

सीआरडी को डीजीओवी द्वारा इसकी वेबसाइट पर बनाया जाता है जिसमें मुम्बई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता तथा बेंगलोर में पांच प्रमुख कस्टम हाउस पर दर्ज संबंधित पार्टी आयात, रॉयल्टी का भुगतान, लाइसेंस फीस, आयातको द्वारा सामग्री की आपूर्ति तथा सेवाएं आदि से सम्बंधित विशेष मूल्यांकन ब्रांच (एसवीबी) का विवरण निहित है। एसवीबी के तहत दर्ज प्रत्येक मामले को संबंधित कस्टम हाउस द्वारा सीआरडी में अपलोड किया जाना है। डीजीओवी को एसवीबी पर कार्यात्मक नियंत्रण का 1 जनवरी 2013<sup>13</sup> से प्रभावी अधिकार प्रदान किया गया है।

### 3.2.4 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन डाटाबेस (सीईडीबी)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन डाटाबेस डीजीओवी का विकास<sup>14</sup> केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जोन से 9 संवेदनशील वस्तुओं के संदर्भ में जुलाई 2008 से प्राप्त डाटा पर किया गया। विभिन्न वस्तुओं के लिए निर्धारणीय मूल्यों के औसत, अधिकतम तथा न्यूनतम वाली एक मासिक रिपोर्ट बनाई जाती है।

### 3.3 अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति

डीजीओवी द्वारा सूचित अनुसार डीजीओवी डाटाबेस के कारण सीमा शुल्क विभाग द्वारा उत्पादित अतिरिक्त राजस्व निम्नानुसार है:

तालिका 3.1

वर्ष	उगाही की गई राशि ( ₹ करोड़)	टिप्पणी
2009-10	790	डीजीओवी ने कहा कि वस्तु-वार डाटा उपलब्ध नहीं है।
2010-11	930	डीजीओवी ने यह भी कहा कि अधिकतर मूल्यांकित
2011-12	1096	आयात/निर्यात मर्दों और चिन्हित आयात/ निर्यात
2012-13	1411	लेन-देनो को क्षेत्रीय संगठनो द्वारा निर्धारण के पश्चात
2013-14	1711	केवल डीजीओवी से आने वाले डाटा की तरह शून्य के
<b>जोड़</b>	<b>5938</b>	रूप में व्यवहारित किया जा सकता है।

### लेखापरीक्षा आपत्तियां

डीजीओवी के कार्यालय में अनुरक्षित सिस्टम सॉफ्टवेयर, डाटाबेस तथा रिकॉर्ड की जांच पर लेखापरीक्षा द्वारा की गई आपत्तियों की नीचे चर्चा की गई है।

<sup>13</sup> दिनांक 7 दिसम्बर 2012 की परिपत्र संख्या 29/2012 सीमा शुल्क द्वारा

<sup>14</sup> सीबीईसी पत्र सं. फा. सं. 224/23/2005/सीएक्स-6 दिनांक 16.10.2007



### 3.4 डीजीओवी द्वारा नियोजित आईटी सिस्टम का निष्पादन

लेखापरीक्षा डीजीओवी द्वारा नियोजित आईटी सिस्टम तक नहीं पहुंच पाया तथा इसीलिए डीजीओवी द्वारा अनुरक्षित विभिन्न डाटाबेस की उनके नियंत्रण उद्देश्यों हेतु जांच नहीं की जा सकी। निम्नलिखित लेखापरीक्षा आपत्तियां सिस्टम डाटा नेविगेशन तथा दस्तावेजों के विश्लेषण के परिणामों तथा डीजीओवी द्वारा दिए गए उत्तरों पर आधारित हैं। यह पाया गया कि;

- क) डीजीओवी के पास डीजीओवी की डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली के लिए कोई आईएस सामरिक योजना नहीं है।
- ख) डीजीओवी ने अपने सॉफ्टवेयर की लेखापरीक्षा नहीं की है।
- ग) डीजीओवी सिस्टम में हिटो की संख्या को नहीं पकड़ता है।
- घ) डीजीओवी के पास एक समय (आठ अंकीत स्तर पर) पर वस्तुओं के लिए बनाए आउटलाइनों की सही संख्या नहीं है।

महत्वपूर्ण राजस्व निहितार्थ सहित आरएमएस से जुड़े सॉफ्टवेयर तथा डाटाबेस के साथ महत्वपूर्ण आवेदन वाले डीजीओवी आईएस संगठन में गैर अनुपालन का खतरा पैदा करता है। इसीलिए निम्नलिखित की सिफारिश की जाती है:

- i. स्वतंत्र थर्ड पार्टी मूल्यांकन/निर्धारण।
- ii. सही कुशल व्यक्तियों सहित डीजीओवी के अन्दर एक आईएस संगठन।
- iii. डाटा बेस, संचालन सिस्टम, नेटवर्किंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्डवेयर विन्यास, आईएस सुरक्षा, परिवर्तन प्रबंधन आदि की लेखापरीक्षा।

### 3.5 भारतीय सीमाशुल्क ईडीआई सिस्टम (आईसीईएस) 1.5 सहित डीजीओवी डाटाबेस का एकीकरण न होना

डीजीओवी डाटाबेस आईसीईएस 1.5 के साथ एकीकृत नहीं है। उपलब्ध जानकारी को देखने के लिए, निर्धारण अधिकारी को डीजीओवी वेबसाइट में अलग से लॉग इन करना पड़ता है। 28 नवम्बर 2009 को डीजीओवी डाटाबेस के उपयोग के लिए सीबीईसी ने क्षेत्रीय संरचनाओं को आदेश दिये ताकि प्रविष्टि के आयात बिल या शिपिंग बिलों का निर्धारण करते समय निर्धारण अधिकारी प्रासंगिक डीजीओवी डाटाबेस तक एक साथ पहुंच सकें।

लेखापरीक्षा प्रश्न के उत्तर में, डीजीओवी ने कहा कि आईसीईएस के साथ डीजीओवी डाटाबेस के एकीकरण के मामलों की डीजी सिस्टम के अधिकारियों के साथ-2 सॉफ्टवेयर विकासको के साथ जनवरी 2010 में चर्चा की गई तथा यह पाया गया कि आईसीईएस के साथ डाटाबेस का ऐसा एकीकरण संभव नहीं था। यह निर्धारण अधिकारियों द्वारा डीजीओवी डाटाबेस के वास्तविक समय उपयोग को सुविधाजनक बनाने के प्रमुख उद्देश्य को खारिज करता है।

### 3.6 आयातित तथा निर्यातित माल का अपूर्ण डाटाबेस

डीजीओवी द्वारा अनुरक्षित आयात तथा निर्यात वस्तुओं के मूल्य तथा वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा दर्ज डाटा से इसकी तुलना से पता चला कि डीजीओवी डाटाबेस में आयात का कुल मूल्य वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा बताए अनुसार आयात के मूल्य की तुलना में वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के लिए क्रमशः 35.58%, 39.06% तथा 33.53% की सीमा से कम था जो आईसीईएस 1.5 डाटा पर निर्भर करता है। इसी प्रकार डीजीओवी डाटाबेस में निर्यात का कुल मूल्य वर्ष 2012-13 में 27.53% तथा वर्ष 2013-14 में 34.06% तक कम था (तालिका 3.2)।

डीजीओवी डाटाबेस में विशेष आर्थिक जोन (सेज) द्वारा किए आयात/निर्यात के डाटा का समावेश न होने तथा डीजीओवी के साथ किसी तंत्र के न होने से हुई भिन्नता के लिए मुख्य कारक यह सुनिश्चित करना है कि डीजीओवी में प्राप्त डाटा पूर्ण हो।

तालिका 3.2: आयात/निर्यात ऑकड़ों की तुलना

(₹ करोड़)

वर्ष	वाणिज्यिक मंत्रालय डाटा*		डीजीओवी डाटा		भिन्नता (%)	
	आयात का मूल्य	निर्यात का मूल्य	आयात का मूल्य	निर्यात का मूल्य	आयात	निर्यात
2011-12	23,45,463	14,65,959	15,10,872	#	8,34,592 (35.58%)	#
2012-13	26,69,162	16,34,319	16,26,423	11,84,350	10,42,739 (39.06%)	4,49,969 (27.53%)
2013-14	27,15,434	19,05,011	18,04,849	12,56,121	9,10,585 (33.53%)	6,48,890 (34.06%)

\*स्रोत: www.commerce.nic.in

# लेखापरीक्षा को डाटा प्रस्तुत नहीं किया गया। यह कहा गया कि तकनीकी कारणों से 2011-12 का डाटा उपलब्ध नहीं था।

डीजीओवी ने यह भी सूचित किया कि सेज में आयात तथा निर्यात के निर्धारण को वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है तथा उनका सिस्टम सीमा शुल्क ईडीआई सिस्टम से जुड़ा नहीं था। यह पाया गया कि डीजीओवी द्वारा जारी चेतावनी को वाणिज्यिक मंत्रालय के तहत कार्य करने वाले विशेष आर्थिक जोन (सेज) के विकास आयुक्त हेतु डीजीओवी द्वारा चिन्हित नहीं किया जाता है। इसकी विकास आयुक्त, एसईईपीजेड सेज ने पुष्टि की।

### 3.7 राष्ट्रीय आयात डाटाबेस (एनआईडीबी) की प्रभावकारिता

कम मूल्यांकन के कारण कुल सीमाशुल्क राजस्व तथा डीआरआई द्वारा दिए गए राजस्व की तुलना में डीजीओवी द्वारा उपलब्ध कराए गए मूल्यांकन उपकरणों के उपयोग की वजह से सीमा शुल्क विभाग द्वारा दिया गया राजस्व नीचे तालिकाबद्ध है।

तालिका 3.3: मूल्यांकन उपकरणों के कारण राजस्व प्राप्ति

वर्ष	सीमा शुल्क राजस्व (*)	डीजीओवी मूल्यांकन उपकरणों का उपयोग करके सीमा शुल्क विभाग द्वारा दिया गया कुल राजस्व	कुल सीमाशुल्क राजस्व के लिए डीजीओवी द्वारा दिए गए राजस्व का %	₹ करोड़)	
				कम मूल्यांकन के कारण डीआरआई द्वारा दिया गया कुल राजस्व	कुल सीमाशुल्क राजस्व की तुलना में मूल्यांकन मामलो पर डीआरआई द्वारा दिए गए राजस्व का %
2009-10	83324	790	0.95	166	0.20
2010-11	135813	930	0.68	132	0.10
2011-12	149328	1096	0.73	466	0.31
2012-13	165346	1411	0.85	282	0.17
2013-14	17033	1711	0.99	433	0.25

(\*) संघ प्राप्ति बजट, सीबीईसी-डीडीएम

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि डीजीओवी इनपुटों के कारण दिया गया अतिरिक्त राजस्व कुल सीमा शुल्क प्राप्तियों के अनुरूप या तुलनीय नहीं है। डीजीओवी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि डीजी सिस्टम से उनके द्वारा प्राप्त की गई जानकारी के अनुसार, डीजीओवी द्वारा जारी चेतावनियों के उपयोग के कारण सीमाशुल्क विभाग द्वारा दिया गया कुल राजस्व 2012-13 में ₹ 251.71 करोड़ तथा वर्ष 2013-14 में ₹ 351.71 करोड़ था जो डीआरआई द्वारा कम मूल्यांकन पर दिए गए राजस्व से कम है।

डीजीओवी ने वह विधि सांझा नहीं की जिसमें संवेदनशील वस्तुओं की सूची को तैयार तथा डीजी सिस्टम के जोखिम प्रबंधन डिविजन (आरएमडी) को

दिया जाता है। संवेदनशील सूची में शामिल घटक कारक लेखापरीक्षा को ज्ञात नहीं हैं। डीजीओवी द्वारा चिन्हित लेन-देन का वस्तु वार डाटा प्रस्तुत करने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा विशिष्ट प्रश्न के प्रति यह कहा गया कि डीजीओवी के पास चिन्हित लेन-देन का वस्तु वार डाटा नहीं था। चूंकि आउटलाइअर को एनआईडीबी में वस्तु वार चिन्हित किया जाता है, अतः लेखापरीक्षा इसके लिए कोई कारण नहीं खोज सका कि वस्तु - वार डाटा क्यों नहीं मिल सकता। संवेदनशील वस्तुओं की सूची बनाने में उपयुक्त सिस्टम की प्रभावकारिता तथा सच्चाई के पूर्ण विवरण के अभाव में, लेखापरीक्षा के पास इसका कोई आश्वासन नहीं है कि सभी मूल तथा प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखकर संवेदनशील वस्तुओं की सूची तैयार की गई थी।

डीआरआईज द्वारा कोयला आयातों पर ₹ 29,000 करोड़ के घोटाले के हाल के अनअर्थिंग के प्रतिक्रिया में डीजीओवी ने बताया (दिसम्बर 2014 कि 2011 से 2014 अवधि के दौरान कोई सावधानी नहीं ली गई थी। लेखापरीक्षा को यह जानकारी नहीं थी कि कोयला संवेदी सूची का भाग क्यों नहीं था।

### 3.8 निर्यात वस्तु डाटा बेस (ईसीडीबी) का अप्रभावी उपयोग

डीजीओवी ने आठ अंकीय स्तर पर अधिक संवेदनशील के रूप में उन्होंने 13 वस्तुओं की पहचान की थी तथा आउटलाइअर को चिन्हित करने की सुविधा सॉफ्टवेयर में उपलब्ध थी। डीजीओवी ने महसूस किया इसने अर्थपूर्ण परिणाम नहीं दिए क्योंकि निर्यात डाटा के विश्लेषण ने दर्शाया कि माल के समान विवरण के लिए मूल्यों में भारी अन्तर था। यह कहा गया कि शिपिंग बिलों में दर्शाए विवरण से कारणों का पता नहीं चलता जो अन्य समान उत्पादों में से उत्पाद की पहचान करने में सहायता कर सके। डीजीओवी ने यह भी कहा कि भारत से निर्यात विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के तहत होता है तथा निर्यातक उपलब्ध निर्यात प्रोत्साहन को ध्यान में रखते हुए निर्यात के लिए दरें प्रस्तुत करते हैं इस प्रकार प्रत्येक लेन-देन विशिष्ट बनाया जाता है। डीजीओवी ने आगे कहा कि भिन्न आयात, बोर्ड या व्यापार/उद्यम से किसी संदर्भ को किसी वस्तु के निर्यात मूल्यांकन की जांच करने के लिए प्राप्त नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि ईसीडीबी में सम्मिलित किसी वस्तु के संदर्भ में पिछले 10 वर्षों में कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है, भले ही डीआरआई ने निरन्तर रूप से निर्यात के मूल्यांकन पर संबंधित मामलों को चिन्हित किया है। यह भी पाया गया कि संवेदनशील वस्तुओं की सूची अप्रभावी विश्लेषण दर्शाने वाले ईसीडीबी के प्रारम्भ तथा ईसीडीबी में निहित डाटा का उपयोग तक 13 वस्तुओं पर स्थिर रही।

वित्त मंत्रालय की मार्च 2012 रिपोर्ट ने यह भी आह्वान किया कि निर्धारण के दौरान उपयोग हेतु क्षेत्रीय संरचनाओं में आयात/निर्यात डाटा का उचित विश्लेषण कारगर है। तथापि, ईसीडीबी ने तदर्थ तरीके से डीजीओवी द्वारा अनुरक्षित प्रमुख डाटाबेस में से एक को तैयार किया है तथा यह निर्यात में अधिक मूल्यांकन के मामलों को पहचानने तथा उनका पता लगाने के अभीष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल हुआ। जैसाकि कारपेट और दरी के निर्यात के अधिमूल्यन को डीआरआई ने उजागर किया (जनरवरी 2015)।

**3.9 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन डाटाबेस (सीईडीबी) पर आपत्तियां**  
सीईडीबी को 23 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जोन तथा 4 लार्ज टैक्स पेयर यूनिट(एलटीयूज) द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर मासिक रूप से संकलित तथा वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

नौ वस्तुओं को डीजीओवी के तहत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन डिविजन के निर्माण को अधिसूचित करते समय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा संवेदनात्मक रूप से निर्धारित किया गया था। यह भी वस्तुएं स्थिर रही तथा पिछले सात वर्षों में उक्त सूची में कोई वृद्धि या संशोधन नहीं किया गया है लगभग 1200 4 अंकीय स्तर शीर्षक में से लगभग 180 शीर्षक ऐसे हैं जो कुल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व के 94 प्रतिशत हैं। जो यह दर्शाता है कि सीईडीबी में सम्मिलित वस्तुओं का कोई नियमित जोखिम/संवेदनशीलता विश्लेषण नहीं है क्योंकि 2007 से विनिर्माण पद्धतियों के साथ-साथ प्रोडक्ट प्रोफाइलिंग विभिन्न परिवर्तनों को सहन करेगी जिसे डीजीओवी द्वारा फैंक्टर्ड नहीं किया जा रहा है।

डीजीओवी वेबसाइट से यह भी देखा गया कि सीईडीबी को मार्च 2019 के आगे तक अपलोड किया गया। डीजीओवी द्वारा 2013-14 एवं 2014-15 (सितम्बर 2014 तक) के लिए अनुरक्षित रिकॉर्ड की जाँच ने दर्शाया कि क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा समय पर आवश्यक जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई।

### 3.10 आरएमडी को सीआरडी डाटाबेस भेजने में विलम्ब

सीबीईसी परिपत्र के अनुसार यदि एक बार एक मामला किसी विशेष मूल्यांकन ब्रांच (एसवीबी) में दर्ज हो जाता है, तो आयातक के पैन के साथ इस सम्बंध में विस्तृत जानकारी को केन्द्रीय रजिस्ट्री डाटाबेस (सीआरडी) अद्यतित करने के लिए डीजीओवी को प्रस्तुत करनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सीआरडी मामलों को सीबीईसी के दिनांक 23.2.2001 के परिपत्र 11/2001 सी.शु. में आवश्यक रूप में मासिक मूल्यांकन बुलेटिन के माध्यम से संचारित नहीं किया गया। यह भी पाया गया कि दिसम्बर 2013 से जून 2014 माह के दौरान सीआरडी में की गई वृद्धि 16 अगस्त 2014 को आरएमडी को अग्रेषित की गई। हमने अगस्त 2014 में आरएमडी को दिसम्बर 2013 से जून 2014 तक की अवधि के लिए एसवीबी मामलों की सूची में सम्मिलित आयातकों द्वारा किए आयात के कुछ मामलों की जांच की। यह पाया गया कि दो आयातकों (मै. फ्रोनियूस इंडिया प्रा. लि. तथा स्विस् सिंगापुर इंडिया प्रा.लि.) से सम्बंधित 14 मामलों में, ₹ 8.58 करोड़ (एसवीबी के साथ दर्ज) मूल्य की सम्बंधित पार्टियों से आयातको द्वारा किया गया आयात अप्रैल-जून 2014 के दौरान प्रावधानिक निर्धारण के अधीन नहीं था।

लेखापरीक्षा प्रश्न के उत्तर में डीजीओवी ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं है कि सभी एसवीबी मामलों को सीआरडी के अन्दर समय पर मासिक मूल्यांकन बुलेटिन के माध्यम से अपलोड करने के लिए कोई तंत्र नहीं है। मासिक मूल्यांकन बुलेटिन के माध्यम से अपलोड करने के लिए कोई तंत्र नहीं है। प्रावधानिक आधार पर उपरोक्त सूचीबद्ध मामलों के निर्धारण न होने के संबंध में विभाग ने कहा कि वास्तविक स्थिति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित आयुक्त द्वारा मामला लिया जा रहा था।

अतः यह अनिवार्य है कि नियमित अन्तराल पर सर्वप्रथम आरएमडी को सीआरडी में सम्मिलित मामलों का विवरण भेजा जाए ताकि संबंधित पार्टी

आयात के ऐसे मामलों को निर्धारण के बिना सुगम न बनाया जाए और मंजूरी दी जाये। विलम्ब के परिणामस्वरूप प्रावधानिक निर्धारण का सहारा लिए बिना एसवीबी के साथ रजिस्टर संबंधित पार्टियों द्वारा किए आयात का निर्धारण हो।

### 3.11 डीजीओवी द्वारा सीमाशुल्क स्टेशनों का निरीक्षण

कनाडाई मॉडल पर आधारित लेखापरीक्षा प्रणाली ईए 2000 में चार विशिष्ट विशेषताएं थीं: जोखिम विश्लेषण के बाद वैज्ञानिक चयन, पूर्व तैयारी पर जोर, रिकार्डों की संवीक्षा और लेखापरीक्षा बिन्दुओं की मानीटरिंग। लेखापरीक्षा को प्रस्तुत सूचना के अनुसार, डीजीओवी द्वारा पिछले चार वर्षों में की गई मूल्यांकन निरीक्षणों की संख्या 27,21,12 एवं 7 क्रमशः थी।

पांच निरीक्षण रिपोर्टों की नमूना जांच की गई। आयोजित निरीक्षणों की संख्या वर्ष 2010-11 में 27 से कम हो कर वर्ष 2013-14 में 7 हो गई जो आयोजित निरीक्षण में गिरावट का रूप दर्शाता है। यह पाया गया कि सीमाशुल्क स्टेशनों में निरीक्षण के लिए कोई योजना या लक्ष्य स्थापित नहीं किए गए थे और निरीक्षण किए जाने के लिए सीमा शुल्क स्टेशनों का चयन करते समय सीमाशुल्क स्टेशनों के जोखिम विश्लेषण की कोई व्यवस्था नहीं थी। डीजीओवी के पास भी उनके द्वारा निरीक्षण हेतु कुल सीमा शुल्क स्टेशनों का कोई रिकार्ड नहीं था जो नियोजन प्रक्रिया के लिए आवश्यक थे।

### 3.12 अनुवर्ती निरीक्षण रिपोर्टों में कमियां

सभी सीमा शुल्क स्टेशनों पर डीजीओवी द्वारा विकसित विभिन्न मूल्यांकन उपकरणों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए मूल्यांकन निरीक्षण एक महत्वपूर्ण तंत्र है। यह देखा गया कि नमूना जाँच किए गए मामलों में किसी में भी संबंधित सीमा शुल्क स्टेशनों ने अभी तक (अक्टूबर 2014) कोई अनुपालन रिपोर्ट प्रेषित नहीं की है,

विभाग ने अपने उत्तर में कहा (नवम्बर 2014) कि निरीक्षणों की कम संख्या निदेशालय में कार्यालयी संख्या में कमी के कारण थी, सभी पाँच सीमाशुल्क स्टेशनों को जल्द से जल्द अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं। निरीक्षणों की संख्या में कमी का डीजीओवी द्वारा जारी अलर्ट

और डीजीओवी डाटाबेस/साफ्टवेयर पर क्षेत्रीय संरचना प्रशिक्षण पर परिणामी प्रभाव पड़ सकता है।

### 3.13 विशेष मूल्यांकन शाखा (एसवीबी) में मामलों का लम्बन

सीबीईसी ने दिसम्बर 2012<sup>15</sup> में डीजीओवी कार्यालय को एसवीबी का कार्यात्मक नियंत्रण सौंपा है। ताकि एसवीबी में मामलों के लम्बन को बारिकी से मानीटर, एसवीबी पूछताछ प्रारंभ करने की मंजूरी और जांच का पर्यवेक्षण किया जा सके। जब मामला एसवीबी को संदर्भित किया जाए तो जारी प्रश्नावली के उत्तर की तिथि से चार महीने के अन्दर निर्धारण की जांच<sup>16</sup> और उसे अन्तिम रूप देना पूरा किया जाना चाहिए।

1 जनवरी, 2014 तक मामलों के लम्बन की स्थिति निम्नानुसार थी:

तालिका 3.4: लम्बित मामलों की स्थिति

एसवीबी यूनिट	30.09.2014 तक		आयुवार ब्रेकअप			
	अन्त शेष	3 महीने तक	3-6 महीने	6-12 महीने	1-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
मुम्बई	1084	13	37	143	647	244
दिल्ली	555	43	30	128	272	82
चेन्नई	421	25	31	41	141	183
बेंगलोर	388	72	61	40	26	189
कोलकाता	85	06	0	08	19	52
<b>जोड़</b>	<b>2533</b>	<b>159</b>	<b>159</b>	<b>360</b>	<b>1105</b>	<b>750</b>

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, 360 मामले (14 प्रतिशत) छः महीने से अधिक से लम्बित हैं, 1105 मामले (44 प्रतिशत) 1 से 3 वर्षों की अवधि के लिए लम्बित हैं और 750 मामले (30 प्रतिशत) 3 वर्ष से अधिक से लम्बित हैं। एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान आयुक्त (मूल्यांकन) ने कहा कि डीजीओवी के पास एसवीबी के लम्बित मामलों में शामिल मूल्यों के और मुकदमेबाजी के तहत एसवीबी मामलों के विवरण की भी जानकारी नहीं है। डीजीओवी ने आगे बताया कि एसवीबी पंजीकरण क्षेत्रीय संरचनाओं से संदर्भ की प्राप्ति पर किया जाता है जब संबंधित पार्टी से पहला आयात किया जाता है और बाद में ऐसे आयातक के सभी आयात का मूल्यांकन अनंतिम आधार

<sup>15</sup> दिनांक 7.12.2012 के परिपत्र सं. 24/2012 सी शु द्वारा

<sup>16</sup> दिनांक 23.2.2001 सं. 11/2001 सी.शु.



पर किया जाता है और क्षेत्रीय संरचनाएं ऐसे बाद के आयात की रिपोर्ट एसवीबी को नहीं भेजते। डीओओवी ने कहा कि हांलाकि डीजीओवी को एसवीबी का कार्यात्मक नियंत्रण एसवीबी को मजबूत करने के इरादे से दिया गया था, बोर्ड से इस संबंध में किसी प्रशासनिक निर्देश के अभाव में यह केवल कागज पर ही पड़ा रहा। यह पाया गया था कि यद्यपि सभी एसवीबी डीजीओवी को तिमाही आधार पर लम्बन रिपोर्ट भेजते थे, डीजीओवी ने ऐसी रिपोर्टों पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस प्रकार दिसम्बर 2012 में डीजीओवी को सौंपे गए कार्यात्मक नियंत्रण से कोई साक्षात परिणाम प्राप्त नहीं हुए।

लेखापरीक्षा प्रश्न के उत्तर में डीजीओवी ने कहा कि लम्बन के मामले संबंधित आयुक्तों के साथ उठाए जा रहे थे और समय समय पर आवश्यक निर्देश जारी किए जा रहे थे। डीजीओवी ने आगे बताया कि सभी एसवीबी सीमाशुल्क आयुक्तालय के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं और एसवीबी में कार्य करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति, अवकाश, एपीएआर इत्यादि पर डीजीओवी का कोई नियंत्रण नहीं है। डीजीओवी ने यह भी कहा कि एसवीबी में अधिकारियों की भारी कमी थी।

एसवीबी के साथ पंजीकृत मामलों को अन्तिम रूप देने में विलम्बों से एसवीबी को जिस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया था वह बेकार हो गया और इससे विभाग में अन्तिम निर्धारण मामलों का एकत्रण भी हुआ जिससे सरकारी राजस्व के एकत्रण में विलम्ब हुआ।

### 3.14 आन्तरिक नियंत्रण तथा लेखापरीक्षा

डीजीओवी द्वारा यह सूचित किया गया कि पिछले पांच वर्षों में सीबीईसी या किसी अन्य एजेंसी द्वारा डीजीओवी की कार्यप्रणाली की कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा या समीक्षा नहीं की गई थी। डीजीओवी द्वारा यह कहा गया कि सीक्रेट सर्विस व्यय के प्रमाणीकरण को आयुक्त, मूल्यांकन द्वारा किया गया है। इसके अलावा, प्रधान सीसीए, सीबीईसी द्वारा न तो कोई व्यय न स्थापन लेखापरीक्षा न ही सीबीईसी द्वारा कोई तकनीकी लेखापरीक्षा की गई थी।

डीजीओवी की कार्य प्रणाली तथा उनके बजटीय व्यय की किसी लेखापरीक्षा के अभाव में, प्रणाली ओर प्रक्रिया की दक्षता और प्रभावशीलता; जनादेश के अनुपालन पर आशवासन स्थापित किया जाना है।

### 3.15 परिभाषित उद्देश्यों तथा नियोजित कर्मचारियों के बीच बेमेलता

तालिका 3.5 डीजीओवी में संस्वीकृत कर्मचारी तथा कार्यरत कर्मचारी

क्रम सं.	पद	वर्ष 2002 में निर्मित पिछले कैडर के अनुसार कर्मचारी	1-8-2014 को निर्मित कैडर के अनुसार संस्वीकृत कर्मचारी	1-10-2014 तक कार्यकारी कर्मचारी	रिक्तिया
1	प्रमुख आयुक्त/महानिदेशक	1	1	1	0
2	आयुक्त	1	2	1	1
3	अपर/संयुक्त आयुक्त	5	2	3	-1
4	उप/सहा. आयुक्त	6	10	3	7
5	प्रमुख लेखा अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी	2	4	0	4
6	निरीक्षक/निरीक्षक सी.शु. (पी)	15	6	8	-2
7	मूल्यांकक	0	3	1	2
8	इंस्पेक्टर सीई/पीओ/परीक्षक	5	3	3+8*	0
9	अन्य	44	46	0+11*	46
जोड़		79	77	20	57

\* परिवर्तन आधार पर कार्य करना अर्थात् डीजीओवी के लिए कार्य करने हेतु अन्य सीमा शुल्क विभाग से लिया गया स्टाफ।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि 77 अधिकारियों की संस्वीकृत संख्या के प्रति, वर्तमान में डीजीओवी के पास केवल 20 अधिकारियों की कार्यकारी क्षमता है जो कार्यकारी क्षमता में 74 प्रतिशत की भारी कमी को छोड़ते हुए इसकी संस्वीकृत संख्या का 26 प्रतिशत है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 8 इंस्पेक्टर (सीई/पीओ/परीक्षक) तथा 11 अन्य अधिकारी परिवर्तन के आधार पर कार्य कर रहे थे। तथापि, मानदण्ड जिसके तहत वे डीजीओवी में कार्य कर रहे थे (चाहे प्रतिनियुक्ति के तहत या नियुक्त), लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किए गए। यह भी समझना है कि डीजीओवी केवल 26 प्रतिशत मानव संसाधन के साथ अपने उद्देश्यों को कैसे पूरा करेगा।

### 3.16 स्वीकृत बजट से अधिक किया गया व्यय

स्वीकृत बजट तथा डीजीओवी द्वारा वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक किया गया व्यय निम्नानुसार था:

तालिका 3.6: डीजीओवी का बजट तथा व्यय

उद्देश्य शीर्ष एमएच 2037- सी.शु.	2011-12		2012-13		2013-14	
	कुल बजट	वास्तविक व्यय	कुल बजट	वास्तविक व्यय	कुल बजट	वास्तवि कव्यय
वेतन	200.00	208.28	220.00	231.09	250.00	255.08
औषधिय चिकित्सा	0.80	0.02	0.80	0.44	1.00	0.07
घरेलू यात्रा व्यय (डीटीई)	11.00	18.89	21.00	24.68	23.00	10.79
विदेश यात्रा व्यय (एफटीई)	2.50	1.78	2.50	2.10	2.50	2.23
कार्यालयी व्यय –सामान्य	40.00	39.53	42.00	34.71	42.00	30.05
कार्यालयी व्यय –एम.वाहन	22.00	22.39	23.20	29.59	23.00	22.26
एम. वाहन –किराया	0	2.22	0	4.23	0	3.01
प्रकाशन	10.00	9.94	11.00	12.62	11.00	8.05
अन्य प्रशासनिक व्यय	1.00	0	1.00	0.24	1.00	0
सीक्रेट सर्विस व्यय	1.80	2.00	2.00	2.10	2.20	2.20
सूचना प्रौद्योगिकी (ओ.ई.)	31.00	35.50	31.00	56.47	40.00	30.94
जोड़	<b>320.10</b>	<b>340.69</b>	<b>354.50</b>	<b>398.22</b>	<b>395.70</b>	<b>364.72</b>

डीजीओवी के बजट का वर्गीकरण एक सीक्रेट सर्विस निधि तथा विशेष मूल्यांकन के प्रावधान के साथ एक आसूचना संगठन का निर्माण है तथापि आईटी पर मूल्यांकन व्यय 8.5% से 14% के आस-पास है तथा इस आईसीटी गहन संगठन में स्थापना पर वेतन तथा व्यय 83% से 89% के बीच था। यह पाया गया कि वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 में, वास्तविक व्यय स्वीकृत बजट से अधिक था। वर्ष 2011-12 में, ₹ 320.10 लाख के बजट प्रावधान के प्रति किया गया व्यय ₹ 340.69 लाख था। इसी प्रकार, वर्ष 2012-13 में, ₹ 354.50 लाख के बजट प्रावधान के प्रति किया गया व्यय ₹ 398.22 लाख था। यह भी देखा गया कि 2011-12 से 2013-14 के दौरान मोटर वाहन के किराए पर किया गया व्यय ₹ 9.46 लाख तक था हालांकि किसी भी वर्ष में कोई स्वीकृत बजट नहीं था।

## अध्याय IV

### सीमा शुल्क राजस्व का निर्धारण

अभिलेखों की नमूना जाँच (अगस्त 2010 से मार्च 2014) से हमने ₹ 115.52 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले सीमा शुल्क के गलत निर्धारण के कुछ मामले पाए। उनका वर्णन निम्नलिखित पैराग्राफों में किया गया एवं दो निर्धारण मामलों अनुबंधन 4 में सूचीबद्ध हैं।

#### भंडारण अवधि का अनियमित विस्तारण

**4.1** सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर फिरती नियमावली 1995, नियम -3(यथा संशोधित) के अनुसार सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के 72 या शीर्षक 1006 सा 2523 के अन्तर्गत आने वाली किसी भी वस्तु पर कोई फिरती अनुमत नहीं होगी। चूंकि उक्त निषेध प्रावधानों को शुरुआत के बाद से उत्तरवर्ती सीबीईसी अधिसूचनाओं द्वारा शीर्षों को जोड़ा या मौजूदा को हटा दिया गया था किन्तु शीर्ष 1006 आज भी मौजूद हैं।

अक्टूबर 2011 और फरवरी 2013 के बीच आयुक्त (पोर्ट) कोलकाता एवं सीमाशुल्क आयुक्त (निवारक) पश्चिम बंगाल के माध्यम से मै. जय गुरुदेव इंडस्ट्रीज एवं वेयर हाउसिंग और 113 अन्य ने 789 शिपिंग बिलों के प्रति सीटीएच 1006 के अन्तर्गत 'विभिन्न रूपों में चावल' निर्यात किए। निर्यात के सीमा शुल्क आईसीईएस डाटा की संवीक्षा से पता चला कि विभाग ने फिरती नियामावली 1995 के उपरोक्त उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत इन वस्तुओं के निर्यात पर फिरती अनुमत की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.27 करोड़ की अस्वीकार्य फिरती का भुगतान किया जोकि निर्यातको से ब्याज सहित ₹ 49.66 करोड़ वसूली योग्य है।

कोलकाता (पोर्ट) आयुक्तालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार न करते हुए (जनवरी/मार्च 2014) सूचना दी (मार्च 2014) कि मांग नोटिस जारी करने के बाद, 137 शिपिंग बिलों के प्रति 12 निर्यातकों से ₹ 38.74 लाख की वसूली की गई थी और 165 शिपिंग बिलों के संबंध में ₹ 45.13 लाख की फिरती के भुगतान को रोकने के लिए बैंक को निर्देश जारी कर दिया गए हैं। विभाग ने आगे बताया कि उपरोक्त उल्लिखित निषेध प्रावधानों की शुरुआत के बाद, भारत सरकार ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय शीर्ष 10 के

अन्तर्गत दिनांक 22 सितम्बर 2011 की अधिसूचना सं. 68/2011 सी शु (एनटी) द्वारा सभी अनाज (शीर्ष 1006 के अन्तर्गत चावल सहित) के निर्यात के प्रति एकल 1 प्रतिशत शुल्क फिरती प्रारंभ की जिसे बाद में दिनांक 4 अक्टूबर 2012 की अधिसूचना सं. 92/2012 सी शु (एनटी) द्वारा शीर्ष 1006 (चावल) के संबंध में 'शून्य' कर दिया गया था, दर्शाता है कि आपत्ति की अवधि (अर्थात् सितम्बर 2011 से सितम्बर 2012) के दौरान शीर्ष 1006 के अन्तर्गत फिरती 'शून्य' नहीं थी। परिचय बंगाल (निवारक) आयुक्तालय ने भी इसी तर्ज पर लेखापरीक्षा आपत्ति का विरोध किया।

विभाग को सूचित किया गया (फरवरी/मार्च 2014) कि उनका उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अध्याय 10 के अनाज के संबंध में 1 प्रतिशत की दर पर फिरती हमेशा से थी और दिनांक 29 मई 2008 की निषेध अधिसूचना सं. 64/2008 सी शु (एनटी) जारी करने के समय भी मौजूद थी। दिनांक 4 अक्टूबर 2012 की अधिसूचना सं. 92/2012 सी शु (एनटी) अनाज के अध्याय 10 के संबंध में केवल एकल फिरती अनुसूची शीर्ष को केवल सीमा शुल्क अधिनियम 1975 में विभिन्न अनाजों (जैसे गेहूँ, राई, जौ, जई, चावल इत्यादि) के वर्गीकरण के साथ अलग उप-शीर्ष में विभाजित करती है जिनमें से निर्यातित चावल (सीटीएच 1006) पर फिरती को उपरोक्त उल्लिखित निषेध प्रावधानों के अनुरूप 'शून्य' दर्शाया गया था। उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2015)। मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2015)।

**4.2** पूंजीगत माल और स्पेयर्स को छोड़कर माल को ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों द्वारा तीन वर्षों की अवधि के अन्दर या जैसा कि सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा विस्तारित हो (प्रक्रियाओं की पुस्तिका (एचबीपी) 2009-14 के पैराग्राफ 6.6 (सी) उपयोग किया जाना चाहिए। तथापि, आयातित चाय को आयात की तिथि से छः माह की अवधि के अन्दर उपयोग किया जाएगा। विशिष्ट शर्तों का अननुपालन ब्याज सहित पूर्व निश्चित शुल्क की वसूली आकर्षित करता है।

मै. टाटा ग्लोबल बेवरेजस लि. कोचीन, एक 100% ईओयू ने दिनांक 31 मार्च 2003 की अधिसूचना सं. 52/2003 सी शु के तहत शुल्क रहित तीन प्रविष्टि के बिलों द्वारा 53376 कि.ग्रा चाय की मंजूरी दी (अक्टूबर/दिसम्बर

2011)। जैसा अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि यूनिट ने जैसा एफटीपी में अपेक्षित है छः महीने के अन्दर 35,196 कि. ग्रा. चाय का उपयोग नहीं किया। तदनुसार यूनिट 35,196 कि. ग्रा. अप्रयुक्त चाय की मात्रा पर ₹ 74.66 लाख से अधिक ब्याज की राशि के शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी थी। आयात की शर्तों के अननुपालन के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ करने के बजाय, विभाग ने सीमाशुल्क, 1962 की धारा 61 की शर्तों में और ईओयू द्वारा आयात की सामान्य शर्तों के अनुसार जैसा कि एफटीपी और एचबीपी नियमों में निर्दिष्ट है आगे छः महीने की अवधि के लिए भंडारण का विस्तारण प्रदान किया।

विभाग ने कहा (मई 2013) कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोचीन ने सहायक विकास आयुक्त द्वारा अनुमत विस्तारण के आधार पर भंडारण अवधि का विस्तारण प्रदान किया था, इस शर्त के साथ कि आयातित चाय को विसतारित अवधि के अन्दर पुनः निर्यात और चाय (डीएवई) नियंत्रण आदेश के पैराग्राफ 2(V) में निर्धारित गुणवत्ता मानक के अनुसार किया जाए। आगे यह भी कहा गया कि अनुमोदित विस्तारण दिनांक 31 जुलाई 2008 की बैठक सं. 03/एएम/09 द्वारा नीति रियायत समिति (पीआरसी) द्वारा यथा प्राधिकृत था और यद्यपि पीआरसी द्वारा अनुमत विस्तारण केवल एक वर्ष के लिए था, सहायक विकास आयुक्त सीएसईजेड द्वारा एक वर्ष की समाप्ति के बाद आगे के निर्यात/परेषण के लिए विस्तारण दिया गया था। विभाग ने सूचना दी कि एफटीपी के पैरा 2.5 के अनुसार नीति रियायत समिति किसी नीति प्रावधान को कम करने के लिए सक्षम है और विकास आयुक्त द्वारा जारी विस्तारण पीआरसी द्वारा यथा प्राधिकृत हैं और इस प्रकार वह कानूनी रूप से समर्थित हैं। यह भी कहा गया कि माल को पुनः निर्यात किया गया था और इस प्रकार कोई राजस्व प्रभाव शामिल नहीं है।

विभाग का उत्तर कि फर्म द्वारा अक्टूबर और दिसम्बर 2011 द्वारा किए गए आयात पर पीआरसी लागू करने का निर्णय अर्थात् दिनांक 31 जुलाई 2008 को पीआरसी जारी के निर्णय की तिथि के बाद स्वीकार्य नहीं है। पीआरसी का निर्णय फर्म द्वारा किए गए एक विशेष आयात के संबंध में है और उसमें बाद के आयात के लिए रियायत लागू करने का कोई उल्लेख नहीं है। यद्यपि

टी बोर्ड के दृष्टिकोण को ध्यान में रखने के बाद पीआरसी ने बैठक में एचबीपी के पैराग्राफ 6.7 (सी) और 4.22 में सामान्य संशोधन की जांच के निर्देश जारी किए थे, पैराग्राफ 6.7 (सी) {अब एचबीपी 2009-14 का 6.6 (सी)} में निर्दिष्ट शर्तों के संबंध में अभी ऐसा कोई संशोधन नहीं किया गया है। विभाग का तर्क कि विशिष्ट आयातक (मै. टाटा टी लि. अब मै. टाटा ग्लोबल बेवरेजस लि. के रूप में पुनः नाम रखा गया) द्वारा किए गए सभी आयातों को पीआरसी ने विस्तारण दिया था भी तर्कसंगत नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा को सत्यापन हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। एफटीपी में उत्तरवर्ती आयातों के लिए पीआरसी के अनुमोदन (जुलाई 2008) को लागू करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी (जनवरी 2015)।

**खतरनाक एजो डाईज को भारत में लाने की मंजूरी जो पर्यावरण को असीमित नुकसान पहुंचा सकते थे**

**4.3** आईटीसी (एचएस), 2012 आयात नीति-अनुसूची 1 के अध्याय 1ए की शर्त 10 (पूर्व में शर्त 11) के अनुसार, कपड़े और कपड़े की वस्तुओं का आयात इस शर्त के साथ अनुमत है कि उनमें कोई खतरनाक डाई नहीं होगी जिसकी संभलाई, उत्पादन, ढुलाई या उपयोग भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (डी) इसके तहत बनाए गए सुसंगत नियम (मो) के साथ पठित के प्रावधानों के अन्तर्गत निषेध किया गया हो। इस उद्देश्य हेतु आयात परेषणों के साथ उद्योग देश की राष्ट्रीय प्रमाणन एजेंसी से मान्यता प्राप्त कपड़ा जांच प्रयोगशाला से पूर्व शिपमेंट प्रमाणपत्र संलग्न होगा। उन मामलों में जहां ऐसे प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हैं, आयातित परेषण वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के दिनांक 3 मई 2001 के सार्वजनिक नोटिस सं. 12 (आरई 2001)/1997-2002 में सूचीबद्ध किसी भी भारतीय एजेंसी से जांचा और प्रमाणित किया जाएगा।

दिनांक 28 जनवरी 2004 का डीजीएफटी सार्वजनिक नोटिस सं. 29 (आरई 2004)/2002-07 और दिनांक 22 फरवरी 2005 का 26/2004-09 ओर सीबीईसी का दिनांक 15 मार्च 2004 का परिपत्र सं. 23/2004 सी शु के माध्यम से वाणिज्य मंत्रालय के साथ साथ वित्त मंत्रालय दोनों द्वारा भी

दोहराया गया है कि आयातित कपडे और कपडा वस्तुओं में एजो-डाइज जैसी खतरनाक डाई नही है को प्रमाणित करने वाले एक वैध पूर्व शिपमेंट प्रमाणपत्र की प्रस्तुती आवयक रूप से अनिवार्य है।

नान फिक्सड, पानी में धुलनशील एजो डाइज मानव शरीर में मौखिक के अलावा पसीने के माध्यम, त्वचा और सीधे सांस लेने से प्रवेश कर सकती हैं और मानक शरीर में कुछ ऐजांइम सिस्टम द्वारा खंडित हो सकता है। यह डाईज जीवित शरीर के अन्दर सुगंधित एमाइंस से लघुकारक विदारण कर सकते हैं इसमें से कुछ साबित या संदिग्ध रूप से कैंसरकारी हैं। इसलिए यह एजो डाइज जो वर्तमान में बांग्लादेश कपडा क्षेत्र में उपयोग होने वाली डाइज का लगभग 60 से 70 प्रतिशत बनता हैं, प्रकृति में खतरनाक हैं और भारत में पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा 1997 में प्रतिबंधित कर दिया गया था।

पश्चिम बंगाल (निवारक) कमिश्नरी के अन्तर्गत पैट्रपोल, चंगराबंध भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों के माध्यम से बांग्लादेश से विभिन्न टैक्सटाइल और कपडा, धागा, साडिया और लूंगी जैस हैंडलूम उत्पादों, रेडिमेट कपडे जैस टैक्सटाइल वस्तुओं के आयातों से संबंधित हस्तलिखित बिलों के साथ संलग्न दास्तावेजों की लेखापरीक्षा समीक्षा से पता चला कि लगभग सभी एसे आयातों की बांग्लादेश टैक्सटाइल यूनिवर्सिटी (बीयूटी) ढाका, एक एजेंसी जो बांग्लादेश प्रमाणीकरण बोर्ड (बीएबी) बांग्लादेश में प्रमाणीकरण हेतु उत्तर दायी राष्ट्रीय प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त नहीं हैं, से पूर्व शिपमेंट जाचं रिपोर्टों के आधार पर भारत में नियमित रूप से आयातों की मंजूरी दी जा रही थी। ऐसे माल को प्रमाणित करने के लिए बीएबी द्वारा केवल नौ संस्थाओं को मान्यता प्राप्त है और बीयूटी बाका उनमें से एक नही है। इसलिए, ऐसे प्रत्येक आयात को डीजीएफटी और सीबीईसी के अनुसार अधिकृत भारतीय जांच एजेंसियों में से किसी से उसकी नमूना जांच और प्रमाणिकरण प्राप्त करने के लिए ही मंजूरी अनुमत की जानी चाहिए थी, जो नही किया गया था।

आयात डाटा की नमूना जाचं से पता चला कि 162 परेषणों और रेडीमेड कपडों के 283 परेषणों और ₹ 27.97 करोड़ और ₹ 53.95 करोड़ मूल्य की अन्य कपडा वस्तुओं के विनियमित आयात को जून 2013 और 2013-14 के दौरान



क्रमशः पैट्रोल और चंगराबंध भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों (एलसीएस) के माध्यम से अनुमत किया गया था जिससे पर्यावरण को अथाह हानि हो सकती थी और इससे एमओईएफ का मानव पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार का प्रयोजन विफल हो गया।

निवारक कमिश्नरी (प. ब.) ने कहा (सितम्बर 2014) कि वह बीयूटी ढाका द्वारा जारी एजो डाई जांच प्रमाणपत्र उप उच्चायुक्त, बांग्लादेश से सूचना (नवम्बर 2005) के आधार पर कि बीयूटी को बांग्लादेश सरकार द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने की मान्यता दी है स्वीकार कर रहा था।

विभाग का उत्तर इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि बीयूटी के बारे में उप उच्चायुक्त द्वारा प्रदान की गई सूचना बांग्लादेश सरकार द्वारा उसे ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने के प्राधिकार के साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। इसके विपरीत बांग्लादेश सरकार ने 2006 में विशेष रूप में बीएबी की स्थापना बांग्लादेश में प्रमाणीकरण के उत्तरदायित्व के साथ राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में की थी। मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2015)।

#### टर्मिनल उत्पाद शुल्क प्रतिदायों पर दत्त ब्याज

**4.4** माना गया निर्यात टर्मिनल उत्पाद शुल्क (टीईडी) के प्रतिदाय के योग्य है (एफटीपी, 2004-09 का पैराग्राफ 8.3 (सी))। इसके अतिरिक्त, पैराग्राफ 8.5.1 के अनुसार, टीईडी के प्रतिदाय में विलम्ब पर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देय होगा, जिन्हें महानिदेशक विदेश व्यापार (डीजीएफटी) संगठन के क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा भुगतान के लिए उसके अन्तिम अनुमोदन के 30 दिनों के अन्दर निपटाया नहीं जाएगा।

पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में ब्याज के भुगतान के मामलों पर बार-बार प्रकाश डालने के बावजूद मंत्रालयों (वाणिज्यिक मंत्रालय/वित्त मंत्रालय) ने इस कारण भुगतानों से बचने के लिए कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा अभी भी मामले ध्यान में आ रहे हैं जैसा नीचे वर्णन किया गया है:-

2010-11 और 2011-12 की अवधि के लिए संयुक्त डीजीएफटी लुधियाना के कार्यालय के टीईडी भुगतानों के रिकोर्डों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 480 मामलों में प्रतिदाय के दावों को निर्धारित समय सीमा में निपटाया

नहीं गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 90.73 लाख के ब्याज की राशि का भुगतान किया गया था। संयुक्त डीजीएफटी, लुधियाना ने कहा (नवम्बर 2012/नवम्बर 2014) कि ब्याज का भुगतान नीति के अनुसार किया गया था और दावों का निपटान इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि डीजीएफटी, नई दिल्ली से निधियों के आवंटन में विलम्ब थे।

तथ्य यह है कि ₹ 90.73 लाख के ब्याज का भुगतान टीईडी रिफंड्स के विलम्बित भुगतान के कारण किया गया था जोकि क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण (आरएलए) और डीजीएफटी दिल्ली के साथ साथ वित्त मंत्रालय के बीच समन्वय की कमी के कारण हुआ था और निधियों के समय पर आवंटन से इससे बचा जा सकता था।

#### टीईडी के अतिरिक्त प्रतिदाय के कारण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का दोहरा प्रतिदाय

**4.5** एक 100% ईओयू को एक धरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) द्वारा माल की आपूर्ति टर्मिनल उत्पाद शुल्क (टीईडी) के प्रतिदाय के योग्य होगी बशर्ते माल प्राप्तकर्ता ऐसे माल पर सनवेट क्रेडिट/छूट का लाभ नहीं लेता (एफटीपी 2009-14 का पैराग्राफ 8.5)। इस संबंध में माल प्राप्तकर्ता से आयात निर्यात फार्म (एएनएफ) 8 के अनुबंध ॥ में एक उदघोषणा आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

विकास आयुक्त (डीसी) फाल्टा सेज के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत एक 100% ईओयू में. माडर्न इंडिया कोन-कास्ट लि. को दो पृथक प्रतिदाय आदेशों (मई 2012 और जनवरी 2013) के अन्तर्गत अप्रैल से सितम्बर 2009 की अवधि के लिए 380 उत्पाद शुल्क इनवायस के अन्तर्गत 56 डीटीए आपूर्तिकर्ताओं से माल की आपूर्ति के लिए ₹ 152.99 लाख के एक टीईडी प्रतिदाय का भुगतान किया गया था। तथापि, आवेदन के साथ संलग्न शुल्क क्रेडिट की प्रविष्टि पुस्तिका (सेनवेट क्रेडिट नियामावली 2004 के नियम 9 के तहत अनुरक्षित फार्म आर जी 23 ए भाग ॥) और सेनवेट रिटर्न (ईआर 2 रिटर्न) की संवीक्षा से पता चला कि 333 उत्पाद शुल्क बीजकों के संबंध में प्राप्तकर्ता ईओयू सेनवेट क्रेडिट भी लिया था जो हल्दिया केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नरी को प्रस्तुत ईआर-2 रिटर्न में दी गई सेनवेट क्रेडिट राशि के साथ मेल खाता था। इसके अतिरिक्त फार्म एएनएफ 8 में टीईडी के रिफंड के लिए आवेदन भरते समय ईओयू दावेदार ने पैराग्राफ 10(i) में यह भी घोषणा की थी कि उनके द्वारा प्राप्त

कच्चे माल/घटकों के संबंध में उन्होंने सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 3 के अन्तर्गत सेनवेट लाभ उठाया था। इसलिए उक्त ईओयू एफटीपी के उपरोक्त प्रावधानों के दृष्टिगत टीईडी के रिफंड का हकदार नहीं था।

इस प्रकार, ईओयू को आपत्ति किए गए 333 आपूर्ति बीजकों पर ₹ 143.61 लाख के टीईडी प्रतिदाय देने जबकि ऐसे माल पर प्राप्तकर्ता ईओयू ने पहले से ही सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठा लिया था, के परिणामस्वरूप टीईडी प्रतिदाय और सेनवेट क्रेडिट के रूप में उत्पाद शुल्क का दोहरा प्रतिदाय हुआ जो एफटीपी के प्रावधानों का उल्लंघन था।

मामले की सूचना मार्च 2014 में दी गई थी और मई और जून 2014 में विकास आयुक्त, फाल्टा सेज और हल्दिया केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के ध्यान में लाया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी (जनवरी 2015)।

#### **निर्यात माल पर फिरती का अनियमित अनुदान**

**4.6** वित्त मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष अधिसूचित शुल्क फिरती दरे 100% ईओयू के रूप में लाइसेंस वाली एक यू निट द्वारा निर्मित या निर्यातित उत्पाद या माल पर लागू नहीं होगी। ऐसी स्थिति का दिनांक 20 मई 1999 की वित्त मंत्रालय (डीआर) अधिसूचना सं. 31/1999 (एनटी) ) द्वारा अधिसूचित फिरती अनुसूची के सामान्य नोट 2(सी) में पता लगाया जा सकता है जो सितम्बर 2013 तक अधिसूचित प्रत्येक अनुवर्ती फिरती अनुसूची में मौजूद होना जारी है {दिनांक 14 सितम्बर 2013 की अधिसूचना सं. 98/2013 सी शु स्थिति सं. 8 (सी)}

मै. नरेन्द्र टी क. प्रा. लि. और पांच अन्य 100% ईओयू ने कोलकाता (पोर्ट) आयुक्तालय के माध्यम से 'भारतीय ब्लैक टी' के 81 परिषणों का निर्यात किया (मार्च 2000 और सितम्बर 2012 के बीच)। हालांकि उपरोक्त उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार वह फिरती प्राप्त करने के लिए आयोग्य था, विभाग ने निर्यात के प्रति इन ईओयू को ₹ 33.40 लाख की फिरती संस्वीकृत की जोकि अनियमित थी और निर्यातकों से ब्याज सही सहित ₹ 71.72 लाख वसूली योग्य था।

सीमा शुल्क हाऊस कोलकाता के उपायुक्त सीमा शुल्क (आईसी) ने सूचना दी (जून 2014) की एक निर्यातक (मै. मधु जंयति इन्टरनेशनल लि.) से ₹ 1.24

लाख के ब्याज के अलावा ₹ 4.63 लाख कि फिरती की वसूली की गई है।  
मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई (जनवरी 2015)।

### निर्यात माल पर फिरती का अतिरिक्त भुगतान

4.7 “सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 731204 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय माइल्ड स्टील स्ट्रैंड वायर” एफओबी मूल्य (दिनांक 22 सितम्बर 2011 की अधिसूचना सं. 68/2011/सी शु (एनटी) के 3 प्रतिशत की दर से फिरती उद्ग्राह्य हैं।

स्ट्रैंड वायर्स उप-टैरिफ मद सं. 731299 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय है जिसके लिए फिरती ₹ 800/एमटी की फिरती कैप सहित एफओबी मूल्य के 8.1 प्रतिशत की दर से स्वीकार्य है यदि सेनवेट सुविधा नहीं ली गई है और यदि सेनवेट सुविधा नहीं ली गई तो ₹ 593/एमटी की फिरती कैप के साथ एफओबी मूल्य के प्रतिशत की दर से स्वीकार्य हैं।

इसके अलावा, दिनांक 6 अप्रैल 1995 के सीबीईसी परिपत्र सं. 34/95 सी शु के अनुसार प्रत्येक परेषण से एक नमूना लिया जा सकता है जहां प्रति शिपिंग बिल की फिरती राशि ₹ 1 लाख से अधिक है और फिरती की स्वीकार्यता मामले का निर्णय दृश्य जांच के आधार पर नहीं लिया जा सकता।

जांच से पता चला कि मै. यू. बी इम्पैक्स (पी) लि. एवं मै. रेबैन मेटल्स प्रा. लि. के पांच शिपिंग बिलों के संबंध में सिलिगुडी सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर कमिश्नरियों ने अप्रैल से सितम्बर 2012 के दौरान निर्यात की गई “अनगेल्वेनाइज्ड स्ट्रैंड वायर्स” को अखिल उद्योग फिरती अनुसूची टैरिफ मद सं. 731204 के अंतर्गत माइल्ड स्टील स्ट्रैंड वायर के रूप में वर्गीकृत कर मूल्य पर 3 प्रतिशत की दर से फिरती संस्वीकृत की थी। तथापि, जांच रिपोर्टों की संवीक्षा से पता चला कि उप मुख्य रसायनज्ञ, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमाशुल्क हाऊस कोलकाता ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि उनके पास उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार निर्यात परेषण माइल्ड स्टील का नहीं किया गया था क्योंकि इन सभी निर्यात परेषणों का कार्बन तत्व भार में 0.72 प्रतिशत से 0.74 प्रतिशत के बीच था जोकि माइल्ड स्टील स्ट्रैंड वायर के रूप में निर्यात के वर्गीकरण के लिए भार में 0.35 प्रतिशत के अधिकतम अनुमेय कार्बन तत्व से काफी अधिक था। विभाग ने जांच रिपोर्ट परिणाम पर ध्यान नहीं दिया और माल

को 1 प्रतिशत की फिरती के लिए सीटीएच 731299 के अन्तर्गत 'अन्य' के रूप में वर्गीकृत करने के बजाय इसे माइल्ड स्टील स्ट्रैंड वायर के रूप में सीटीएच 731204 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया।

इसी प्रकार, मै. आर बी अग्रवाल प्रा. लि. द्वारा निर्यात (जनवरी 2012 से सितम्बर 2012) की गई "अनगेल्वेनाइज़ स्ट्रैंड वायर" के और तीन परेषणों के संबंध में उसी कमिश्नरी ने अनियमित रूप से फिरती टैरिफ मद सं. 731204 के अन्तर्गत निर्यात माल की बिना नमूना जांच किए फिरती की संस्वीकृति की जिसके परिणामस्वरूप 1 प्रतिशत की दर के बजाय 3 प्रतिशत की दर से अधिक फिरती प्रदान की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.91 लाख के अधिक फिरती की संस्वीकृति की गई जो ₹ 1.26 लाख के लागू ब्याज के साथ वसूली योग्य है।

इस बारे में बताए जाने पर (फरवरी 2014) सीमा शुल्क उपायुक्त (सिलिगुडी सीमा शुल्क डिविज़न) ने कहा (मार्च/मई 2014) कि पूर्व मामले में जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों पर ध्यान नहीं दिया गया था क्योंकि नमूना जांच प्राधिकारी ने उनके द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों को निर्दिष्ट नहीं किया; इसलिए उन्होंने विकिपिडिया से माइल्ड स्टील की परिभाषा पर भरोसा किया, जिसके अनुसार 2 प्रतिशत तक कार्बन वाले स्टील को माइल्ड स्टील माना गया था। इसके अतिरिक्त विभाग ने सूचना दी की पिछले मामले में नमूने दिनांक 6 अप्रैल 1995 के परिपत्र सं. 34/95 सी शु के प्रावधानों के अनुरूप नहीं लिए गए थे, क्योंकि निर्यातक के इसी प्रकार के निर्यात परेषण से लिए गए पिछले नमूने जांच प्राधिकारी द्वारा संदर्भित मानक के अनुसार थे।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी भी जांच एजेंसी से दस्तावेजों की प्रति नहीं मांगी जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया हो कि माइल्ड स्टील से बनी मद में कार्बन की अधिकतम अनुमत मात्रा भार के 0.35 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। वैकल्पिक रूप से निर्यात किया गया माल भी विकिपिडिया से माइल्ड स्टील की संदर्भित परिभाषा में खरा नहीं उतरता क्योंकि जांच रिपोर्ट के अनुसार सिलिकान (0.6 प्रतिशत), अन्य घटकों जैसे कोबाल्ट, क्रैमियम इत्यादि के साथ स्थायी प्रतिशतता में अन्य विनिर्दिष्ट एलोइंग एजेंट मैंगनीज़ (1.65 प्रतिशत) कापर (0.6 प्रतिशत) और

सिलिकान (0.6 प्रतिशत) अनिवार्य रूप में उपस्थित होने चाहिए, और उक्त परिभाषा में उल्लिखित भिन्न प्रतिशतता भी निर्यातकिए गए माल में उपस्थिति नहीं थी। इसके अतिरिक्त दिनांक 6 अप्रैल 1995 के परिपत्र या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत कोई अन्य प्रावधान विभाग को किसी अन्य एजेंसी से किसी अंसगत जांच रिपोर्ट के बिना जांच रिपोर्ट के परिणाम को खारिज करने के लिए संशक्त नहीं करता। बाद के मामलों में उक्त परिपत्र के प्रावधानों की शर्तों में नमूना जांच अनिवार्य थी क्योंकि आपत्ति वाले मामलों में विभाग द्वारा संस्वीकृत फिरती प्रत्येक में ₹ 1 लाख से अधिक थी। बाद में, सीमा शुल्क उपायुक्त सीमा शुल्क डिविजन सिलिगुडी ने निर्यातक को एससीएन जारी किया (मई 2014)। मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 2015)।

#### अयोग्य माल पर अतिरिक्त सीमा शुल्क की वापसी

**4.8** बाद में बिक्री हेतु भारत में आयातित माल पर 4 प्रतिशत की दर से एकत्रित सीमाशुल्क अतिरिक्त शुल्क को आयातक को वापिस किया जा सकता है बशर्ते वह दिनांक 14 सितम्बर 2007 की अधिसूचना सं. 102/2007 सी शु की शर्तों का अनुपालन करे। अन्य बातों के साथ साथ अधिसूचना की शर्तें निर्दिष्ट करती हैं कि एसएडी की वापसी उस मामले में उपलब्ध है जहां किसी प्रक्रिया को किए बिना आयातित माल बाद में वैट के भुगतान के बेचा जाता है। इस बिन्दु को आगे दिनांक 29 जून 2010 के परिपत्र सं. 15/2010 सी शु द्वारा स्पष्ट किया गया जिसमें बल दिया गया कि यदि आयातित और बेचा गया माल विशिष्ट सीमाशुल्क टैरिफ शीर्षक (सीटीएच) के अन्तर्गत वर्गीकरणीय है तो एसएडी की वापसी स्वीकार्य है।

मै. बंगाल टूल्स लि. कोलकाता जो शराची ब्रांड के तहत 'पावर टिल्लर्स' का संयोजन और बिक्री करता है ने चीन से पूरे पावर टिल्लर्स के साथ-साथ पावर टिल्लर बाडी और चीन और थाइलैंड से डीज़ल इंजन आयात किए और दिनांक 14 सितम्बर 2007 की अधिसूचना के तहत उन पर दत्त एसएडी की वापसी का दावा किया था। आयातित पावर टिल्लर पर प्रतिदाय देते समय विभाग ने आयातित 'पावर टिल्लर बाडी' और डीज़ल इंजन (सीटीएच-84089090) जिन्हें विभिन्न देशों द्वारा अलग से आयात

किया गया था और भारत में अन्तिम माल की मंजूरी से पूर्व अन्य सभी सहायक पुर्जों सहित पावर टिल्लर (सीडीएच 84329090) के रूप में संयोजित किया था, पर भी एसएडी का प्रतिदाय अनुमत किया। चूंकि भारत में बिक्री से पूर्व आयातित माल संयोजन प्रक्रिया से गुजरा और उनके सीडीएच अन्तिम उत्पाद से भिन्न थे, भारत में बेचा गया माल आयातित माल के रूप में समान नहीं था। इस प्रकार, यह आयातित माल एसएडी के प्रतिदाय के पात्र नहीं थे। इस प्रकार, सितम्बर 2010 और जून 2011 के बीच जारी पांच प्रतिदाय आदेशों के तहत 21 बिलों की प्रविष्टि के माध्यम से अयोग्य आयातों पर प्रतिदाय की संस्कृति के परिणामस्वरूप ₹ 26.59 लाख के एसएडी की अधिक वापसी हुई।

सीमा शुल्क हाऊस, कोलकाता के सीमाशुल्क उपायुक्त ने भारतीय बाजार में उनकी बिक्री से पूर्व आयातित माल पर संयोजन की प्रक्रिया स्वीकारते हुए (फरवरी 2012/जून 2014) इस आधार पर प्रतिदाय देने को तर्कसंगत बताया कि ऐसी प्रोसेसिंग निर्माण के समान नहीं है।

विभाग का उत्तर इस तथ्य के संदर्भ में देखा जा सकता है कि इस मामले में आयातित माल का वर्गीकरण (सीडीएच 84089090) बाजार में बेचे जाने वाले उत्पाद से भिन्न है (सीडीएच 84329090) तदनुसार एसएडी प्रतिदाय के लिए अयोग्य है जैसा जून 2010 के बोर्ड परिपत्र में दोहराया गया है। मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई (जनवरी 2015)।

#### **लागू एंटी डम्पिंग शुल्क लगाए बिना या कम लगाकर आयातों की मंजूरी**

**4.9** सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9 ए के अनुसार जब किसी देश से भारत में किसी वस्तु के सामान्य मूल्य से कम पर आयात किया जाता है तो भारत में ऐसी वस्तु के आयात पर केन्द्र सरकार एक अधिसूचना द्वारा एक एंटी डम्पिंग शुल्क लगा सकता है। तदनुसार, समय समय पर एंटी डम्पिंग शुल्क 'सोडियम एस्कोरबेट' 'फोस्फोरिक एसिड' मेलामाइन और ग्लास फाइबर इत्यादि जैसी वस्तुओं पर लगाया जाता है जब इन्हें ताइवान साऊदी अरेबिया और चीन जैसे विशिष्ट देशों से आयात किया जाता है।

हमने पाया कि निर्धारण अधिकारियों ने मै. बजाज हेल्थकेयर लि. द्वारा ऐसे आयातित माल के 23 परेषणों और विशिष्ट देशों से अन्य 12 की ₹ 73.00 लाख की एंटी डम्पिंग शुल्क लगाए बिना या कम लगाए मंजूरी दी।

मंत्रालय/विभाग ने तीन आयातकों (जेएनसीएच, मुम्बई, ₹ 3.29 लाख-मै. बालाजी इम्पैक्स) (आईसीडी तुगलकाबाद, दिल्ली मै. ओरियंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज लि. ₹ 0.60 लाख के ब्याज सहित ₹ 3.89 लाख और मै. आदित्य इंटरनेशनल ₹ 0.80 लाख) से ₹ 7.98 लाख की वसूली बताई और दो आयातकों (i) मै बजाज हेल्थकेयर लि. जेएनसीएच मुम्बई और (ii) मै. क्लासिक प्राइम-जेएनसीएच मुम्बई को कम प्रभार/कारण बताओ नोटिस जारी किए। आठ आयातकों के संबंध में उत्तर प्रतिक्रित है (जनवरी 2015)।

### आयातित माल पर अत्याधिक प्रोत्साहन की अनुमति

**4.10** भारत सरकार ने ऐसी वस्तुओं को अधिसूचित किया था जिनका खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) उनके प्रति में निर्धारित प्रोत्साहन अनुमत करने के बाद (दिनांक 24 दिसम्बर 2008 की अधिसूचना सं. 49/2008-सीई (एनटी)) (यथा संशोधित) के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है। उपरोक्त अधिसूचना के क्रम सं. 108, 109 के प्रति वाहनों/आटोमोबाइल्स के भाग घटक और संयोजन जो सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक (सीटीएच) के किसी अध्याय के तहत आते हो ओर सीटीएच 8429 के तहत आने वाली अर्थमूविंग मशीनरी/एक्सकेवेटर्स को 30 प्रतिशत के प्रोत्साहन की अनुमति के बाद उनके आरएसजी के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

मै. योकोहामा इंडिया प्रा. लि और 27 अन्य ने आईसीडी तुगलकाबाद के माध्यम से 'कार' और ट्रक टायर के साथ ट्यूब और फ्लैक्स, पिस्टन सेट/अर्थमूविंग मशीनरी/एक्सकेवेटर्स के 99 परेषण आयात किए (अगस्त 2013 से मार्च 2014)। माल को सीटीएच/4011/8409/8429/8431 के तहत वर्गीकृत किया गया था आरएसपी के संदर्भ में 12 प्रतिशत की दर से सीवीडी का निर्धारण किया गया और 35 प्रतिशत प्रोत्साहन अनुमत किया गया था।

चूंकि कार और ट्रक टायर के साथ ट्यूब और फ्लैक्स/पिस्टन सेट वाहन/आटोमोबाइल का भाग थे जबकि अर्थमूविंग मशीनरी/एक्सकेवेटर्स भाग सीटीएच 8429 के तहत वर्गीकरणीय है। इस प्रकार उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार सीवीडी 35 प्रतिशत के प्रोत्साहन के बजाय 30 प्रतिशत का प्रोत्साहन



अनुमत किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, आरएसपी पर अत्याधिक प्रोत्साहन की अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 33.51 लाख की शुल्क राशि कम लगाई गई। आईसीडी तुगलकाबाद, सीमा शुल्क कमीशनरी ने (अक्टूबर/दिसम्बर 2013, सितम्बर 2014) 10 परेषणों में ₹ 0.32 लाख के ब्याज सहित ₹ 2.55 लाख की वसूली की सूचना दी ओर 10 परेषणों के संबंध में ₹ 2.71 लाख की सुरक्षात्मक मांग जारी की (अक्टूबर 2013) बाकी 79 परेषणों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है। मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 2015)।

### लागू शुल्क न लगाना

**4.11** सीमाशुल्क आयुक्त (पोर्ट) कोलकाता के आदेश (अक्टूबर 2011) के अनुसार डीआरआई/एसआईबी चेतावनी नोटिस (मई 2011) की सूची से बाहर आने वाले आयातित पॉलिस्टर कोटड, एवं नाइलान कोटड कपड़े के लम्बित मूल्यांकन (अगस्त 2011 से) को सीमा शुल्क आयुक्त आईसीडी-टीकेडी द्वारा आयातित माल के मूल्य को बढ़ाने के अनुसरित प्रथा के अनुसार अन्तिम रूप दिया जाना था (i) 0.25 मी. मी. कपड़े की मोटाई तक से यूएस \$ 0.35/मीटर (ii) 0.35 मी. मी. कपड़े की मोटाई से यूएस \$ 0.5/मीटर (iii) 0.35 मी मी कपड़े की मोटाई से यूएस डालर में अधिक से 1.4 गुना मोटाई बशर्ते न्यूनतम 0.5 यूएसडी/मीटर हो और नायलान के मामले में संवर्धित मूल्य पॉलिस्टर से 20 प्रतिशत अधिक हो। तथापि, डीआरआई सूची में आने वाले माल (0.25 मी मी की मोटाई से कम कपड़ा) को डीआरआई (यूएस \$ 0.91/मीटर) द्वारा निर्धारित दर पर मूल्यांकित किया जाना था। इस आदेश के आधार पर विभाग ने छः फाइल मामलों में 15 अंतिम निर्धारण प्रविष्टि के बिलो (बीई) में ₹ 22.27 लाख का अंतरीय शुल्क एकत्र किया।

मै. अनुकूल एटरंप्राइस प्रा. लि. एवं मै. मापसा टेपस प्रा.लि. ने कोलकाता (पोर्ट) आयुक्तालय के माध्यम से “पॉलिस्टर फेब्रिक पीवीसी बैकिंग सहित” का आयात किया (जून 2011 से जुलाई 2011) और ऐसे माल के मूल्यांकन को अन्तिम रूप न देने के कारण उनका अंतिम निर्धारण किया गया (अगस्त 2011 से दिसम्बर 2011) अन्तिम रूप देने पर, शुल्क का अन्तर, यदि कोई हो तो, उसका भुगतान करने की वचनबद्धता के साथ पीडी टेस्ट बांड की प्रस्तुती पर किया जाएगा। क्षेत्रीय प्रयोगशाला टेक्सटाइल समिति (कोलकाता) से प्राप्त

आयातित परेषणों से एकत्रित नमूनों की जाँच रिपोर्टों से अन्य बातों के साथ साथ पता चला कि नमूनों की मोटाई 0.41 मी मी से 0.58 मी मी के बीच थी। नमूना जांच रिपोर्ट से कपडे की मोटाई पर विचार करते हुए, दिनांक 3 अक्टूबर 2011 के सीमाशुल्क आयुक्त के आदेश के अनुसार आयातित परेषणों का संशोधित मूल्य वाणिज्यिक चलानों और अनुरूपी प्रविष्टि के बिलों में घोषित के काफी अधिक पाया गया था जो अन्तिम रूप से निर्धारित शुल्क की तुलना में अधिक सीमा शुल्क का अधिक एकत्रण करते। तथापि, विभाग ने इन सभी मामलों में जैसा कि ऊपर उल्लिखित है अंतरीय शुल्क के एकत्रण के बिना अनुरूपी बैंक गारंटी के साथ अनंतिम शुल्क (पीडी) बांड दे दिया (जनवरी 2012 से जुलाई 2012)। इसके परिणामस्वरूप ₹ 15.59 लाख का कम कर लगा जिसे लागू ब्याज सहित वसूलने की आवश्यकता है।

सीमाशुल्क सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क हाऊस कोलकाता ने सूचना दी (दिसम्बर 2012) कि सीमाशुल्क आयुक्त (पोर्ट) का अक्टूबर 2011 का आदेश आपत्ति किए गए प्रविष्टि के बिलों (बी.ई.ज़) पर लागू नहीं था क्योंकि वह उक्त आदेश से पूर्व अवधि से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त, चूंकि आयातित माल डीआरआई सूची के तहत नहीं आते, उनका निर्धारण मूल्यांकन गुप में उपलब्ध मूल्य के आधार पर किया जाता था।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि आपत्ति किए गए बीजई दिनांक 3 अक्टूबर 2011 के आदेश से पूर्व अवधि से संबंधित थे किन्तु उनका अनंतिम रूप से निर्धारण (अगस्त 2011 से दिसम्बर 2011) केवल 4 अगस्त 2011 के सीमाशुल्क आयुक्त के आदेश के आधार पर किया गया था जिन्हें बाद में 3 अक्टूबर 2011 के आदेश के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुसार अन्तिम रूप दिया जाना था। इसके अलावा, उसी मूल्यांकन गुप द्वारा आपत्ति किए गए बीजई की तिथि से पूर्व और बाद की अवधि से संबंधित 15 बी.ई.ज़ के दिनांक 3 अक्टूबर 2011 के आदेश के आधार पर अन्तिम निर्धारण से पता चलता है कि उक्त आदेश आपत्ति किए गए बीजई पर भी लागू थे। इस बारे में विभाग को मार्च/अप्रैल 2013 में सूचना दी गई थी, उनका उत्तर प्रतिक्षित है। मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2015)।

## अध्याय V

### सामान्य छूट अधिसूचनाओं का गलत लागूकरण

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 (1) के अन्तर्गत सरकार को या तो बिल्कुल या अधिसूचना में निर्दिष्ट जैसी भी स्थिति हो, पर पूरे सीमाशुल्क या उसके किसी भाग पर माल के किसी विनिर्दिष्ट वर्णन से छूट देने का अधिकार है। शुल्क न लगाने/कम लगाने के कुल ₹ 30.56 करोड़ के छूट के गलत अनुदान के कारण पाए गए मामलों (सितम्बर 2011 से अप्रैल 2014) के कुछ सोदाहरण मामलों की नीचे पैराग्राफों में चर्चा की गई है एवं दो छूट के मामले अनुबंध 5 में सूचीबद्ध हैं।

#### चीनी और रबर उपकर की गलत छूट

**5.1** भारत सरकार ने मै. बोम्बे बर्माह ट्रेडिंग कारपोरेशन लि. (2012(278) ई.एल.टी. 566 (जी.ओ.आई) के संशोधित आवेदन के उत्तर में निर्णय दिया कि जहां केन्द्रीय कानून किसी उत्पाद शुल्क को लगाने और एकत्रण का प्रावधान करता है केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम या नियमावली के तहत जारी कोई अधिसूचना ऐसे उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान नहीं कर सकता जब तक कि ऐसी अधिसूचना प्रास्तावना में केन्द्रीय कानून के प्रावधानों को स्पष्ट रूप से संदर्भित नहीं करती। इस संबंध में, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि केन्द्रीय कानून के तहत शुल्क लगाने के संदर्भ में प्रावधान एक सांविधिक आवश्यकता है और अनुमान द्वारा कोई व्याख्या सांविधिक रूप से निषेध है।

तदनुसार, वित्त अधिनियम (अर्थात् चाय उपकर अधिनियम चीनी उपकर अधिनियम इत्यादि) के अलावा केन्द्रीय कानूनों द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रकार के उपकर (अर्थात् चाय उपकर, रबर उपकर, चीनी उपकर इत्यादि) जो उत्पाद शुल्क के रूप में उद्ग्राह्य हैं को निश्चित उद्देश्य हेतु लगाया जाता है (और सरकारी राजस्व को बढ़ाने के लिए नहीं) और छूट के लिए उनका केन्द्रीय उत्पाद शुल्क छूट अधिसूचना में उल्लेख उचित है।

यह उल्लेख करना उचित है कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (सीटीए) की धारा 3 के तहत घरेलू निर्माताओं पर केन्द्रीय कानूनों के तहत उद्ग्राह्य ऐसा उपकर आयातों पर भी सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क के रूप में

उदग्राह्य है। इस प्रकार, केन्द्रीय कानूनो का निश्चित उल्लेख सीमाशुल्क अधिनियम और नियमावाली के तहत जारी अधिसूचनाओं पर भी लागू है ताकि केन्द्रीय कानूनों के तहत उदग्राह्य उपकर की छूट प्रदान की जा सके।

आग्रिम अधिकरण योजना (डीईईसी) के तहत आयातित माल को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत उस पर उदग्राह्य शुल्क से छूट प्राप्त है (11 सितम्बर 2009 के अधिसूचना सं. 96/2009 सी शु)। तथापि, किसी केन्द्रीय अधिनियम (अर्थात् चीनी उपकर अधिनियम/रबर अधिनियम 1947) के अन्तर्गत उदग्राह्य उपकर से किसी छूट के बारे में निश्चित उल्लेख को उपरोक्त छूट अधिसूचना में उल्लिखित नहीं किया गया है। इसी प्रकार का शुल्क छूट दिनांक 11 सितम्बर 2009 की अधिसूचना सं. 97/2009 सी शु द्वारा डीईपीबी योजना के तहत प्रदान किया गया है।

“वाणिज्य मंत्रालय शर्तों में दिनांक 28 अगस्त 2011 की अधिसूचना एसओ 2020 (ई) की शर्तों में “कच्ची चीनी” पर “चीनी उपकर” ₹ 24 प्रति क्विंटल की दर से लगाया जाता है और प्राकृतिक रबड़ पर ‘रबड़ उपकर’ ₹ 2 प्रति किलो ग्राम की दर से लगाया जाता है (रबड़ अधिनियम 1947 की धारा 12 के तहत लगाया जाता है) (सितम्बर 2011 से पूर्व दर ₹ 1.50/कि. ग्रा)।

मै. श्री रेनुका शुगर्स लि. और मै. सिम्भोली शुगर लि. ने सीमा शुल्क हाऊस (कांडला) के माध्यम से 5649687.30 क्विंटल कच्ची चीनी (मार्च 2013 से दिसम्बर 2013) आयात की जिसके लिए ₹ 1355.92 लाख की राशि के ‘चीनी उपकर’ की छूट अनियमित रूप से आग्रिम अधिकरण के तहत अनुमत की (डीईईसी अधिसूचना सं. 96/2009 सी शु दिनांक 11 सितम्बर 2009)

इसी प्रकार मै. अपोलो टायरर्स (₹ 142.61 लाख), मै. बालकृष्णा इंडस्ट्रीज (₹ 87.05 लाख) एवं मै. मल्होत्रा रबरइस लि. (₹ 2.06 लाख) को प्राकृतिक रबड़ के आयात के लिए आइसीडी के माध्यम से दशरथ (वडोदरा) एवं सीमाशुल्क हाऊस (एमपी एवं सेज), मुंद्रा द्वारा डीईपीबी लाइसेंस (अधिसूचना सं. 97/2009-सीशु) के एंडवास अधिकरण को डेबिट कर अनियमित रूप से अनुमत की गई थी।

चूंकि उपरोक्त अधिसूचनाएं जो डीईईसी और डीईपीबी अधिकरणों को शासित करते हैं जो चीनी उपकर या रबड उपकर से छूट प्रदान नहीं करते हैं, इसके परिणामस्वरूप ₹1587.64 लाख के कुल चीनी और रबड उपकर से गलत छूट प्रदान की गई।

जब हमने इस बारे में बताया (अक्टूबर 2012/जनवरी/मार्च 2014), विभाग ने आपत्ति स्वीकार नहीं की कि बोर्ड ने दिनांक 19 अप्रैल 1999 के परिपत्र सं. 17/99-सी शु द्वारा यह दृष्टिकोण गया लिया कि धारा 3 के अन्तर्गत जारी छूट से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के साथ साथ उपकर दोनों से माल को छूट हो सकती थी और चीनी उपकर अधिनियम के तहत कोई पृथक छूट जारी करने की आवश्यकता नहीं है। यह भी विवाद था कि डीईईसी/डीईपीबी योजना को शासित करने वाली अधिसूचनाएं आयातित माल को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत उदग्राह्य पूरे अतिरिक्त शुल्क से छूट देती हैं इस प्रकार इसे रबड/चीनी से छूट प्राप्त है क्योंकि यह अधिनियम की धारा 3 के तहत उदग्राह्य है।

विभाग का उत्तर उपरोक्त भारत सरकार के आदेश के दृष्टिगत जो स्व व्याख्यात्मक है, तर्कसंगत नहीं है। यह निर्णय लिया गया था कि केन्द्रीय उत्पाद नियमावली/अधिनियम की अधिसूचना लागू करते हुए उपकर अधिनियम के अन्तर्गत उदग्राहण उपकर से छूट नदी दी जा सकती थी। चीनी/रबड से इस सादृश छूट से अग्रिम प्राधिकरण/डीईपीबी लाइसेंस के लिए उपकर भी उपलब्ध नहीं था। मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 2015)।

### कार्बन ब्लैक पर सुरक्षा शुल्क से छूट

**5.2** 5 अक्टूबर 2012 से 4 अक्टूबर 2013 (दिनांक 5 अक्टूबर 2012 की अधिसूचना सं. 4/2012 (सुरक्षा) की अवधि के दौरान चीन से आयातित “28030010” टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) के तहत आने वाले कार्बन ब्लैक पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8 सी के तहत 30 प्रतिशत की दर से एटी डम्पिंग शुल्क कम कर सुरक्षा शुल्क, यदि कोई हो तो उदग्राह्य है।

मै. जे के टायर एवं इंडस्ट्रीज लि और पांच अन्य ने चैन्नई (समुद्री) और तूतीकोरीन कमिशनरियों के माध्यम वास्तव से चीन पीआर से ₹ 31.50 करोड़

के मूल्य के कार्बन ब्लैक के 96 परेषण आयात किए (दिसम्बर 2012 से मार्च 2013)। आयातित माल दिनांक 11 सितम्बर 2009 की अधिसूचना सं. 96/2009 की शर्तों में अग्रिम प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त था। अग्रिम प्राधिकरण अधिसूचना, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूचनी में निर्दिष्ट उस पर उदग्राह्य पूरे सीमाशुल्क और उक्त अधिनियम की धारा 2,3,8 बी और 9 ए के तहत उस पर उदग्राह्य क्रमशःपूरे अतिरिक्त शुल्क, सुरक्षा शुल्क और एंटी डम्पिंग शुल्क से छूट का प्रावधान करता है।

लेखापरीक्षा ने बताया (दिसम्बर 2013) कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 सी के तहत चीन से आयातित कार्बन ब्लैक सुरक्षा शुल्क के अधीन है जिसे अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत जारी उपरोक्त अधिसूचना द्वारा छूट नहीं दी गई थी और इस प्रकार सुरक्षा शुल्क कार्बन ब्लैक के आयात पर उदग्राह्य है। गलत छूट देने के परिणामस्वरूप ₹ 7.48 करोड़ का कम शुल्क लगाया गया।

तूतीकोरीन कमीशनरी प्राधिकारियों ने मै. पीआरएस टायर लि. को ₹ 2.48 लाख के लिए मांग कम कारण बताओ नोटिस जारी किया। बाकी के आयातकों के संबंध में उत्तर प्रतिक्षित है (जनवरी 2015)। मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 2015)।

### **इलैक्ट्रिक रिक्शा को छूट**

**5.3** विद्युत परिचालित वाहन सीटीएच 87039010 के तहत वर्गीकृत हैं और उन पर 6 प्रतिशत की दर से प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) उदग्राह्य है (दिनांक 17 मार्च 2012 की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना सं. 12/2012 की क्रम सं. 274)

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के अनुसार, बैटरी चालित वाहन का अर्थ है सड़क पर उपयोग हेतु अपनाया गया एक वाहन और जो विशिष्ट रूप से विद्युत मोटर द्वारा चलता है जिसकी कर्षण ऊर्जा की पूर्ति वाहन में संस्थापित कर्षण बैटरी द्वारा की जाती है बशर्ते नियम 126 में निर्दिष्ट निम्नलिखित शर्तें किसी जाँच एजेंसी द्वारा सत्यापित प्राधिकृत हो, बैटरी संचालित वाहन को मोटर वाहन नहीं माना जाएगा।

- (i) मोटर की तीस मिनट पावर 0.25 केवी से कम हो (250 वाट)

(ii) वाहन की अधिकतम गति 25 कि. मी/घंटा से कम हो।

प्रविष्टि के बिलों और आईसीईएस डाटा की नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि विभिन्न आयातकों ने अगस्त 2013 से फरवरी 2014 के दौरान आईसीडी तुगलकाबाद के माध्यम से ₹ 61.26 करोड़ मूल्य के 'इलैक्ट्रिक रिक्शा' के 332 परेषण आयात किए थे। माल सीटीएच 87039010 के तहत वर्गीकृत और अधिसूचना सं. 12/2012 (क्रम सं. 274) के तहत सीवीडी की रियायती दर पर मूल्यांकित किया गया था।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि इन वाहनों को संचालित करने वाली मोटरों की ऊर्जा 250 वाट से अधिक है और एक 250 वाट पावर का मोटर वाहन सड़क पर ग्रेडियन्ट सहित 5 से 7 व्यक्तियों को नहीं ढो सकता है। चूंकि इन वाहनों की मोटर की पावर 250 वाट की अधिकतम सीमा से अधिक है सीवीडी की रियायती दर के लिए केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के अनुसार इन वाहनों को बैटरी संचालित मोटर वाहन नहीं समझा जाना चाहिए। इस प्रकार, उपरोक्त अधिसूचना लाभ के विस्तारण के परिणामस्वरूप ₹ 5.17 करोड़ तक सीवीडी की राशि कम लगाई गई। इन विद्युत रिक्शा द्वारा मोटर की पावर और व्यक्तियों को ढोने की क्षमता से संबंधित सूचना दिल्ली के परिवहन विभाग से भी मांगी गई थी (मई और जून 2014) किन्तु नवम्बर 2014 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

सीमाशुल्क विभाग ने कहा (जून 2014) कि दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-सीई की क्रम सं. 274, प्रदान करता है कि रियायत के लिए एकमात्र शर्त यह है कि ऊर्जा का एकल स्रोत एक बाहरी स्रोत से प्राप्त विद्युत ऊर्जा या ऐसे वाहनों में लगाई गई एक या एक से अधिक विद्युत बैटरियां होंगी जिन्हें तत्काल मामले में पूरा किया गया था जैसा कि सभी बैटरी संचालित ई-रिक्शा में होता है, ऐसे ई-रिक्शा में विद्युत ऊर्जा के लिए ऊर्जा का एकल स्रोत संलग्न या लगाई गई रिचार्जबल बैटरी से प्राप्त विद्युत ऊर्जा है। मोटर की क्षमता किसी भी तरीके से माल के वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करती न ही इसने उपरोक्त अधिसूचना के तहत प्रदान किए गए लाभ को प्रभावित किया है। विभाग ने आगे बताया कि आयातकों को सुरक्षात्मक मांग भी जारी की जा रही है।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इन विद्युत वाहनो को संचालित करने वाली मोटर की पावर 250 वाट से अधिक है और इस प्रकार, इन वाहनो को मोटर वाहन समझा जाना चाहिए और इस प्रकार, इन्हें केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 का पालन करना भी आवश्यक था। नियम 126 के अनुसार ऐसे वाहनो पर टाइप अनुमोदन प्रमाणीकरण सहित सभी नियम लागू हैं जैसा नहीं किया गया था।

चूंकि इन वाहनो के आयातको ने ससंद द्वारा पारित केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 का अनुपालन नहीं किया है, इसलिए, विभाग द्वारा इन वाहनो की मंजूरी के समय अधिसूचना सं. 12/2012 सीई (क्रम सं. 274) के लाभ का विस्तारण गलत था। मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 2015)।

#### **आयातित माल पर सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क का अनियमित प्रतिदाय**

**5.4** अनुवर्ती बिक्री के लिए भारत में आयातित माल पर 4 प्रतिशत की दर से एकत्रित सीमाशुल्क का अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) आयातक को वापिस लौटाया जा सकता है बशर्ते 14 सितम्बर 2007 की अधिसूचना सं. 102/2007-सी शु की शर्तों का अनुपालन किया गया हो। अधिसूचना की शर्तें अन्य बातों के साथ साथ निर्दिष्ट करती हैं कि केवल उस मामले में एसएडी का प्रतिदाय लाभ लिया जा सकता है जब आयातित माल को बाद में वैट के भुगतान पर बेचा जाता है। सीमाशुल्क आयुक्त (आईसीडी) नई दिल्ली बनाम मै. रिलायन्स कोम्यूनिकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. {2012(279) ईएलटी 85 (टी-दिल्ली)} के मामले में सेसटेट, नई दिल्ली ने निर्णय दिया था कि उक्त अधिसूचना में शब्द 'बिक्री' की परिभाषा के अभाव में, राज्य सरकार या केन्द्रीय बिक्री अधिनियम, 1956 के वैट अधिनियम में इस उद्देश्य हेतु बिक्री की परिभाषा पर विचार करना होगा।

मै. टाटा स्कई लि. ने 'वियुईंग कार्ड एवं एसेसरिज़' सहित 'सेट टाप बाक्स (डिजीकोम्प)' का प्रतिसेट की संयोजित उतराई लागत के लिए प्रत्येक आयातित मद की कीमत के ब्रेकअप के बिना आयातित माल के या तो वाणिज्यिक बीजक या प्रविष्टि के बिलों पर आयात किया था (मार्च 2009 से अगस्त 2010)। भारत के क्रेताओं को आयातित 'सेट टाप बाक्स' ₹ 4087.56



से ₹ 2417.40 (अर्थात् आयात बीजक कीमत का 27 प्रतिशत से 42 प्रतिशत के बीच की प्रति सेट आयात मूल्य की तुलना में ₹ 1121.33 से ₹ 1032.44 के बीच की आसामान्य रूप से कम कीमत पर बेचा गया था। किन्तु वियुइंग कार्ड और अन्य एसेसरीज़ नहीं बेची गई थी। जबकि सेट टाप बाक्स को बिक्री बीजकों और क्रेता के साथ उनके सदस्यता अनुबंध की नियम और शर्तों के विशिष्ट पृष्ठांकन के माध्यम से क्रेताओं को हस्तांतरित कर दिया गया था, टाटा स्काई लि. ने अपना स्वामित्व बनाए रखा है। चूंकि इन मदों को राज्य वैट अधिनियम में बिक्री की परिभाषा के अनुसार न तो क्रेताओं को बेचा गया न ही किसी विचार हेतु क्रेताओं को हस्तांतरित किया गया, जिसे बिक्री माना जा सके ऐसे माल के मूल्य पर कोई वैट प्रभारित नहीं किया जा सका। इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि आयातक ने न तो आयातित वियुइंग कार्ड और एसेसरीज़ को बेचा न ही उन पर उचित वैट का भुगतान किया था जिससे वह दिनांक 14 सितम्बर 2007 की उक्त अधिसूचना के तहत एसएडी के प्रतिदाय के लिए अयोग्य बन गए। तथापि, कोलकाता (पोर्ट) कमीशनरी प्राधिकारियों ने 19 प्रविष्ट के बिलों के तहत आयातित माल पर ₹ 87.06 लाख का प्रतिदाय दिया (जून से अगस्त 2010)।

इसके बारे में बताए जाने पर (जनवरी 2012), विभाग ने कहा (जून 2014) कि आपत्ति किया गया वियुइंग कार्ड और अन्य सहायक उपकरणों को इस धारणा के आधार पर आयातित सेट टाप बाक्स के साथ बेचा गया था कि संबंधित सेवा प्रदाता और उनके सहायक उपकरणों के किसी वियुइंग कार्ड के अभाव में सेट टाप बाक्स कार्यात्मक नहीं हो सकेगा।

विभाग का दावा तर्कसंगत नहीं था क्योंकि आयातित मदें “सेट टाप बाक्स (वियुइंग कार्ड और सहायक उपकरण सहित)” थी जबकि बिक्री बीजकों के माध्यम से बेची गईं मदें किसी सहायक उपकरण के बिना केवल “सेट टाप बाक्स” थे। यद्यपि सेट टाप बाक्स में वियुइंग कार्ड थे, इन्हें क्रेताओं को मूल्य पर विचार किए बिना हस्तांतरित कर दिया गया, जो राज्य वैट अधिनियम में बिक्री की परिभाषा के तहत कवर हो सकता था।

मंत्रालय ने आयातक को मांग नोटिस जारी करने की सूचना दी (दिसम्बर 2014) आगे की प्रगति प्रतिक्षित है (जनवरी 2015)।

## चीनी के आयात पर सीमाशुल्क से गलत छूट

**5.5** दिनांक 26 फरवरी 2009 के परिपत्र सं. 883/3/2009 सीएक्स द्वारा बोर्ड (सीबीईसी) ने स्पष्ट किया कि सभी उत्पाद अर्थात् चीनी, फार्मास्युटिकल चीनी और बूरा चीनी समान टैरिफ वर्गीकरण अर्थात् 1701 के तहत आती है, “रासायनिक रूप से शुद्ध फार्मा ग्रेड चीनी” “चीनी का उत्पाद” है। इस प्रकार अतिरिक्त शुद्ध चीनी (रासायनिक रूप से शुद्ध फार्मा ग्रेड) “रिफाइंड या सफेद चीनी से अलग है।

“सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 1701 के तहत वर्गीकरणीय “फार्मा ग्रेड चीनी” अधिसूचना सं. 12/2012 और अधिसूचना सं. 21/2002 की शर्तों में 60 प्रतिशत की दर से मूल सीमाशुल्क और चीनी उपकर अधिनियम, 1982 के तहत उपकर के साथ उत्पाद शुल्क के बराबर सीमाशुल्क का अतिरिक्त शुल्क उदग्राह्य है। फलस्वरूप दिनांक 1 मार्च 2002 की अधिसूचना सं. 21/2002 दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012 की शर्तों में “रिफाइंड या सफेद चीनी” पर लागू मूल सीमा शुल्क की रियायती दर “फार्मा ग्रेड चीनी” पर विस्तारित नहीं किया जा सकता।

मै. माइक्रो लेब्स ओर मै. केपी मनीष ग्लोबल इन्वियुडियेंट्स प्रा. लि. ने चेन्नई (समुद्री) कमीशनरी के माध्यम से ₹ 81.99 लाख के निर्धारणीय मूल्य पर ‘अतिरिक्त शुद्ध चीनी (रासायनिक रूप से फार्मा ग्रेड) के सात परेषण आयात किए (फरवरी 2012 से मार्च 2013)। एक परेषण के संबंध में (फरवरी 2012) माल को गलत तरीके से सीटीएच 17049090 के तहत वर्गीकृत कर दिया गया था और अधिसूचना सं. 21/2002 की क्रम सं. 37 जे की शर्तों में ‘शून्य’ दर पर मूल सीमाशुल्क (सीटीएच 1701 के माल पर लागू) और की अधिसूचना सं. 2/2008-सीई के क्रम सं. 5 की शर्तों में 10 प्रतिशत के उत्पाद शुल्क के बराबर सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क से छूट दी गई थी। अन्य परेषणों के संबंध में, माल को सीटीएच 17019990 के तहत वर्गीकृत किया गया था और अधिसूचना सं. 12/2012 सी शु की क्रम सं. 77 की शर्तों में ‘शून्य’ दर /10 प्रतिशत पर मूल सीमा शुल्क का निर्धारण किया गया था। इसके अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के बराबर सीमाशुल्क का अतिरिक्त शुल्क विभिन्न दरों पर अर्थात् ₹ 38 प्रति क्विंटल/ ₹ 71 प्रति क्विंटल (दिनांक 17

मार्च 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012 सीई क्रम सं. 14(अ)/14(ब) 12 प्रतिशत (दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना सं. 18/2012 सीई क्रम सं. 4) पर लगाया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिसूचना सं. 21/2002/अधिसूचना सं. 12/2012-सीशु की शर्तों में उपलब्ध शुल्क की रियायती दर केवल रिफाइंड या सफेद चीनी पर लागू है और इसे “फार्मा ग्रेड चीनी” को विस्तारित नहीं किया जा सकता है और अधिसूचना सं. 21/2002 क्रम सं; 38 अधिसूचना सं. 12/2012 क्रम सं. 75 और लागू चीनी उपकर के साथ 10 प्रतिशत/12 प्रतिशत के उत्पाद शुल्क के बराबर सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क के तहत माल 60 प्रतिशत के मूल सीमाशुल्क पर उदग्राह्य है इस प्रकार, रियायती दर पर शुल्क के गलत विस्तारण के परिणामस्वरूप ₹ 51.08 लाख की राशि का कम शुल्क लगाया गया।

जब हमने इस बारे में बताया (नवम्बर 2012, मार्च और नवम्बर 2013), विभाग ने उत्तर दिया (मार्च और अप्रैल 2014) कि पांच परेषणों के संबंध में ₹ 25.11 लाख के कम शुल्क के लिए आयातकों को मांग नोटिस जारी किए गए थे। इसकी आगे की प्रगति प्रतिक्षित है (जनवरी 2015)। मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2015)।

#### **पुनः आयातित माल पर गलत छूट**

**5.6** मरम्मत या सुधार के लिए निर्यात की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर निर्यातित माल के पुनः आयात को पूरे सीमा शुल्क या अतिरिक्त शुल्क के उद्ग्रहण से छूट दी जाएगी यदि बताई गई शर्तों को पूरा किया जाए (दिनांक 14 नवम्बर 1995 की अधिसूचना सं. 158/95 सीशु)। निर्धारित समय में पुनः निर्यात की विफलता के मामले में आयातक ली गई छूट लाभ की वापसी के लिए उत्त्दायी होगा।

मै. एंगसर लि. और तीन अन्योंने सीमाशुल्क कमीशनरी (पोर्ट) कोलकाता के माध्यम से पूर्व निर्यातित उत्पादों को दिनांक 14 नवम्बर 1995 की उक्त अधिसूचना के तहत शुल्क का भुगतान किए बिना मरम्मत हेतु पुनः आयात किया था (मार्च 2010 से नवम्बर 2010)। तथापि, आयातकों ने न तो आयात तिथि से एक वर्ष से अधिक की समाप्ति के बाद भी आयातित

माल के पुनः निर्यात का साक्ष्य प्रस्तुत किया और न ही उक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुपालन में उनके आयात के समय शुल्क छूट के लाभ का वापस भुगतान किया। विभाग ने छूट हेतु उदग्राह्य शुल्क की वसूली के लिए कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 44.69 लाख के शुल्क वसूली नहीं हुई।

विभाग ने मै. एंगसर लि. के संबंध में ₹ 3.93 लाख के मांग नोटिस की सूचना दी, जिसकी पुष्टि कर ली गई थी और उनकी बैंक गारंटी (बीई) के नकदीकरण द्वारा ₹ 21,000/- की वसूली की ली गई थी। विभाग ने आगे कहा कि शेष तीन मामलों में आयातकों ने उनके आयातित माल के पुनः निर्यात के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

तथापि, मै. सुप्रीम एवं क. प्रा.लि. द्वारा प्रस्तुत पुनः निर्यात दस्तावेजों (चार पुनः निर्यात शिपिंग बिल) की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि सभी शिपिंग बिलों की तिथि (6 और 8 सितम्बर 2010) और उनकी निर्यात जनरल मेनिफेस्ट (ईजीएम) तिथि (15 सितम्बर 2010) पुनः आयात माल की समरूपी तिथि से आउट आफ चार्ज (ओओसी) दिनांक (18 सितम्बर 2010) से पहले की थी प्रविष्टि के बिलों से पता चलता है कि इन शिपिंग बिलों के तहत निर्यात माल पुनः आयातित माल से भिन्न था। इस प्रकार, मरम्मत के बाद आयातित माल के पुनः निर्यात की उक्त अधिसूचना के तहत निर्धारित शर्त अधूरी रह गई जिसमें से लागू ब्याज के साथ अयातक से ₹ 30.40 लाख का राशि का शुल्क छूट लाभ वसूली योग्य है।

अप्रैल 2014 में विभाग को इसी सूचना दी थी, उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 2015)। मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2015)।

## अध्याय VI

### माल का गलत: वर्गीकरण

अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान (मई 2012 से अप्रैल 2014), हमने देखा कि निर्धारण अधिकारियों ने विभिन्न आयातित माल का गलत-वर्गीकरण किया जिसके कारण ₹ 9.99 करोड़ के सीमा शुल्क का कम उद्ग्रहण/उद्ग्रहण नहीं हुआ। इन पर आने वाले पैराग्राफों में चर्चा की गई एवं माल के गलत वर्गीकरण के छ मामले अनुबद्ध छ में सूचीबद्ध हैं।

मोटर साइकिल के पुर्जों को लौह अथवा इस्पात की वस्तुओं के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया।

**6.1** मोटरसाइकिल के भाग शीर्षक सं. 87.11 से 87.13 के वाहनों के भागों तथा एक्सेसरीज के रूप में सीमाशुल्क शीर्षक (सीटीएच) 871410 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय हैं तथा 10 प्रतिशत की दर से बीसीडी के लिए निर्धारण योग्य हैं।

मै. डायडो इण्डिया प्रा. लि. ने आईसीडी, तुगलकाबाद के माध्यम से ₹ 24.88 करोड़ के मूल्य पर थाइलैण्ड से 'मोटरसाइकिल चैन तथा स्प्रोकैट्स तथा उनके भाग', की 57 खेप आयात की (अक्टूबर 2013 से मई 2014)। आयातित माल को सीटीएच 73151100 तथा 84839000 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था तथा 2.5 प्रतिशत तथा 6 प्रतिशत पर आधारभूत सीमाशुल्क लगाने के बाद (31 दिसम्बर 2013 तक) तथा दिनांक 1 जून 2011 (संशोधित) की अधिसूचना सं. 46/2011 की क्रम सं. 968 तथा 1284 के अनुसार शुल्क की 'शून्य' दर तथा 5 प्रतिशत (1 जनवरी 2014 से) पर मंजूर किया गया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मोटर साइकिल चैन तथा स्प्रोकैट्स तथा इसके भाग मोटर साइकिल के अन्य भागों तथा एक्सेसरीज के रूप में सीटीएच 8714090 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय थे जो 10 प्रतिशत की दर पर बीसीडी आकर्षित करते हैं। अतः आयातित माल के गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 2.66 करोड़ की राशि के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह मामला अप्रैल/मई/सितम्बर 2014 में विभाग/मंत्रालय को बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2015)।

मोटरपार्टस को तरल अथवा गैसों के प्रवाह, स्तर तथा दबाव को मापने एवं जाँच करने के लिए उपकरणों के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया

**6.2** भाग एवं एक्सेसरीज यदि एक विशिष्ट प्रकार की मशीन, उपकरण अथवा उपस्कर के साथ अथवा समान शीर्षक की कई मशीनों, उपकरणों अथवा उपस्करों के साथ अकेले अथवा मुख्यतः प्रयोग होने हेतु उपयुक्त है तो उस प्रकार की मशीन, उपकरणों अथवा उपस्करों के साथ वर्गीकृत किया जाने हैं (सीमाशुल्क की धारा XVIII की टिप्पणी 2(बी))।

‘हॉट फिल्म एयर मास मीटर’ वैधानिक उत्सर्जन सीमाएँ सुनिश्चित करने हेतु सटीक उर्जा आवश्यकता, वायु दाब तथा वायु तापमान के लिए इन्जेक्शन करंट की मात्रा संमजित करने तथा सक्षम करने के लिए मोटर वाहनों के आन्तरिक दहन ईंधन में एयर मास फ्लो को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। चूंकि वे मुख्यतः अध्याय 87 के मोटर वाहनों में प्रयोग किये जाते हैं, इसलिए उक्त माल सीटीएस 8708 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय हैं तथा 10 प्रतिशत की दर से बीसीडी उद्ग्रहणीय है।

अप्रैल 2012 से मार्च 2013 के बीच मै. बोश लि. द्वारा ‘हाट फिल्म एयर मास मीटर’ की पीचासी खेप आयात की गई थीं। इनमें से, 45 खेप तरल अथवा गैसों के प्रवाह, स्तर, दाब अथवा अन्य परिवर्तनों को मापने एवं जाँच करने हेतु अन्य उपकरण अथवा उपस्कर’ के रूप में सीटीएच 90268090 के अन्तर्गत तथा शेष 40 ‘अन्य स्वचालित विनियमन अथवा नियंत्रक उपकरणों एवं उपस्करों’ के रूप में सीटीएच 90328990 के अन्तर्गत वर्गीकृत की गई थी तथा लागू होने योग्य 10 प्रतिशत के बजाए ‘शून्य’ अथवा 7.5 प्रतिशत पर बीसीडी लगाया गया था। माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 1.82 करोड़ की सीमा तक शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह अक्टूबर 2014 में मंत्रालय को बताया गया था, उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 2015)।

शल्य संबंधी सूक्ष्मदर्शी को अन्य उपकरण तथा यंत्र के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया

**6.3** शल्य संबंधी सूक्ष्मदर्शी तथा उसकी एक्सेसरीज सीमाशुल्क शीर्षक (सीटीएच) 9011 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय है तथा क्रमश 7.5/12 प्रतिशत की दर से बीसीडी/सीवीडी उदग्रहणीय है।

अप्रैल 2012 से मार्च 2013 के दौरान एयर कारगो कम्पलैक्स (एसीसी) के माध्यम से आयातित शल्य संबंधी सूक्ष्मदर्शी की पचपन खेप चिकित्सा, शल्य संबंधी, दन्त्य अथवा पशुचिकित्सा विज्ञान में प्रयुक्त अन्य उपकरण एवं यंत्र के रूप में सीटीएच 90185090/90189099 के अन्तर्गत वर्गीकृत की गई थीं तथा दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012 सीमा क्रम सं. 473 के अन्तर्गत 5 प्रतिशत की दर से बीसीडी हेतु निर्धारित की गई तथा क्रमश 7.5/12 प्रतिशत की लागू होने योग्य बीसीडी/सीवीडी दर की बजाए दिनांक 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012 सी एक्स के तहत सीवीडी से छूट भी दी गई थी। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 1.19 करोड़ के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

इसे नवम्बर 2013/सितम्बर 2014 में विभाग/मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया है, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2015)।

ब्रश कट्टर को तरल को फैलाने अथवा छिड़कने/कटाई अथवा गहाई मशीनरी हेतु मशीनी यंत्र के रूप से गलत वर्गीकृत किया गया

**6.4** ब्रश कट्टर एक हल्के धातू फ्रेम पर लगी अपने आन्तरिक दहन ईन्जन वाली उठाने योग्य मशीन तथा कटिंग उपकरणों से सुसज्जित होने के नाते शब्दावली की सुसंगत प्रणाली(एचएसएन) के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियों के अनुसार शीर्षक 8433 से उनके अपवर्जन के मद्देनजर सीमाशुल्क टैरिफ की टैरिफ मद "84672900" के अन्तर्गत वर्गीकरणीय हैं। विषय वस्तु दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना सं. 18/2012 सीई की क्रम सं. 75 के अनुसार 12 प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क के बराबर अतिरिक्त सीमा शुल्क के लिए उदग्रणीय है।

चैन्नै (समुद्र) आयुक्तालय के माध्यम से मै. फोगर्स इण्डिया प्रा. लि. तथा पाँच अन्यो द्वारा आयातित विभिन्न माडल के ब्रश कट्टर/रीपर/ग्रास कट्टर की सत्रह खेपों (मई 2012 तथा मार्च 2013) को कृषि/बागबानी/कटाई मशीन के

रूप में मानते हुए सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के विभिन्न शीर्षकों जैसे “8424/8433” के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था) आयातित माल ग्रास कटिंग मशीनरी होने के नाते उपरोक्त एचएसएन व्याख्यात्मक टिप्पणियों के मद्देनजर सीटीएच 8467 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय था।

गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 87.33 लाख के शुल्क का कम संग्रह हुआ। इसे बताये जाने पर, मंत्रालय ने दो आयातकों (मै. रेखा एग्रीप्लस लि., मै. वेंकटेश्वरा इजि. वर्क्स) से ₹ 2.22 लाख तथा ₹ 0.31 लाख के ब्याज की वसूली सूचित की (दिसम्बर 2014) तथा मै. ग्रीट्ज कॉटन लि. के संबंध में ₹ 17.70 लाख की माँग की पुष्टि की। शेष पाँच आयातकों के संबंध में वसूली प्रतीक्षित है। (जनवरी 2015)।

**गियर्स तथा गियरिंग के रूप में गलत वर्गीकृत मोटर वाहनों के भाग एवं एक्सेसरीज**

**6.5** सीमाशुल्क टैरिफ की धारा XVII के लिए टिप्पणी 2(ई) के अनुसार, केवल वही भाग एवं एक्सेसरीज जो शीर्षक 8483 के इंजन अथवा मोटरों के मौलिक भाग बनते हैं, को इस धारा से बाहर किया गया है, वे इस धारा के माल के रूप में अभिज्ञेय हो अथवा नहीं। अतः अन्य सभी भाग, यदि वे शीर्षक 8701 से 8705 के मोटर वाहनों के साथ अकेले अथवा मुख्यतः प्रयोग करने के लिए उपयुक्त होने के नाते अभिज्ञेय हैं, सीमाशुल्क टैरिफ के शीर्षक 8708 के अन्तर्गत धारा XVII के तहत वर्गीकृत रहेंगे तथा 10 प्रतिशत की दर पर बीसीडी के लिए उद्ग्रहणीय होंगे।

मै. कारारो इण्डिया प्रा. लि. एवं मै. जेटेक्ट सोना आटोमोटिव इण्डिया प्रा.लि. ने जेएनसीएच, नावाशवा/आईसीडी तुगलकाबाद के माध्यम से ‘टोरक्यू कन्वर्टर/गियर्स, रिडक्शन पाटर्स (आटोमोटिव स्टीयरिंग के भाग)’ की 66 खेप आयात की (फरवरी 2010 से मार्च 2014)। आयातित माल सीटीएच 8708 के बजाय ट्रांसमिशन शाफ्ट तथा गियर्स/गियरिंग के रूप में सीटीएच 84834000/87089400 के अन्तर्गत गलत वर्गीकृत किया गया था तथा 10 प्रतिशत के बजाए 7.5 प्रतिशत की दर पर बीसीडी लगाया गया। गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 73.99 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।



जनवरी/सितम्बर 2014 में विभाग/मंत्रालय को यह बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2015)।

**रेलवे अनुरक्षण अथवा मरम्मत वाहनों को रेलवे माल वैन एवं वैनो के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया**

**6.6** रेलवे अथवा ट्रामवे अनुरक्षण अथवा मरम्मत वाहन, वेशक स्वयं से चलने वाले हो अथवा नहीं (उदाहरण के लिए कार्यशालाएँ, क्रेन, बालास्ट टैम्पर, टैक लाइनर्स टेस्टिंग कोच एवं ट्रैक जाँच वाहन इत्यादि) 12 प्रतिशत की दर से सीवीडी आकर्षित करते हुए सीटीएच 8604 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय हैं।

मै. प्रतिभा इण्डस्ट्रीज लि. एवं मै. एचसीसी सैमसग जेवी ने आईसीडी, तुगलकाबाद के माध्यम से ₹ 8.69 करोड़ के निर्धारण योग्य मूल्य पर 'फ्लोर शाफ्ट कार/सेगमेन्ट कार' इत्यादि की आठ खेप आयात की थी (सितम्बर 2013 से नवम्बर 2013)। आयातित माल को सीटीएच 86069900 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था तथा 12 प्रतिशत के बजाए 6 प्रतिशत की दर पर सीवीडी हेतु निर्धारित किया गया।

आयातित माल सुरंग बनाने के यंत्र के लिए बनी रेल बाउन्ड सेगमेन्ट कारे तथा फ्लोर शाफ्ट कारें थी तथा योग्य वर्गीकरण सीटीएच 8604 था तथा 12 प्रतिशत की दर पर सीवीडी आकर्षित करता है। अतः आयातित माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 61.44 लाख की राशि के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

ये तथ्य जनवरी/सितम्बर 2014 में विभाग/मंत्रालय के संज्ञान में लाये थे, उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (जनवरी 2015)।

**खाद्य प्रोसेसिंग मशीन को खाद्य अथवा पेय के विनिर्माण हेतु अन्य मशीन के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया**

**6.7** मशीनरी, संयंत्र अथवा प्रयोगशाला उपकरण, जो तापमान में परिवर्तन वाली एक प्रक्रिया जैसे गरम करना, पकाना, भूनना इत्यादि द्वारा सामग्री के प्रशोधन के लिए विद्युत से गरम किया जाता हो अथवा नहीं, घरेलू उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीनरी अथवा संयंत्र से अलग, सीटीएच 8419 के तहत वर्गीकरणीय है तथा 10 प्रतिशत की दर पर बीसीडी हेतु उद्ग्रहणीय है।

मै. बालाजी वेफर्स प्रा. लि. तथा अन्य ने जेएनसीएच, नावा शावा, मुम्बई के माध्यम से 'फूड प्रोसेसिंग मशीनरी स्नैक फ्राईंग सिस्टम' की तीन खेप आयात (जून/नवम्बर 2013) की। माल पर लागू होने वाली 10 प्रतिशत के बजाए 5 प्रतिशत की दर पर बीसीडी लगाते हुए 'खाद्य अथवा पेय के औद्योगिक निर्माण हेतु अन्य मशीनरी' के रूप में सीटीएच 84388090 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था। अतः गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 52.09 लाख तक शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह दिसम्बर 2013/अक्टूबर 2014 में विभाग/मंत्रालय को बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2015)।

**राईस मिल रबर रोलर को राईस मिल मशीनरी के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया**

**6.8** 'राईस मिल रबर रोलर' को सीटीएच 40169990 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है एवं वियतनाम से आयात होने पर दिनांक 1 जनवरी 2012 की अधिसूचना सं. 46/2011-सीमा (क्रम सं. 534 परिशिष्ट-1) के अन्तर्गत 7 प्रतिशत की रियायती दर पर बीसीडी हेतु उद्ग्रहणीय हैं। सीबीईसी (बोर्ड) ने दिनांक 11 जनवरी 1990 के अपने परिपत्र सं. 2/90-सीएक्स 3 में भी स्पष्ट किया है कि 'राईस मिल में प्रयुक्त 'रबर रोलर्स' का योग्य वर्गीकरण सीटीएच 4016 के तहत है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 17 मार्च 2012 की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना सं. 12/2012 (क्रम सं. 155) ने स्पष्ट रूप से सीटीएच 4016 के अन्तर्गत 'राईस मशीनरी' के लिए 'राईस रबर रोलर्स' का वर्गीकरण उल्लिखित किया है।

मै. पीआरएस ट्रेडकॉम तथा चार अन्य ने जेएनसीएच, मुम्बई/चेन्नै (समुद्र) आयुक्तालय के माध्यम से 'राईस मिल रबर रोलर' की 19 खेप आयात की (मई 2012 से फरवरी 2013)। आयातित माल को राईस मिल मशीनरी के रूप में सीटीएच 84378090 के अन्तर्गत गलत वर्गीकृत किया गया था तथा लागू होने योग्य 7 प्रतिशत की दर के बजाए अधिसूचना सं. 46/2011-सीमा (क्रम सं. 1170) के अन्तर्गत लाभ अनुमत करते हुए 2.5 प्रतिशत की रियायती दर पर बीसीडी लगाया गया। अतः आयातित माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 44.07 लाख तक के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

जनवरी/सितम्बर/अक्टूबर 2014 में विभाग को बताये जाने पर, चेन्नै सीमाशुल्क सदन प्राधिकरियों ने मै. श्रीनिवास मिल स्टोर्स को कारण बताओ ज्ञापन जारी किया। अन्य आयातकों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2015)। मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 2015)।

**पशु खाद्य सामग्री को मानव प्रयोग हेतु अनुचित मत्स्य भोजन के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया**

**6.9** अध्याय 23 के अन्तर्गत दिये गए एचएसएन नोट के अनुसार, सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक (सीटीएच) 2309 में पशु चारे में प्रयुक्त एक प्रकार के उत्पाद शामिल हैं, जो अन्यत्र कहीं विनिर्दिष्ट अथवा शामिल नहीं हैं जो वनस्पति अथवा पशु सामग्रियों की इस सीमा तक प्रोसेसिंग के द्वारा प्राप्त किए गए हैं कि उन्होंने मूल सामग्री के आवश्यक अभिलक्षणों को खो दिया है। “सिक्विड लीवर पाउडर जलीय खाद्य (विशेषतः सींगा) के लिए एक उच्च गुणवत्ता संघटक है जो सिक्विड लीवर पेस्ट तथा अच्छी तरह से साफ किए सोयाबीन के आटे को बराबर भागों में मिलाकर तैयार किया जाता है, उचित रूप से सीटीएच 2309 के तहत वर्गीकरणीय है तथा 30 प्रतिशत पर बीसीडी लगाने योग्य हैं।

चेन्नई (समुद्र) आयुक्तालय के माध्यम से मै. गोदरेज एग्रोवेट लि. एवं तीन अन्यो द्वारा “सिक्विड लीवर पाउडर” की चार खेपों का आयात किया गया (अप्रैल से नवम्बर 2012) जो “मानव उपयोग के लिए अनुचित अन्य मत्स्य भोजन” के रूप में सीटीएच 23012019/23012011/23012090 के तहत वर्गीकृत की गई थी तथा दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सीमा (क्रम सं. 99) के अनुसार 30 प्रतिशत की बजाए 5 प्रतिशत पर आधारभूत सीमा शुल्क के लिए निर्धारित की गई।

आयातित मद पोषक तत्वों अर्थात् पशुओं से प्राप्त किए गए उर्जा पोषक तत्व तथा फलीदार वनस्पतियों से प्राप्त किए गए शरीरवर्धक पोषक तत्वों (प्रोटीन) का मिश्रण होने के नाते “पशु चारे में प्रयुक्त एक प्रकार की अन्य सामग्री” के रूप से सीटीएच 23099090 के तहत वर्गीकरण की पात्र है तथा 30 प्रतिशत पर आधारभूत सीमा शुल्क लगाने योग्य हैं। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 34.04 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ था।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते समय आयातकों में से एक (मै. अवन्ति फीड्स लि.) को एक रक्षात्मक माँग जारी की। मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2015)।

## अध्याय VII

### शुल्क छूट/ रियायत योजनाएँ

सरकार एक अधिसूचना के माध्यम से एक निर्यात प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत इनपुट एवं पूँजीगत माल के आयात के लिए संपूर्ण अथवा सीमा शुल्क के भाग की छूट दे सकती है। ऐसे छूटप्राप्त माल के आयातक विशिष्ट शर्तों का पालन करने के साथ-साथ निर्धारित निर्यात दायित्वों (ईओ) को पूरा करने का वचन देते हैं, जिसमें विफल होने पर शुल्क की पूरी दर उद्घृणीय हो जाती है। अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान (मार्च 2012 से फरवरी 2014) देखे गए कुछ निदर्शी मामलों पर जहाँ इओज/शर्तों को पूरा किये बिना शुल्क छूट प्राप्त की गई थी, पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है एवं 13 शुल्क छूट/माफी मामले अनुबंध सात में सूचीबद्ध हैं। इन मामलों में कुल राजस्व अनुमान ₹ 182.65 करोड़ हैं।

**भारत से सहायता प्राप्त योजना (एसएफआईएस)/फोकस उत्पाद योजना (एफपीएस)**

**₹ 58.01 लाख के अधिक शुल्क क्रेडिट का अनुदान**

**7.1** भारत से सहायता प्राप्त योजना एचबीपी के परिशिष्ट 41 में सूचीबद्ध सेवाओं के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में सेवा प्रदाताओं द्वारा अर्जित विदेशी विनिमय के 10 प्रतिशत पर शुल्क क्रेडिट का प्रावधान करती है। यद्यपि, “माल” का निर्यात एसएफआईएस (एफटीपी का पैराग्राफ 3.12.3) के अन्तर्गत लाभों का अधिकारी नहीं होगा।

मै. श्रीराम ईपीसी लि. चेन्नै को आवेदन के विलम्बित प्रस्तुतिकरण के लिए प्रक्रियाओं की हस्तपुस्तिका (भाग I), 2009-14 के पैराग्राफ 9.3 के अनुसार 2 प्रतिशत का लेट कट लगाने के पश्चात् वर्ष 2011-12 के दौरान “निर्माण एवं अभियांत्रिकी संबंधित सेवाएँ” उपलब्ध कराने के लिए अर्जित ₹ 4050.55 लाख के मुक्त विदेशी विनिमय के 10 प्रतिशत पर एसएफआईएस योजना के अन्तर्गत आरएलए, चेन्नै द्वारा ₹ 396.95 लाख के लिए शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्ट प्रदान किया था (सितम्बर 2012)

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राप्त हुई रकम के संबंध में कम्पनी द्वारा 25 अगस्त 2012 को की गई स्वउद्घोषणा के

अनुसार तथा एएनएफ 3बी के लिए अनुबंध के रूप प्रस्तुत किये गए सनदी लेखाकार द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के अनुसार वर्ष 2011-12 के दौरान अर्जित विदेशी विनिमय केवल ₹ 3458.59 लाख था। यद्यपि, आनलाईन आवेदन दर्ज कराते समय यह गलती से ₹ 4050.55 लाख (पिछले वर्ष 2010-11 के दौरान अर्जित विदेशी विनिमय) दर्शाया गया था। परिणामस्वरूप, ₹ 396.95 लाख का शुल्क क्रेडिट प्रदान किया गया था जबकि वास्तविक हकदारी 2 प्रतिशत का लेटकट लगाने के बाद भी ₹ 338.94 लाख थी। अतः अर्जित मुक्त विदेशी विनिमय की गलत गणना के परिणामस्वरूप ₹ 58.01 लाख के शुल्क क्रेडिट का अधिक अनुदान हुआ।

सहायक महानिदेशक विदेशी व्यापार, चेन्नै ने फर्म को माँग ज्ञापन जारी किये जाने की सूचना दी (नवम्बर 2014)।

### अयोग्य सेवाओं के लिए अनुमत शुल्क क्रेडिट

**7.2** उच्चतम न्यायालय ने टाटा कन्सलटेन्सी सर्विसेज बनाम आँध्रप्रदेश राज्य (एसटीसी 2004 का खंड 137) के मामले में तथा बीएसएनएल बनाम भारत संघ तथा अन्य के मामले में (एसटीसी 2006 का खंड 145) कैन्ड सॉफ्टवेयर को वस्तु मानते हुए उस पर बिक्री कर लगाने का निर्णय दिया क्योंकि एक प्रोग्राम का कॉपीराइट प्रोग्राम के उत्पन्नकर्ता के पास हो सकता है परन्तु जैसे ही प्रतियाँ बनाई एवं बेची जाती हैं, यह वस्तु बन जाती है जो बिक्री कर हेतु ग्रहणनीय हैं। तदनुसार, वस्तु समान होने के नाते एसएफआईएस के अन्तर्गत शुल्क क्रेडिट की हकदार नहीं हैं।

मै. कलईगर टीवी प्राइवेट लिमिटेड को विदेश में विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से उनके द्वारा अर्जित “विडियो प्रोग्रामों की आपूर्ति हेतु लाइसेन्स शुल्क” को “मनोरंजन सेवाएँ” प्रदान करना मानते हुए वर्ष 2011-12 के दौरान उनके द्वारा अर्जित मुक्त विदेशी विनिमय के 10 प्रतिशत पर एसएफआईएस के अन्तर्गत आरएलए, चेन्नै द्वारा ₹ 54.71 लाख का शुल्क क्रेडिट प्रदान किया गया था।

चूँकि, अर्जन स्वामित्व के प्रयोग अथवा कापीराइट के अधिकार के हस्तांतरण के कारण था, ना कि कोई सेवा प्रदान करने के कारण, अतः एसएफआईएस के अन्तर्गत शुल्क क्रेडिट के लिए इसकी गणना नहीं की जा सकती थी। इसके

परिणामस्वरूप ₹ 54.71 लाख के शुल्क क्रेडिट का अनियमित अनुदान हुआ जो ब्याज सहित वसूली योग्य था।

डीजीएफटी, नई दिल्ली ने बताया (नवम्बर 2014) कि सैटेलाईट संचार के माध्यम से प्रोग्राम का संचरण संचार सेवाएं-आडियो विजुअल सर्विस के अन्तर्गत एचबीपी के परिशिष्ट 41 की क्रम सं. 2 ए के अन्तर्गत आता है तथा इसे 'वस्तु' के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता तथा "कापीराइट" को शुल्क क्रेडिट के अनुदान से बाहर नहीं रखा गया है।

डीजीएफटी के उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जा सकता है कि अर्जन स्वामित्व का प्रयोग करने अथवा कॉपीराइट के अधिकार के हस्तांतरण के कारण था ना कि सेवाएँ प्रदान करने के कारण। उपरोक्त न्यायिक घोषणा के अनुसार 'कॉपीराइट अथवा स्वामित्व को प्रयोग करने के अधिकार को वस्तु बिक्री अधिनियम के अन्तर्गत 'वस्तु' के रूप में माना गया है, अतः क्रेडिट के अनुदान के लिए सेवा के रूप में अयोग्य हैं।

**हास्पिटलिटी क्षेत्र द्वारा निवल विदेशी मुद्रा अर्जन (पैराग्राफ 7.3 से 7.24)।**

### 7.3 भूमिका

आतिथ्य उद्योग सेवा उद्योग में एक विस्तृत श्रेणी है जिसमें अस्थायी आवास, कार्यक्रम आयोजन, थीम पार्क, परिवहन, समुद्री पर्यटन, तथा पर्यटन उद्योग में अतिरिक्त क्षेत्र शामिल हैं। एक आतिथ्य इकाई जैसे एक रेस्त्रा, होटल, यहाँ तक कि एक मनोरंजन पार्क में अनेक समूह शामिल होते हैं जैसे सुविधा रखरखाव, परिचालन (सर्वर, हाउसकीपर, पोर्टर, रसोई, शराब घर के परिचारक इत्यादि) प्रबंधन, विपणन एवं मानव संसाधन। भारतीय आतिथ्य क्षेत्र द्वारा भारतीय जीडीपी में 8-9 प्रतिशत तक योगदान का अनुमान है। 2011 से 2013 की अवधि के दौरान 19.84 मिलियन विदेशी पर्यटकों ने भारत की मात्रा की तथा कुल अर्जित विदेशी विनिमय ₹ 279749<sup>17</sup> करोड़ था। भारत 1.61 प्रतिशत के औसत हिस्से के साथ विश्व पर्यटन प्राप्तियों में 16 वें स्थान पर है। जबकि समान अवधि के दौरान एशिया तथा प्रशान्त महासागर क्षेत्र में पर्यटन प्राप्तियों में 5.45 प्रतिशत के औसत हिस्से के साथ इसका स्थान 8वाँ था।

<sup>17</sup> स्रोत: एक नजर में भारतीय पर्यटन साँख्यिकी-2011, 2012 तथा 2013, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार

आतिथ्य क्षेत्र के विकास के बिना यात्रा एवं पर्यटन में वृद्धि के अवसरों को संपादित नहीं किया जा सका। सेवा क्षेत्र के लिए निर्यात प्रोत्साहन उपायों को मुख्यतः एसएफआईएस तथा ईपीसीजी योजना के अन्तर्गत कवर किया गया है। इन दो योजनाओं (आतिथ्य क्षेत्र सहित) के अन्तर्गत कुल शुल्क तालिका 7.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 7.1-पूर्व निश्चित शुल्क

पूर्वनिश्चित शुल्क	(करोड़ ₹)			
	2011-12	2012-13	2013-14	कुल
ईपीसीजी	9672	11218	8990	29880
एसएफआईएस	555	590	639	1784
<b>कुल</b>	<b>10227</b>	<b>11808</b>	<b>9629</b>	<b>31664</b>

स्रोत: केन्द्रीय प्राप्ति बजट, सीबीईसी डीडीएम

**7.4** विदेशी व्यापार नीति के वार्षिक पूरक 2013-14 की हाईलाइट्स की घोषणा करते समय, यह घोषित किया गया था कि एसएफआईएस योजना के अन्तर्गत सेवा प्रदाता एक वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित मुक्त विदेशी विनिमय के 10 प्रतिशत की दर से योजना के अन्तर्गत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के हकदार हैं। 18 अप्रैल 2013 से प्रभावी हकदारी अर्जित किये गए कुल विदेशी विनिमय के आधार पर गिनी जानी है (अर्थात् वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित कुल विदेशी विनिमय से खर्च किये गए विदेशी विनिमय को घटाने के बाद)।

**7.5** दिनांक 24 दिसम्बर 1998 के नीति परिपत्र सं. 60/97-2002 के अनुसार ईपीसीजी योजना के उद्देश्य से रुपये में भुगतान की विभिन्न श्रेणियाँ जो अर्जित विदेशी विनिमय के रूप में समझी जाएँगी, निम्नलिखित हैं:-

- विदेशियों से नकदीकरण प्रमाणपत्र के प्रति भारतीय रुपये में प्राप्त भुगतान।
- विदेशी पर्यटकों के होटल में रुकने से अर्जित ट्रेवल एजेंट/टूर ऑपरेटर से भारतीय रुपये में प्राप्त भुगतान (आयकर अधिनियम की धारा 80 एचएचडी के अन्तर्गत विदेशी विनिमय माना गया)।
- (क) वायु/उड़यन खानपान इकाई, स्टेण्ड एलोन तथा अन्य एवं (ख) होटलों द्वारा विदेशी विमान सेवा के विदेशी विमान कर्मियों के ठहरने से उनके प्रत्यावर्तन योग्य अर्जन के प्रति भारतीय रुपये में प्राप्त भुगतान।



- राजनयिकों, राजदूतों, यूएन संगठनों के परिवर्तनीय विदेशी विनिमय में से उनसे भारतीय रूपये में प्राप्त भुगतान।  
मुद्रा परिवर्तक लाइसेंस के माध्यम से अर्जित विदेशी विनिमय (होटल बिलों के प्रति नहीं) को ईपीसीजी योजना के उद्देश्य से विदेशी विनिमय अर्जन के रूप में नहीं माना जाएगा। उपरोक्त सेवाओं के संबंध में लाइसेंस धारक को बैंक से प्रमाणपत्र के बदले में एक सीए प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

## 7.6 लेखापरीक्षा उद्देश्य

- क्या आतिथ्य क्षेत्र विदेशी व्यापार नीति (एफटीपी) दिशानिर्देशों के अनुसार विदेशी विनिमय अर्जन के उद्देश्य से मुख्यतः दो योजनाओं: निर्यात प्रोत्साहन पूँजीगत माल (ईपीसीजी) तथा भारत से सहायता प्राप्त योजना (एसएफआईएस) के अन्तर्गत विदेशी व्यापार नीति (एफटीपी) के शुल्क लाभों से सरल बना है।
- आतिथ्य क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं द्वारा विदेशी विनिमय अर्जन को प्रोत्साहित करने के लिए क्या आन्तरिक नियंत्रण प्रणालियाँ तथा निगरानी तंत्र प्रभावशाली हैं।
- क्या हकदार सेवा प्रदाताओं जैसे होटल रेस्त्रॉ, टूर आपरेटरों इत्यादि द्वारा व्यापार की श्रेणी से संबंधित योग्य मदों के आयात के लिए निर्धारित प्रावधानों के अनुसार शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स का प्रयोग किया गया है।

## 7.7 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

ईपीसीजी एवं एसएफआईएस लाइसेंसों के विदेशी विनिमय अर्जनों एवं प्रशासन तथा क्रियान्वयन में शामिल विभिन्न एजेन्सियों अर्थात् डीजीएफटी के स्थानीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण (आरएलए), सीमाशुल्क पत्तन एवं बैंक, आतिथ्य क्षेत्र में सेवा प्रदाता/लाभार्थी तथा 2005-07 के दौरान जारी किए गए ईपीसीजी लाइसेंसों (6-8 वर्ष के ईओं अवधि मानते हुए) के अभिलेखों की जाँच की गई थी। 2012-14 की अवधि के दौरान छुड़ाए गए ईपीसीजी लाइसेंसों तथा 2012-13 एवं 2013-14 की अवधि के दौरान जारी किये गए एसएफआईएस लाइसेंसों की जाँच की गई थी।

## 7.8 लेखापरीक्षा कार्यपद्धति एवं नमूना चयन

(i) ईपीसीजी के मामले में, 2005-06 एवं 2006-07 के दौरान जारी किये लाइसेंस पूर्वनिश्चित शुल्क, निर्यात दायित्व एवं अर्जित विदेशी विनिमय के आधार पर चयनित किये गए थे। ईपीसीजी अनुज्ञप्तियाँ जिनमें बचाया गया शुल्क ₹ 100 करोड़ अथवा अधिक है, जहाँ ईओ अवधि 12 वर्ष है, की अलग जाँच की गई थीं।

(ii) एसएफआईएस के मामले में, 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान जारी किये गए लाइसेंस संबंधित वित्तीय वर्ष में अर्जित विदेशी विनिमय के प्रति लाइसेंस धारकों को जारी किये गए शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के सीआईएफ मूल्य के आधार पर चयनित किये गए थे।

(iii) नमूना चयन लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से किया गया था।

## लेखापरीक्षा टिप्पणियां

7.9 लेखापरीक्षा ने देखा कि एसएफआईएस एवं ईपीसीजी योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त किया गया शुल्क लाभ ₹ 31664.64 करोड़ तक था। तथापि, डीजीएफटी ने आतिथ्य क्षेत्र में प्राप्त किये गए लाभ के आँकड़ों को पृथक्कृत नहीं किया था। इस प्रकार, यह इस बढ़ते क्षेत्र के प्रभाव तथा महानिदेशालय विदेशी व्यापार (डीजीएफटी) द्वारा निर्धारित एफटीपी के साथ इसके संबंध को जानने की स्थिति में नहीं होगा। डीओसी द्वारा गठित किये गए कार्यबलों ने भी आतिथ्य क्षेत्र की कार्यसम्पादन लागत को पुनर्गठित करने के लिए इसकी जाँच करने की आवश्यकता नहीं समझी। जबकि आतिथ्य क्षेत्र जीडीपी की 8-9% की दर पर ₹ 279749 करोड़ (2011-13) तक एफईई के साथ वृद्धि करता हुआ एक उभरता क्षेत्र है।

## 7.10 आन्तरिक नियंत्रण एवं निगरानी

हमने देखा कि राजस्व सर्जन में किसी निसरण अथवा शुल्क लाभों के दुरुपयोग से बचने के लिए नियंत्रण ढीला था। कुछ मामले नीचे दर्शाए गए हैं।

### 7.10.1 आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रियाएँ एवं आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

डीजीएफटी ने जनवरी 2000 में एक निर्देश जारी किया था जिसके तहत आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों की सत्यता सुनिश्चित करने हेतु जारी किये गए लाइसेंसों के पाँच प्रतिशत की नमूना लेखापरीक्षा के उद्देश्य से सभी आरएलएज में एक पश्च निर्गम लेखापरीक्षा विंग (पीआईएडब्ल्यू) का गठन किया जाना आवश्यक था। अनुभागों के एफटीडीओज प्रत्येक माह की 1 एवं 16 तारीख को यादृच्छ आधार पर लेखापरीक्षा हेतु न्यूनतम पाँच प्रतिशत फाइलों का चयन करके फाइलों की एक सूची सर्जित करते हैं। तदनुसार विशिष्ट अनुभाग एवं विशिष्ट योजना हेतु अनुज्ञप्ति सूची सर्जित की जानी हैं। अनुभाग प्रस्तुत किये गए सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों जैसे आरसीएमसी, बीआरसीज/एफआईआरसीज, शिपिंग बिल/निर्यात बिल, विभिन्न अधिकारियों के पास पंजीकरण की यथार्थता की जाँच करेंगे। जैसाकि दिनांक अगस्त 2007 के परिपत्र द्वारा निर्धारित किया गया है, प्रक्रिया की प्रगति को दर्ज करने तथा निगरानी हेतु एक अलग रजिस्टर अनुरक्षित किया जाना है।

7.10.2 स्थानीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी (अहमदाबाद एवं वडोदरा) चयनित 5 प्रतिशत ईपीसीजी/एसएफआईएस लाइसेंस फाइलों की लेखापरीक्षा नहीं कर रहे थे। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत किये गए महत्वपूर्ण दस्तावेजों जैसे आरसीएमसी, बीआरसीज/एफआईआरसीज तथा विभिन्न अधिकारियों के पास पंजीकरण की सत्यता की दो तरफा जाँच भी नहीं की गई थी। प्रक्रिया की प्रगति को दर्ज करने एवं निगरानी करने के लिए एक अलग रजिस्टर या तो बनाया नहीं गया था अथवा जहाँ बनाया गया था, वहाँ आवधिक प्रविष्टियाँ नहीं की गई थीं। इसके अतिरिक्त आरएलए बेंगलौर में पश्चनिर्गम लेखापरीक्षा विंग (पीआईएडब्ल्यू) की स्थापना भी नहीं की गई थी। आरएलए, बेंगलौर ने पीआईएडब्ल्यू के पुनर्गठन की सूचना दी है (नवम्बर 2014)।

आरएलए, अहमदाबाद ने बताया (जून 2014) कि मामले की जाँच के बाद विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा। आरएलए, वडोदरा ने बताया कि उन्होंने पश्च निर्गम लेखापरीक्षा हेतु यादृच्छ आधार पर 5 प्रतिशत फाइलों का चयन किया है तथा आरसीएमसी, बीआरसीज/एफआईआरसी एवं शिपिंग बिल/निर्यात

बिल की जाँच हेतु संबंधित अधिकारियों को सूचना दी। विभाग द्वारा एक रजिस्टर भी बनाया गया था।

आरएलए, वडोदरा का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार ना तो पश्चनिर्गम लेखापरीक्षा विंग (पीआईएडब्ल्यू) स्थापित की गई थी एवं ना ही कोई रजिस्टर बनाया गया था। इसके अतिरिक्त मई 2012 के बाद से रजिस्टर में कोई प्रविष्टि नहीं थी।

**7.10.3** आरएलए, जयपुर में ईपीसीजी योजना के तहत अनुज्ञप्तियों के दुरुपयोग के संबंध में दिनांक 16 नवम्बर, 2005 के डीआरआई पत्र सं. 840/जेपीआर/19-XVIII/2004/1842 के आधार पर मै. नार्थवेस्ट मारवाड़ रिसार्ट एण्ड हेल्थस्पा (पी) लि. को एक कारण बताओ ज्ञापन जारी किया था। मामले को जून 2006 में सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निपटान आयोग, मुख्य न्यायाधीश, नई दिल्ली में भी दर्ज किया गया था। फाइलों में उपलब्ध विवरण के अनुसार देयता के लिये स्वीकार ₹ 120.72 लाख में से, ₹ 92.54 लाख का जांच के दौरान भुगतान करना नियत हुआ था और ₹ 28.18 लाख वसूली के लिये लंबित था।

आरएलए, जयपुर ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया और कहा कि फरवरी 2007 के बाद इन मामलों की अद्यतनीकृत स्थिति उपलब्ध नहीं थी। आरएलए ने इसके अतिरिक्त कहा कि उन मामलों में डीआरआई कार्यालय से अद्यतनीकृत स्थिति मांगी जा सकती है।

तथ्य है कि वसूली के मामलों की कमजोर निगरानी के परिणामस्वरूप सात वर्ष समाप्त होने के बाद भी वसूली में विलंब हुआ। सभी लेखापरीक्षा निष्कर्षों में, प्रवर्धित किया गया कि लेखापरीक्षा के बाद के लिये निर्धारित प्रतिशतता का पालन किया गया था।

### **7.11 आरएलए और सीमाशुल्क/सेवाकर विभाग के बीच तालमेल की कमी**

ईपीसीजी के संबंध में निगरानी तंत्र में कमी/अपर्याप्तता देखी गई और अनुवर्ती पैराग्राफ में स्पष्ट की गई है, एसएफआईएस, निगरानी में शामिल नहीं है क्योंकि यह निर्यात के बाद की योजना है लेकिन लेखापरीक्षा में जांच की गई 13 एसएफआईएस फाइलों में से 12 में, सेवाप्रदाताओं द्वारा एफटीपी के पैरा 3.12.6 के अंतर्गत निर्धारित अनुसार 'निर्यात का विवरण' प्रस्तुत नहीं किया गया।

जहां तक आयात और निर्यात से संबंधित सजीव आंकड़ों के स्थानांतरण के साथ-साथ लाइसेंस के ऑनलाइन संचार का संबंध है, ईडीआई प्रणाली इडीआई सक्षम पत्तनों के मामले में आरएलए और सीमाशुल्क के बीच लाइसेंस और आयात के ऑनलाइन संचार के लिये है लेकिन आरएलए कोलकाता में यह देखा गया कि निर्यात से संबंधित सजीव आंकड़ों के विनिमय के लिये कोई प्रणाली नहीं है। यद्यपि, सेवाओं को आयात के मामले विशेष रूप से आतिथ्य क्षेत्र द्वारा प्रदान की गई सेवाओं में, विदेशी मुद्रा प्राप्ति पर आरबीआई का और ऐसी सेवा प्रदाताओं द्वारा लेन-देन (जहां पोत परिवहन पत्र की आवश्यकता नहीं होती) में सीमाशुल्क विभाग की कोई भागीदारी नहीं होती। न ही आतिथ्य सेवा क्षेत्र द्वारा प्राप्त एफई सेवा की आयातक या सेवाप्रदाता द्वारा भरे जाने वाले अपेक्षित सेवा कर फार्म (एसटी-3) के साथ तुलना की गई थी।

#### **7.12 इपीसीजी/एसएफआईएस योजना की अनुचित निगरानी और कार्यान्वयन**

आरएलए कोलकाता में लेखापरीक्षा में देखा कि आंकड़े/जानकारी अर्थात् बीआरसी और एसएफआईएस/इपीसीजी योजनाओं के अंतर्गत पात्रता निर्धारित करने के लिये आयातकों द्वारा प्रस्तुत अन्य संबंधित दस्तावेजों की सत्यता की पुष्टि (आवेदको से पत्राचार के अलावा अन्य) के लिये आरएलए में कोई प्रणाली नहीं थी। संपूर्ण निर्भरता प्रदान की गई सेवाओं के प्रकृति से सेवा प्रदाताओं द्वारा घोषणा और एसएफआईएस शुल्क क्रेडिट प्रमाणपत्र/निर्धारण के अनुदान के लिये सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित आयात के विवरण और इपीसीजी योजना के मामले में औसत आयात पर थी।

वार्षिक लेखे, बीआरसी, आईटी रिटर्न और विदेशी आवक विप्रेषण प्रमाणपत्र जैसे अन्य वैधानिक दस्तावेजों के साथ इन घोषणाओं के सहसंबंध के लिये नियंत्रण का अभाव जोखिम क्षेत्र है जिस पर विचार करना आवश्यक है। ऐसा आतिथ्य क्षेत्र की सेवाओं के आयात के मामले में और अधिक है जिसमें लेन-देन में सीमाशुल्क विभाग की कोई भूमिका नहीं है और वहां भी जहां लंबित विदेशी विनिमय के मामले, यदि कोई हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बकाया विवरण में नहीं दर्शाये गये हैं।

उदाहरण के लिये, मैसर्स पारिख इन प्राइवेट लिमिटेड, जमशेदपुर (आरएलए कोलकाता) के मामले में, यह देखा गया कि पूंजीगत माल के निर्यात के लिये बीजक वेलकम ग्रुप द्वारा फार्चून होटल सेन्अर पॉइंट की ओर से आवेदन को संबोधित किया गया था और सनदी लेखाकार द्वारा जारी प्रमाणपत्र के अनुसार पूंजीगत माल फार्चून होटल में स्थापित किया गया था।

इसी प्रकार, मैसर्स सिंसियर डिवेलपर प्राइवेट लिमिटेड को दिये गये एसएफआईएस के लाभ के मामले में एफआईआरसी के अनुसार होटल रेडिसन आगरा सेवा प्रदाता था। पुनः, जबकि हयात रिजेंसी, कोलकाता सेवा प्रदाता था, दावा मैसर्स एशियन होटल (ईस्ट) लिमिटेड द्वारा किया गया था।

इन सभी मामलों में, आवेदक-दावेदार और सेवा प्रदाता के बीच संबंध अभिलेखों में नहीं था। इसके अतिरिक्त, आवेदक के आईईसी में दावेदार की शाखा/इकाई के रूप में वास्तविक सेवाप्रदाता का नाम नहीं दिया था। इन मामलों में, यह भी स्पष्ट नहीं था कि क्या दावेदार ने योजना के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार पात्र और स्वीकार्य के अलावा दूसरे व्यापार से विदेशी मुद्रा अर्जित की। पता लगाने के लिये कि क्या योजना के अंतर्गत लाभ वास्तविक उपयोगकर्ता/लाइसेंस धारक द्वारा उठाया जा रहा है विभाग के पास कोई तंत्र नहीं है।

### **7.13 निर्यात की तुलना में वास्तविक क्रम से उगाही की गई विदेशी मुद्रा**

डीजीएफटी के पास प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में आतिथ्य क्षेत्र द्वारा वास्तव में प्राप्त विदेशी मुद्रा की पूर्ण जानकारी नहीं है। यह आतिथ्य क्षेत्र के संबंध में योजना की सफलता के मूल्यांकन के लिये उचित उपाय होगा।

#### **अनुपालन मामले**

लेखापरीक्षा में देखा गया कि इपीसीजी और एसएफआईएस योजनाओं के एफटीवी प्रावधान का पालन कई मामलों में नहीं किया जा रहा था जिसके परिणामस्वरूप एफई लाभ में गिरावट आई और लाइसेंस धारक को अनुचित लाभ मिला।

### **भाग- । निर्यात सवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी)**

#### **7.14 ₹ 110.54 लाख तक की राशि की निर्यात देयताओं का अनियमित/कम निर्धारण**

पूंजीगत माल की घरेलू मांग के मामले में, निर्यात देयताएँ एफओआर मूल्य (पैरा 5.7 एफटीपी) पर अनुमानित सीमा शुल्क के संदर्भ में मानी जायेगी।

**7.14.1** दो मामलों में (आरएलए, अहमदाबाद और बड़ोदरा प्रत्येक का एक लाइसेंस) स्वदेशी स्रोतों से खरीद के लिये लाइसेंस धारकों ने अपने ईपीसीजी लाइसेंस अवैध कर दिये और ईओ पूंजीगत माल पर लागू केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सीमाशुल्क को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया था। यह देखा गया कि अनुमानित सीमाशुल्क के आधार पर ईओ का निर्धारण न करने के परिणामस्वरूप शुल्क की कम घोषणा से ₹ 5.81 लाख तक बचाया गया और ₹ 46.49 लाख की सीमा तक ईओ का कम निर्धारण बताया गया। विभाग ने इन लाइसेंसों के लिये ईओडीसी भी जारी किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 38.41 लाख की निर्यात देयता की कम पूर्ती हुई।

#### **7.15 वास्तविक उपयोगकर्ता शर्तों का उल्लंघन**

वास्तविक उपयोक्ता शर्तों को उल्लंघन पूंजीगत माल का आयात निर्यात दायित्व पुरा होने तक वास्तविक उपयोक्ता शर्त के अधीन होगा (एफटीपी का पैरा 5.4)।

जेडीजीएफटी, त्रिवेन्द्रम ने ₹ 45.72 लाख की बचाई गई शुल्क राशि के लिये ₹ 365.77 लाख के विशेष निर्यात दायित्व के साथ मैसर्स डोडला इंटरनेशनल लिमिटेड, (आईईसी संख्या 0405007884) को पांच प्रतिशत ईपीसीजी अधिकार पत्र (लाइसेंस संख्या 5330000997 दिनांक 22 सितम्बर 2006) जारी किया। लाइसेंस धारक ने ₹ 45.55 लाख की वास्तविक बचाई गई शुल्क राशि के लिये अक्टूबर 2006 से जनवरी 2007 के दौरान पूंजीगत माल आयतित किया।

इस बीच, मै. ऑरिएन्टल होटल लिमिटेड ने जेडीजीएफटी, तिरुवेन्द्रम को सूचना दी की मै. डोडला इंटरनेशनल लिमिटेड ने उनको सम्पत्ति पट्टे पर दी थी और मै. डोडला इंटरनेशनल के इओ को मै. ऑरिएन्टल होटल्स लिमिटेड को हस्तांतरित करने के लिए डीजीएफटी को आवेदन फाइल किया (सितम्बर 2010)।

इपीसीजी समिति ने मैसर्स डोडला इंटरनेशनल लिमिटेड को जारी अधिकार पत्र के प्रति लगाये गये इओ को मैसर्स ओरिएण्टल होटल्स लिमिटेड को स्थानांतरित करने की अनुमति देने का निर्णय (पत्र संख्या 01/36/218/151/एमए-11/इपीसीजी-। दिनांक 21 दिसम्बर 2011) लिया, जैसा इपीसीजी लाइसेंस के अनुमोदन से पूर्व लागू हो नई बैंक गारंटी/एल्यूटी के प्रस्तुतीकरण की शर्त पर। यद्यपि ढाई वर्ष बीत चुके हैं, मैसर्स ओरिएण्टल होटल लिमिटेड ने इस संबंध में कोई बीजी/एल्यूटी निष्पादित नहीं किया था।

डीजीएफटी ने इपीसीजी समिति के निर्णय के अनुसार मै. ओरिएण्टल होटल्स लि. द्वारा नए बीजी /एल्यूटी के अनुपालन के बारे में तथ्य को स्वीकार करते समय बताया (जनवरी 2015) कि स्टार एक्सपोर्ट हाउस होन के नाते बीजी /एल्यूटी से छूट के लिए फर्म के निवेदन की जांच की जा रही है। हालांकि, यह दावे के साथ कहा गया कि नए बीजी/एल्यूटी का कार्यान्वयन इस चरण पर प्रासंगिक नहीं है क्योंकि (i) मै. ओरिएण्टल होटल्स ने सीमा शुल्क के साथ पहले ही बीजी कार्यान्वित की है जिसका भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जबतक आरएलए द्वारा छूट नहीं दी जाती और (ii) फर्म ने निर्धारित इओ को पूरा करते हुए दस्तावेजों को प्रस्तुत किया है जो समीक्षाधीन है। डीजीएफटी ने आगे कहा कि इपीसीजी समिति इओ के हस्तांतरण पर विचार कर रही थी और इपीसीजी लाइसेंस पर नहीं।

डीजीएफटी के उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाए कि मै. डोडला इंटरनेशनल लिमिटेड को इपीसीजी लाइसेंस जारी किया गया था और उसने शुल्क लाभों को प्राप्त किया था किन्तु वह निर्धारित इओ को पूरा करने में विफल रहा जिसके लिए लाइसेंसिंग अधिकारण द्वारा कार्यवाई नहीं की गई है। बाद में मै. ओरिएण्टल होटल्स लिमिटेड ने इपीसीजी समिति द्वारा लगाई गई शर्तों (नई बीजी/एल्यूटी) को पूरे किए बिना मै. डोडला इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा आयात किए गए माल का उपयोग करना जारी रखा और तत्पश्चात अपने पक्ष में इपीसीजी लाइसेंस के समर्थन के बिना इओ को पूरा करने का दावा किया। यह ज्ञात नहीं है कि डीजीएफटी उनके पक्ष में इपीसीजी लाइसेंस के समर्थन के बिना मै. ओरिएण्टल होटल्स लिमिटेड को इओ के हस्तांतरण पर विचार कैसे कर रहा है।



## 7.16 निर्यात देयता की निगरानी

### 7.16.1 निर्यात देयता को पूर्ण न करना

ईपीसीजी अधिकार-पत्र धारक अधिकार (एचबीपी खण्ड-1 के पैरा 5.8) की तिथि से 1 से 6 वर्ष के ब्लाक में 50 प्रतिशत निर्यात देयता पूरी करेगा। जहां किसी विशेष वर्ष के ब्लॉक में निर्यात देयता पूर्ण नहीं की गई हो ऐसे अधिकार-पत्र धारक वर्ष का ब्लॉक समाप्त होने से तीन महीने के अंदर, माल पर वसूली योग्य शुल्क के उस अनुपात जो समान अनुपात वहन करता है जैसा निर्यात देयता का अपूर्ण भाग कुल निर्यात देयता के लिये वहन करता है के बराबर राशि के प्रयोज्य ब्याज के साथ सीमाशुल्क को शुल्क का भुगतान करता है।

जेडीजीएफटी कार्यालय वाराणसी में ₹ 59.77 लाख की निर्धारित निर्यात देयताएँ माल होटल वाराणसी कैंट (लाइसेंस संख्या 1530000229 दिनांक 19 अप्रैल 2006) द्वारा पूरी नहीं की गई थी। इसी प्रकार जेडीएफटी त्रिवेन्द्रम में दो मामलों में ₹ 420.49 की निर्यात देयताओं को पूर्ण करने के तथ्य ईओ अवधि समाप्त होने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

आरएलए कोलकाता में अगस्त 2005 और जनवरी 2006 के बीच चार ईपीसीजी अधिकार-पत्र दो सेवा प्रदाताओं मैसर्स होटल हिन्दुस्तान इंटरनेशनल, कोलकाता, (3 संख्या) और मैसर्स स्पेशिएलिटी रेस्टोरेन्ट (प्राइवेट) लिमिटेड को जारी किये गये थे। अधिकार-पत्र धारक अधिकार-पत्र की शर्तें पूर्ण करने में विफल रहे, सीमाशुल्क की ₹ 15.37 लाख की पूर्व निश्चित राशि के साथ उस पर ₹ 18.47 लाख (जून 2014) के ब्याज सहित कुल ₹ 33.84 लाख की वसूली की जानी थी। जून 2006 और मार्च 2008 के बीच अन्य 13 ईपीसीजी अधिकार-पत्रों में मैसर्स होटल हिन्दुस्तान इंटरनेशनल और दो अन्य पर विभिन्न पूंजीगत माल के आयात के लिये ₹ 85.80 लाख की बचाई गई राशि है। अधिकार पत्र धारक ने पहले ब्लाक (1 से 6 वर्ष में 50 प्रतिशत) के लिये निर्धारित ईओ को पूरा करने के तथ्य प्रस्तुत नहीं किये थे। उसने एचबीपी, खण्ड-1 के पैरा 5.9.1 के अनुपालन में वार्षिक प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की थी। इसलिये, अधिकार-पत्र धारक ₹ 42.96 लाख के पूर्वनिश्चित (अर्थात कुल पूर्वनिश्चित शुल्क का 50 प्रतिशत) यथोचित सीमा शुल्क और उस पर ब्याज का भुगतान करने के दायी थे।

आरएलए बेंगलुरु में, तीन मामलों के संबंध में, यह देखा गया कि ₹ 549.61 लाख की देयता को अंतिम तिथि के बाद भी ब्लॉक वार पूरा नहीं किया गया था जिसमें ₹ 68.70 लाख की बचाई गई राशि शामिल है। आरएलए ने सूचित (नवम्बर 2014) किया कि एससीएन जारी कर दिया गया है।

डीजीएफटी, नई दिल्ली ने सूचना दी (जनवरी 2015) कि आरएलए, वाराणसी द्वारा जारी लाइसेंस के सम्बंध में सीमा शुल्क (आईसीडी, टीकेडी) से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रतीक्षित है। आरएलए, कोलकाता ने चार लाइसेंसों में सही एफआईआरसी की प्रस्तुति के लिए फर्मा को पत्र जारी किए है। आइएलए, बेंगलुरु ने बताया कि फर्मों ने सभी तीन लाइसेंसों में पहले ब्लाक में ही इओ को पूरा करते हुए दस्तावेज प्रस्तुत किए है।

लेखापरीक्षा लाइसेंस के निरस्तीकरण और इओ को पूरा करने के संबंध में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच करना चाहते है।

#### 7.16.2 वार्षिक प्रगति रिपोर्ट को प्रस्तुत न करना

ईपीसीजी अधिकार-पत्र धारक को जारी किये गये लाइसेंस के साथ-साथ निर्यात के प्राप्त (एचबीपी का पैरा 5.9.1) वार्षिक औसत स्तर के प्रति निर्यात देयता को पूर्ण करने में प्रगति पर रिपोर्ट, प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल तक लाइसेंसिंग प्राधिकरण को प्रस्तुत करनी होगी। रिपोर्ट डीजीएफटी वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत होगी। लाइसेंसिंग प्राधिकरण विशेष वर्ष में पूर्ण किये गये इओ की सीमा तक आंशिक इओ पूर्ति जारी कर सकता है।

वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट न तो अधिकार-पत्र धारक द्वारा प्रस्तुत की गई और न ही आरएलए द्वारा मांगी गई। आरएलए बेंगलुरु (11 मामले), आरएलए कोचिन (15 मामले), आरएलए त्रिवेन्द्रम (4 मामले) आरएलए, अहमदाबाद (1 मामले) और आरएलए, जयपुर (सभी लाइसेंस)।

डीजीएफटी, नई दिल्ली ने सूचना दी (जनवरी 2015) कि आरएलए, बेंगलुरु के 11 मामलों में से 4 मामलों में वार्षिक प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत नहीं की गई है हालांकि, इओ को पूरा करने वाले दस्तावेजों को प्रस्तुत किया गया, 3 मामलों में लाइसेंस धारकों को दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, 1 मामले में इओ को डिस्चार्ज किया गया है, 1 लाइसेंस को वापस कर दिया

गया है जबकि शेष एक मामले में फर्म ने 2007-08 के दौरान इओ का पूरा कर लिया है, इसलिए वार्षिक रिपोर्ट अपेक्षित नहीं थी।

आरएलए, कोचीन (15 मामलों) के संबंध में यह बताया गया कि 12 लाइसेंसों का पहले ही प्रतिदाय दिया गया है, इओ अवधि को 1 मामलों में सितम्बर 2015 तक बढ़ा दिया गया था जबकि 2 लाइसेंस-धारकों को अपने मामलों को विनियमित करने के लिए कहा गया है।

आरएल, तिरुवेंद्रम के चार मामलों में यह बताया गया कि वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट मांगी गई थी किन्तु अननुपालन के कारण लाइसेंस धारकों द्वारा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी। हालांकि दो मामलों में, इओ को पूरा किया गया है और लाइसेंसों को प्रतिदान कर दिया गया था, एक अन्य मामलों में प्रस्तुत किए गए इओ दस्तावेजों की संवीक्षा की जा रही है जबकि शेष 1 मामला निर्णयाधीन है।

आएलए, अहमदाबाद ने सूचना दी कि लाइसेंस वापस कर दिए गए हैं। आरएलए, जयपुर से उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2015)। तथ्य यह है कि मामलों को एफटीपी प्रावधानों और प्रतिक्रियाओं के अनुसार मॉनीटर नहीं किया गया था।

#### 7.17 नॉन ग्रुप कंपनी द्वारा ₹ 111.02 लाख के बचाये गये शुल्क के प्रति निर्यात देयता की अनुचित पूर्ति

निर्यात देयता तृतीय पक्ष { पैरा 6.5 (ii) 1997-2000} के माध्यम से लाइसेंस धारक से सीधे निर्यात के माध्यम से, ईपीसीजी योजना के अंतर्गत पूर्ण की जायेगी। यदि व्यापारी निर्यातक ईपीसीजी अधिकार पत्र धारक है। शिपिंग बिल में सहायक निर्माता का नाम भी दर्शाया जायेगा। निर्यात के समय, ईपीसीजी अधिकार पत्र संख्या और तिथि शिपिंग बिल पर पृष्ठांकित होनी चाहिये, जो निर्यात देयता की छूट के प्रति प्रस्तुत किये जाने प्रस्तावित है।

ग्रुप कंपनी जैसा एफटीपी के पैराग्राफ 9.28 में परिभाषित है, का अर्थ है दो या अधिक उपक्रम जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य उपक्रम में मताधिकार का 26 प्रतिशत या अधिक प्रयोग करने की स्थिति में है; या (ii) लाभ का दावा करने वाली ग्रुप कंपनियों या ग्रुप के अन्य सदस्यों द्वारा दावा किये जाने वाले लाभ के लिये अपने निर्यात की गिनती या अन्य उपक्रम के निदेशक मंडल के

सदस्यों की 50 प्रतिशत से अधिक नियुक्ति, ग्रुप कंपनी नीति में अधिसूचित किसी भी निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत आवेदन की तिथि से कम से कम दो वर्ष पूर्व से अस्तित्व में होना चाहिये, जहां लाइसेंस किसी ग्रुप कंपनी को जारी किया गया हो, निर्यात देयता ऐसी ग्रुप कंपनी से संबंधित किसी अन्य कंपनी द्वारा निर्मित माल के निर्यात से भी पूरी की जा सकती है।

आरएलए, भोपाल ने 2005-06 से 2006-07 की अवधि के दौरान पूंजीगत माल के आयात के लिये मैसर्स एंटरटेनमेंट वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर को ईपीसीजी लाइसेंस संख्या एएएसी 9739 केएसटी 001 जारी किया। अधिकार पत्र धारक ने अपनी ग्रुपकंपनी अर्थात मैसर्स फ्लेक्सिटफ इंटरनेशनल लिमिटेड पीथमपुर के माध्यम से निर्यात देयता पूर्ण की। संस्था ने अंतर्नियम और जापन से पता चला कि मैसर्स फ्लेक्सिटफ इंटरनेशनल लिमिटेड, पीथमपुर ग्रुप के रूप में स्वीकृत नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी पता चला कि अधिकार पत्र धारक आईटीसी एचएस कोड 94032090 अर्थात पर्यटन और यात्रा संबंधित सेवाओं के अंतर्गत मदों के निर्यात से संबंधित है और सहायक ग्रुप कंपनी मैसर्स फ्लेक्सिटफ इंटरनेशनल लिमिटेड पीथमपुर एचडीपीई/पीपी थैले बुनने/कपडे/पीपी बडे थैले आदि की निर्यातक है। लाइसेंस धारक ने इएक्सआईएम नीति के अनुपालन में, शिपिंग बिलों में सहायक निर्यातक कंपनी के रूप में लाइसेंस जारी करवाते समय न तो अपनी ग्रुप कंपनी बताई न ही दर्शाई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 111.02 लाख की सीमा शुल्क की अनुचित बचत हुई, विदेश व्यापार (विकास और नियम) अधिनियम 1992 की धारा के अनुसार उक्त नियम और जुर्माने के अनुसार ब्याज सहित वसूल किये जाने योग्य है।

डीजीएफटी, नई दिल्ली ने दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए बिना आरएलए भोपाल रिपोर्ट का उद्धरण देते हुए बताया (जनवरी 2015) कि मै. फ्लेक्सिटफ इंटरनेशनल लिमिटेड मै. एंटरटेनमेंट वर्ल्ड डेवलपर्स प्रा. लि. की ग्रुप कम्पनी है और मै. फ्लेक्सिटफ इंटरनेशनल लि. द्वारा विनिर्मित उत्पादों का निर्यात इओ को पूरा करने के लिए एफटीपी के पैरा 5.4 (i) के अन्तर्गत मात्र है।

लेखापरीक्षा मूल और स्थानांतरण दोनों के लिए अगले तीन वर्षों में ग्रुप कम्पनी की पात्रता और ग्रुप कम्पनी द्वारा प्राप्त किए गए औसत निर्यातों के

अलावा दिए गए निर्यात दायित्वों के संबंध में विभाग से दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करने के बाद निर्गम की पुनः जांच करेगी। जैसाकि एफटीपी के पैरा 5.4 (i) में परिकल्पित है।

### 7.18 निर्यात देयता निर्वहन प्रमाणपत्र जारी करने में विलम्ब

क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण 30 दिनों के अन्दर ईपीसीजी लाइसेंस में छूट के आवेदन के निपटान को सुनिश्चित करेगा। कमियां, यदि कोई हो, एक बार (एचबीपी का पैरा 5.13) में बतानी होगी। उसके बाद, कोई भी पत्र व्यवहार केवल इन कमियों से संबंधित होगा। नया पत्र व्यवहार, यदि आवश्यक हो, 15 दिनों के अंदर करना होगा। दस्तावेज पूर्ण होने पर, इओ पूर्ण दस्तावेज/जानकारी की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर छूट मिल जायेगी। निर्यात देयता या अधिकार पत्र के किसी अन्य शर्त पूरी करने में विफलता के मामले में, अधिकार पत्र धारक एफटीपी और सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (पैरा 5.17), के प्रावधानों, एफटी (डीएंडआर) अधिनियम 1992, इसके अधीन बनाये गये आदेशों और नियमों के अंतर्गत कार्यवाही के लिये जवाबदेह होगा।

अंतिम छूट प्रमाणपत्र/अस्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया शुरूआती अनुरोध की प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों की अवधि के अंदर पूर्ण करना होगा। आवेदन जो 90 दिनों की अवधि से अधिक अप्राप्त रहता है तत्पश्चात् तुरंत तत्संबंधी कारणों सहित डीजीएफटी को सूचित करना होगा।

आरएलए जयपुर में, लेखापरीक्षा ने देखा कि निम्नलिखित मामलों में निर्यात देयता छूट प्रमाणपत्र (ईओडीसी) ईओडीसी के लिये आवेदन की प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के बाद जारी किया गया और तत्संबंधी कारणों सहित कोई रिपोर्ट डीजीएफटी को नहीं भेजी गई (तालिका 7.2) :-

तालिका 7.2: निर्यात देयता निर्वाहन मामले

क्र. सं.	सेवाप्रदाता का नाम	लाइसेंस संख्या और तिथि	बचाये गये शुल्क की राशि (₹ लाख में)	छूट के लिये आवेदन प्राप्त करने की तिथि	इओडीसी जारी करने की तिथि	इओडीसी जारी करने में लिया गया समय (दिनों में)
1.	हेरिटेज इन प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर	1330001112 दिनांक 26.10.2005	11.42	02.09.08	13.05.09	254
2.	शायना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, जोधपुर	1330001178 दिनांक 02.02.2006	11.32	03.08.09	30.11.09	120

आरएलए जयपुर ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और उत्तर भेज दिया जायेगा।

## 7.19 भाग- II भारत से सेवित योजना (एसएफआईएस)

### 7.19.1 एसएफआईएस के उद्देश्यों के प्रति विदेशी ब्रांडों के संवर्धन के लिये ₹ 7589.49 लाख की राशि के शुल्क क्रेडिट का अनुचित अनुदान

एसएफआईएस का उद्देश्य सेवाओं के निर्यात के विकास में तेजी लाना है ताकि भारत से सेवित ब्रांड शक्तिशाली और अलग बने, शीघ्र स्वीकृत और दुनिया भर में (एफटीपी के पैरा 3.12.1) सम्मानित हो।

इस संबंध में, नीति विवेचन समिति ने 27 दिसम्बर 2011 को आयोजित अपनी बैठक के कार्यवृत्त संख्या 09/एएम 09 दिनांक 27.01.2009 और संख्या पीआईसी 10/एएम-12 के माध्यम से अलग 'भारत से सेवित' ब्रांड बनाने की एसएफआईएस योजना के मूल उद्देश्य स्पष्ट किया हैं और कहा है कि योजना वास्तव में भारतीय ब्रांड के प्रोत्साहन के लिये है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया कि एफटीपी का किसी भी ब्रांड जो भारत के बाहर बनी है को प्रोत्साहित करने का इरादा नहीं है। ऐसी भारतीय ब्रांड इतनी अलग होनी चाहिये ताकि सरलता से पहचानी जाये और दोनों घरेलू स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वयं के लिये अलग पहचान बनाये। अनिवार्य रूप से ऐसी ब्रांड को भारतीय छवि को सुधारना चाहिये और इसलिये एफटीपी ने 'भारत से सेवित' ब्रांड वाक्यांश का प्रयोग किया। समिति ने, इसलिये निष्कर्ष निकाला कि कंपनियां जो भारतीय ब्रांडों के रूप पहचान न हो, उस ब्रांड को

प्रस्तुत करती हैं, के एसएफआईएस लाभ की स्वीकृति योजना के पीछे उद्देश्य के साथ संगत नहीं होगा।

2011-14 के दौरान प्रतिष्ठित विदेशी ब्रांड होटल्स के नाम के ब्रांड प्रयोग करने वाले विभिन्न सेवा प्रदाताओं को इक्यानवे शुल्क क्रेडिट शेयर आरएलए मुंबई और पुणे और अन्य (आरएलए कोलकाता-8, आरएलए अहमदाबाद-5, आरएलए जयपुर-4, आरएलए बेंगलुरु-2) द्वारा 19 शेयर जारी किये गये। इसके परिणामस्वरूप इन 110 मामलों में ₹ 7598.49 लाख की राशि के शुल्क क्रेडिट शेयर का अनुचित अनुदान हुआ।

आरएलए, जयपुर ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया। आरएलए बेंगलुरु/कोलकाता ने कहा कि विदेश व्यापार नीति एसएफआईएस सहित अपनी योजनाओं के अन्तर्गत लाभों को प्राप्ति से संबंधित मामलों में विदेशी और भारतीय कम्पनी के बीच कभी भेद-भाव नहीं करती। ब्राण्ड का नाम प्रवृत्ति में अद्वितीय है और किसी देश से संबंधित नहीं है ये होटल भारतीय कम्पनियों के स्वाम्य वाले/उनके द्वारा प्रबंधित है जो इस ब्रांड का स्वाभी विदेशी कम्पनी के साथ करार के अन्तर्गत ब्राण्ड नाम में इन होटलों को चलाते हैं। तदनुसार, वे इस योजना के अन्तर्गत लाभों हेतु पात्र हैं।

आरएलए, बेंगलुरु/कोलकाता के उत्तर नीति व्याख्या समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों (09/एएम 09 और 10/एएम 12) के उल्लंघन में हैं और इसे इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाए कि एसएफआईएस के मूलभूत उद्देश्य एकमात्र 'सर्वडफ्रॉम इंडिया' ब्रांड का निर्माण करना है। अन्य आरएलए से उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2015)।

#### **7.19.2 ट्रेवल एजेंट के माध्यम से भारतीय रूपय/विदेशी मुद्रा में आय पर शुल्क क्रेडिट शेयर का अनुचित अनुदान**

- i. ₹ 290.50 लाख (आरएलए, मुंबई-28 मामले, ₹ 145.71 लाख, आरएलए, गोवा-27 मामले, ₹ 144.79 लाख) के 55 शुल्क क्रेडिट शेयर दूर ऑपरेटरों और ट्रेवल एजेंटों के माध्यम से भारतीय रूपय/विदेशी मुद्रा में आय पर छह सेवाप्रदाताओं को अनियमित रूप से जारी किये गये थे, जो लाइसेंस धारक से वसूली योग्य हैं।

- ii. आरएलए, जयपुर ने अपेक्षित शर्तों की पूर्ती किये बिना, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (आरटीडीसी), जयपुर को ₹ 335.46 लाख शुल्क क्रेडिट के लिये भारत से सेवित योजना (एसएफआईएस) का अधिकार पत्र जारी (दिसम्बर 2012) किया। आरटीडीसी पैलेस ऑन व्हील्स (भारतीय रेल के साथ संयुक्त उद्यम) की दूर संचालन सेवा से जुड़ा था और करार (जून 2009) के अनुसार आरटीडीसी के पास 44 प्रतिशत शेयर थे जबकि भारतीय रेल के पास 56 प्रतिशत शेयर। क्योंकि भारतीय रेल संयुक्त उद्यम की मुख्य शेयर धारक है, लेकिन उनसे अस्वीकरण प्रमाण पत्र न तो प्राप्त किया गया और न ही आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया। आरटीडीसी द्वारा प्रस्तुत आवेदन से पता चला कि 2011-12 के दौरान कुल अर्जित विदेशी मुद्रा ₹ 3354.61 लाख दर्शायी गई थी जिसमें अन्य ट्रेवल एजेंटों द्वारा अर्जित ₹ 2448.58 लाख शामिल था और आरटीडीसी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से केवल ₹ 906.03 लाख अर्जित था। विदेशी आवक प्रेषण प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। इन कमियों के बावजूद आरएलए ने आवेदन स्वीकार किया और एसएफआईएस के अंतर्गत अधिकार पत्र जारी किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 335.46 लाख शुल्क क्रेडिट शेयर का अनुचित अनुदान हुआ।

आरएलए, जयपुर ने दावे को इस आधार पर उचित (अप्रैल 2014) बताया कि आरटीडीसी विशेष रूप से संयुक्त उद्यम का आयोजन करता है और अर्जित विदेशी मुद्रा उनके खाते में प्रत्यक्ष रूप से जमा होती है, जिसका बाद में भारतीय रेल को भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त दोहराया कि ट्रेवल एजेंट जिन्हें विदेशी मुद्रा आय होती है एसएफआईएस के लिये भी पात्र थे और यह भी कहा कि सनदी लेखाकार के प्रमाणपत्र के अनुसार, कुल राशि आरटीडीसी लिमिटेड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा में प्राप्त हुई थी।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भारतीय रेल से अस्वीकरण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था यद्यपि आखिरकार भारतीय रेल को विदेशी मुद्रा आय का 56 प्रतिशत प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त आरटीडीसी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अर्जित विदेशी मुद्रा केवल ₹ 906.03 लाख थी तदनुसार उनसे



अस्वीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ट्रेक्ल एजेंटों द्वारा ₹ 2448.58 लाख विदेशी मुद्रा आय के लिये लाभ अनियमित/उचित नहीं था।

(iii) अन्य छह सेवा प्रदाताओं के मामले में ₹ 92.59 लाख के 50 शुल्क क्रेडिट शेयर होटल काउंटर पर होटल अतिथि द्वारा विदेशी मुद्रा के नकदीकरण पर अनुचित रूप से दिये गये।

आरएलए, मुम्बई ने मै. लक्ष्मी वैन्चर्स (इंडिया) को मांग एवं कारण बताओ नोटिस जारी किया जबकि अन्य स्क्रिप्स के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2015)।

(iv) आरएलए, मुंबई के अंतर्गत मैसर्स बीडीएंडपी होटल्स (आई) प्राइवेट लिमिटेड के मामले में ₹ 694.24 लाख (एशियन फोरेक्स प्राइवेट लिमिटेड से विदेशी मुद्रा के परिवर्तन से ₹ 168.94 लाख और चालक दल के आवास शुल्क के प्रति साऊदी अरेबियन एयरलाईंस से ₹ 525.30 लाख) का अनुचित प्रेषण कटौती के बिना शुल्क क्रेडिट शेयर जारी किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 69.42 लाख के शुल्क क्रेडिट का अधिक अनुदान हुआ।

(v) ₹ 217.67 की राशि के पांच शुल्क क्रेडिट शेयर सेवा प्रदाताओं को विभिन्न आरएलए (बडोदरा-1, अहमदाबाद-1, जयपुर-1, बेंगलुरु-1, चेन्नै-1) द्वारा जारी किये गये थे। इसमें से ₹ 17.29 लाख का शुल्क क्रेडिट एसएफआईएस लाइसेंसों में कवर न की गई अलग अवधि से संबंधित फीस को मिलाने के कारण अधिक जारी किया गया था।

आरएलए, जयपुर ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया, जबकि आरएलए चेन्नई ने वसूली नोटिस जारी किया और ₹ 4.57 लाख वसूल किए थे। आरएलए बेंगलुरु ने बताया कि फर्म ने पूर्ण रूप से स्क्रिप्स का उपयोग नहीं किया। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (जनवरी 2015)।

**7.20 निर्धारित दस्तावेजों के प्रस्तुत किये बिना शुल्क क्रेडिट स्क्रिप जारी करना**

**7.20.1 दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने के कारण समय बाधित दावों पर ₹ 60.87 लाख के शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का अनुचित अनुदान**

एसएफआईएस के लिये आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि वित्तीय वर्ष (एचबीपी खण्ड 1 का पैरा 3.6) के समाप्त होने से 12 महीने है। 2 वर्षों की अधिकतम अवधि तक आवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब एचबीपी के पैरा 9.3 में निर्धारित दर पर लंबित कटौती शुल्क लगाता है। इस प्रकार, दावे देय तिथि

समाप्त होने के केवल 2 वर्षों की अवधि के अंदर फाइल किये जा सकते हैं और देय तिथि से दो वर्ष समाप्त होने के बाद प्रस्तुत किये गये आवेदन पर अधिकार के लिये विचार नहीं किया जायेगा।

मैसर्स स्पेशियलिटी रेस्टोरेन्ट (प्राइवेट) लिमिटेड (मैनलैंड चाइना) को दो प्रतिशत दर पर विलम्ब कटौती के बाद आरएलए कोलकाता द्वारा ₹ 621.15 लाख के शुल्क के प्रति ₹ 60.87 लाख के लिये 13 (अलग) शुल्क क्रेडिट शेयर (संख्या 210194314-26 दिनांक 16 सितम्बर 2013) जारी किये गये। एसएफआईएस समिति (बैठक दिनांक 18.07.11) के निर्णय के आधार पर आरएलए ने एफआईओ की बजाय इपीसी (एसपीईसी) सेवा द्वारा जारी आरसीएमसी के लिये बुलाया (पत्र दिनांक 22.07.11)। ईपीसी सेवा, नई दिल्ली द्वारा 31 अगस्त 2012 को जारी आरसीएमसी बाद में प्रस्तुत दिनांक 2 सितम्बर 2013 के पत्र के माध्यम से आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्योंकि आरसीएमसी आवेदन फाइल करने की अंतिम तिथि से 2 वर्षों से अधिक समाप्त होने के बाद आरएलए को प्रस्तुत किया गया था, ₹ 60.87 लाख के लिये शुल्क क्रेडिट का अनुदान एचबीपी, खण्ड के पैरा 9.3 के अनुसार समय बाधित था।

मामला विभाग (सितम्बर 2014) के नोटिस में लाया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित (जनवरी 2015) है।

**7.20.2** एफटीपी के अंतर्गत लाभ के लिये आवेदन करने वाले निर्यातक को सक्षम प्राधिकारी (पीसी संख्या 27/2007 दिनांक 17 जनवरी 2008 के साथ पठित एफटीपी का पैरा 2.44) से, वैध (आवेदन की तिथि को) आरसीएमसी प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, एचबीपी खण्ड 1 के परिशिष्ट 2 में सचीबद्ध अनुसार विशेष सेवाओं को स्वयं को एसईपीसी के साथ पंजीकृत करना आवश्यक है। 'होटल और पर्यटन संबंधित सेवाएँ' 31 मार्च 2008 (सार्वजनिक सूचना संख्या 135 दिनांक 31 मार्च 2008) से परिशिष्ट 2 में क्रम संख्या 14 में विशेष रूप से शामिल है। इस प्रकार, एफटीपी के अंतर्गत किसी भी योजना का लाभ लेने के लिये, होटलों को एसईपीसी से आरसीएमसी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

मैसर्स वोलेड सिटी होटल प्राइवेट लिमिटेड, जोधपुर (एसएफआईएस लाइसेंस संख्या 1310045373 दिनांक 12 दिसम्बर 2013) के मामले में, विदेशी आवक प्रेषण प्रमाणपत्र प्राप्त/पार सत्यापन किये बिना ₹ 211.82 लाख की अर्जित विदेशी मुद्रा के प्रति ₹ 21.18 लाख का शुल्क क्रेडिट जारी किया गया था। आरएलए (मुंबई और गोवा) में अन्य छह मामलों में आयात विवरण प्राप्त किये बिना ₹ 247.23 लाख के लिये सेवा प्रदाताओं को शुल्क क्रेडिट शेयर जारी किया गया था।

अगस्त/जुलाई 2014 में बताये जाने पर, आरएलए जयपुर ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष स्वीकार किये जबकि आरएलए मुंबई/गोवा का उत्तर जनवरी 2015 तक प्रतीक्षित था।

#### 7.21 स्क्रिप के माध्यम से शुल्क क्रेडिट के प्रति देय ब्याज का अनुचित समायोजन

सीमाशुल्क विभाग को देय जुर्माने/ब्याज का केवल नकद (एफटीपी का पैरा 3.17.11) में भुगतान करना आवश्यक है।

आरएलए चेन्नै द्वारा मैसर्स अप्पू होटल्स लिमिटेड (आईईसी संख्या 0494016868) (अनुबंध-8) और अन्य तीन सेवा प्रदाताओं को अतिरिक्त शुल्क क्रेडिट स्क्रिप जारी किये थे। शुल्क क्रेडिट की इस अधिक राशि को बाद में पात्रता में शुल्क क्रेडिट की कटौती से समायोजित किया गया। यद्यपि, यह देखा गया कि इस राशि पर ब्याज उपरोक्त प्रावधान के अनुसार नकद में वसूली की बजाय शुल्क क्रेडिट सहित समायोजित भी किया गया।

इसी प्रकार के दो मामलों में (मैसर्स एपीए होटल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, मैसर्स एसएएस होटल्स एंड एंटरप्राइसेस लिमिटेड) (अनुबंध-9) अतिरिक्त राशि को समायोजित किया गया, परन्तु ब्याज की वसूली नहीं की गई (अनुबंध 9)।

संशोधित शुल्क क्रेडिट शेयर में राशि के समायोजन से समायोजित ब्याज की राशि एफटीपी के प्रावधानों के खिलाफ थी जबकि लाभार्थियों से ₹ 37.39 लाख वसूली योग्य है।

## 7.22 ₹ 65.79 लाख के विलम्ब शुल्क की गैर/कम उगाही

एचबीपी 2009-14 के पैराग्राफ 3.6(बी) के अनुसार, शुल्क क्रेडिट शेयर के लिये आवेदन संबंधित माह/तिमाही/अर्धवार्षिक/वर्ष के अंत से 12 माह के अंदर फाइल करना होगा। इसके अतिरिक्त, एचबीपी खण्ड-1 के पैराग्राफ 9.3 के अनुसार जब भी आवेदन अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद प्राप्त होता है, ऐसे आवेदन पर 2/5/10 प्रतिशत की दर पर विलम्ब शुल्क जो लागू हो लगाने के बाद विचार किया जा सकता है।

अनुबंध 10 में दर्शाए गए विभिन्न मामले आरएलए में देखे गये जहां एसएफआईएस शुल्क क्रेडिट शेयर के लिये आवेदन प्रस्तुत करने में विलंब के कारण विलंब शुल्क या तो वसूला ही नहीं गया था या कम वसूला गया था। तदनुसार, लाभार्थियों से कुल ₹ 61.44 लाख की विलंब शुल्क राशि वसूली योग्य है।

आरएलए जयपुर ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को सवीकार किया और आरएलए, मुम्बई ने मै. प्राइड होटल लि. के मामले में मांग नोटिस जारी किया। आरएलए पुदुचेरी ने मै; हाई डिजाइन इंडिया प्रा.लि. के मामले में ₹ 0.86 लाख की वसूली की सूचना दी। अगली प्रगति प्रतीक्षित थी (जनवरी 2015)।

## 7.23 नोटिस किये गये अन्य दिलचस्प बातें

### 7.23.1 दोनों एसएफआईएस और ईपीसीजी योजना के अंतर्गत लाभ का गलत अनुदान

ईपीसीजी योजना (एफटीपी आरई-2007) के पैरा 5.4 (v) के अनुसार, निर्यात देयता (औसत के अतिरिक्त) की पूर्ती के प्रति संचित विदेशी मुद्रा प्रचार साधन/योजनाओं के अंतर्गत प्रोत्साहन/पुरस्कार के लिये पात्र नहीं होंगी। यह अनुच्छेद एफटीपी आरई 2008 से हटा दिया गया था।

एसएफआईएस और ईपीसीजी अधिकार के अंतर्गत दोहरे लाभ देने के मामले में, डीजीएफटी ने नीति परिपत्र संख्या 15 (आरई-2008)/2004-2009 दिनांक 4 जुलाई 2008 जारी किया और स्पष्ट किया कि सेवाप्रदाता को ईपीसीजी अधिकार (औसत से अधिक, यदि है) के अंतर्गत लंबित ईओ की पूर्ती के लिये 01.04.2007 से 31.03.2008 के दौरान अर्जित विदेशी मुद्रा पहले उपयोग

करनी होगी और एसएफआईएस केवल 1.4.2007 से 31.03.2008 तक के दौरान अर्जित किसी भी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा के लिये पात्र होगा। तदनुसार, आरएलए को इपीसीजी अधिकार के अंतर्गत सभी लंबित ईओ के विवरण की मांग और वसूली करने यदि यह पाया जाये कि किसी विशिष्ट मामले में 2007-08 के दौरान अर्जित विदेशी मुद्रा के लिये अतिरिक्त एसएफआईएस लाभ पहले ही दे दिये गये हैं के लिये निर्देशित इसके अतिरिक्त, सेवाप्रदाताओं के इपीसीजी अधिकार में छूट के समय, आरएलए को सुनिश्चित करना चाहिये कि एसएफआईएस को 1.04.2007 से 31.08.2008 के दौरान अर्जित विदेशी मुद्रा का अनुदान नहीं किया गया है, जिसका प्रयोग अधिकार के प्रति लंबित ईओ की छूट के लिये किया गया था।

**7.23.2 छः** मामलों में (अनुबंध 11) वर्ष 2007-08 के लिये शुल्क 19 अप्रैल 2007 से शुरू एफटीपी 2009-14 के पैरा 5.4 (v) के पूर्वोक्त प्रावधान के प्रति अनुवर्ती वर्षों के लिये एसएफआईएस दावे के साथ-साथ इपीसीजी योजना के अंतर्गत निर्यात देयताओं के लिये माना गया था। इसके अतिरिक्त अनुवर्ती वर्ष में एसएफआईएस के अंतर्गत सीमाशुल्क के भुगतान के बिना किये गये निर्यात के साथ-साथ विशेष वर्ष में इपीसीजी योजना के अंतर्गत छूट के लिये निर्यात को मानना, इन लाभार्थियों द्वारा वास्तविक निर्यात और एक ही आय पर आधारित दो लाभ उठाने को संतुलित करता है। इसके परिणामस्वरूप शुल्क में कटौती हुई और एफटीपी के अंतर्गत दो योजनाओं के अपेक्षित उद्देश्य पूरे नहीं हुये।

#### **7.24 निष्कर्ष**

आतिथ्य क्षेत्र को विदेशी मुद्रा अर्जित करने के उद्देश्य से मुख्यतः दो योजनाओं; निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (इपीसीजी) और भारत से सेवित योजना के अंतर्गत विदेशी व्यापार नीति के शुल्क लाभ की सुविधा प्रदान की गई है।

वाणिज्य विभाग की आरएफडी/कार्यनीति योजनाएँ/परिणाम बजट के पास आतिथ्य क्षेत्र के लिए कोई विशेष योजना नहीं होती जो कि अग्रिम विकास और रोजगार उत्पाद की विशाल संभाव्यता के साथ वर्ष 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान ₹ 2,79,749 करोड़ की कुल विदेशी मुद्रा उपार्जन के साथ

जीडीपी में लगभग 8-9 प्रतिशत का योगदान करता है। एफटीपी के कारण आतिथ्य क्षेत्र में अर्जित एनएफई पर सूचना के लिए एकल बिंदु भी नहीं है।

लेखापरीक्षा अवलोकन आतिथ्य क्षेत्र को मदद कर रही मुख्यतः ईपीसीजी एवं एसएफआईएस योजनाओं को ही निहित कर रही है। ईपीसीजी योजना के तहत गलत/कम स्थिरीकरण एवं निर्यात बाध्यता की कम/गैर-पूर्ती देखी गई थी। एसएफआईएस के तहत, क्रेडिट स्क्रिप के गलत अनुदान के मामले, विदेशी ब्रैंड स्थापित कर चुके सेवा प्रदाता को क्रेडिट स्क्रिप जारी करने, गैर-कम विलम्ब शुल्क आदि लगाने के मामले देखे गए। आतिथ्य क्षेत्र में योजनाओं के अंतिम उपयोग पर आश्वासन पाने के आंतरिक नियंत्रण तंत्र को अनुपस्थित पाया गया।

उपरोक्त मामलों के अलावा, अंतर-विभागीय समन्वय, निगरानी और आंतरिक नियंत्रण में कमी के काफी मामले भी देखे गये जिसके कारण राजस्व प्रभाव होगा।

विभाग ने आतिथ्य क्षेत्र द्वारा उठाये गये लाभ और वसूले गये राजस्व के बारे में आश्वासन/परिणाम पाने के लिये डीजीएफटी-ईडीआई में या मैनुअली कोई भी प्रणाली नहीं बनाई जिससे विभाग को विभिन्न एफटीपी की क्षेत्रीय आवश्यकताओं को और अधिक सुधारने के लिए फीडबैक प्रदान किया जा सकता था।

## अध्याय VIII

### डीजीएफटी की ईडीआई प्रणाली की लेखापरीक्षा

#### 8 प्रस्तावना

महानिदेशक विदेश व्यापार (डीजीएफटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) बनाता और लागू करता है। इसके दिल्ली, मुंबई, चेन्नै और कोलकाता में 4 जोनल कार्यालयों सहित, पूरे देश में 36 क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण (आरएलए) कार्यालय हैं।

महानिदेशालय विदेश व्यापार (डीजीएफटी) ने कुछ निर्यात संवर्धन योजनाओं के लिये नब्बे के दशक के अंत में वेब आधारित एप्लीकेशन प्रोसेसिंग शुरू की। सभी 36 आरएलए कार्यालय कंप्यूटरीकृत और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के एनआईसीएनईटी सेवा के माध्यम से डीजीएफटी केन्द्रीय सर्वर से जुड़ा है। डीजीएफटी की ईडीआई प्रणाली राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के अंतर्गत ई-व्यापार, एकीकृत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी), का भाग है। यह प्रक्रिया को सरल करना, नियंत्रण और संस्था को सुविधा प्रदान करने से सेवा में इलेक्ट्रॉनिक वितरण शुरू करना उपयोगकर्ताओं को 24x7 उपयोग प्रदान करना, प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने, व्यापार लागत और समय कम करना और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को शुरू करना और कार्गो के आयात/निर्यात में बिक्री क्षेत्र में अभ्यास करना चाहता है। इस एकीकृत ईडीआई क्रियान्वयन से जुड़ी अन्य संस्थाएं हवाईअड्डा, एयरलाइन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, बैंक और आरबीआई, सीमाशुल्क, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकोर), डीजीएफटी, निर्यात संवर्धन संस्था, महानिदेशक वाणिज्यिक आसूचना और सांखिकी (डीजीसीआईएस) और अंतर्देशीय कंटेनर डियो (आईसीडी)/कंटेनर फ्रीट स्टेशन (सीएफएस), भारतीय रेल और पोर्ट ट्रस्ट हैं।

#### 8.1 डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली की मुख्य विशेषताएं

कार्यरत प्रणाली वास्तुकला केन्द्रीकृत सर्वर एप्लीकेशन, और वितरित कार्यों का मिश्रण है। डिजिटल हस्ताक्षर के लिये एप्लीकेशन को छोड़कर, जो कि आउटसोर्स की जाती है, सभी एप्लीकेशन एनआईसी द्वारा विकसित हैं। पूर्ण आंकड़े नई दिल्ली के केन्द्रीय सर्वर में स्टोर किये जाते हैं। प्रत्येक आरएलए से संबंधित डेटा प्रक्रमण के लिये संबंधित लाइसेंसिंग कार्यालय को वितरित किया

जाता है और संसाधित डेटा केन्द्रीय सर्वर को वापस किया जाता है। दो लाइसेंसिंग योजनाओं के अंतर्गत संसाधन और एप्लीकेशन की फाइलिंग आरएलए को डेटा स्थानांतरित किये बिना वेब पर केन्द्रीय सर्वर से प्रत्यक्ष रूप से की जाती हैं। डीजीएफटी वर्तमान में डीबी2 संस्करण 8.2 से स्थानांतरण के बाद आईबीएम डीबी2 9.7 इंटरप्राइस संस्करण डेटाबेस सॉफ्टवेयर प्रयोग कर रहा है। स्थानांतरण केन्द्रीय स्तर पर पूर्ण किया गया और आरएलए में प्रगति पर है।

डीजीएफटी का ईडीआई डेटा चार डेटाबेस अर्थात् डीजीएफटी एमएआईएन, डीजीएफटी आरएलए, ईबीआरसी और डीजीएफटी में स्टोर किया गया है। यद्यपि पहले तीन केन्द्रीय डेटाबेस का सेट तैयार करते हैं डीजीएफटी नामक डेटाबेस प्रत्येक क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण (आरएलए) के स्थानीय सर्वर में निहित है।

## **8.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली**

### **8.2.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य**

विषय आधारित लेखापरीक्षा डीजीएफटी की ईडीआई प्रणाली के नियंत्रण उद्देश्य पर आधारित प्रणाली लेखापरीक्षा करने के उद्देश्य से यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए की गई थी कि आईटी परिसंपत्तियों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त नियंत्रण हैं एवं डेटा/सूचना के आवश्यक गुण, प्रभावकारिता, क्षमता, गोपनीयता, सत्यनिष्ठा, उपलब्धता, अनुपालन एवं विश्वसनीयता के मामलों में बनाए रखे गए हैं।

### **8.2.2 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली**

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2011-12, 2012-13 और 2013-14 से संबंधित स्थानीय के साथ-साथ केन्द्रीय डेटा, में एसक्यूएल प्रश्नों का प्रयोग करते हुये विश्लेषण किया गया था और डेटा विश्लेषण से लेखापरीक्षा निष्कर्षों की परीक्षण जांच अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नै, चण्डीगढ़, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में 9 क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आरएलए कार्यालय में प्रत्यक्ष फाइल से किया गया था।



### 8.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्ष प्रणालीगत मुद्दों में वर्गीकृत हैं और व्यापार नियमों का गलत पता लगने से संबंधित मामले डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली में हैं।

इसके अतिरिक्त, वाणिज्य विभाग के लिये परिणाम रूपरेखा दस्तावेज (आरएफडी) दर्शाते हैं कि इस उद्देश्य की पूर्ती के लिये आवश्यक ईडीआई पहलो के लिये केवल 2% भार सौंपा गया है।

वर्ष 2013-14 के लिये डीओसी के बजट आउटकम के मात्रात्मक उत्पाद भाग और वित्तीय व्यय में, डीओसी ने समय और कारोबार लागत को कम करने के लिये डीजीएफटी को कागज रहित संस्था बनाने के प्रति ₹ 10 करोड़ की व्यय योजना बनाई। यद्यपि, परिणामी बजट दस्तावेज उत्पाद को स्पष्ट करने में विफल रहे, यह कहते हुये कि उत्पाद की मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती और प्राप्त परिणाम निर्यात समुदाय को अधिक पारदर्शी निर्णय लेने और लेन-देन में कमी जैसे केवल अप्रत्यक्ष परिणामों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

### 8.4 प्रणालीगत मुद्दे

वित्तीय वर्ष 12, वित्तीय वर्ष 13 और वित्तीय वर्ष 14 के दौरान हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ईबीआरसी परियोजना की सुरक्षा लेखापरीक्षा, एमसी और आउटसोर्स की गई मानवशक्ति का व्यय ₹ 7.09 करोड़ था, डीजीएफटी उपयोगकर्ताओं के लिये डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करने की लागत और एनआईसी की आधार भूत संरचना की लागत को छोड़कर।

डीजीएफटी मुख्यालय के पास उपभोक्ता आवश्यकता विनिर्देशों (यूआरएस), प्रणाली डिजाइन दस्तावेजीकरण (एसडीडी), डेटा फ्लो डायग्राम, सर्विस लिगल एग्रीमेंट (एसएलए), मैनुअल, बैकअप और बहाली की नीतियों आदि जैसे प्रणाली डिजाइन और वास्तुकला या कोई भी प्रणाली दस्तावेजीकरण नहीं है। डीजीएफटी लेखापरीक्षा को अपनी ईडीआई प्रणाली से संबंधित फाइल और रिकॉर्ड प्रदान नहीं करती। डीजीएफटी लेखापरीक्षा को केवल चार डेटाबेस में 873 उपयोगकर्ता टेबलों में से केवल 520 के टेबल और कॉलम वितरण के साथ ईडीआई प्रणाली के अपने चार डेटाबेस की बैकअप फाइल उपलब्ध कराता है। डीजीएफटी ने यह स्वीकार किया कि इसकी ईडीआई प्रणालियों में निम्नलिखित कमियां हैं:

- (i) यहां सुपरिभाषित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों वाली कोई संचालन समिति, सूचना प्रणाली संगठन नहीं हैं।
- (ii) डीजीएफटी ने परियोजना प्रबंधन रिपोर्ट, अपने ईडीआई प्रणाली का प्रदर्शन विश्लेषण रिपोर्ट, कारोबार निरंतरता योजना को विकसित या दस्तावेजीकृत नहीं किया है।
- (iii) यहां कोई डाटा बैकअप नीति दस्तावेज नहीं है। आपदा प्रबंधन प्लान दस्तावेज, डाटा स्टोरेज नीति, पासवर्ड नीति, प्रवेश नियंत्रण नीति, हार्डवेयर परिवर्तन नीति।
- (iv) डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली सभी संव्यवहारों के अभिलिखित ट्रेल उपलब्ध नहीं कराती है एवं ईडीआई प्रणाली की कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

एए और ईपीसीजी के 'ऑनलाईन' परिशोधन (ईओडीसी) सम्पादन नामक कार्रवाई 2.1 से 2.6 के लिए आरएफडी में विभिन्न प्राधिकरणों के ऑनलाईन पंजीकरण और ईडीआई त्रुटियों की अवस्थिति मॉनिटरिंग, डीजीएफटी की इबीआरसी और इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर (इएफटी) पहलों के समेकन और विस्तारण, अध्याय 3 योजनाओं के लिए संदेश विनिमय कार्यक्रम, निर्यात बंधु योजना की प्रचालनात्मक और संव्यवहार लागतों में कमी के लक्ष्यों को गुणात्मक संबंधों में प्राप्त नहीं किया गया है। इसके अलावा वर्ष 2013-14 के लिए परिणाम बजट में मात्रात्मक प्रदेय वस्तुओं का केवल औपचारिक उल्लेख हैं। पूर्ण रूप से ऑनलाईन किए जाने से अग्रिम प्राधिकरण (एए), शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण (डीएफआईए) और इपीसीजी योजनाओं के संबंध में दावा किए गए परिणाम/उपलब्धि भी गलत है क्योंकि ना तो इन योजनाओं के प्रति निर्यात दायित्व के ऑनलाईन निष्पादन के लिए कोई तंत्र अभी शुरू किया गया है (दिसम्बर 2014) और ना ही एए और डीएफआईए योजनाओं के मानक इनपुट आऊटपुट प्रतिमानों पर आधारित शुल्क मुक्त इनपुटों के अनुमन्य आयात मात्रा की ऑटोमेटिक रूप से गणना करने के लिए डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली में कोई सुविधा थी।

डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण कारबार अनुप्रयोग में जिसके माध्यम से लाइसेंस जारी करने से संबंधित अधिकतर एफटीपी नीति प्रावधान किए जाते हैं अतः आईटी सुरक्षा, मेलवेयर विश्लेषण, स्रोत कोड, अनुप्रयोग

संरूपण, आईसीटी अवंसरचना संरूपण, भेद्यता मूल्यांकन और आपरेटिंग सिस्टम अनुकूलन, परिवर्तन प्रबंधन, वेब अनुप्रयोग सुरक्षा (डब्ल्यूएस) निर्धारण, शुरू किए गए पैचेज का वैधीकरण और प्रोटोकॉल कार्यप्रणाली, एसएलए (सेवा स्तर करार) सूचकों का विश्लेषण, प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण, आईटी अधिनियम और राष्ट्रीय साईबर सुरक्षा नीति की नियमित लेखापरीक्षा आवश्यक है।

उपरोक्त लेखापरीक्षा डीजीएफटी (ईडीआई) सिस्टम पर गोपनीयता, अखंडता, पहुंच और समग्र मजबूती पर एक आश्वासन प्रदान कर सकते हैं।

## 8.5 अपर्याप्ता प्रक्रिया नियंत्रण

### 8.5.1 समान नौपरिवहन बिलों के लिए सीमा शुल्क द्वारा आपूरित डाटा की तुलना में हस्त्य रूप से दर्ज किए गए एसबी डाटा में एफओबी मूल्य भिन्न पाया गया।

विदेश व्यापार नीति के अन्तर्गत निर्यातकों के अधिकतर लाभ नौपरिवहन बिल सूचना पर आधारित होते हैं। सीमा शुल्क नियमित आधार पर डीजीएफटी को ईडीआई एसबी डाटा उपलब्ध कराता है। ऐसी सूचना को एसएचबीआई-एमएसटी-9001 टेबल में संग्रहित किया जाता है। इसके अलावा, एक आवेदक शुल्क क्रेडिट लाभों के लिए अपनी एसवीज का संग्रहण करता है जिसे एसएचबी-एमएसटी-9100 टेबल में संग्रहित किया जाता है। इसे या तो सीमाशुल्क द्वारा भेजे गए डॉटा से भरा जाता है या स्वयं आवेदक द्वारा हस्त्य रूप से भरा जाता है, जैसा भी चयन किया जाए। तदनुसार इसे कॉलम प्रविष्टि 'वाई' / 'एन' द्वारा दर्शाया जाता है।

यह देखा गया कि अप्रैल 2011 के बाद से सीमा शुल्क द्वारा भेजे गए नौपरिवहन बिल अभिलेखों की कुल संख्या 26,80,612 थी। तथापि, एसएचबी-एमएसटी-9100 टेबल में सीमा शुल्क द्वारा भेजे गए केवल 3,16,205 (10 प्रतिशत) अभिलेखों को एसबी अभिलेखों में हस्त्य रूप से प्रविष्ट किए गए 28,23,012 (अर्थात् 90 प्रतिशत) संख्या के प्रति उपयोग किया गया था।

यह भी पाया गया कि हालांकि सीमा शुल्क द्वारा दिए गए अभिलेख एक विशेष एसबी के लिए थे, डाटा को 2,60,458 एसबीज के मामले में हस्त्य रूप से दर्ज किया गया था। एसबी संख्या, एसबी तारीख और आईसीसी

संख्या (निर्यातक के ब्यौरों) के साथ मिलान द्वारा निर्धारित किया गया। सीमाशुल्क द्वारा आपूरित डाटा, जिसके लिए हस्तलिखित अभिलेख उपयोग किए गए थे, में उपलब्ध ऐसे एसबी अभिलेखों की वास्तविक संख्या काफी अधिक है किन्तु उनकी संख्या को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता क्योंकि कई एसबी संख्याओं को मानक शुद्ध रूप से संख्यात्मक सीमाशुल्क ईडीआई एसबी फार्मेट की अपेक्षा वह थोड़े भिन्न फार्मेट में दर्ज पाया गया है।

2,60,458 एसबी अभिलेखों में, जहां हस्त्य रूप से दर्ज की गई एसबी संख्या सीमाशुल्क द्वारा आपूरित एसबी संख्या से मेल खाती है, 11,220 मामलों (4%) में यह देखा गया कि हस्त्य रूप से दर्ज किए गए एफओबी मूल्य सीमाशुल्क द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा से भिन्न थे। निर्यातों का एफओबी मूल्य, जोकि शुल्क क्रेडिट देने के लिए आधार है, 3097 मामलों ₹ 1,200 करोड़ तक में अधिक पाया गया था। 8,123 मामलों में एफओबी मूल्य में कमी भी देखी गई थी और कमी प्रति परेषण ₹ 440.16 करोड़ थी। इस प्रकार यह देखा गया कि एफओबी मूल्य में ₹ 799.84 करोड़ तक की निवल वृद्धि हुई थी। अध्याय 3 योजनाओं के लिए न्यूनतम अनुमत शुल्क क्रेडिट दर, अर्थात एफपीएस और एमएलएफपीएस के लिए एफओबी मूल्य का 2%, पर भी कुल एफओबी मूल्य में यह वृद्धि 11,220 मामलों में ₹ 16.00 करोड़ राशि के अधिक शुल्क क्रेडिट लाभों के अनुदान में परिवर्तित हो गई।

डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली में यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जांच नहीं है कि ईडीआई नौपरिवहन बिल से संबंधित सीमा शुल्क द्वारा आपूरित विश्वसनीय डाटा, जोकि डाटाबेस में लिक्व हेतु तत्काल उपलब्ध है, को ई-कामर्स अनुप्रयोग के माध्यम से एफटीपी लाभों का दावा करने के लिए नौपरिवहन बिल संग्रहणों को बनाते समय निर्यातकों द्वारा हस्त्य रूप से दर्ज किए गए डाटा से बदला नहीं गया है। इस कम वैधीकरण के परिणामस्वरूप बड़े हुए एफओबी मूल्यों सहित गलत डाटा की प्रविष्टि हो सकती है बदले में जिससे योजना लाभों का दुरुपयोग हो सकता है।

### 8.5.2 समान नौपरिवहन बिल मद जिस पर वीएफएफएम योजनाओं और डीईपीबी योजना के अन्तर्गत शुल्क क्रेडिट दिया गया था, के एफओबी मूल्य के बीच भिन्नता

समान नौपरिवहन बिलों को (डीईपीबी), एफटीबी के अध्याय 4 की शुल्क हकदारी पासबुक योजना और साथ-साथ अध्याय-3 योजनाओं अर्थात् विशेष कृषि उपज योजना (वीकेयूवाई), फोक्स मार्केट योजना (एफएमएस), फोक्स प्रोडक्ट योजना (एफपीएस) और मार्केट लिंकड फोक्स प्रोडक्ट योजना (एमएलएफपीएस) के अन्तर्गत, संयुक्त रूप से वीएफएफ योजनाओं के नाम से जाना जाता है, शुल्क क्रेडिट हकदारी के लिए उपयोग किया जा सकता है। ऐसी एसबीज के एफओबी मूल्यों जिन्हें अप्रैल 2011 के बाद की अवधि के दौरान दो भिन्न योजना लाभों अर्थात् डीईपीबी और वीएफएफएम को प्राप्त करने हेतु उपयोग किया गया था, की तुलना से पता चला कि 1,52,406 मद स्तर अभिलेखों, जहां समान मद को दोनों योजनाओं में उपयोग किया गया था, में से 1,17,864 मामलों (77 प्रतिशत) में एफओबी मूल्य भिन्न थे, हालांकि इन में से 1,08,290 मामलों में यहां तक कि बैंक उदग्रहण प्रमाणपत्र (बीआरसी) संख्या/नौपरिवहन बिलों की बैंक उदग्रहण तारीख भी समान थी, जो दर्शाती है कि दोनों योजनाओं के अन्तर्गत किए गए दावे पश्च-उदग्रहण दावे थे। यदि शुल्क क्रेडिट को अनुमत किए गए दो एफओबी मूल्यों के न्यूनतम पर संगणित किया जाता है तब अनुमत किया गया अधिक शुल्क क्रेडिट उपरोक्त 1,80,290 मामलों में ₹ 77.33 करोड़ (यथास्थिति आधार पर) होगा। 1,08,290 मामलों में से 65,791 मामले ऐसे हैं जहां एफओबी मूल्यों में ऐसी भिन्नता ₹ 1000 से अधिक थी।

इस प्रकार नौपरिवहन बिलों और प्रासंगिक टेबलों से बैंक उदग्रहण जानकारी से एफओबी मूल्यों को प्राप्त करने के बाद एफओबी मूल्यों को परिशोधित किया गया था जो इनपुट नियंत्रण में सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है जो अधिक शुल्क क्रेडिट प्रदान करने से बचने हेतु आवश्यक है।

### 8.5.3 वीएफएफएम योजनाओं के अन्तर्गत शुल्क क्रेडिट का अनुदान जहां नौवहन बिल की निर्यात तारीख गलत है।

वीएफएफएम शुल्क हकदारी दावे से संबंधित एसबी डाटा से पता चला कि निर्यात तारीख 1,06,055 एसबीज के लिए एलइओ तारीख से पहले थी। इसे

ईडीआई एसबी डाटा के 7,752 मामलों में भी देखा गया जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि डाटा सीमा शुल्क द्वारा भेजी गई सही तारीखों के बावजूद गलत था और बदला गया था। ₹ 858.01 करोड़ की वीएफएफएम योजनाओं के अन्तर्गत शुल्क क्रेडिट 2011-12 से 2013-14 की अवधि से दौरान 1,42,456 मर्दों सहित ऐसी 1,00,711 एसबीज के प्रति अनुमत किया गया था जहां निर्यात तारीख एलइओ तारीख से पहले थी।

अतः सीमा शुल्क आपूरित इडीआई नौपरिवहन बिल डाटा, जिसे प्रमाणित माना जाना चाहिए के रद्दोबदल को रोकने के लिए डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली में नियंत्रण बढ़ाने की जरूरत है।

#### **8.5.4 उन मामलों में स्टेटस होल्डर इन्सैटिव स्कीम (एसएचआईएस) स्क्रिप का अनुदान जहां आवेदक की स्थिति/स्टेटस प्रमाण पत्र जारीकर्ता प्राधिकरण डाटाबेस में उपलब्ध नहीं है।**

निर्यातकों को स्टेटस प्रमाणपत्र के लिए आवेदन तारीख से पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके कुल निर्यात निष्पादन के आधार पर स्टेटस प्रमाणपत्र दिया जाता है और स्टेटस धारक के रूप में जाना जाता है। एक स्टेटस धारक, स्टेटस धारक प्रोत्साहन योजनाओं (एसएचआईएस) के अन्तर्गत पिछले वर्ष के दौरान किए गए निर्यात के एफओबी मूल्य के 1 प्रतिशत की सीमा तक शुल्क हकदारी लाभों सहित विभिन्न विशेषाधिकारों के लिए पात्र है (एफटीपी का पैरा 3.16)। पैरा 3.10.2 के अनुसार 2009-10 के बाद किए गए निर्यातों के लिए एसएचआईएस के अन्तर्गत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के अनुदान के लिए एचबीपी निर्धारित दस्तावेजों सहित आवेदन फार्मेट एनएनएफ3ई में संबंधित अधिकारिक आरए को उनके स्टेटस प्रकार और स्टेटस प्रमाणपत्र जारीकर्ता प्राधिकरण सहित स्टेटस धारक प्रमाणपत्र के ब्यौरे सहित किए जाएंगे। यह जानकारी एसएचआईएस के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए काफी है क्योंकि यह योजना केवल स्टेटस धारक के लिए है।

यह देखा गया कि एसएचआईएस के लिए आवेदन स्वीकार कर लिए गए थे और एसएचआईएस स्क्रिप्स को ऑनलाइन आवेदनों में दर्ज किए गए स्टेटस/स्टेटस प्रमाणपत्र जारीकर्ता प्राधिकरण से संबंधित जानकारी के बिना दे दिए गए थे। 233 एसएचआईएस आवेदनों में, जिनके प्रति ₹ 57.88 करोड़ मूल्य

के एसएचआईएस शुल्क क्रेडिट स्ट्रिप्स दिए गए थे, आवेदक का स्टेटस या स्टेटस जारीकर्ता प्राधिकरण या दोनो को '0' अर्थात 'कोई नहीं' के रूप में दर्शाया गया था जोकि ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुति प्रक्रिया के अपर्याप्त वैधीकरण को दर्शाते हैं। इस प्रकार, एसएचआईएस लाभों के अनुदान हेतु आवेदक के स्टेटस या स्टेटस जारीकर्ता प्राधिकरण के ब्यौरे जैसे महत्वपूर्ण डाटा की प्रस्तुति और रिकार्डिंग को सुनिश्चित करने के लिए कोई वैधीकरण नहीं है।

#### 8.5.5 अवैध आईईसी आबंटन तारीख

आयकर विभाग द्वारा जारी एक स्थायी खाता संख्या (पेन) के प्रति केवल एक आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) दिया जाता है (एचबीपी का पैराग्राफ 2.9)। इसलिए, आईईसी डाटा महत्वपूर्ण पहचान डाटा है जोकि निर्यातक/आयातक की प्रमाणिकता को दर्शाता है और व्यापार में उनकी अद्वितीय पहचान को निर्धारित करती है और चूक के मामले में धारक की पहचान करने में विनियामक संस्थाओं की सहायता करती है। इस आईईसी डाटा को डीजीएफटी द्वारा सीमा शुल्क को ऑनलाइन स्थानांतरित किया जाता है।

आईईसी के प्रमुख अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि आईईसी आबंटन तरीखें 42 मामलों में प्रथम दृष्टया गलत थी, क्योंकि आईईसी आबंटन की तारीख वर्तमान तारीख अर्थात 18 मार्च 2088 और 07 जनवरी 2992 के बीच के बाद की पाई गई थी। ऐसी सभी 42 आईईसीज डाटाबेस के अनुसार सक्रिय हैं।

इस प्रकार, डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली में निर्गम तारीख जैसे महत्वपूर्ण आईईसी डाटा के लिए भी आऊटपुट नियंत्रण जांच की कमी है।

#### 8.5.6 लाइसेंस के विशेष प्रकार हेतु डाटाबेस में भिन्न लाइसेंस वैधता अवधियों की मौजूदगी

प्रत्येक शुल्क क्रेडिट/छूट योजनाओं, विकसित प्राधिकरणों, ईपीसीजी योजनाओं ने वैधता अवधि निर्धारित की है जिसके दौरान आयात लाइसेंस के अन्तर्गत किया जा सके।

एलआईसी-एमएसटी-1500 टेबल में संगृहित लाइसेंस निर्गम तारीख (एलआईसी-डीएटी-1500) के साथ लाइसेंस वैधता तारीख (एलआईसी-वीएलडीटी-1500) के साथ तुलना से पता चला कि दी गई वैधता अवधियां

निर्धारित की गई वैद्यता अवधियों से काफी भिन्न थी। उदाहरणार्थ विकसित प्राधिकरण वैद्यता अवधि एलआईसी-सीएटीजी-144 टेबल के अनुसार 24 माह है जबकि लाइसेंस डाटा में यह वैद्यता अवधि अनेक मामलों में 0 से 56 माह तक भिन्न पाई गई थी। 36,712 मामलों में वैद्यता अवधि गलत पाई गई थी और एक मामले में लाइसेंस वैद्यता तारीख लाइसेंस की निर्गम तारीख से भी पहले पाई गई थी। इसी प्रकार, एलआईसी-सीएटीजी-144 टेबल के अनुसार अध्याय 3 की एसएफआईएस और वीएफएफएम योजनाओं में भी लाइसेंस की निर्गम की तारीख से 24 माह की वैद्यता अवधि है। तथापि, इसमें 5 से 35 माह की भिन्नता पाई गई थी और 511 मामलों में गलत पाई गई थी। यहां भी, दो मामले ऐसे थे जहां वैद्यता तारीख लाइसेंस की निर्गम तारीख से पहले थी। दूसरे 3,99,019 मामलों में अध्याय 3 की स्क्रिप्स की वैद्यता तारीख '01-01-1900', के रूप में दर्ज पाई गई थी जो कॉलम के लिए नियत डिफोल्ड तारीख प्रतीत होती है।

गलत वैद्यता अवधियां विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाइसेंस की निर्धारित वैद्यता अवधियों से परे भी आयातों की अनुमति देंगी और संबंधित योजनाओं के संबंध में मूल नीति प्रावधानों को क्षति पहुंचाएगी।

#### 8.5.7 केंद्रीय डाटाबेस बनाम स्थानीय डाटाबेस में लाइसेंस डाटा में अन्तर

डीजीएफटी डाटाबेस के एलआईसीएम आरेख में टेबल एलआईसी-एमएसटी-1500 में संगृहित 1 अप्रैल 2011 से 17 अप्रैल 2014 (जिस तक डाटाबेस का बैकअप लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया था) के दौरान आरएलए, कोलकाता द्वारा जारी लाइसेंसों के सीआईएफ/शुल्क क्रेडिट मूल्य, संशोधन ब्यौरे आदि और डीजीएफटीआरएलए डाटाबेस में समान नाम के साथ टेबल में केंद्रीय सर्वर में संगृहित समान डाटा के बीच तुलना की गई थी। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 89 लाइसेंस अभिलेखों में ₹ 174.72 करोड़ (एए/डीएफआईए के 85 मामलों में) के सीआईएफ मूल्य और ₹ 0.76 करोड़ (वीकेयूआई/इपीसीजी के 4 मामलों) की शुल्क क्रेडिट राशि में अन्तर थे जो कुल ₹ 175.48 करोड़ था।

आगे संवीक्षा से पता चला कि अग्रिम विमुक्ति आदेश (एआरओ) या सीधे आयातों के अवैधीकरण 85एए/डीएफआईए लाइसेंस के प्रति जारी किए गए



थे और सीआईएफ मूल्य में अन्तर के कारण को स्थानीय आरएलए के डीजीएफटी डाटाबेस में टेबल एआरओ-एमएएसटी-1700 में संगृहित एआरओ डाटा से केवल 77 मामलों में सुनिश्चित किया जा सका था। शेष 12 मामलों में सीआईएफ/शुल्क क्रेडिट हकदारी में अंतर को डाटाबेस से सुनिश्चित नहीं किया जा सका था।

इस प्रकार, यह देखा गया कि एआरओज/अवैधीकरण के निर्गम के बाद स्थानीय आरएलए डाटाबेस पर लाइसेंस डाटा में किए गए संशोधनों को केंद्रीय सर्वर डाटा में पूर्ण रूप से दर्शाया नहीं गया था, जिसके कारण संन्देश विनिमय के माध्यम से सीमा शुल्क को गलत जानकारी भेजी जा सकती है और परिणामस्वरूप लाइसेंसों के अन्तर्गत अवैध आयातों का अनाधिकृत शुल्क मुक्त आयात हो सकता है। उपरोक्त 85ए/डीएफआईए में ₹ 174.72 करोड़ के अधिक आयातों में शामिल शुल्क प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए छोड़े गए शुल्क को उच्चतम आयात शुल्क दरों (10 प्रतिशत बीसीडी+12 प्रतिशत सीवीडी+4 प्रतिशत एसएडी=28.13 प्रतिशत) के आधार पर ₹ 49.15 करोड़ आंका गया था। इसलिए, उपरोक्त 89 मामलों में कुल राजस्व प्रभाव ₹ 49.91 (₹ 49.15 करोड़ + ₹ 0.76 करोड़) करोड़ है। हालांकि आरएलए द्वारा इओ के मानवीय निष्पादन से मौजूदा प्रणाली में एए/डीएफआईए/ईपीसीजी में कोई अधिक आयात नोटिस में आ जाता है और अन्तर शुल्कों को वसूली द्वारा विनियमित किया जाता है, केंद्रीय सर्वर में संगृहित डाटा के आधार पर इओ शुरुआत के ऑनलाईन निष्पादन की प्रस्तावित प्रणाली के बाद ऐसे मामलों का पता नहीं लगाया जा सकता।

#### 8.5.8 समान फाईल संख्या के साथ बहुल इसीओएम संदर्भ और फाईल संख्या के बिना लाइसेंस डाटा

लाइसेंस/शुल्क क्रेडिट स्क्रिप/ या आयत शुल्क मुक्त अधिकार के सभी ऑनलाईन आवेदन एक मात्र इसीओएम संदर्भ संख्या सर्जित करते हैं।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 10 मामलों में प्रथक ई-कामर्स संदर्भ संख्याओं की समान फाईल संख्या थी जिसके परिणामस्वरूप डाटाबेस में ऑनलाईन ई-कामर्स आवेदक का अवैध ट्रेल हुआ।

इसके अलावा, 48 मामलों में डीजीएफटीआरएलए डाटाबेस लाईसेंस मास्टर टेबल के एलआईसी-एमएसटी-1500 में फाइल संख्या नहीं पाई गई थी जहां दिया गया कुल शुल्क क्रेडिट वीएफएफएम योजनाओं के अन्तर्गत ₹ 3.27 करोड़ था। इन अभिलेखों की लाईसेंस संख्या का किसी भी विशेष योजनाओं की शुल्क क्रेडिट गणना टेबल में पता नहीं लगाया जा सका था। इस प्रकार, यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि यह शुल्क क्रेडिट हकदारियां कैसे प्राप्त की गई थी। यह उचित स्वचालन, जोकि संबंधित टेबलों में स्वचालित रूप से इस जानकारी को दर्ज कर सकता है में कमी या मानवीय हस्तक्षेप, जिसके द्वारा ऐसे लाईसेंस अनियमित रूप से जारी किए गए थे, को दर्शाया है

इस प्रकार, इन शुल्क क्रेडिट अंको पर कैसे पहुंचा गया, यह सत्यापित नहीं किया जा सकता है। यह प्रसांगिक टेबल या मेनुअल हस्तक्षेप से जानकारी भरने की प्रक्रिया पर कमजोर नियंत्रण को इंगित करता है, जिससे लाईसेंस अनियमित रूप में जारी किए जा सकते हैं।

#### 8.5.9 डीजीएफटी के ईडीआई डाटाबेस में पासवर्ड स्टोरेज सुरक्षा का अभाव

आयतकों/निर्यातकों और डीजीएफटी के ऑनलाइन अनुप्रयोग उपयोगिता का उपयोग करने वाले अधिकृत डीजीएफटी कर्मचारियों के लॉगइन पहचान और पासवर्ड ब्यौरों को डीजीएफटी डाटाबेस की तीन टेबलों में संगृहित किया जाता है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि आवेदन की जांच आरएलएज में डीजीएफटी उपयोक्ताओं द्वारा किया जाता है जो डिजिटल हस्ताक्षरों का नहीं, अपितु अपने लॉगइन और पासवर्ड ब्यौरों का उपयोग करते हुए स्थानीय प्रणाली तक पहुंच प्राप्त करते हैं। यद्यपि समेकित डाटा की अपलोडिंग को डिजिटल हस्ताक्षरों से प्रमाणित किया जाता है, फिर भी समेकित डाटा की विषयवस्तुओं को केवल उपयोक्ता नामों और पासवर्डों के द्वारा ही सुरक्षित किया जाता है। इसके अलावा डीजीएफटी वेबसाइट ([http:// dgft.gov.in/ commerce/ecom /Ecomttelp.htm](http://dgft.gov.in/commerce/ecom/Ecomttelp.htm)) में देखा गया कि डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग करते हुए आवेदनों को फाइल करने के अतिरिक्त उपयोक्ता नाम-पासवर्ड आधारित एक्सेस शीर्ष के अन्तर्गत आईईसी/आईईसी ब्रांच कोई और पासवर्ड का उपयोग करते हुए भी आवेदनों की इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइलिंग को अनुमति दी गई

है। डीजीएफटी के ईडीआई डाटाबेस की लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि उपरोक्त दो टेबलों में उपयोक्ता पासवर्ड को पाठ्य फील्ड्स अर्थात् अनएन्क्रिप्टेड रूप से संगृहित किया गया है और इन टेबलों तक पहुंच रखने वाले प्रत्येक को उपलब्ध है। इस प्रकार समस्त उपयोक्ता पासवर्ड डाटाबेस समझौते के जोखिम पर है क्योंकि कोई भी, जिसकी इन टेबलों तक एक्सेस है, ना केवल उपयोक्ता पासवर्ड को जानेगा बल्कि उपयोक्ताओं की पासवर्ड वरीयता भी जान लेगा।

इसलिए उपयोक्ताओं का निजी और गोपनीय डाटा होने के कारण उपयोक्ता पासवर्ड को ऐसे फार्मेट में नहीं रखा जाना चाहिए जो इसे यहां तक कि डीजीएफटी और एनआईसी स्टाफ को भी जाहिर करता है और इसकी बजाय इसे हैश जनित्र कलन विधि का उपयोग करते हुए अपरिवर्तनीय ढंग से कूट फार्मेट में संगृहित किया जाना चाहिए। इसलिए, डीजीएफटी डाटाबेस टेबलों में पाठ्य डाटा के रूप में पासवर्ड अर्थात् अनएन्क्रिप्टेड रूप और इन टेबलों तक एक्सेस रखने वाले प्रत्येक को गोचर के रूप में संगृहण डीजीएफटी उपयोक्ताओं और आयातकों/निर्यातकों, ईबीआरसी लोडिंग बैंको आदि के लॉगइन एक्सेस ब्योरों से समझौते के जोखिम को बढ़ावा मिलेगा।

#### 8.5.10 अपात्र मदों पर वीकेजीयूवाई

वीकेजीयूवाई योजना के अन्तर्गत शुल्क क्रेडिट लाभ के लिए पात्र उत्पादों को एफटीपी के परिशिष्ट 37ए में निर्दिष्ट किया गया है। इस परिशिष्ट के अनुसार आईटीसी (एचएस) कोड 0930,0904 (09041110 के अन्तर्गत आने वाले उत्पादों को छोड़कर) के अन्तर्गत आने वाले कुछ उत्पाद इस योजना के अन्तर्गत किसी शुल्क क्रेडिट लाभों के लिए पात्र नहीं है।

हालांकि, डाटाबेस में वीएफएफएम और वीकेजीयूवाई शुल्क हकदारी टेबलों में अप्रैल 2011 के बाद की 3 वर्ष की अवधि से संबंधित वीकेजीयूवाई योजना अभिलेखों के विश्लेषण द्वारा इस एफटीपी प्रावधान के सही कार्यान्वयन की पुष्टि के लिए लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि वीकेजीयूवाई योजना के अन्तर्गत ₹ 0.20 करोड़ मूल्य के शुल्क क्रेडिट ऐसे अपात्र उत्पादों पर 172 अभिलेखों में अनुमत किए गए थे जोकि अपात्र उत्पादों हेतु वीकेजीयूवाई लाभों

की अननुमति को सुनिश्चित करने के लिए डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली में पर्याप्त जांच के अभाव को दर्शाता है।

अक्टूबर 2014 में 22 मामलों में वीकेजीयूवाई क्रेडिट का गलत अनुदान भी आरएल, चेन्नई को बताया गया था। आरएल से उत्तर प्रतीक्षित है।

## 8.6 निदेशिका टेबलों का अनुपयुक्त अनुरक्षण

8.6.1 आयात मात्रा और निर्यात मात्रा को एसआईओएन निदेशिका में पाठ्य फार्मेट में रखा जाता है और इसे घोषित के प्रति पात्र आयात मात्रा/वास्तविक निर्यात मात्रा की गणना के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।

अधिकतर निर्यात उत्पादों के लिए एक मानक इनपुट आऊटपुट प्रतिमान (एसआईओएन) मौजूद है। यदि उक्त उत्पाद के लिए एसआईओएन को अधिसूचित किया जाता है तब एसआईओएन को अपव्यय प्रतिमानों और निर्यात दायित्व (एचवीसी सस्करण 1 का पैरा 4.7) को नियत करने के लिए लागू किया जाएगा और जहां एसआईओएन निर्धारित नहीं किया गया है वहां उक्त को निर्धारित समय के अन्दर उचित अधिकार द्वारा निश्चित किया जाएगा।

आयात किए जाने वाले इनपुटों की गणना एए और डीएफआईए के निर्गम और विनियमन में महत्वपूर्ण कारक है। डीजीएफटीएमआईएन डाटाबेस की एसआईओएन योजना में टेबल इएक्सपी-आईटीईएम-1401 और आईएमपी-आईएमपी आईटीईएम 1402 को क्रमशः आयात उत्पाद (कुल 7,391) और आयात के लिए अपेक्षित संबंधित इनपुटों हेतु निदेशिका टेबल के रूप में उपयोग किया जाता है जैसाकि मानक इनपुट आऊटपुट प्रतिमान (एसआईओएन) में संगणित है। यह देखा गया कि संबंधित इनपुटों (कुल 35,500 आयात वस्तुओं से अधिक) की निर्यात मात्रा और आयात मात्रा को पाठ्य/शब्द फार्मेट (अंक नहीं) में सगृहित किया जाता है जोकि गणना हेतु जिम्मेवार नहीं है, इस प्रकार लाइसेंस के निर्गम के दौरान या क्षतिपूर्ति के समय मानवीय गणना/हस्तक्षेप अपेक्षित है।

ऐसे 67,801 अग्रिम अधिकारों और शुल्क मुक्त आयात अधिकारों, जिनकी शुल्क मुक्त आयात हकदारियों की उल्लिखित जोखिमों के साथ हस्त्य रूप

से गणना की गई थी, के प्रति कुल छोड़ा गया राजस्व 2011-12 से 2013-14 तक तीन वित्तीय वर्ष अवधि के दौरान ₹ 64,558 करोड़ गिना गया है। इसलिए, यह देखा गया कि डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली में मानक इनपुट आऊटपुट प्रतिमान (एसआईओएन) निदेशिका पाठ्य रूप में है जो एसआईओएन मानदण्डों से पात्र इनपुट मात्राओं की स्वचालित गणना के लिए जिम्मेदार नहीं बनाती और हस्त्य रूप से चूकों से संलग्न जोखिम के साथ हकदारियों की हस्त्य रूप से गणना को आवश्यक बनाती है।

### 8.6.2 समान प्रभावी तारीख पर भिन्न दर के साथ डीईपीबी निदेशिका में वस्तु की दोहरी प्रविष्टि

शुल्क हकदारी पासबुक योजना दरों को दी गई प्रभावी तारीख से उत्पाद कोड और डीईपीबी क्रम संख्या जिसके लिए लागू हो, के संदर्भ में डीईपीबी-आरएटी-413 टेबल में संगृहित किया गया है।

यह देखा गया कि समान डीईपीबी क्रम संख्या को समान तारीख से विभिन्न दरों के साथ निदेशिका में दो बार दर्ज किया गया था। समान उत्पाद के लिए 8 प्रतिरूप प्रविष्टियों के अलावा ऐसे 6 मामले देखे गए थे।

### 8.6.3 विदेशी मुद्रा विनिमय दर निदेशिका का गलत अद्यतन

सीबीईसी ने समय-समय पर आयात एवं निर्यात माल के मूल्यनिर्धारण के उद्देश्य हेतु विभिन्न विदेशी मुद्राओं के लिए लागू विनिमय दरों को अधिसूचित किया है। इस प्रकार अधिसूचित निर्यात हेतु विनिमय दर को विदेशी मुद्रा में उदग्रहीत एफओबी मूल्य के आईएनआर में रूपांतरण के लिए भी उपयोग किया जाता है जिसके आधार पर शुल्क क्रेडिट हकदारियां दी जाती हैं। निर्यात परेषणों के लिए अधिसूचित इन दरों को डीजीएफटीएमएआईएन डाटाबेस के सीओएमएमओएन स्कीम के सीयूआर-इएक्सपीटी-181 टेबल में संगृहित किया जाता है।

यह पाया गया कि अप्रैल 2011 से सीबीईसी द्वारा अधिसूचित ऐसी 15 विनिमय दरों को विनिमय दर हेतु उक्त टेबल में अद्यतित नहीं किया गया था। दूसरे 12 मामलों में भी यह देखा गया कि यहां अधिसूचित दरों के प्रति उक्त टेबल में अपनी प्रभावी तारीख की तुलना में विनिमय दर का गलत डाटा था। डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली की निदेशिका अद्यतन प्रक्रिया हस्त्य रूप से और किसी अनुवर्ती प्रमाणीकरण के बिना है, जिसके परिणामस्वरूप कई बार

विनिमय दर निदेशिका का अद्यतन नहीं/गलत अद्यतन हुआ जिसके कारण शुल्क क्रेडिट हकदारियों की गलत गणना हुई।

### 8.7 कारबार प्रक्रियाओं और नियमावली की गलत मैपिंग

डीजीएफटी विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों का पालन करता है और प्रत्येक पांच वर्षों के लिए अधिसूचित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के प्रावधानों को कार्यान्वित करता है। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान एफटीपी 2009-14 लागू थी। आगामी लेखापरीक्षा निष्कर्ष एफटीडीआर अधिनियम के प्रावधानों, एफटीपी और एचबीपी के प्रावधानों से संबंधित है जिन्हे डीजीएफटी के ईडीआई अनुप्रयोग में प्रभाविकता से कार्यान्वित नहीं किया था जिसके कारण लाभों का अनियमित और गलत अनुदान हुआ।

#### 8.7.1 एकल पैन के प्रति एक से अधिक आयातक निर्यातक कोड का निर्गम

किसी व्यक्ति द्वारा वैद्य आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) के बिना कोई आयात या निर्यात नहीं किया जाएगा जब तक उसे विशेष रूप से छूट प्राप्त न हो (एफटीपी का पैरा 2.12)। एफटीपी 2009-14 के लिए प्रक्रिया की हस्तपुस्तिका (एचबीपी) के पैरा 2.9 के अनुसार आयकर विभाग द्वारा जारी एकल पैन के प्रति केवल एक आईईसी की अनुमति दी गई है।

आईईसी मास्टर ब्यौरे तालिका के विश्लेषण से पता चला कि एकल पैन के प्रति कई आईईसीज जारी किए गए थे। लेखापरीक्षा ने डीजीएफटी डाटाबेस में ऐसी अनियमित रूप से जारी की गई 9,175 आईईसीज का पता लगाया। ऐसी 409 आईईसीज यह पुष्टि करते हुए पिछले तीन वर्षों (अर्थात् अप्रैल 2011 के बाद) में जारी किए गए थे। आगे सीमा शुल्क इडीआई डाटाबेस (आईसीईएस 1.5) के साथ दोतरफा जांच से पता चला कि अप्रैल 2011 से मार्च 2013 की अवधि तक 2 वर्ष के दौरान ऐसे 929 आईईसी धारकों द्वारा ₹ 25,351.30 करोड़ मूल्य के आयात किए गए थे। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान 71 आयातकों (पैन धारक) को ₹ 578.16 करोड़ मूल्य के आयात के लिए एक साथ अपने कई आईईसीज (152 आईईसीज उपयोग किए गए) का उपयोग करते हुए पाया गया था। विशेष रूप से एक मामले में एक पैन धारक को 27 आईईसीज जारी किए गए थे। सभी 27 आईईसीज डीजीएफटी डाटाबेस के

अनुसार 'सक्रिय' स्थिति में पाए गए थे और इन आईईसीज में से 8 (क्रम सं. 11 से 18) को अप्रैल 2011 से मार्च 2013 (2 वर्ष) के बीच ₹ 3.84 करोड़ मूल्य के 74 परेषणों के आयात के लिए उपयोग किया गया था।

10 आरएलएज<sup>18</sup> में 247 मामलो के नमूने में प्रत्यक्ष रूप से आईईसी निर्गम फाइलों के साथ डाटाबेस से विश्लेषण के परिणामों की दोतरफा जांच और डीजीएफटी वैबसाइट पर आईईसीज डाटा की ऑनलाईन जांच ने भी उपरोक्त लेखापरीक्षा निष्कर्षों की पुष्टि की थी। हालांकि, इस संबंध में लेखापरीक्षा पूछताछ की प्रतिक्रिया में आरएलए कानपुर ने उत्तर दिया कि उस कार्यालय द्वारा कई आईसीज जारी नहीं की गई थी। आरएलए हैदराबाद में लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए सभी 13 मामलों में यह बताया गया कि सुधारात्मक उपाय किए जा रहे थे। दूसरे आरएलएज से उत्तर प्रतीक्षित है। आरएलए लुधियाना ने स्वीकार किया कि लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए 5 मामलों में से 4 में कई आईईसीज जारी किए गए थे और यह कि 1 मामले में दूसरे आईईसी को पहले को रद्द करने के बाद जारी किया गया था। हालांकि, इस मामले में भी आईईसी डाटाबेस में निरस्तीकरण नहीं दर्शाया गया था अर्थात् दोनों आईईसीज सक्रिय पाए गए थे।

इसके अलावा, आरएलए फाइलों से नमूना जांच से पता चला कि आईईसीज के कई निरस्तीकरणों को डाटाबेस में दर्शाया नहीं गया था। इसके अतिरिक्त, चूंकि एक आईईसी धारक आईईसी डाटा के आशोधन/अद्यतन के लिए आवेदन कर सकता है तो मौजूदा आईईसी के निस्तीकरण कराए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी बजाय, समान आईईसी को धारक की आवश्यकता के अनुसार आशोधित/अद्यतित कराया जाना चाहिए या निष्क्रिय आईईसीज के मामले में आईईसीज को डीजीएफटी की आवश्यकताओं को पूरा करने पर दोबारा मान्य/सक्रिय किया जा सकता है। पहले आईईसी के निरस्तीकरण के प्रति दूसरे के निर्गम का उस मामले में दुरुपयोग किया जा सकता है जहां पिछले आईईसीज को चूक/दाण्डिक कार्रवाई के परिणामस्वरूप रद्द कर दिया गया हो। इस प्रकार, डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली में नामतः आईईसीज के निर्गम हेतु

<sup>18</sup> 10 आरएलए: कोलकाता, चेन्नई, कोचीन, हैदराबाद, कानपुर, मुम्बई, अहमदाबाद, जयपुर, लुधियाना एवं दिल्ली

कोई वैधीकरण जांच नहीं है, कि क्या आईईसी आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए पैन के प्रति पहले से कोई आईईसी मौजूद है या मौजूदा आईसीसी को परिवर्तित किया जा रहा है।

### 8.7.2 सीमाशुल्क की सूचना में विलम्ब के कारण निरस्त आईईसीज के प्रति आयात

डीजीएफटी आवेदकों को आईईसी जारी करता है जोकि एफटीपी या एफटीडीआर अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी कारण चूक के मामले में निरस्तीकरण हेतु दायी भी होगा जिससे कि अधिक आयातों/निर्यातों को करने से चूककर्ता आयातक/निर्यातक को रोका जाएगा। डीजीएफटी सीमाशुल्क को ऑनलाईन रूप से इसके निर्गम, निलम्ब, निरस्तीकरण आदि से अबंधित आईईसी की मौजूदा स्थिति को भेजेगा।

अप्रैल 2011 से मार्च 2013 की 2 वर्ष की अवधि से संबंधित आईईसी के मास्टर ब्यौरे, उनके निरस्तीकरण, वर्तमान स्थिति और सीमाशुल्क को भेजे गए ट्रांसमिशन ब्यौरों और सीमाशुल्क ईडीआई डाटा (आईसीईएस 1.5) के साथ उनकी दोतरफा जांच से संबंधित टेबलों की संवीक्षा से पता चला कि 9 मामलों में आईईसीज निरस्त कर दिए गए थे किन्तु सीमाशुल्क को सूचना देने में विलम्ब था जिसके परिणामस्वरूप इन निरस्त आईईसीज के प्रति ₹ 2.02 करोड़ मूल्य के 35 परेषणों का अनियमित आयात हुआ।

यह देखा गया कि आईईसीज के निरस्तीकरण से संबंधित डाटा के ऑनलाईन संचार की प्रक्रिया स्वचालित नहीं है जिसके परिणामस्वरूप सीमाशुल्क को सूचना देने में विलम्ब हुआ और इसके अनुवर्ती निरस्त आईईसीज के प्रति अनियमित आयात हुआ।

### 8.7.3 डिनाइड इकाई सूची (डीईएल) में शामिल फर्मों को लाइसेंसों का निर्गम

डीनाइड इकाई सूची (डीईएल) का अनुरक्षण विदेश व्यापार (विनियम) नियमावली, 1993 के नियम 7 के साथ पठित एफ सं. 18/24/मुख्यालय/99-2000/इसीए ॥ दिनांक दिसम्बर 31, 2003 माध्यम से डीजीएफटी के सम्पादन खण्ड के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। एक आईईसी धारक को



दूसरे लाइसेंसों से इन्कार किया जाता है यदि इसे एफटीपी या एफटीडीआर अधिनियम के किसी उल्लंघन हेतु डीईएल के अन्तर्गत रखा जाए।

अप्रैल 2011 के बाद की (3 वर्ष) अवधि के लिए डीजीएफटी डाटाबेसों की संवीक्षा से पता चला कि 1,606 अधिकारों और शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स को 248 फर्मों को जारी किया गया था यद्यपि वह डीजीएफटी की डीईएल सूची में थे।

उपरोक्त में से शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स और ईपीसीजी अधिकारों के निर्गम से संबंधित 1,439 मामलों, जिन पर ₹ 681.90 करोड़ मूल्य की जमा शुल्क क्रेडिट/शुल्क की अनुमति दी गई थी और दूसरे 167 मामलों में ₹ 597.94 करोड़ सीआईएफ मूल्य के आयातों के लिए नकारात्मक सूची हेतु अग्रिम अधिकारों (एए), शुल्क मुक्त आयात अधिकार (डीएफआईए) और आयात अधिकारों की अनुमति दी गई थी।

ऐसे 145 मामलों के नमूनों की डाटा विश्लेषण के निष्कर्षों की पुष्टि करने के लिए 10 आरएलएज<sup>19</sup> के अभिलेखों से दोतरफा जांच की गई थी। आरएलएज को इस संबंध में जारी की गई लेखापरीक्षा जांच की प्रतिक्रिया में आरएलए कानपुर ने बताया कि यहां सभी 4 मामलों में लाइसेंस/स्क्रिप्स डीईएल को हटाने के बाद जारी किए गए थे जोकि गलत है क्योंकि फर्म को मई और अक्टूबर 2011 के बीच लाइसेंस जारी किए गए थे किन्तु फरवरी 2012 में डीईएल से आहरित किए गए थे। सीएलए दिल्ली ने 7 में से 6 मामलों में स्वीकार किया कि लाइसेंस/स्क्रिप्स अनियमित रूप से जारी की गई थी। आरएलए हैदराबाद ने ऐसे 30 मामलों में से केवल एक के संबंध में उत्तर दिया कि फर्म का डीईएल से पहले ही निराकरण किया जाना चाहिए था क्योंकि उन्होंने अपने इओ को पूरा कर लिया था किन्तु यह निराकरण लेखापरीक्षा द्वारा मामले को उठाए जाने के बाद ही किया गया था। आरएलए जयपुर ने बताया कि एक मामले में लाइसेंसधारक को लेखापरीक्षा आपत्ति के अननुपालन हेतु डीईएल में रखा गया था जोकि आरएलए के अनुसार गलत थी और इसलिए लाइसेंस गलत रूप से दिया गया था। अन्य मामले में इसने बताया कि डीईएल से पार्टी के निराकरण को डाटाबेस में समय पर अद्यतित

<sup>19</sup> 10 आरएलए: कोलकाता, चेन्नई, कोचीन, हैदराबाद, कानपुर, मुम्बई, अहमदाबाद, जयपुर, लुधियाना और दिल्ली

नहीं किया गया था। आरएलए लुधियाना में लाइसेंसो/ स्क्रिप्स के अनियमित निर्गम के ऐसे 12 मामलों में से आरएल ने 2 मामलों में अनियमितता को स्वीकार किया किन्तु बताया कि शेष मामलों में निर्गम उचित था। हालांकि, डीजीएफटी डाटा दर्शाते हैं कि लाइसेंस/स्क्रिप्स के निर्गम के समय लाइसेंसधारक डीईएल में थे। आरएलए मुम्बई में 16 मामलों और आरएलए, अहमदाबाद में 1 मामले में यह देखा गया कि लाइसेंसों को डीईएल ऑर्डर को स्थगन में रखते हुए जारी किया गया था। डीईएल आदेश को स्थगित रखते हुए डीईएल में सत्तों को लाइसेंसों का निर्गम उचित नहीं था क्योंकि दिसम्बर 2003 के परिपत्र और विदेश व्यापार (विनियम) नियमावली 1993, के प्रावधानों के अनुसार एक आईईसी धारक को लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता यदि उसे डीईएल के अन्तर्गत काली सूची में डाला गया हो।

इसके अलावा, आरएल के उत्तरों से यह देखा गया कि डीईएल में अंतर्वेश और निराकरण को शीघ्रता से केंद्रीय डीईएल डाटाबेस में अद्यतित नहीं किया जा रहा था जिसके परिणामस्वरूप अविश्वसनीय डीईएल सूची की रचना हुई। इस प्रकार, डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली में ई-सीओएम आवेदनों को प्रस्तुत करने से डीईएल में इकाईयों को छोड़ने या ऐसे इकाईयों को अधिकारों/शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स जारी करने के लिए उचित वैधीकरण/इनपुट नियंत्रण नहीं है। डीईएल स्थिति की मामलों के आधार पर हस्त्य रूप से जांच की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप चूकें और लाइसेंसों का अनियमित निर्गम हुआ।

#### 8.7.4 पहले से ही शून्य शुल्क इपीसीजी जारी की गई कम्पनियों को एसएचआईएस शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स का अनुदान और विपरीततया

स्टेटस धारक प्रोत्साहन स्क्रिप्स (एसएचआईएस) के लिए आवेदन निर्यात के वर्ष के अगले वर्ष में किया जा सकता है। एचबीपी के पैरा 3.10.3 (बी) के अनुसार यदि एक आवेदक ने वर्ष 2010-11 या 2011-12 या 2012-13 के दौरान शून्य शुल्क इपीसीजी अधिकार प्राप्त किया है तब वह उस वर्ष [अर्थात् संबंधित पिछले वर्षों (2009-10, 2010-11, और 2011-12) के दौरान किए गए निर्यात हेतु] के लिए एसएचआईएस हेतु हकदार नहीं हो पाएंगे। ऐसे एसएचआईएस आवेदनों को तुरन्त ही निरस्त कर दिया जाएगा और पैरा 9.3 (आवेदन फाइल करने में विलम्ब हेतु विलम्ब शुल्क) भी लागू नहीं होगा।

इसी प्रकार शून्य शुल्क इपीसीज योजना उन निर्यातकों को उपलब्ध नहीं होगी जिन्होंने उस वर्ष एफटीपी {एफटीपी (2013) का पैरा 5.1 (बी)} के पैराग्राफ 3.16 के अन्तर्गत एसएचआईएस के लाभ प्राप्त किए थे। यदि उन्होंने पहले ही एसएचआईएस लाभ प्राप्त कर लिए हैं तब वें शून्य शुल्क योजना के लिए पात्र होंगे अगर वह लागू ब्याज सहित प्राप्त किए गए अपने एसएचआईएस लाभों का परित्याग या प्रतिदाय कर देते हैं।

हालांकि, अप्रैल 2011 के बाद की (3 वर्ष) अवधि के लिए डीजीएफटी इडीआई डाटा के विश्लेषण से पता चला कि ₹ 181.95 करोड़ के शुल्क क्रेडिट हेतु 227 एसएचआईएस स्क्रिप्स उन मामलों में अनियमित रूप से जारी किए गए थे जहां शून्य शुल्क इपीसीजी अधिकारों को समान वर्ष में समान फर्म को पहले ही जारी कर दिया गया था। यह भी देखा गया था कि ₹ 87.44 करोड़ राशि के बचाए गए शुल्क के 84 शून्य शुल्क इपीसीजी अधिकारों को उन मामलों में अनियमित रूप से जारी किया गया था जहां एसएचआईएस स्क्रिप्स उस वर्ष के दौरान समान फर्मों को पहले ही जारी की जा चुकी थी। इस प्रकार, इन 311 मामलों में बचाए गए अनियमित रूप से अनुमति दिए गए शुल्क क्रेडिट/शुल्क की कुल राशि ₹ 269.40 करोड़ थी।

डाटा विश्लेषण की पुष्टि के लिए ग्यारह आरएलएज<sup>20</sup> में प्रत्यक्ष फाइलों से 75 मामलों के नमूनों की दोतरफा जांच की गई थी। यह पुष्टि की गई कि इन सभी मामलों में लाइसेंसो/स्क्रिप्स को गलत रूप से जारी किया गया था। हालांकि चेन्नई, कानपुर, दिल्ली और बेंगलुरु आरएलएज में बाइस मामलों में एससीएन जारी करने, लाइसेंस के निरस्तीकरण, शुल्क वसूली आदि सुधारात्मक कार्रवाई आरम्भ की गई थी किन्तु निरस्तीकरण डाटा को डाटाबेस में अद्यतित नहीं किया गया था। इसके अलावा, 5 में से 3 मामलों में आरएलए बेंगलुरु द्वारा कार्रवाई आरम्भ की गई थी, यह देखा गया कि एसएचआईएस, स्क्रिप्स धारकों ने अपनी स्क्रिप्स पहले ही हस्तांतरित कर दी थी।

<sup>20</sup> 11 आएलए: कोलकाता, चेन्नई, कोचीन, हैदराबाद, कानपुर, मुम्बई, अहमदाबाद, जयपुर, लुधियाना, दिल्ली और बेंगलुरु

डीजीएफटी (मुख्यालय) ने ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के लिए सभी आरएलएज को अनुदेश दिए (18 फरवरी 2014)। हालांकि, डीजीएफटी ईडीआई डाटा से यह देखा गया कि 18 फरवरी 2014 के बाद भी एसएचआईएस स्क्रिप्स/शून्य शुल्क इपीसीजी लाइसेंसों का अनियमित रूप से निर्गम जारी रहा जो दर्शाता है कि नीति के प्रावधान के कार्यान्वयन के लिए इडीआई आवेदन में पता चलने के बाद भी कोई आशोधन नहीं किया गया था। उनकी 19 एसएचआईएस और 10 इपीसीजी लाइसेंस/स्क्रिप्स को डीजीएफटी परिपत्र के जारी होने बाद दो माह की अवधि (17 अप्रैल 2014 तक, डीजीएफटी द्वारा उपलब्ध कराई गई डाटा बैंक अप की तारीख) में गलत रूप से जारी किए गए थे।

इस मामले पर आरएलए हैदराबाद को लेखापरीक्षा जांच (17 अक्टूबर, 2014) की प्रतिक्रिया में आरएलए ने बताया (22 अक्टूबर, 2014) कि लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए एक मामले में इसने फर्म को केवल एसएचआईएस स्क्रिप जारी की थी और इपीसीजी लाइसेंस नहीं। अखिल भारतीय डाटाबेस से यह पाया गया कि आरएलए, विशाखापट्टनम द्वारा इपीसीजी अधिकार जारी किया गया था। इस प्रकार ना तो आरएलए हैदराबाद और ना ही आरएलए विशाखापट्टनम के पास यह जानने के कोई साधन थे कि फर्मों को दूसरे लाइसेंस/स्क्रिप जारी किए जा रहे थे।

आरएलए हैदराबाद की प्रतिक्रिया के आधार पर, जैसाकि ऊपर बताया गया, इपीसीजी अधिकार/एसएचआईएस स्क्रिप्स के गलत निर्गम के 311 मामलों की दोबारा जांच की गई थी जिसमें यह पाया गया कि 37 मामलों में (जैसाकि पिछले कॉलम में 'हां' टिप्पणी द्वारा दर्शाया गया: बेमेल आरएलए) जारीकर्ता आरएलएज स्क्रिप्स के दो प्रकारों हेतु भिन्न थे जो किसी भी आरएलएज द्वारा ऐसे मामले का पता लगाने हेतु कोई गुंजाईस नहीं छोड़ते।

इस प्रकार, डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली में एफटीपी प्रावधानों के उल्लंघन में एसएचआईएस/शून्य शुल्क इपीसीजी की एस साथ प्राप्ति को रोकने के लिए कोई जांच नहीं है जिसके परिणामस्वरूप शुल्क क्रेडिटों का गलत अनुदान हुआ है। इसके अलावा, यह निर्धारित करने के लिए आरएलएज हेतु डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली में कोई कार्यात्मकता नहीं बनाई गई है कि क्या कोई

एसएचआईएस/शून्य शुल्क ईपीसीजी लाइसेंस किसी दूसरे आरएलए से उसी फर्म को पहले ही जारी किया गया है और आवेदक द्वारा स्वयं की गई घोषणा पर विश्वास किया गया हालांकि ऐसे डाटा को डीजीएफटी डाटाबेस से आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता था।

#### 8.7.5 वीएफएफएम योजनाओं के अन्तर्गत समान नौपरिवहन बिलों के बहु-उपयोग

विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.17.8 के अनुसार हकदारी की अद्वितीयता के संबंध में अध्याय 3 योजनाओं के अन्तर्गत विशेष नौपरिवहन के लिए निर्यातक द्वारा केवल एक लाभ का दावा किया जा सकता है। तदनुसार, आयात-निर्यात फार्म (सं. एएनएफ 3सी, क्र.सं. 5 और 6) सामान्य आवेदन फार्म के अनुसार वीकेजीयूवाई एफएमएस और एफपीएस (एमएलएफपीएस सहित) के लिए अध्याय 3 की किसी योजना के अन्तर्गत शुल्क क्रेडिट लाभों के लिए आवेदन को यह घोषणा करनी है कि किसी दूसरी अध्याय 3 योजना के अन्तर्गत किसी लाभ का दावा नहीं किया गया था और इसका दावा उसके आवेदन में शामिल वर्तमान नौपरिवहन बिलों के लिए किया जाएगा।

अप्रैल 2011 के बाद से 3 वर्ष की अवधि के लिए एफटीपी के अध्याय 3 की योजनाओं के अन्तर्गत नौपरिवहन बिलों की उपयोगिता और शुल्क क्रेडिट हकदारी के अनुदान से संबंधित डीजीएफटी ईडीआई डाटा के विश्लेषण से पता चला कि 12 मामलों में समान नौपरिवहन बिलों को विभिन्न आवेदनों में उपयोग किया गया था जिस पर एफटीपी के अध्याय 3 की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स दिए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.05 करोड़ का गलत शुल्क क्रेडिट दिया गया।

आरएलए अहमदाबाद में दो और दिल्ली सीएलए में एक मामला फाइल की जांच से पता चला कि लाइसेंस धारक ने स्वयं लाइसेंस वापस कर दिए थे जहां नौपरिवहन बिल पर दूसरी बार विचार किया गया था। हालांकि, डाटाबेस से पुनः जांच पर पता चला कि इन लाइसेंसों में से किसी को भी इडीआई प्रणाली में निरस्त नहीं किया गया था। इसके अलावा, दिल्ली के मामले में सीएलए ने पिछली स्क्रिप के बदले में कमतर राशि के लिए नई स्क्रिप (सं. 0510354229, दिनांक 15 मई 2013) जारी की थी और बाद में दूसरी स्क्रिप

(सं 0510382707 दिनांक 26 मार्च 2014) में उसी एसबी के प्रति दूसरा शुल्क क्रेडिट दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप उक्त एसबी का दूसरी बार उपयोग हुआ। समान नौपरिवहन बिल के दोबारा उपयोग को रोकने के लिए ईडीआई प्रणाली में जांच अपर्याप्त है।

#### 8.7.6 गलत विनिमय दर के आवेदन के कारण क्रेडिट का गलत अनुदान हुआ

अध्याय 3 के अन्तर्गत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स और डीईपीबी स्क्रिप्स नौपरिवहन बिल (एसबी) पर घोषणा किए गए मुक्त विदेश विनिमय में निर्यातों के एफओबी मूल्य पर दिए और लैट एक्सपोर्ट ऑर्डर (एलईओ) की तारीख को विनिमय की मासिक सीमा शुल्क दर पर भारतीय रूपए में रूपांतरित किए जाए (एचबीपी का पैरा 3.11.11 और 4.43)। वित्त मंत्रालय (डीओआर) द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सीमा शुल्क विनिमय दर को विनिमय दर निदेशिका टेबल में दर्ज और अद्यतित किया जाता है।

अप्रैल 2011 के बाद की (3 वर्ष) अवधि के लिए डीजीएफटी ईडीआई डाटा के विश्लेषण से पता चला कि विनिमय की गलत दर के आवेदन के परिणामस्वरूप निर्यातों के एफओबी मूल्य की गलत गणना हुई और 1,30,998 डीईपीबी नौपरिवहन बिल मदों और 11,083 वीएफएफएम एसबी मदों के मामलों में गलत उच्चतर और न्यूनतर दोनों) शुल्क क्रेडिट दिया गया। इनमें से 84,739 नौपरिवहन बिल मदों के प्रति ₹ 3.62 करोड़ का अधिक शुल्क क्रेडिट दिया गया और 57,342 नौपरिवहन बिल मदों के प्रति ₹ 3.43 करोड़ का कम शुल्क दिया गया था, जैसाकि नीचे तालिका 8.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 8.1: इयूटी क्रेडिट का गलत अनुदान

	अधिक शुल्क क्रेडिट		कम शुल्क क्रेडिट		एसबी मदों की कुल सं.
	एसबी मदों की सं.	राशि (₹)	एसबी मदों की सं.	राशि (₹)	
डीईपीबी	77,086	1,79,37,532	53,912	2,81,06,304	1,30,998
वीएफएफएम	7,653	1,82,95,726	3,430	62,37,848	11,083
<b>जोड़:</b>	<b>84,739</b>	<b>3,62,33,258</b>	<b>57,342</b>	<b>3,43,44,152</b>	<b>1,42,081</b>

स्रोत: लेखापरीक्षा वर्कशीट्स (कार्यपत्रक)

इस प्रकार, दिए गए गलत शुल्क क्रेडिट की कुल मात्रा 1,42,081 अभिलेखों (84739+57342) में ₹ 7.06 करोड़ (₹ 3.62 करोड़+ ₹ 3.43 करोड़) था। यह भी देखा गया कि समान नौपरिवहन बिल में विभिन्न मदों के लिए विभिन्न विनिमय दरें लागू की गई थी, हालांकि एक एसबी के लिए केवल एक एलइओ तारीख और इसलिए इसके अन्तर्गत सभी मदों के लिए केवल एक विनिमय दर हो सकती थी।

759 मद स्तर डीईपीबी नौपरिवहन बिल अभिलेखों और 356 वीएफएफएम नौपरिवहन बिल अभिलेखों के नमूने की डाटा विश्लेषण के परिणामों की पुष्टि करने के लिए 7 आरएलएज<sup>21</sup> की फाइलों से प्रत्यक्ष रूप से जांच की गई थी। जांच किए गए सभी मामलों में यह देखा गया कि विनिमय दर से गलत रूप से दिया गया था, जैसाकि डाटाबेस से देखा गया है। इस संबंध में लेखापरीक्षा जांच पर अपने उत्तर (अक्टूबर 2014) में आरएलए हैदराबाद ने बताया कि ऑनलाईन फाइल किए गए आवेदनों के लिए प्रणाली स्वचालित रूप से लागू विनिमय दर पर आईएनआर में एफओबी की गणना करती है और आरएलए के पास किसी विनिमय दर को बदलने के लिए कोई अधिकार नहीं है। हालांकि, उन्होंने अपने मुख्यालय के पास मामले को लेकर जाने का आश्वासन दिया। दूसरे आरएलएज से उत्तर प्रतीक्षित है।

इस प्रकार, डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली काफी मामलों में गलत विदेश दरों को लागू करती है और यहां तक कि समान नौपरिवहन बिल में विभिन्न मदों के लिए भिन्न विनिमय दरें प्राप्त करती है जोकि मूलभूत आवेदन में गलत डाटा संसाधन को दर्शाता है जिसके कारण शुल्क क्रेडिट हकदारियों का गलत अनुदान हुआ।

#### **8.7.7 डीईपीबी योजना के अन्तर्गत शुल्क क्रेडिट हकदारियों का अधिक अनुदान**

30 सितम्बर 2011 तक उपलब्ध डीईपीबी योजना के संबंध में एफटीपी के पैरा 4.3.1 अनुसार एक निर्यातक स्वच्छंद रूप से रूपांतरणीय मुद्रा में किए गए निर्यातों के एफओबी मूल्य की विशेष प्रतिशतता पर शुल्क क्रेडिट के लिए आवेदन कर सकता था।

<sup>21</sup> 7आरएलएज: कोलकाता, कोचीन, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, कानपुर और जयपुर

### 8.7.7.1 गलत डीईपीबी क्रेडिट दर को लागू करने के कारण अधिक डीईपीबी क्रेडिट

समय-समय पर सार्वजनिक नोटिस द्वारा सूचित की गई डीईपीबी क्रेडिट दरों को डीजीएफटीएमएआईएन/ डाटाबेस की डीईपीबी योजना की डीईपीबी-आरएटी-413 टेबल में संग्रहित और अद्यतित किया जाता है और नौपरिवहन बिल मद स्तर पर हकदारी के डाटा को डीईपीबी-पीईपी-403 टेबल में संग्रहित किया जाता है।

डीईपीबी हकदारियों के डाटा के विश्लेषण से पता चला कि हालांकि लागू क्रेडिट दर को डीईपीबी दर निदेशिका से प्राप्त किया गया है फिर भी प्रदत्त दर 2,864 अभिलेखों में लागू दर से अधिक थी जिसके कारण ₹ 11.89 करोड़ मूल्य के उच्चतर शुल्क क्रेडिट दिए गए थे। इन में से 232 लाइसेंस फाइलों में 2,312 अभिलेखों में ₹ 8.92 करोड़ के गलत शुल्क क्रेडिट अकेले आरएलए हैदराबाद से संबंधित थे।

91 अभिलेखों के नमूनों की डीईपीबी दावों में दर्ज किए गए डाटा से संबंधित विश्लेषण की सटीकता की पुष्टि करने के लिए 6 आरएलएज<sup>22</sup> की फाइलों से प्रत्यक्ष रूप से जांच की गई थी जहां यह पाया गया कि अनुमत डीईपीबी दरे निदेशिका से प्राप्त की गई दरों से अलग थी जैसाकि विश्लेषण में देखा गया था। आरएलए अहमदाबाद में एक मामले में 44 प्रतिशत डीईपीबी दर को 4 प्रतिशत की योग्यता दर की अनुमति दी गई थी। आरएलए हैदराबाद में ऐसे मामलों की बड़ी संख्या के संबंध में कार्यालय ने बातया (30 अक्टूबर 2014) कि तथ्यों की फाइलों के संबंध में जांच की जाएगी। तथापि, मामलों की बड़ी संख्या (2,312 अभिलेख) होने के मद्देनजर सत्यापन में कुछ समय लगेगा।

आरएलए, कोचीन में यह देखा गया कि गलत डीईपीबी दर एक मामले में (क्रम सं. 2587) गलत एलईओ तारीख और अन्य 4 मामलों (क्रम सं. 1930 से 1933) में गलत उत्पाद कोड के कारण वसूल की गई थी। यह देखा गया कि इन मामलों में आरएलए ने सही शुल्क क्रेडिट दर प्रदान की थी किन्तु ईडीआई डाटा में संचार अभिलेखों को सही नहीं किया गया था।

<sup>22</sup> 6आरएलएज:अहमदाबाद, कोलकाता, कोचीन, हैदराबाद, लुधियाना और कानपुर



यह देखा गया कि डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली डाटाबेस में संशोधन किए बिना और परिवर्तनों के लिए कारणों या उपयोक्ता, जिसने परिवर्तन किए थे, को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अभिलिखित (प्रणाली में) किए बिना इसीओएम आवेदन की हार्डकॉपी के साथ प्रस्तुत किए गए प्रत्यक्ष अभिलेखों के आधार पर प्रणाली द्वारा संगणित मूल्यों (इसीओएम आवेदनों में प्रस्तुत डाटा के आधार पर संगणित) में सुधार करने के लिए आरएलएज हेतु मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति देती है। हस्त्य रूप से महत्वपूर्ण लाइसेंसिंग डाटा को बदलने हेतु विशेषाधिकार के परिणामस्वरूप शुल्क क्रेडिट का गलत अनुदान हुआ और परिवर्तन करने वाले व्यक्ति के किसी इलेक्ट्रॉनिक लेखापरीक्षा ट्रेल के बिना लाभों के अनियमित अनुदान की गुंजाईश उत्पन्न होती है।

#### 8.7.7.2 वैल्यू कैप आकृष्ट करने वाली मदों के लिए अधिक डीईपीबी क्रेडिट

जहां भी वैल्यू कैप को डीईपीबी अनुसूची दरों में निर्धारित किया गया है वहां क्रेडिट हकदारी को निर्यातों के एफओबी मूल्य पर स्वीकार्य डीईपीबी दर लागू करके या निर्यात मात्रा पर वैल्यू कैप लागू करके प्राप्त किए गए मूल्य पर, जो भी कम हो, गिना जाता है।

विशेष रूप से वैल्यू कैप आकृष्ट करने वाली मदों के लिए डीईपीबी हकदारी के विश्लेषण से पता चला कि 3,780 अभिलेखों में वैल्यू कैप के गलत आवेदन या उपेक्षा के परिणामस्वरूप ₹ 9.77 करोड़ मूल्य के अधिक डीईपीबी क्रेडिट का अनुदान हुआ।

उपरोक्त में से 1545 अभिलेखों में यह भी देखा गया कि डीईपीबी क्रेडिट राशि डीईपीबी क्रेडिट दर को लागू किए बिना वैल्यू कैप के साथ निर्यात मात्रा को सीधे गुणा करके प्राप्त की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.10 करोड़ (उपरोक्त ₹ 9.77 करोड़ में से) का अधिक शुल्क क्रेडिट दिया गया।

डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली में वैल्यू कैप आकृष्ट करने वाली मदों के लिए स्वीकार्य डीईपीबी क्रेडिट की गणना से संबंधित गणना प्रक्रिया में विसंगतियां हैं जिसके परिणामस्वरूप अधिक शुल्क क्रेडिट दिया गया।

### 8.7.7.3 योजना के आहरण के बाद किए गए निर्यातों पर डीईपीबी लाभ का अनियमित अनुदान

सार्वजनिक नोटिस सं. 54(आरई-2010)/2009-2014 दिनांक 17 जून 2011 के माध्यम से डीईपीबी योजना को 01 अक्टूबर 2011 से बन्द घोषित कर दिया गया था अर्थात् डीईपीबी शुल्क क्रेडिटों को 01 अक्टूबर 2011 के बाद किए गए निर्यातों पर नहीं दिया जाएगा।

अप्रैल 2011 के बाद की (3 वर्ष) अवधि से संबंधित अभिलेखों के विश्लेषण से पता चला कि ₹ 2.56 करोड़ मूल्य के डीईपीबी क्रेडिटों को 175 अभिलेखों में गलत रूप से दिया गया था, हालांकि इन सभी मामलों में निर्यात की तारीख 30 सितम्बर 2011 के बाद की थीं।

4 आरएलए<sup>23</sup> में 68 मामलों के नमूनों के प्रत्यक्ष सत्यापन और आरएलए मुम्बई में एलइएमआईएम अनुप्रयोग के 21 मामलों की जांच पर यह देखा गया कि डीईपीबी क्रेडिटों की उन मामलों में नौपरिवहन बिलों पर अनुमति दी गई थी जहां इसीओएम अनुप्रयोग पर मुद्रित एलईओ/निर्यात तारीख योजना के बन्द होने के बाद की थी। इसके बारे में बताए जाने के बाद आरएलए, हैदराबाद ने उत्तर दिया कि सभी 40 मामलों में संबंधित एसबीज से संबंधित माल को 30.09.2014 की कट-ऑफ तारीख से पहले सीमाशुल्क को सौंप दिया गया था और इसलिए यह एचबीपी, संस्करण-1 के पैरा 9.12 के संबंध में डीईपीबी लाभों के लिए पात्र है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि आरएलए ने इन मामले में, 'सीमाशुल्क को हस्तांतरण की तारीख' को कैसे निर्धारित किया था, क्योंकि इस डाटा को ईडीआई प्रणाली में प्रग्रहण नहीं कि गया है। तथ्य यह है कि यहां कट-ऑफ तारीख के वैधीकरण का अभाव था, और डीईपीबी लाभों की अनुमति उन मामलों में भी दी गई थी जहां दर्ज की गई निर्यात की तारीख योजना को बन्द होने की तारीख से बाद की थी। शेष 3 आरएलएज से प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

इस प्रकार, डीईपीबी के अन्तर्गत हकदारी की अनुमति देने के लिए कट-ऑफ हेतु महत्वपूर्ण तारीख के रूप में निर्यात की तारीख (एलईओ तारीख, निर्यात

<sup>23</sup> 4 आरएलएज: कोलकाता, कोचीन, हैदराबाद और कानपुर

तारीख, सीमाशुल्क को हस्तांतरण की तारीख आदि) के निर्धारण में अस्पष्ट थी जिसके परिणामस्वरूप योजना के आहरण के बाद किए गए निर्यातों पर डीईपी लाभों का गलत अनुदान हुआ।

#### 8.7.7.4 योजना से आहरित उत्पादों पर अनुमत डीईपीबी शुल्क क्रेडिट

विभिन्न उत्पादों को डीजीएफटी द्वारा जारी किए गए सार्वजनिक नोटिसों के माध्यम से समय-समय पर डीईपीबी दरों की अनुसूची से हटाने के साथ-साथ जोड़ा भी जाता है। उदाहरणार्थ, स्किम्ड मिल्क उत्पादों (एसएमपी), छेना और दूसरे अन्य दुग्ध उत्पादों को सार्वजनिक नोटिस सं. 26 (आरई-2010)/2009-2014 दिनांक 24.1.2011 के माध्यम से 25.01.2011 को या इसके बाद किए गए नौपरिवहन के संबंध में डीईपीबी लाभ के लिए अपात्र घोषित किया गया था। इसके बाद, कॉटन के निर्यात को पीएन 45 (आरई-2010)/2009-2014 दिनांक 31.03.2011 के माध्यम से 21.4.2010 को या इसके बाद किए गए नौपरिवहन के लिए डीईपीबी लाभ के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया था और डीईपीबी लाभों को पीएन 68/2009-2014 (आरई 2010) दिनांक 04.08.2011 के माध्यम से 01.10.2010 से वापस लौटा दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने ईडीआई प्रणाली में इन परिवर्तनों के सही कार्यान्वयन की पुष्टि करने के लिए जांच की थी। अप्रैल 2011 के बाद की 3 वर्ष की अवधि से संबंधित डीईपीबी योजना अभिलेखों के विश्लेषण से पता चला कि डीईपीबी शुल्क क्रेडिट दुग्ध उत्पादों, कॉटन और छेना के प्रति 24 अभिलेखों में गलत रूप से दिया गया था। अनियमित रूप से अनुमति दिया गया डीईपीबी क्रेडिट ₹ 0.21 करोड़ मूल्य का था। उपरोक्त मामलें दोबारा कारबार नियमों की खराब मैपिंग और योजना से आहरित उत्पादों पर डीईपीबी लाभों की अननुमति को सुनिश्चित करने हेतु इडीआई प्रणाली में जांच के अभाव को दर्शाते हैं।

आरएलए, कानपुर और आरएलए, मुम्बई में पांच मामलों की प्रत्यक्ष रूप से जांच की गई थी जिसने गलत अनुमति की पुष्टि की। लेखापरीक्षा जांच पर विभाग के उत्तर प्रतीक्षित है।

### 8.7.8 हकदारी की गलत गणना के कारण वीएफएफएम योजनाओं के अन्तर्गत निर्यातों पर अधिक शुल्क क्रेडिट का अनुदान

मुक्त हस्तांतरणीय शुल्क क्रेडिट स्क्रिप निर्यातों कि एफओबी मूल्य पर दिया जाएगा (एचबीपी का पैरा 3.11.11)। इसके अलावा, सभी पूर्व-वसूली मामलों को निर्यात प्राप्तियों की वसूली के संबंध में और अधिक/कम वसूली के समायोजन के लिए संबंधित आरए द्वारा मॉनीटर किया जाएगा, पैरा 3.11.13 की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

पश्च वसूली मामलों में वीएफएफएम योजनाओं (वीकेजीयूवाई, एफएमएस, एफपीएस और एमएलएफपीएस योजनाएं) के अन्तर्गत निर्यात उत्पाद पर शुल्क क्रेडिट हकदारी को योजना के अन्तर्गत स्वीकार्य शुल्क क्रेडिट दर द्वारा गुणा किए गए आईएनआर में वसूले गए एफओबी के आधार पर गिना, लेट कट की प्रतिशतता द्वारा कम किया जाना चाहिए, यदि कोई है।

डीजीएफटी द्वारा उपलब्ध कराई गई डाटा निदेशिका के अनुसार भारतीय मुद्रा में वसूले गए एफओबी को वीएफएफएम शुल्क क्रेडिट हकदारी गणना टेबल के 'एफओबी-ओएनबीसी-2503' फील्ड में संगृहित किया जाता है। भारतीय रूप में वसूले गए एफओबी के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा शुल्क क्रेडिट हकदारी की गणना से पता चला कि यहां 5,917 अभिलेख थे जिनमें अप्रैल 2011 के बाद से 3 वर्ष की अवधि के दौरान ₹ 0.98 करोड़ मूल्य के अधिक शुल्क क्रेडिट की अनुमति दी गई थी।

बारह फाईलों के नमूनों की वीएफएफएम दावों पर दर्ज किए गए डाटा से संबंधित विश्लेषण की सटीकता की पुष्टि करने के लिए 3 आरएलएज<sup>24</sup> पर प्रत्यक्ष रूप से जांच की गई थी, जहां यह पाया गया कि वीएफएफएम शुल्क क्रेडिट की गणना आईएनआर में वसूले गए एफओबी पर नहीं बल्कि किसी दूसरे मूल्य पर की गई थी। इस संबंध में लेखापरीक्षा जांच के अपने उत्तर में आरएलए हैदराबाद ने बताया कि उन मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही थी जहां स्क्रिप्स गलत रूप से जारी की गई थी जैसाकि लेखापरीक्षा ने बताया था। हालांकि, आरएलए कोचीन में दो मामलों में यह देखा गया कि विदेशी मुद्रा डाटा को गलत रूप से दर्ज किया गया था जिसके कारण ईडीआई

<sup>24</sup> 3 आरएलएज: हैदराबाद, कोचीन, कोलकाता

प्रणाली द्वारा गलत गणना की गई और शुल्क क्रेडिट स्क्रिप को ईडीआई डाटा को असंशोधित छोड़ते हुए फाइल में हस्त्य रूप से सुधार करने के बाद जारी कर दिया गया था।

यह देखा गया कि ईडीआई प्रणाली द्वारा शुल्क क्रेडिट की गलत अनुमति से अलग आरएलए ने ईडीआई डाटा ने आवश्यक संशोधन प्राप्त करने और करने की बजाय और ईडीआई प्रणाली पर गणना छोड़ते हुए, हस्त्य रूप से गणना की।

#### 8.7.9 डीईपीबी योजना के अन्तर्गत पहले से उपयोग किए गए नौपरिवहन बिलों पर घटाई गई दरों को लागू न करने के कारण वीकेजीयूवाई योजना के अन्तर्गत अधिक शुल्क क्रेडिट का अनुदान

उत्पाद (एचबीपी के परिशिष्ट 37ए में सूचीबद्ध) वीकेजीयूवाई योजना के अन्तर्गत निर्यातों (मुक्त विदेशी विनिमय) के एफओबी मूल्य 5% के बराबर शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के लिए हकदार है। हालांकि, पैरा 3.13.13 के अनुसार वीकेजीयूवाई हकदारी केवल उन मामलों में 3% की घटाई गई दर पर उपलब्ध है जहां निर्यातक ने विशेष डीईपीबी दर (अर्थात् उत्पाद ग्रुप 90 की विविध श्रेणी क्रम सं. 22 सी और 22 डी के अलावा) पर शुल्क क्रेडिट लाभ भी प्राप्त किया है। इसके अलावा, परिशिष्ट 37 ए की तालिका 2 में सूचीबद्ध कुछ उत्पाद वीकेजीयूवाई की 5% या 3% घटाई गई दर से अतिरिक्त निर्यातों के 2% एफओबी मूल्य के बराबर अतिरिक्त शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के हकदार है।

इस प्रकार, उन निर्यातों के लिए, जिन पर डीईपीबी क्रेडिट की विशेष दर प्राप्त की गई है, वीकेजीयूवाई क्रेडिट परिशिष्ट 37ए की तालिका 2 के अन्तर्गत उत्पादों के लिए 5% की उच्चतर घटाई गई दर और उक्त परिशिष्ट के दूसरे उत्पादों पर 3% की घटाई गई दर पर उपलब्ध है।

अप्रैल 2011 के बाद से 3 वर्ष की अवधि के लिए वीकेजीयूवाई स्क्रिप अभिलेखों की विशेष डीईपीबी दरों (अर्थात् उत्पाद कोड 90/22सी और 90/22डी के अन्तर्गत नहीं आने वाले) को आकृष्ट करने वाली मदों के अभिलेखों के साथ तुलना करने पर पता चला कि वीकेजीयूवाई योजना के अन्तर्गत ₹ 1.17 करोड़ मूल्य का अधिक शुल्क क्रेडिट की लागू 3% या 5% की घटाई गई दरों के लिए अनुमत दर की प्रतिशतता न होने के कारण 957

अभिलेखों में अनुमति दी गई थी। इससे ईडीआई अनुप्रयोग में बीकेजीयूवाई दरों पर प्रतिबद्धता के संबंध में एफटीपी के प्रावधान की अपर्याप्त मैपिंग का पता चला जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त शुल्क क्रेडिट हकदारियों का गलत अनुदान हुआ।

मामलों को ऐसे 40 और 42 मामलों के संबंध में क्रमशः कोलकाता (19 नवम्बर 2014) और चेन्नई (23 अक्टूबर 2014) के आरएलए के समक्ष उठाया गया था। उनके उत्तर भी प्रतीक्षित हैं।

उन मामलों में न्यूनतर दरों के लिए वीकेजीयूवाई हकदारियों की प्रतिबद्धता के संबंध में जहां डीईपीबी लाभों को भी प्राप्त किया गया था एफटीपी के प्रावधान की ईडीआई प्रणाली में अपर्याप्त मैपिंग के परिणामस्वरूप वीकेजीयूवाई शुल्क क्रेडिटों का अधिक अनुदान हुआ।

#### **8.7.10 ईडीआई प्रणाली के अन्तर्गत कवर न की गई कारोबार प्रक्रिया हस्त्य रूप से जांच की योजना में और आवश्यकता महत्वपूर्ण डाटा को प्रग्रहण करने में विफलता**

सीमाशुल्क नियमित आधार पर ऑनलाईन रूप से डीजीएफटी को एसबी डाटा भेजता है जोकि एफटीपी की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न लाभों के अनुदान हेतु असल जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। डाटा की ऑनलाईन प्राप्ति जानकारी की सटीकता, न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप, ठीक और तीव्र संसाधन आदि को सुनिश्चित करती है

हालांकि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि विभिन्न प्रकार की जानकारी, जोकि कारोबार प्रक्रियाओं अर्थात् एफटीपी के प्रावधानों के लिए आवश्यक है, को एसबी नामक डाटा के साथ सीमाशुल्क से प्रग्रहण या मांगा नहीं गया है।

**क)** योजना जिसके अन्तर्गत निर्यात अभीष्ट थे।

**ख)** ईपीसीजी/डीएफआईए/एए योजना के अन्तर्गत लाइसेंस के शीघ्र डिस्चार्ज हेतु निर्यात बिल में उल्लिखित लाइसेंस संख्या/लाइसेंस फाइल।

**ग)** क्या सीमाशुल्क शुल्क फिरती बिल है।

- घ) दावा की गई/दी गई फिरती, यदि कोई है, जोकि वीकेजीयूवाई योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली घटाई गई हकदारी दर के निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण है।
- ङ) डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली में सीमाशुल्क द्वारा मंजूर किए गए नौपरिवहन बिलों में उपलब्ध माल के वास्तविक मद विवरण को डीईपीबी/वीएफएफएम शुल्क क्रेडिट गणनाओं के निर्धारण हेतु सीमाशुल्क एसबी डाटा से नहीं लिया गया था। इसके बजाय, मद विवरण को डीईपीबी/वीएफएफएम अनुसूची से लिया गया था, यह वास्तविक रूप से निर्धारित माल के विवरण पर सही जानकारी नहीं देता। इसलिए निर्यात मदों के सीमाशुल्क द्वारा प्रमाणित मद विवरणों पर ध्यान न देने के कारण शुल्क क्रेडिट लाभों का गलत अनुदान हुआ।
- च) एचबीपी (2012-13) पैरा 3.11.9 के अनुसार नौपरिवहन बिल के ग्रहण/विमोचन की तारीख जैसे लागू लेट कट के निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण तारीखें।
- छ) पैरा 9.12 के परन्तुक के अनुसार नीति प्रावधान के परिवर्तनों के मामले में एफटीपी लाभों की पात्रता के निर्धारण हेतु अपेक्षित सीमाशुल्क को माल के हस्तांतरण की तारीख।

डीजीएफटी को जारी की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों (14 नवम्बर, 2014) के उत्तर में विभाग ने व्यापार नियमों को समझने में और डाटाबेस में मामलों के विश्लेषण करने के लेखापरीक्षा के प्रयासों की सराहना की है, उनका विश्वास है कि इससे उनकी प्रणाली और प्रक्रिया को सुधारने में सहायता मिलेगी।

### 8.8 निष्कर्ष

डीजीएफटी और इसके क्षेत्रीय कार्यालय अपने अधिदेशी कार्य के लिए डीजीएफटी व्यापार महत्वपूर्ण ईडीआई प्रणाली पर अब काफी निर्भर करते हैं। डीजीएफटी ईडीआई डाटाबेस और प्रक्रियाओं के विश्लेषण से एफटीपी प्रावधानों की गलत या अपर्याप्त मैपिंग, दर्ज किए गए डाटा के वैधीकरण के अभाव, अधिक मानवीय हस्तक्षेपों और डाटा के परिवर्तनों की अनुमति, महत्वपूर्ण दर निदेशिकाओं का गलत अद्यतन आदि का पता चला।

राजस्व प्रभाव सहित महत्वपूर्ण ऑनलाईन प्रणाली के प्रबंध के लिए क्षमता के साथ डीजीएफटी में अनुरूप आईएस संगठन की तत्काल आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने क्रमशः ₹ 1062.40 करोड़ और ₹ 987.21 करोड़ के प्रणालीगत मामले और प्रचालनात्मक खराबी से संबंधित मामले और कारबार नियमों की गलत मैपिंग देखी।

नई दिल्ली  
दिनांक:

(डा. नीलोत्पल गोस्वामी)  
प्रधान निदेशक (सीमा शुल्क)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक:

(शशि कान्त शर्मा)  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



**अनुबंध**

अनुबंध - 1

(संदर्भ: पैराग्राफ 1.25)

(₹ लाख)

क्र. सं.	ड्राफ्ट आडिट पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपति राशि	स्वीकार्य राशि	वसूली गई राशि	आयुक्तालय/डीजीएफटी/डीसी का नाम
1	ए1	अहमदाबाद	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम वसूली	14.11	14.11	16.55	एसीसी, अहमदाबाद
2	ए2	अहमदाबाद	ईपीसीजी योजना के अंतर्गत निर्यात दायित्व पूरा करने के प्रति अनर्हक निर्यात की गलत गणना	401.00	401.00		आरएलए, राजकोट
3	ए3	अहमदाबाद	वीकेजीयूवाई योजना के तहत अधिक शुल्क क्रेडिट की मंजूरी	16.86	16.86	16.86	(आरएलए) कांदला वि.आ. क्षे. (केएसेज), गांधीधाम
4	ए4	अहमदाबाद	क्लीन एनर्जी अधिभार का नगद भुगतान न करना	38.50	38.50	38.50	सीमाशुल्क भवन (एमपीएण्डएसईजेड)
5	ए5	दिल्ली	अधिसूचना लाभ की गलत मंजूरी के कारण शुल्क की कम उगाही	39.50	39.50	6.40	तुगलकाबाद, दिल्ली
6	ए6	दिल्ली	अधिसूचना लाभ की गलत मंजूरी के कारण शुल्क की कम उगाही	9.80	9.80	11.26	आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली
7	ए7	दिल्ली	एंटी डंपिंग शुल्क की गैर वसूली	57.81	57.81	50.55	आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली
8	ए8	दिल्ली	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम वसूली	15.57	15.57	16.52	आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली
9	ए9	दिल्ली	अधिसूचना लाभ की गलत मंजूरी	27.56	27.56	30.83	आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली
10	ए10	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की	16.96	16.96	9.08	चेन्नई (समुद्री)

क्र. सं.	ड्राफ्ट आडिट पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपति राशि	स्वीकार्य राशि	वसूली गई राशि	आयुक्तालय/डीजीएफटी/ डीसी का नाम
			कम वसूली				
11	ए11	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम वसूली	71.75	71.75	81.76	चेन्नई (समुद्री)
12	ए12	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम वसूली	10.23	10.23	12.11	चेन्नई (समुद्री)
13	ए13	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	18.85	18.85	21.68	चेन्नई (समुद्री)
14	ए14	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	23.17	23.17	25.26	चेन्नई (समुद्री)
15	ए15	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण सीमाशुल्क का कम उद्ग्रहण	15.59	15.59		चेन्नई (समुद्री)
16	ए16	चेन्नई	शुल्क क्रेडिट स्क्रिप में स्वच्छ ऊर्जा उपकर का गलत डेबिट	15.45	15.45		तूतीकोरिन सीमाशुल्क
17	ए17	चेन्नई	शुल्क की रियायती दर के गलत अनुप्रयोग से कम उद्ग्रहण	14.03	14.03	15.21	चेन्नई (समुद्री)
18	ए18	चेन्नई	अधिसूचना लाभ के गलत विस्तारण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	14.09	14.09		चेन्नई (समुद्री)
19	ए19	चेन्नई	सीमा शुल्क की विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट का गलत लाभ	12.01	12.01	7.56	चेन्नई (समुद्री)
20	ए21	मुम्बई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	10.73	10.73		जेएनसीएच न्हावाशेवा, मुम्बई

क्र. सं.	ड्राफ्ट आडिट पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपति राशि	स्वीकार्य राशि	वसूली गई राशि	आयुक्तालय/डीजीएफटी/ डीसी का नाम
21	ए22	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण और अधिसूचना लाभ का गलत विस्तारण	13.82	13.82	7.93	चेन्नई (समुद्री)
22	ए24	मुम्बई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	25.11	25.11		जेएनसीएच न्हावाशेवा, मुम्बई
23	ए25	मुम्बई	डीटीए मंजूरीयो पर एंटी डम्पिंग शुल्क न लगाना	14.76	14.76	35.25	गोवा
24	ए26	कोलकाता	अग्रिम प्राधिकरण के प्रति निर्यात देयता को पूरा न करने के लिए शुल्क की वसूली न करना	145.13	145.13		एडीजीएफटी, कोलकाता सीई 7 सीशु, भुवनेश्वर-1
25	ए27	कोच्ची	सोने के टैरिफ मूल्य के गलत अनुप्रयोग के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	34.49	34.49	34.58	सीमाशुल्क, कोच्ची
26	ए30	मुम्बई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	11.14	11.14	0.22	जेएनसीएच, मुम्बई
27	ए31	मुम्बई	एंटी डम्पिंग शुल्क का कम उद्ग्रहण	23.94	23.94		जेएनसीएच न्हावाशेवा, मुम्बई
28	ए32	बंगलौर	निर्यात देयता पूरा न करना	122	122	131.00	आरएलए, बँगलोर
29	ए33	अहमदाबाद	अधिसूचना का गलत लाभ लेना	9.53	9.53	10.47	एसीसी, अहमदाबाद
30	ए34	अहमदाबाद	गलत एफई अर्जन के कारण अत्याधिक एसएफआईएस शुल्क क्रेडिट अनुदान	12.91	12.91	14.60	आरएलए अहमदाबाद
31	ए37	दिल्ली	गलत वर्गीकरण के	12.21	12.21	9.50	आईसीडी, तुगलकाबाद,

क्र. सं.	ड्राफ्ट आडिट पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपति राशि	स्वीकार्य राशि	वसूली गई राशि	आयुक्तालय/डीजीएफटी/डीसी का नाम
			कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण				दिल्ली
32	ए38	मुम्बई	एसएफआईएस योजना के तहत शुल्क क्रेडिट का गलत अनुदान	553.00	553.00		डीजीएफटी, मुम्बई
33	ए39	बंगलौर	एसएफआईएस योजना के तहत अत्याधिक शुल्क क्रेडिट	10.28	10.28		आरएलए, बेंगलोर
34	ए40	कोलकाता	इओयू से डीबांडड पूंजीगत माल पर अत्याधिक मूल्याहस देने के कारण ईपीसीजी लाइसेंस में कम शुल्क, डेबिट किया गया	58.69	58.69		फाल्टा, सेज, कोलकाता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, हल्दिया डिविजन, हल्दिया
35	ए41	बंगलौर	ईपीसीजी के संबंध में निर्यात देयता को पूरा न करना	31.10	31.10	35.09	आरएलए बेंगलोर
36	ए42	बंगलौर	अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत निर्यात देयता को पूरा न करना	76.31	76.31		आरएलए बेंगलोर
37	ए43	बंगलौर	अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत निर्यात देयता को पूरा न करना	36.62	36.62	12.05	आरएलए बेंगलोर
38	ए44	हैदराबाद	वीकेजीयूवाई स्क्रिप में अत्याधिक शुल्क क्रेडिट की संस्वीकृति	61.50	61.50	61.50	जेडीजीएफटी विशाखापट्टनम
39	ए45	कोलकाता	ईओयू द्वारा डीटीए से खरीदे गए अयोग्य माल पर शुल्क छूट का	34.71	34.71		डीसी, फाल्टा सेज, कोलकाता सीईएक्स, विष्णुपुर, सीईएक्स डीवीजन हल्दिया

क्र. सं.	ड्राफ्ट आडिट पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपति राशि	स्वीकार्य राशि	वसूली गई राशि	आयुक्तालय/डीजीएफटी/ डीसी का नाम
			गलत अनुदान				
40	ए46	अहमदाबाद	अयोग्य मद के निर्यात के लिए वीकेजीयूवाई शुल्क क्रेडिट का गलत अनुदान	34.91	34.91	53.48	आरए, अहमदाबाद
41	ए48	बंगलौर	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्वग्रहण	10.86	10.86	8.70	एसीसी, वेंगलौर
42	ए49	बंगलौर	टैरिफ मूल्य न अपनाने के कारण शुल्क का कम उद्वग्रहण	8.72	8.72	10.89	एसीसी, वेंगलौर
43	ए50	मुम्बई	डीटीए मे माल की अनियमित निकासी	24.43	24.43	36.23	रायगढ़
44	ए51	अहमदाबाद	पैकिंग किये गए साफ्टवेयर पर शुल्क छूट की गलत प्राप्ति	13.15	13.15	13.16	एसीसी, अहमदाबाद
45	ए52	बंगलौर	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्वग्रहण	10.32	10.32	10.32	एसीसी, वेंगलौर
46	ए53	कोच्ची	ईपीसीजी योजना के अन्तर्गत निर्यात दायित्व को पूरा ना करना	24.68	24.68		आरएलए, त्रिवेन्द्रम
47	ए56	कोच्ची	गलत वर्गीकरण के कारण छूट का अयोग्य अनुदान	35.35	35.35		कोचीन
48	ए57	हैदराबाद	टाइटेनियम डाइ-आक्साईड आधारित रंग वर्णक का गलत वर्गीकरण	34.75	34.75		हैदराबाद ॥
49	ए62	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के	12.2	12.2	12.19	चेन्नै समुद्र सीमा

क्र. सं.	ड्राफ्ट आडिट पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपति राशि	स्वीकार्य राशि	वसूली गई राशि	आयुक्तालय/डीजीएफटी/डीसी का नाम
			कारण शुल्क का कम उदग्रहण				
50	ए64	मुम्बई	प्रतिपादन शुल्क का उदग्रहण ना करना	11.92	11.92	6.12	जेएनसीएच
51	ए66	कोलकाता	निर्यात लाभ वसूल करने में विफलता के कारण फिरती की वसूली ना होना	71.17	71.17	2.37	सीमा शुल्क (हवाई अड्डा) कोलकाता
52	ए68	चेन्नई	आईसक्रीम स्टीकक्स का गलत वर्गीकरण	11.82	11.82		चेन्नई (समुन्द्री)
53	ए70	चेन्नई	वीकेजीयूवाई योजना के तहत अयोग्य मदों पर शुल्क क्रेडिट का अनुदान	9.02	9.02	10.77	आरएलए, चेन्नै
54	ए71	मुम्बई	प्रतिपादन शुल्क का कम उदग्रहण	12.08	12.08	2.15	जेएनसीएच, नावाशावा मुम्बई
55	ए72	मुम्बई	प्रतिपादन शुल्क का उदग्रहण ना करना	13.74	13.74	6.51	जेएनसीएच, मुम्बई
56	ए74	मुम्बई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	75.39	75.39		जेएनसीएच, मुम्बई
57	ए76	मुम्बई	गलत वर्गीकरण के कारण अनुदग्रहण	35.48	35.48	6.24	एसीसी मुम्बई
58	ए79	कोलकाता	आयातित विमानन टरबाईन ईंधन पर शुल्क का उदग्रहण ना करना	58.41	58.41		(हवाईअड्डा), कोलकाता
59	ए80	कोलकाता	पुन निर्यात ना किये गए माल पर शुल्क की वसूली ना होना	26.61	26.61		सीमा शुल्क सदन/कोलकाता
60	ए81	कोलकाता	चूककर्ताओं से	12.26	12.26	1.12	सीमा शुल्क हाऊस

क्र. सं.	ड्राफ्ट आडिट पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपति राशि	स्वीकार्य राशि	वसूली गई राशि	आयुक्तालय/डीजीएफटी/ डीसी का नाम
			सीमाशुल्क देयों की वसूली के लिए अप्रभावी निगरानी प्रणाली				कोलकाता
61	ए88	चेन्नई	फर्लेजिस का गलत वर्गीकरण	10.59	10.59	0.48	चेन्नई (समुन्द्री)
62	ए89	मुम्बई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	9.59	9.59	11.09	जेएनसीएच, मुम्बई
63	ए91	मुम्बई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	11.71	11.71	8.22	जेएनसीएच, मुम्बई
64	ए94	चेन्नई	इंटरएक्टिव वाइट बोर्डों का गलत वर्गीकरण	14.46	5.65		चेन्नई (समुन्द्री)
65	ए95	चेन्नई	एसएचआईएस के तहत शुल्क क्रेडिट का अयोग्य अनुदान	48.05	48.05		आरएलए, चेन्नई
66	ए96	चेन्नई	अधिसूचना लाभ को गलत लागू करने के कारण सीमाशुल्क का कम उदग्रहण	13.73	13.73		चेन्नई (समुद्र)
67	ए97	चेन्नई	आधारभूत सीमाशुल्क की रियायती दर के गलत अनुदान के कारण कम उदग्रहण	19.96	19.96		चेन्नई (समुद्र)
68	ए98	चेन्नई	विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट की गलत प्राप्ति के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	34.42	34.42	38.70	चेन्नई (समुद्र)
69	ए100	कोलकाता	चूककर्ताओं से देयों की वसूली के लिए अप्रभावी निगरानी	14.71	14.71		आरएलए कोलकाता



क्र. सं.	ड्राफ्ट आडिट पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपति राशि	स्वीकार्य राशि	वसूली गई राशि	आयुक्तालय/डीजीएफटी/डीसी का नाम
			प्रणाली				
70	ए104	मुम्बई	प्रतिपाटन शुल्क का कम उदग्रहण	14.19	14.19	14.19	जेएनसीएच, नावाशावा मुम्बई
71	ए106	मुम्बई	सीमाशुल्क के अतिरिक्त शुल्क से गलत छूट	10.66	7.66		जेएनसीएच नावा शेवा मुम्बई
72	ए109	मुम्बई	शुल्क क्रेडिट के अतिरिक्त अनुदान के कारण लेट कट की गलत गिनती	16.11	16.11	17.11	डीजीएफटी, मुम्बई
73	ए110	मुम्बई	शुल्क की रियायती दर पर अनियमित डीटीए बिक्री	153.36	153.36	227.00	एसईईपीजेड, मुम्बई
74	ए111	मुम्बई	कच्चे माल की शुल्क मंजूरी का कम भुगतान	16.44	16.44		सीई, रेंज, बेलापुर-1
75	ए112	दिल्ली	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम उगाही	12.34	12.34	13.75	आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली
76	ए113	दिल्ली	वल्केनाइज़्ड रबड और डिजिटल टीवी सेट टाप बाक्स की सिंथेटिक शीट का गलत वर्गीकरण	10.21	10.21	3.86	आईसीडी तुगलकाबाद दिल्ली एनसीएच नई दिल्ली
77	ए115	दिल्ली	आरएसपी पर अधिक कटौती की अनुमति के कारण शुल्क की कम उगाही	10.09	10.09	9.65	आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली
78	ए117	अहमदाबाद	स्थापना प्रभारों की कम वसूली	146.91	146.91	146.70	कोडला, अहमदाबाद और जामनगर
79	ए122	चेन्नै	गलत वर्गीकरण के कारण अतिरिक्त सीमाशुल्क की गैर उगाही	25.29	25.29		चेन्नै समुद्र सीमाशुल्क

क्र. सं.	ड्राफ्ट आडिट पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपति राशि	स्वीकार्य राशि	वसूली गई राशि	आयुक्तालय/डीजीएफटी/डीसी का नाम
80	ए123	चेन्नै	गलत वर्गीकरण के कारण अधिसूचना लाभ का गलत अनुदान	44.72	44.72		चेन्नै (समुद्र)
81	ए124	चेन्नई	अयोग्य मदों पर दिया गया शुल्क क्रेडिट	16.38	16.38	1.51	सीमाशुल्क हाऊस तूतीकरण
82	ए128	मुंबई	टीपीएस योजना के अंतर्गत अधिक क्रेडिट की स्वीकृति	28.86	28.86	54.93	जेएनसीएच, मुंबई
83	ए132	मुंबई	डीटीए में माल की बिक्री के कारण एटी डंपिंग शुल्क की गैर-उगाही	12.90	12.90	19.06	एसईईपीजेड, मुंबई
84	ए133	मुम्बई	अतिरिक्त शुल्क का अनुदग्रहण	16.47	16.47	16.47	जेएनसीएच मुम्बई
85	ए135	चेन्नै	गलत वर्गीकरण के कारण सीमाशुल्क के अतिरिक्त शुल्क की कम उगाही	34.30	34.30		चेन्नै (समुद्र)
86	ए136	चेन्नै	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम एकत्रण	382.00	382.00		चेन्नै (समुद्र/वायु)
87	ए142	मुंबई	सेवा कर का भुगतान न करना	27.37	27.37		एसटीपीआई/ईओयू, मुंबई
88	ए144	मुंबई	पूर्व निर्यात शर्तों की पूर्ति न करना	29.79	29.79	20.72	एसीसी, मुंबई
89	ए145	अहमदाबाद	गलत वर्गीकरण के कारण सीमाशुल्क की कम उगाही	10.3	10.3	12.07	एसीसी, अहमदाबाद
90	ए148	मुंबई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम उगाही	22.20	22.20		जेएनसीएच, मुंबई
91	ए149	चेन्नई	लेजर वेल्डड इवापोरेट प्लेटस गलत वर्गीकरण	13.44	13.44		चेन्नई (समुन्द्री)
92	होस्पिटैलिटी क्षेत्र पर	अहमदाबाद	निर्यात का कम निर्धारण	28.86	28.86		आरएलए अहमदाबाद

क्र. सं.	ड्राफ्ट आडिट पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपति राशि	स्वीकार्य राशि	वसूली गई राशि	आयुक्तालय/डीजीएफटी/ डीसी का नाम
	लम्बा पैरा 8.2						
	पैरा 8.3	अहमदाबाद	निर्यात का कम निर्धारण	35.19	35.19		आरएलए अहमदाबाद
	पैरा 9	कोलकाता	गैर/विलम्बमि संस्थापन प्रमाणपत्र की प्रस्तुती				आरएलए कोलकाता
	पैरा 11	दिल्ली	अयोग्य माल के आयात के परिणामस्वरूप कम शुल्क उदग्रहण	2.27	2.27	1.30	आरएलए नई दिल्ली
	पैरा 14.1	बेंगलुरु, चण्डीगढ़ , अहमदाबाद	अधिकार-पत्र की गलत छूट	50.84	37.79		आरएलए बेंगलुरु (1.07 लाख) आरएलए अमृतसर (13.05 लाख) आरएलए अहमदाबाद (36.74 लाख)
	पैरा 14.2	चेन्नई	अधिकार-पत्र की गलत छूट	2.04	2.04		आरएलए चेन्नई
	पैरा 18.5	जयपुर	एसएफआईएस योजना के तहत अत्याधिक शुल्क क्रेडिट स्क्रिप देना	7.98	7.98		आरएलए जयपुर
			<b>कुल</b>	<b>3889.91</b>	<b>4011.96</b>	<b>1540.09</b>	

अनुबंध 2: डीआरआई द्वारा पता लगाए गए शुल्क अपवंचन के मामलों (योजना-वार)

(संदर्भ पैराग्राफ 2.4.1)

₹ करोड़

क्रम सं.	योजना	वि.व.10		वि.व.11		वि.व.12		वि.व.13		वि.व.14	
		मामलों की सं.	शुल्क	मामलों की सं.	शुल्क	मामलों की सं.	शुल्क	मामलों की सं.	शुल्क	मामलों की सं.	शुल्क
1	अंतिम उपयोग और दूसरे एनओटीएन का दुरुपयोग	15	24.60	26	100.55	54	304.84	39	67.79	38	1211.67
2	ईपीसीजी का दुरुपयोग	3	0.90	10	3.33	6	25.72	13	179.55	22	583.08
3	कम निर्धारण	105	166.18	197	132.12	184	466.17	210	282.43	140	432.71
4	गलत घोषणा	100	215.24	91	110.19	111	844.44	298	2392.26	102	224.22
5	फिरती	38	91.76	102	81.42	13	25.93	71	1590.14	17	80.50
6	इओयू/ईपीजेड/सेज का दुरुपयोग	9	3.28	4	0.04	6	9.66	7	39.07	3	6.90
7	डीईपीबी का दुरुपयोग	21	7.40	34	3.80	26	23.93	16	22.77	5	3.09
8	डीईईसी/अग्रिम लाइसेंस का दुरुपयोग	10	5.66	18	264.62	1	0.10	6	139.73	1	0
9	अन्य	90	100.21	99	130.40	97	27.43	49	28.92	366	570.55
<b>जोड़</b>		<b>391</b>	<b>615.23</b>	<b>581</b>	<b>826.47</b>	<b>498</b>	<b>1728.22</b>	<b>709</b>	<b>4742.66</b>	<b>694</b>	<b>3112.72</b>

अनुबंध 3: विनिर्दिष्ट वस्तुओं की जल्ती

(संदर्भ पैराग्राफ 2.4.2)

₹ करोड़

क्र. सं.	वस्तु	वि.व. 10		वि.व. 11		वि.व. 12		वि.व. 13		वि.व. 14	
		अखिल भारत	डीआरआई	अखिल भारत	डीआरआई	अखिल भारत	डीआरआई	अखिल भारत	डीआरआई	अखिल भारत	डीआरआई
I	मशीनरी पुर्ज	480.20	9.58	249.76	106.61	133.71	113.34	69.50	38.78	563.18	535.67
II	वाहन/पोत/एयर क्रॉफ्ट	69.98	39.78	24.89	1.13	415.40	274.61	306.08	191.15	472.89	327.29
III	सोना	27.46	13.95	9.34	0.25	46.43	8.25	99.35	44.80	692.35	245.92
IV	नार्कोटिक्स ड्रग्स	116.23	37.52	58.33	16.72	1711.93	1653.81	969.16	194.84	451.98	209.00
V	इलेक्ट्रॉनिक सामान	120.03	13.94	167.04	21.49	189.98	4.06	71.66	13.14	37.85	19.48
VI	विदेशी मुद्रा	3.79	0.39	3.83	1.36	35.55	0.27	9.96	0.06	14.49	5.97
VII	हीरा	13.83	7.77	11.52	1.00	24.66	15.50	9.46	5.00	6.62	5.27
VIII	भारतीय मुद्रा	3.95	2.06	2.11	1.16	18.20	0.31	4.87	2.44	5.20	2.12
IX	भारतीय नकली मुद्रा	0.65	0.55	1.81	1.50	2.64	2.19	2.24	2.02	1.13	1.09
X	फैब्रिक/सिल्क धागा आदि	71.95	30.74	187.7	36.45	158.79	52.38	49.89	5.45	24.03	1.04
XI	कंप्यूटर/पुर्जे	15.95	7.28	5.29	2.26	4.99	1.19	18.6	0.36	0.46	0
XII	बियरिंग्स	0.66	0	0.14	0	6.10	1.98	0.32	0	0.47	0
XIII	घड़ी/पुर्जे	0.82	0	4.31	3.06	7.30	2.78	8.88	1.41	1.17	0
XIV	विविध/अन्य	1231.00	516.61	1749.63	620.27	0	0	0	0	0	0
	<b>कुल</b>	<b>2156.50</b>	<b>680.17</b>	<b>2475.70</b>	<b>813.26</b>	<b>2755.68</b>	<b>2130.67</b>	<b>1619.97</b>	<b>499.45</b>	<b>2271.82</b>	<b>1352.85</b>

अनुबंध 4

(संदर्भ अध्याय IV)

क्र. सं.	संक्षिप्त विषय	डीएपी सं.	राशि (₹ लाख में)	आयुक्तालय	क्या स्वीकृत अस्वीकृत है
1.	गलत तरीके से अनुमत परियोजना आयात लाभ	ए 139	12.13	सीमाशुल्क (पोर्ट कोलकाता)	अस्वीकृत
2.	शुल्क की अधिक वापसी	ए 58	8.96	सीमाशुल्क (पोर्ट कोलकाता)	अस्वीकृत

अनुबंध 5

(संदर्भ अध्याय V)

क्र. सं.	संक्षिप्त विषय	अधिसूचना सं. के तहत अनुमत छूट	राशि (₹ लाख में)	डीएपी सं.	आयुक्तालय	क्या स्वीकृत है।	वसूली (₹ लाख में)
1.	स्टील स्ट्रीप/ उच्च स्पीड स्टील की गलत छूट	दिनांक 17 मार्च 2012 की 12/2012-सी.शु.	10.33	ए 67	आईसीडी तुगलकाबाद और पडपडगंज	आंशिक रूप से	2.60
2.	बच्चों के खिलौने पर टैरिफ रियायत	दिनांक 22 जुलाई 2005 की 72/2005	10.72	ए 55	आईसीडी तुगलकाबाद	कोई उत्तर प्राप्त नहीं	-

अनुबंध 6

(संदर्भ अध्याय VI)

क्र. सं.	संक्षिप्त विषय	सीटीएच जिसके तहत वर्गीकृत है	सीटीएच जिसके तहत वर्गीकृत करने योग्य है	राशि (₹ लाख में)	डीएपी सं.	आयुक्तालय	क्या स्वीकृत है।
1.	ओप्टिकल ग्राउंड वायर का गलत वर्गीकरण	85447090	85446090	19.81	ए 121	चैन्नई (समुद्री)	कोई उत्तर प्राप्त नहीं
2.	टेबल फैन के भागों का गलत वर्गीकरण	85011019	84149030	16.77	ए 134	चैन्नई (समुद्री)	अस्वीकृत
3.	खाद्य/आहार पूरकों का गलत वर्गीकरण	30039011	21069099	10.23	ए 78	चैन्नई (समुद्री)	कोई उत्तर प्राप्त नहीं

क्र. सं.	संक्षिप्त विषय	सीटीएच जिसके तहत वर्गीकृत है	सीटीएच जिसके तहत वर्गीकृत करने योग्य है	राशि (₹ लाख में)	डीएपी सं.	आयुक्तालय	क्या स्वीकृत है।
4.	इंजेक्शनो के लिए रबड़ गास्कट और चिकित्सा उपकरणो के लिए रबड़ बल्ब का गलत वर्गीकरण	9018 90 99	4016 93 40 और 4016 99 90	11.09	ए 150	आईसीडी, तुगलकाबाद	कोई उत्तर प्राप्त नहीं
5.	प्रोटीन कांसट्रेट और टेक्सचरर्ड प्रोटीन वस्तुओं का गलत वर्गीकरण	35040091	21061000	10.45	ए 147	जेएनसीएच, मुम्बई	कोई उत्तर प्राप्त नहीं
6.	ईपीडीएम गास्कट, रबड़ वाशर, आईपीई डेकिंग, बैलून और हेयर रबड़ का गलत वर्गीकरण	95030090	40169990	10.15	ए 60	आईसीडी, तुगलकाबाद	आंशिक रूप से स्वीकृत
<b>कुल</b>				<b>78.50</b>			

### अनुबंध 7

(संदर्भ अध्याय VII)

क्रम सं.	संक्षिप्त विषय	डीएपी सं.	आयातक/लाइसेंसधारक (मै.)	राशि (₹ लाख में)	कमिश्नरी	क्या स्वीकार किया गया
1	एफएमएस/एफपीएस स्क्रिप्स से उपकर की अनियमित डेबिटिंग	ए 54	जीआईएमपीईएक्स लिमिटेड हैदराबाद और मै.आइएमएफए भुवनेश्वर	18.60	सीमाशुल्क हाऊस, पारादीप	अस्वीकृत
2	शुल्क की रियायती दर पर अनियमित डीटीए बिक्री	ए 131	विराज प्रॉफाइल्स लिमिटेड	16.95	डीसी, एसईईपीजेड, मुम्बई	अस्वीकृत
3	अधिक शुल्क क्रेडिट का अनुदान	ए 35	शाह नानजी नगसी एक्सपोर्ट प्रा.	16.68	आरएलए, नागपुर	अस्वीकृत
4	अपात्र निर्यातों के लिए दिया क्रेडिट	ए 127	दीपक नाइट्राइट लिमिटेड	25.17	आरएलए, पुणे	अस्वीकृत
5	वैध पंजीकरण एवं सदस्यता प्रमाण पत्र (आरसीएमसी) के बिना सेवा प्रदाता को जारी ईपीसीजी अधिकार	लम्बा पैरा का उप पैरा 7	पारीख इन्त प्राइवेट लिमिटेड, जमशेदपुर और तीन अन्य	24.56	(i) आरएलए, कोलकाता (ii) आरएलए, बंगलोर	अस्वीकृत
6	शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का अधिक अनुदान	लम्बे पैरा का उप 18.5	(i) पैराडाइस प्रॉपर्टीज (ii) समोद हवेली (iii) गीता स्टार होटेल्स एण्ड	27.40	आरएलएज जयपुर, मुम्बई, लखनऊ, बैंगलुरु	आंशिक रूप से स्वीकृत

क्रम सं.	संक्षिप्त विषय	डीएपी सं.	आयातक/लाइसेंसधारक (मै.)	राशि (₹ लाख में)	कमिश्नरी	क्या स्वीकार किया गया
			रिजॉर्टस (iv)जी स्टाड हॉटल्स प्रा. लि. (v) होटल माल, वाराणसी (vi) मै. गुजरात जेएमएच होटल्स लि. एवं अन्य		और सुरत	
7	गैर ग्रुप कम्पनी को शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का गलत हस्तांतरण	लम्बे पैरा का उप पैरा 19	मंजीत होटल्स प्रा. लि.	3.84	आरएलए, मुम्बई	कोई उत्तर प्राप्त नहीं
8	समाप्त एसएसआईएस शुल्क क्रेडिट स्क्रिप से ₹ 15.49 लाख के शुल्क का गलत क्रेडिट	लम्बे पैरा का उप पैरा 21	एशियन होटल्स (पूर्व) लि. हयात रिजेंसी	15.49	आरएलए कोलकाता	अस्वीकृत
9	मोटर कार के आयात की गलत अनुमति देना	लम्बे पैरा का उप पैरा 22	रिनेसा ग्रांड होटल	23.00	आरएलए चेन्नई	कोई उत्तर प्राप्त नहीं
10	आयातों के विवरण प्रस्तुत ना करना	लम्बे पैरा का उप पैरा 24	22 एसएफआईएस स्क्रिप्स	-	आरएलए कोलकाता, बेंगलूर और हैदराबाद	आंशिक रूप से स्वीकृत
11	लाभ का गलत अनुदान	लम्बे पैरा का उप पैरा 26.2	पीयरलेस होटल्स लि. कोलकाता	4.02	आरएलए कोलकाता	कोई उत्तर प्राप्त नहीं
12	पूर्व अनुमति के बिना आयातित माल का निपटान	लम्बे पैरा का उप पैरा 26.3	आर.के.एम इंटरनेशनल अमृतसर	-	आरएलए अमृतसर	कोई उत्तर प्राप्त नहीं
13	हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के संबंध के ईपीसीजी	लम्बे पैरा का उप पैरा 26.4	(ii) साईना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड जोधपुर (iii) राजस्थान फोर्ट एंड पैलेस प्रा. लि.	-	आरएलए जयपुर	कोई उत्तर प्राप्त नहीं
<b>कुल</b>				<b>175.71</b>		

### अनुबंध 8

(संदर्भ पैरा 7.21)

अधिकार धारक	अधिकार सं.	ब्याज सहित अधिक क्रेडिट
मै. अप्पु होटल्स लि.	सं.041015483 और 0410154684 दिनांक 29.1.2014	₹80.96 लाख (55.36+25.60)
मै. जीआरटी होटल्स लि.	सं. 0410143021(2011-12)	₹7.24 लाख ब्याज सहित
मै. वेलन होटल्स	सं.3210047378 दिनांक 22 मार्च 2011	₹12 लाख (10.10 +1.89)
मै. पौपी होटल्स	3210045039 दिनांक 10.08.2010	₹ 2.43 लाख



**अनुबंध 9**

(संदर्भ पैरा 7.21)

(₹ लाख में)

1.	मै. एपीए होटल्स (प्रा.) लि.	फाईल सं.04/21/71/57/एम 14.	10.24
2.	मै. एसएस होटल्स एण्ड इंटरप्राइजेज लि.	फाईल सं.04/21/71/30/एम 12.	27.15
कुल			<b>37.39</b>

**अनुबंध 10**

(संदर्भ पैरा 7.22)

पार्टी का नाम	एलआईसी सं./ तिथि	आवेदन की निर्धारित तिथि	आवेदन की वास्तविक तिथि	विलम्ब कटौती
एपेजय सुरेन्द्र पार्क होटल्स, बैंगलुरु	सं.710093224 दि. 22.01.2013	31.03.2012	18.10.2012	₹ 30.54 लाख/ @ 5 प्रतिशत
मै. हाई डिजाईन इंडिया प्रा. लि., पुदुच्चेरी	सं.2510003967	31.03.2012	05.02.2013	₹0.86 लाख/ @ 5 प्रतिशत
मै. आबर्ग होटल्स प्रा. लि., पुदुच्चेरी	सं.251004074	31.03.2012	22.06.2013	₹ 0.54 लाख/ @ 10 प्रतिशत
मै. बोन्जोर बोनर ओसन स्प्रे. प्रा. लि., पुदुच्चेरी	सं.251004272	31.03.2013	04.12.2013	₹ 0.25 लाख/ @ 5 प्रतिशत
मै. साइबराबाद कंवेशन सेंटर, हैदराबाद	सं.0910052852	31.03.2012	09.05.2012	₹7.21 लाख/ 25.01.2012
मै. होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल, कोलकाता	सं. 0210195203 दि. 08.10.2013	31.03.2011	25.01.2012	0.27 लाख/ @ 5 प्रतिशत
मै. प्राइड होटल्स और चार अन्य सर्विस प्रोवाइडर्स, मुंबई		अप्रैल 2010 से मार्च 2012	दिसम्बर 2012 से दिसम्बर 2013	₹17.68 लाख/ विभिन्न दरों
मै. वाल्ड सिटी होटल, प्रा. लि., जोधपुर	सं. 1310045373 दि. 12.12.2013	31.03.2013	20.09.2013	₹0.59 लाख/ @ 2 प्रतिशत
मै. पैसिफिका होटल, अहमदाबाद	दि. 0810120714 दि. 3 मई 2013	31.03.2013	23.03.2013	₹ 3.15 लाख/ @ 5 प्रतिशत
मै. ज्वेल क्लासिक होटल्स लि. पानीपत		31.03.2013	24.05.2013	₹ 0.35 लाख/ @ 2 प्रतिशत
<b>कुल</b>				<b>₹ 61.44 लाख</b>

अनुबंध 11

(संदर्भ पैरा 7.23.2)

क्र. सं.	लाइसेंस धारक का नाम	ईपीसीजी फाईल सं.	एनएफआईएस फाईल सं.
1	मै. एसएस होटल्स एण्ड इंटरप्राइजेज लि. चेन्नई	04/36/021/00138/एएम05 (एलआईसी सं.0430001900 दि. 26.08.2004)	04/21/071/007/एएम 08
2	मै. सिन्नोज होटल्स प्रा. लि. चेन्नई	04/36/021/00057/एएम05 (एलआईसी सं.0430001718 दि. 31.05.2004)	04/21/071/004/एएम 08
3	-वही -	04/36/021/00309/एएम04	04/21/021/00004/एएम 08
4	मै. एसएस होटल्स एण्ड इंटरप्राइजेज लि. चेन्नई	04/36/021/00699/एएम06 (एलआईसी सं.0430003236 दि. 14.12.2005)	04/21/071/007/एएम 09(डीएफसीई)
5	मै. जीआर थंगमलई प्रा. लि. चेन्नई	04/36/021/10/एएम05 (एलआईसी सं.0430001629 दि. 15.04.2004)	04/79/071/00024/एएम 07(डीएफसीई)
6	मै. आबर्ग होटल्स (प्रा.) लि. पुदुच्चेरी	एलआईसी सं.2530000027 दिनांक 17.09.2004	25/21/071/00001/एएम 10